


00024



भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन



संघ सरकार (सिविल)
स्वायत्त निकाय
निष्पादन लेखापरीक्षा
2010-11 की संख्या 20

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन


राज्य सभा के पटल पर प्रस्तुत, दिनांक

लोक सभा के पटल पर प्रस्तुत, दिनांक

0 DEC 2010

मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार (सिविल)
स्वायत्त निकाय
निष्पादन लेखापरीक्षा
2010-11 की संख्या 20



विषय सूची

		पृष्ठ
प्राक्कथन		iii
कार्यकारी सारांश		v
अध्याय I :	भारतीय चिकित्सा परिषद (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)	1
अध्याय II :	लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद की क्रियाविधि (ग्रामीण विकास मंत्रालय)	49
अध्याय III :	केन्द्रीय सिल्क बोर्ड का उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (कपड़ा मंत्रालय)	81
अध्याय IV :	जूट के विविधकृत उत्पादों के उन्नयन में राष्ट्रीय जूट विविधता केन्द्र की भूमिका (कपड़ा मंत्रालय)	116
अध्याय V :	ब्रह्मपुत्र बोर्ड की क्रियाविधि (जल संसाधन मंत्रालय)	141



प्राक्कथन


भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में निम्नलिखित केन्द्रीय स्वायत्त निकायों की निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम सम्मिलित हैं जिसे संविधान की धारा 151 के तहत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. भारतीय चिकित्सा परिषद | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय |
| 2. लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद की क्रियाविधि | ग्रामीण विकास मंत्रालय |
| 3. केन्द्रीय सिल्क बोर्ड का उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम | कपड़ा मंत्रालय |
| 4. जूट के विविधकृत उत्पादों के उन्नयन में राष्ट्रीय जूट विविधता केन्द्र की भूमिका | कपड़ा मंत्रालय |
| 5. बहमपुत्र बोर्ड की क्रियाविधि | जल संसाधन मंत्रालय |

इन निष्पादन लेखापरीक्षाओं में उपरोक्त स्वायत्त निकायों के अभिलेखों की 2009-10 के दौरान की गई नमूना जांच के परिणाम समाविष्ट हैं।

भारतीय चिकित्सा परिषद पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, 14 जनवरी 2010 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को जारी किया गया था। लेखापरीक्षा निष्कर्षों के महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने से पहले मंत्रालय के उत्तर प्राप्त करना आवश्यक समझा गया था। अनेकों अनुस्मारकों के पश्चात् अपने उत्तर प्रस्तुत करने के बजाय मंत्रालय ने 7 जुलाई 2010 को सूचित किया तथा 22 जुलाई 2010 को दोहराया कि उन्होंने भारतीय चिकित्सा परिषद के नवगठित शासी बोर्ड को सभी उत्तर सीधे लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था। मंत्रालय से फिर से आग्रह किया गया था कि अपनी भूमिका तथा परिषद के अधिशासन के मामले पर यह संसद को जवाबदेह है, परंतु मंत्रालय ने अक्टूबर 2010 अर्थात् इस प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिये जाने तक, कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया था।

इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि मंत्रालय ने अपना उत्तरदायित्व भारतीय चिकित्सा परिषद पर डालने का निर्णय ले लिया है। इस निष्पादन लेखापरीक्षा के माध्यम से किए गए जवाबदेही के कार्य को इस सीमा तक क्षति पहुँची।



कार्यकारी सारांश

इस प्रतिवेदन में (i) भारतीय चिकित्सा परिषद, (ii) “लोक कार्य तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी की उन्नति हेतु परिषद के कार्य”, (iii) केन्द्रीय सिल्क बोर्ड का “उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम” (iv) जूट विविधकरण उत्पादों के उन्नयन में राष्ट्रीय जूट परिवर्तित केन्द्र की भूमिका तथा (v) ब्रह्मपुत्र बोर्ड के कार्य की निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

भारतीय चिकित्सा परिषद

भारतीय चिकित्सा परिषद (परिषद) की स्थापना संसद के एक अधिनियम - भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (अधिनियम) द्वारा 1956 में निरस्त भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1933 के अंतर्गत फरवरी 1934 में हुई थी। इसका उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा के एकसमान मानकों को स्थापित करना तथा भारत एवं विदेश में विश्वविद्यालयों/चिकित्सा संस्थाओं द्वारा प्रदान चिकित्सा उपाधियों को मान्यता देना है। परिषद की निष्पादन लेखापरीक्षा ने परिषद की सिफारिशों तथा अधिनियम में निर्धारित मानदण्डों के विरुद्ध मंत्रालय द्वारा नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना, सीटों में वृद्धि, दाखिले हेतु अनुमति का नवीकरण तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए अनुमति प्रदान किए जाने के उदाहरण प्रकट किए। परिषद तथा मंत्रालय की निरीक्षण प्रतिवेदनों में विभिन्नताओं के मामले भी थे। 2007-08 से 2008-09 की अवधि के दौरान, 59 चिकित्सा महाविद्यालयों ने भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में अपनी भरती क्षमता के अधिक्य में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में पूरे देश से 326 छात्र दाखिल किए। मंत्रालय ने नौ चिकित्सा महाविद्यालयों, जिनके कई निरीक्षणों में परिषद द्वारा निरंतर अनियमितताएं पाए जाने के कारण, परिषद द्वारा मान्यता को वापस लेने की सिफारिश की गई थी, के मामलों में मान्यता समाप्त करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। परिषद ने प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालय के आवधिक निरीक्षण हेतु कोई समय सारणी तैयार नहीं की थी जबकि इसके मानदण्ड प्रत्येक पांच वर्षों में एक बार ऐसे निरीक्षण का प्रावधान करते हैं। 2004-05 से 2008-09 के दौरान परिषद द्वारा निरीक्षण किए कुल महाविद्यालयों में से, 73 प्रतिशत का निरीक्षण पांच वर्षों की निर्धारित अवधि के पश्चात किया गया था। 62 चिकित्सा महाविद्यालयों के आवधिक निरीक्षण के दौरान, परिषद ने पाया कि अनुमत सीमा से अधिक 29 सरकारी एवं 19 निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में शिक्षण संकाय की कमी तथा 21 सरकारी एवं 18 निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में रेजिडेंटों की कमी थी। परिषद के पास, यह जांचने हेतु कि क्या डाक्टर जिनके नाम भारतीय चिकित्सा रजिस्टर से हटा दिये गए थे उनका कार्य करना जारी था, कोई क्रियाविधि नहीं थी, न ही इसने व्यवसायिक अनाचार में

दोषी पाए गए डाक्टरों के नामों का स्थानीय प्रेस में प्रचार किया जैसा कि इसके विनियमों में अपेक्षित था।

(पैराग्राफ 1)

ग्रामीण विकास मंत्रालय

लोक कार्य तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी उन्नति हेतु परिषद के कार्य

लोक कार्य तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी उन्नति परिषद (लो.का.ग्रा.प्रौ.उ.प.) की स्थापना ग्रामीण कार्य को बढ़ावा, उन्नयन तथा सहायता देने तथा ग्रामीण गरीबों को लाभ हेतु उपयुक्त ग्रामीण प्रौद्योगिकियों के प्रवर्धन हेतु अधिदेश सहित 1986 में की गई थी। इसे मुख्यतः परिवर्तित, आवश्यकता आधारित परियोजनाओं हेतु वित्तपोषण सहायता, स्वैच्छिक संगठन में सहयोग को बढ़ावा देने तथा परिवर्तित प्रौद्योगिकियों का चयन, प्रोत्साहन तथा प्रचार करने के माध्यम से स्वैच्छिक कार्यों का उन्नयन करके प्राप्त किया जाना था।

लो.का.ग्रा.प्रौ.उ.प. की निष्पादन लेखापरीक्षा, 2003-09 की अवधि को सम्मिलित करके तथा मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों (अहमदाबाद, भुवनेश्वर तथा जयपुर) के अभिलेखों की संवीक्षा तथा चयनित परियोजना स्थलों के फील्ड दौरों को शामिल करके अप्रैल 2009 तथा जुलाई 2010 के बीच की गई थी।

निष्पादन लेखापरीक्षा ने प्रकट किया कि लो.का.ग्रा.प्रौ.उ.प. वित्तपोषण सहायता के माध्यम से स्वैच्छिक कार्य के उन्नयन के अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर रहा था क्योंकि अधिकांश परियोजनाएं या तो काफी अधिक समय बीत जाने के बाद भी चल रही थी या फिर समाप्त कर दिए जाने सहित, परियोजनाओं का निष्पादन खराब था। परियोजनाओं की स्वीकृति, प्रबंधन तथा मॉनीटरिंग की प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण थी, क्योंकि लेखापरीक्षा नमूना के अंतर्गत आ रही अधिकांश परियोजनाएं अनुपयुक्त रूप से मूल्यांकित एवं स्वीकृत, वित्तपोषित तथा मॉनीटर की गई थीं। चयनित परियोजनाओं के स्थलों की फील्ड दौरों ने भी नियत परियोजना के अभिप्रेत लाभों को प्रदान करने में भी अनियमितताएं प्रकट की।

भारत सरकार के अन्य मुख्य कार्यक्रमों के साथ लो.का.ग्रा.प्रौ.उ.प. की गतिविधियों की अतिव्याप्ति के संदर्भ में मंत्रालय को इसके पुर्नगठन करने पर विचार करना होगा।

(पैराग्राफ 2)

कपड़ा मंत्रालय

केन्द्रीय सिल्क बोर्ड

उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम

रेशम उत्पादन, सिल्क उत्पादन की तकनीक का एक कृषि उद्योग है, जो भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उत्कृष्ट भूमिका अदा करता है। रेशम उत्पादन की मुख्य गतिविधियों में रेशम के कीड़े, जो सिल्क कोकूल का जाल बनाते हैं, को भोजन देने हेतु खाद्य वनस्पति की खेती तथा प्रसंस्करण एवं बुनाई करने हेतु सिल्क रेशे को सुलझाने के लिए कोकून को लपेटना शामिल है। केन्द्रीय सिल्क बोर्ड (के.सि.बो.) राज्य सरकार के सम्मिलित होने के साथ रेशम उत्पादन तथा सिल्क उद्योग के विकास की विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन करता है। इन योजनाओं को उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (उ.वि.का.) के रूप में वर्णन किया जाता है जो एक केन्द्रीय प्रत्यायोजित योजना है। के.सि.बो. योजनाओं का निरूपण करने तथा इन्हें भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कराने हेतु उत्तरदायी है। यह उ.वि.का. द्वारा आवृत राज्य सरकार को नियत अनुपात में निधियों का केन्द्रीय अंश जारी करता है तथा कार्यान्वयन को मॉनीटर करता है।

2004-05 से 2008-09 की अवधि के दौरान उ.वि.का. के कार्यान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा ने योजना, निधियों के उपयोग तथा कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण कमियां प्रकट की। लेखापरीक्षा ने योजना दिशानिर्देशों के उल्लंघन में सहायता के विस्तार को भी पाया। कर्नाटक में, जो एक मुख्य सिल्क उत्पादक राज्य है, उच्चतर गुणवत्ता की कच्ची सिल्क का उत्पादन करने के लिए बिबोल्टाईन कोकून को पैदा करने के लिए रियरिंग हाउस के निर्माण हेतु आर्थिक सहायता का लाभ उठाने के पश्चात अधिकांश लाभभागियों ने शर्तों एवं नियमों के उल्लंघन में रियरिंग को रोक दिया जो मॉनीटरिंग की त्रुटियों को व्यक्त करती है।

(पैराग्राफ 3)

राष्ट्रीय जूट विविधीकरण केन्द्र

जूट बहुविविधि उत्पादों के उन्नयन में राष्ट्रीय जूट विविधीकरण केन्द्र की भूमिका

राष्ट्रीय जूट विविधीकरण केन्द्र (रा.जू.वि.के.) की स्थापना, जूट क्षेत्र में विविधीकरण प्रयासों के लिए केन्द्रित संंध्यान देने हेतु कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय के रूप में 1944 में की गई थी। रा.जू.वि.के. के मुख्य उद्देश्यों में जूट एवं कपड़ा में विभिन्न संस्थानों के अ.एवं वि. परिणामों का समेकन, वाणिज्यिक उत्पादन हेतु व्यवसायियों को अंतरण, व्यवसायियों/कारीगरों/शिल्पकारों को प्रशिक्षण एवं तकनीकी दिशा निर्देश उपलब्ध कराना, विपणन उन्नयन योजनाएं तथा मीडिया अभियानों की योजना बनाना तथा निष्पादन करना तथा आर्थिक सहायता अथवा बीज पूंजी के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है। रा.जू.वि.के. ने उपयुक्त योजना एवं मॉनीटरिंग के बिना योजनाएं कार्यान्वित की। रा.जू.वि.के. ने अपने प्रयासों को मुख्यतः

सतकर्ता कार्यशाला/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने, आर्थिक सहायता प्राप्त जूट का कच्चा माल उपलब्ध कराने तथा मेलों में भाग लेने पर विकेंद्रित किया। रा.जू.वि.के. ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रशिक्षार्थियों का कोई डाटाबेस अनुरक्षित नहीं किया था। अपेक्षित डाटाबेस के अभाव में, रा.जू.वि.के. द्वारा कार्यान्वित योजनाओं का प्रभाव निर्धारण संभव नहीं था। समूह विकास अभिकरणों के चयन में कमियां थीं। रा.जू.वि.के. एक भी जूट उद्यान विकसित नहीं कर सका जिस पर जूट प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत विचार किया गया था। रा.जू.वि.के. को राष्ट्रीय जूट बोर्ड में मिला दिया गया है जो 1 अप्रैल 2010 से अपना कार्य प्रारम्भ करेगा। राष्ट्रीय जूट बोर्ड को कार्यान्वित योजनाओं के अंतर्गत सभी गतिविधियों तथा इनके परिणाम के संबंध में उपयुक्त सर्वेक्षण, डाटाबेस की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु अपने नियंत्रण तथा मॉनीटरिंग क्रियाविधि को सुदृढ़ करना अपेक्षित था।

(पैराग्राफ 4)

जल संसाधन मंत्रालय

ब्रह्मपुत्र बोर्ड के कार्य

ब्रह्मपुत्र बोर्ड की स्थापना ब्रह्मपुत्र घाटी एवं बाराक घाटी में बाढ़ों के नियंत्रण एवं बांध अपरदन हेतु उपायों की योजना तथा एकीकृत कार्यान्वयन के लिए पहले के सिंचाई मंत्रालय (अब जल संसाधन मंत्रालय), भारत सरकार (भा.स.) के संरक्षण के अधीन एक स्वायत्त सांविधिक निकाय के रूप में संसद के अधिनियम के तहत 1980 में की गई थी। बोर्ड को बाढ़ नियंत्रण तथा बांध अपरदन तथा जल निकासी के सुधार हेतु मुख्य योजना तैयार करना तथा स्वीकृत मुख्य योजना के अनुसार परियोजनाओं को कार्यान्वित करना अपेक्षित था। बोर्ड ने प्रधान योजना तैयार करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की थी जिसका परिणाम इस मुख्य कार्य की अब तक की तिथि तक समाप्त न होने में हुआ। मुख्य योजना की तैयारी में बोर्ड तथा राज्यों के बीच समन्वय की कमी भी थी। बोर्ड 64 परियोजनाओं के प्रति 34 परियोजनाओं हेतु ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट (ब्यौ.प.रि.) तैयार कर सका। प्रस्तुत 29 ब्यौ.प.रि. के प्रति जनवरी 2010 तक केवल 12 ब्यौ.प.रि. के लिए केन्द्रीय जल आयोग से स्वीकृति प्राप्त की जा सकी। बोर्ड में विभिन्न योजनाओं के अधीन निष्पादन हेतु 20 परियोजनाएं प्रारम्भ की परन्तु यह केवल सात परियोजनाओं को ही पूरा कर सका। वित्तीय प्रबंधन में कमियां थीं। परियोजनाओं की समाप्ति में विलम्ब का परिणाम योजनाओं के अंतर्गत प्रतीत लागत लाभों को प्राप्त न करने के रूप में 243.72 करोड़ की हानि में हुआ था। परियोजना मॉनीटरिंग क्रियाविधि प्रभावी नहीं थी। इस तथ्य, कि 27 वर्षों के अपने अस्तित्व के दौरान बोर्ड केवल सात परियोजनाएं पूर्ण कर सका, ने प्रमाणित किया कि यह अपने उद्देश्य प्राप्त करने में विफल रहा।

(पैराग्राफ 5)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
मंत्रालय

भारतीय चिकित्सा परिषद

पुस्तकालय प्राचीन ज्ञान संस्थान
दिल्ली

प्राचीन भारतीय इतिहास

अध्याय 1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

भारतीय चिकित्सा परिषद

विशिष्टताएं

- 299 चिकित्सा महाविद्यालयों में से 188 चिकित्सा महाविद्यालय (63 प्रतिशत), महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्रप्रदेश, तमिलनाडु, केरल और उत्तर प्रदेश के छः राज्यों में थे जिसने देश में चिकित्सा महाविद्यालयों के विषम वितरण को दर्शाया।

(पैराग्राफ 1.1.1)

- चार सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए संकाय निवासी, आधारभूत संरचना, क्लिनिकल सामग्री और पशुचिकित्सा नर्सिंग स्टाफ से संबंधित निर्धारित चिकित्सा मानकों की पूर्ति सुनिश्चित किए बगैर अनुमति प्रदान की गई।

(पैराग्राफ 1.3.1)

- दो चिकित्सा महाविद्यालयों के मामले में परिषद् और मंत्रालय के निरीक्षण प्रतिवेदनों में ध्यान में आई व्यापक विभिन्नताओं के बावजूद, उनकी स्थापना की अनुमति, अनुपालन सत्यापन निरीक्षण के माध्यम से उसे सत्यापित किए बगैर, आवेदनकर्ता द्वारा कमियों के अनुपालन की प्रस्तुति पर ही प्रदान की गई थी।

(पैराग्राफ 1.3.1.1)

- चिकित्सा शिक्षा के अपेक्षित न्यूनतम मानकों के पालन न करने के बावजूद, (i) 11 चिकित्सा महाविद्यालयों के वार्षिक प्रवेश के लिए अनुमति के नवीकरण (ii) दो चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रारम्भ तथा (iii) तीन चिकित्सा महाविद्यालयों में सीटों की वृद्धि के लिए अनुमति प्रदान की गई थी

(पैराग्राफ 1.3.1.2 एवं 1.3.2)

- 42 सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के आवधिक निरीक्षण में क्रमशः 29 एवं 21 चिकित्सा महाविद्यालयों में अनुमत सीमा के बाहर संकाय तथा रेजिडेन्टों की कमी ध्यान में आई थी। इसी प्रकार, 21 निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के आवधिक निरीक्षण में क्रमशः 19 एवं 18 चिकित्सा महाविद्यालयों में, अनुमत सीमा के बाहर संकाय तथा रेजिडेन्टों की कमी ध्यान में आई थी।

(पैराग्राफ 1.4)

- 59 चिकित्सा महाविद्यालयों में, 126 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अपनी भर्ती क्षमता से 326 अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश देना पाया गया था।

(पैराग्राफ 1.5)

- पूर्वास्नातक (एम.बी.बी.एस.) पाठ्यक्रम की चिकित्सा शिक्षा प्रदान कर रहे नौ चिकित्सा महाविद्यालयों तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में चिकित्सा शिक्षा प्रदान कर रहे नौ चिकित्सा महाविद्यालयों की मान्यता कई वर्षों से ध्यान में आई बड़ी कमियों की निरन्तरता के बावजूद समाप्त नहीं की गई थी।

(पैराग्राफ 1.6.1 एवं 1.6.2)

- 128 दोषी चिकित्सा अध्यापकों, जिनके नाम भारतीय चिकित्सा पंजी (भा.चि.पं) में से हटा दिए गए थे, में से 38 चिकित्सा अध्यापक, भा.चि.पं. से अपने नामों को हटाने की अवधि के दौरान चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्य करते हुए पाए गए थे। 18 चिकित्सा अध्यापक निरीक्षण की उसी तिथि पर एक चिकित्सा महाविद्यालय से अधिक में कार्य करते हुए पाए गए थे, इस प्रकार, अर्थ निकलता है कि कुछ अन्य व्यक्तियों ने किसी भी महाविद्यालय में उनका रूप धारण किया। इसके अतिरिक्त, 102 चिकित्सा अध्यापक, दन्त्य एवं चिकित्सा दोनों चिकित्सा महाविद्यालयों में एक ही समय कार्य करते पाए गए थे।

(पैराग्राफ 1.7.1)

- प्रत्येक चिकित्साकर्ता हेतु अनिवार्य पुनः पंजीकरण/पंजीकरण के नवीकरण की संसदीय समिति (दसवीं लोक सभा) की अनुशंसा, मंत्रालय की निष्क्रियता के कारण कार्यान्वित नहीं हुई।

(पैराग्राफ 1.8)

अनुशंसाओं का सार :

- मंत्रालय को चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानकों का पालन करने के लिए, अनुमति प्रदान करते समय, नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना, सीटों की वृद्धि, अध्ययन के नए पाठ्यक्रम आरम्भ करने तथा वार्षिक रूप से प्रवेश हेतु नवीकरण की अनुमति के लिए सभी अपेक्षित शर्तों/मानदण्डों की पूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए।
- मान्यता प्राप्त करने के बाद, आवधिक निरीक्षण के लिए नियत हुए संस्थानों को चिन्तित करने के लिए, परिषद को पांच वर्षों के एक ब्लॉक में एक बार संस्थान के आवधिक निरीक्षण हेतु समय-सारणी निर्धारित करनी चाहिए।
- परिषद को मान्यताप्राप्त चिकित्सा संस्थानों का पांच वर्षों के प्रत्येक ब्लॉक में एक बार आवधिक निरीक्षण करने के अपने मानदण्डों का पालन करना चाहिए।

- परिषद को सरकारी और निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए भेदभावपूर्ण मानदण्डों के उपयोग की वांछनीयता की समीक्षा करनी चाहिए।
- परिषद को आवधिक निरीक्षणों में ध्यान में आई कमियों को सुधारने हेतु चिकित्सा संस्थानों के लिए समयावधि निर्धारित करनी चाहिए और तत्पश्चात कमियों के सुधार के लिए बार-बार अवसर प्रदान करके पर्याप्त समय देने की अपेक्षा तुरन्त अनुपालन सत्यापन निरीक्षण करना चाहिए। यदि नियत तिथि के बाद भी कमी बनी रहती है, तो परिषद को चिकित्सा संस्थानों के विरुद्ध अधिनियम के अनुसार अविलम्ब कार्यवाही आरम्भ करनी चाहिए।
- संस्वीकृत भर्ती में वृद्धि को समायोजित करने के लिए आवश्यक सुविधाएं हासिल की जानी चाहिए।
- मंत्रालय को परिषद की अनुशंसा के अनुसार जो चिकित्सा शिक्षा के निर्धारित मानकों की पुष्टि नहीं करते हैं, ऐसे चिकित्सा महाविद्यालयों/चिकित्सा उपाधियों की मान्यता समाप्त करने के लिए अविलम्ब कार्यवाही करनी चाहिए।
- परिषद के पास, यह जांच करने के लिए कि क्या उन डाक्टरों ने जिनके नाम भारतीय चिकित्सा पत्री में से हटा दिए गए हैं, अपना व्यवसाय जारी रखा है, एक उपयुक्त क्रियाविधि होनी चाहिए।
- व्यवसायी कदाचार के दोषी पाए गए डाक्टरों के नामों को व्यापक रूप से सामान्य जनता की सूचना हेतु प्रचारित किया जाना चाहिए जैसा कि भारतीय चिकित्सा परिषद् (व्यवसायी आचरण, शिष्टाचार एवं आचार-शास्त्र) नियमन 2002 में निर्धारित है।
- मंत्रालय को चिकित्साकर्ता के अनिवार्य पुनःपंजीकरण/पंजीकरण के नवीकरण संबंधी अनुशंसा लागू करने के लिए मा.चि.प. अधिनियम के संशोधन पर विचार करना चाहिए।

1.1 प्रस्तावना

भारतीय चिकित्सा परिषद (परिषद) की स्थापना संसद के एक अधिनियम, भारतीय चिकित्सा अधिनियम 1933 के अंतर्गत फरवरी 1934 में हुई थी, जिसे भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1956 (अधिनियम) द्वारा 1956 में निरस्त किया गया। अधिनियम को बाद में वर्ष 1964, 1993 तथा 2001 में संशोधित किया गया था। धारा 10 क, 10 ख तथा 10 ग को प्रारम्भ करने वाला मुख्य संशोधन वर्ष 1993 में किया गया था जिसे भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधित) अधिनियम 1993 कहा जाता है, तथा इस समीक्षा में अधिनियम से संदर्भित है। अधिनियम की धारा 33 के तहत प्रदत्त शक्तियों को लागू करके परिषद केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ विनियम तैयार करती है।

परिषद चिकित्सा शिक्षा के बारे में एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करती है। इसका लक्ष्य चिकित्सा शिक्षा के एक समान मानकों को संस्थापित करना तथा नीचे बॉक्स 1 में दिए गए अधिदेश के अनुसार भारत एवं विदेश में विश्वविद्यालयों/चिकित्सा संस्थानों द्वारा अनुमत चिकित्सा योग्यताओं का पंजीकरण करना है।

बाक्स-1: परिषद को अधिदेश

- चिकित्सा शिक्षा के एक समान मानकों का अनुक्षण, पूर्वस्नातक एवं स्नातकोत्तर - दोनों स्तरों पर।
- नए चिकित्सा महाविद्यालयों, स्नातकोत्तर अथवा उच्चतर अध्ययनों सहित नए पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने तथा सीटों को बढ़ाने हेतु अनुशंसा।
- देश के भीतर एवं बाहर चिकित्सा संस्थानों की चिकित्सा योग्यताओं की मान्यता एवं मान्यता समाप्ति के लिए अनुशंसा।
- अस्थायी एवं स्थायी पंजीकरण तथा स्वीकृत चिकित्सा योग्यता धारक व्यक्ति को अनुमत अतिरिक्त योग्यता का पंजीकरण करना।
- भारतीय चिकित्सा रजिस्टर (भा.चि.र.) का अनुक्षण।
- पंजीकृत चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा व्यवसाय के नैतिक आचरण को निर्धारित एवं लागू करना तथा इसके उल्लंघन के मामले में अनुशासनिक कार्रवाई करना।

1.1.1 चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थिति

जुलाई 2009 तक देश में 299 चिकित्सा महाविद्यालय (141 सरकारी तथा 158 निजी चिकित्सा महाविद्यालयों को मिलाकर) थे जिसमें से 149 चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधित) अधिनियम 1993 के प्रारम्भ के पश्चात हुई थी। 141 सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों तथा 158 निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में से क्रमशः 120 तथा 100 चिकित्सा महाविद्यालयों का पंजीकरण जुलाई 2009 तक किया गया है। शेष चिकित्सा महाविद्यालय उस तिथि तक पंजीकरण की प्रक्रिया में हैं।

100 निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में से 47 महाविद्यालयों का पंजीकरण 2004-09 की अवधि के दौरान किया गया था।

299 चिकित्सा महाविद्यालयों में से 188 महाविद्यालय (63 प्रतिशत) महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल तथा उत्तर प्रदेश के छः राज्यों में थे जिसने पूरे देश में चिकित्सा महाविद्यालयों के विषम वितरण को दर्शाया।

1.1.2 संगठनात्मक ढाँचा

परिषद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (मंत्रालय) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करती है। अधिनियम की धारा 3(1) परिषद के गठन एवं संघटन हेतु प्रावधान करती है। प्रतिवेदन की अवधि के दौरान परिषद की अध्यक्षता एक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष द्वारा की गई थी, दोनों मानद सदस्य थे तथा परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच में से चुने गए थे। परिषद के दिन-प्रतिदिन का कार्य एक सचिव द्वारा पर्यवेक्षित किया जाता था जिनकी सहायता एक अतिरिक्त सचिव, एक सह-सचिव तथा विभिन्न विभागों की देखरेख कर रहे दो उप-सचिवों द्वारा की जा रही थी।

1.1.3 नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना एवं पंजीकरण की प्रक्रिया

एक नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना अधिनियम की धारा 10 क के प्रावधान के तहत होती है। अधिनियम के अनुसार, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिश पर एक नए चिकित्सा महाविद्यालय की संस्थापना हेतु अनुमति प्रदान करेगी। उस उद्देश्य के लिए, कोई भी व्यक्ति (विश्वविद्यालय अथवा ट्रस्ट), जो एक नया चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करना चाहता है, नियत प्रारूप में केन्द्र सरकार को आवेदन करेगा, जिसे मूल्यांकन एवं अनुशंसा हेतु परिषद को प्रेषित किया जाएगा। परिषद, फिर अधिनियम में निर्धारित मानदण्डों तथा अवसंरचना, उपकरण अस्पताल सुविधाएं, आवास स्थान, वित्तीय संसाधनों एवं छात्रों को प्रशिक्षण आदि प्रत्येक तत्व के संबंध में विनियम में नियत मानदण्डों एवं प्रासंगिक विनियमों के अनुसार चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने की वांछनीयता तथा प्रथम दृष्ट्या संभाव्यता के अनुसार आवेदन पत्र का मूल्यांकन करेगी। भौतिक निरीक्षण द्वारा आवेदन पत्र की जांच के पश्चात परिषद केन्द्र सरकार को अपनी सिफारिशें करती है जो फिर, आवश्यक समझी गई कुछ शर्तों अथवा परिवर्तनों के साथ एक नए चिकित्सा महाविद्यालय को स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करेगी, उपरोक्त शर्तों की स्वीकृति तथा आवेदक द्वारा अपेक्षित राशि की बैंक प्रत्याभूति प्रस्तुत करने के बाद केन्द्र सरकार एक चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने तथा एक वर्ष की प्रारम्भिक अवधि हेतु स्वीकृत अंतर्ग्रहण क्षमता के अनुसार छात्रों को दाखिला देने के लिए औपचारिक अनुमति प्रदान करेगी। अनुमति का फिर वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्तियों की शर्त पर, वार्षिक आधार पर नवीकरण किया जाएगा। यह प्रक्रिया चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना व अस्पताल सुविधाओं का विस्तार पूरा होने तथा केन्द्र सरकार द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय को औपचारिक पंजीकरण प्रदान किए जाने तक जारी रहेगी।

समान प्रक्रिया विभिन्न क्षेत्रों में छात्रों की अंतर्ग्रहण क्षमता में वृद्धि तथा अध्ययन के नए/उच्चतर पाठ्यक्रम (स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम) को प्रारम्भ करने हेतु आवेदकों के मामले में भी अपनाई जानी है।

1.1.4 वित्त

2004-05 से 2008-09 के दौरान, परिषद ने मंत्रालय से ₹ 7.25 करोड़ की राशि के अनुदान प्राप्त किए। इसने ₹ 112.90 करोड़ की राशि की अपनी स्वयं की प्राप्तियाँ¹ भी सृजित की। ब्यौरे नीचे तालिका -1 में दिए गए हैं:-

तालिका-1

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान		स्वयं की प्राप्तियाँ	कुल	व्यय		कुल व्यय	बचत
	योजनागत	योजनेत्तर			योजनागत	योजनेत्तर		
2004-05	0.60	0.55	11.83	12.98	0.60	7.98	8.58	4.40
2005-06	1.00	0.60	9.08	10.68	0.56	8.68	9.24	1.44
2006-07	1.00	0.60	14.61	16.21	1.11	8.82	9.93	6.28
2007-08	1.00	0.60	28.07	29.67	4.10	12.00	16.10	13.57
2008-09	1.00	0.30	49.31	50.61	1.97	17.45	19.42	31.19
योग	4.60	2.65	112.90	120.15	8.34	54.93	63.27	56.88

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि यद्यपि परिषद की स्वयं की प्राप्तियाँ साल दर साल बढ़ी हैं, जिसका परिणाम प्रत्येक वर्ष बचतों में वृद्धि में हुआ है और जो आत्मनिर्भरता की मात्रा को दर्शाती है, फिर भी इसने अपने योजनागत एवं योजनेत्तर व्यय के लिए सरकार से अनुदान का आहरण जारी रखा।

1.2 लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

परिषद की लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है।

1.2.1 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सत्यापित करने के लिए की गई थी कि क्या:

- परिषद ने, पूर्वस्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना एवं पंजीकरण हेतु अनुशंसा करते समय चिकित्सा शिक्षा के एक समान मानकों² के अनुरक्षण के मुख्य उद्देश्य को पूरा किया।

¹ चिकित्सा महाविद्यालयों के निरीक्षण हेतु निरीक्षण शुल्क/पंजीकृत चिकित्सा योग्यताएं धारक व्यक्तियों को स्थाई/प्रावधानिक पंजीकरण प्रदान करने हेतु पंजीकरण शुल्क, आदि।

² चिकित्सा शिक्षा का उचित स्तर सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण/यात्रा करने तथा चिकित्सा शिक्षा का एक समान स्तर सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यक्रम मानदण्ड, परीक्षा पद्धति एवं प्रशिक्षुवृत्ति की स्थापना

- परिषद ने विद्यमान चिकित्सा महाविद्यालयों के आवधिक निरीक्षण द्वारा चिकित्सा शिक्षा के एक समान मानकों का अनुसूक्षण किया।
- परिषद ने भारतीय चिकित्सा रजिस्टर (भा.चि.र.) को नियमित रूप से अनुसूक्षित करने तथा अद्यतन बनाने का कार्य कर रही थी तथा व्यावसायिक आचरण के अनुसार अपचारी पाए गए डाक्टरों के प्रति उपयुक्त कार्रवाई की थी।

1.2.2 लेखापरीक्षा क्षेत्र

निष्पादन लेखापरीक्षा में 2004-05 से 2008-09 की अवधि शामिल है तथा उपरोक्त अवधि के दौरान परिषद एवं मंत्रालय में 71 नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना से संबंधित सभी अभिलेखों की जाँच सम्मिलित है। लेखापरीक्षा 8 जून 2009 से 25 सितम्बर 2009 तक की गई थी।

1.2.3 लेखापरीक्षा मानदण्ड

निम्नलिखित लेखापरीक्षण मानदण्ड अपनाए गए थे:-

- भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के प्रावधान
- भारतीय चिकित्सा परिषद के विनियम
- सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश/अनुदेश

1.2.4 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

परिषद की निष्पादन लेखापरीक्षा अगस्त 2009 में परिषद के सचिव के साथ प्रवेश सम्मेलन के साथ प्रारम्भ हुई जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, मानदण्ड, लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई थी। परिषद मई 2010 में विसर्जित हो गई थी इसलिए परिषद के कार्य करने हेतु शासक-मण्डल को गठित किया गया था। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अक्टूबर 2010 में हुए निर्गम सम्मेलन में शासक-मण्डल के साथ विस्तार से चर्चा की गई थी।

1.2.5 आभार

हम इस निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान परिषद तथा मंत्रालय द्वारा प्रदान किये गये सहयोग तथा सहायता हेतु आभार प्रकट करते हैं।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

परिषद की निष्पादन लेखापरीक्षा ने (1) नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना, (2) विद्यमान चिकित्सा महाविद्यालयों में सीटों की वृद्धि, (3) वार्षिक दाखिले हेतु अनुमति का नवीकरण, (4) पंजीकृत चिकित्सा महाविद्यालयों के आवधिक निरीक्षण तथा (5) पंजीकृत चिकित्सा महाविद्यालयों के पंजीकरण की निरन्तरता के मामलों में चिकित्सा शिक्षा में एक समान मानकों की गैर-अनुपालना को प्रकट किया। परिषद दोषी

चिकित्सकों/चिकित्सा शिक्षकों के प्रति कार्रवाई करने में भी विफल रही। परिषद/मंत्रालय द्वारा उद्देश्यों की अप्राप्ति को उजागर करने वाले लेखापरीक्षा निष्कर्षों की अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

1.3 नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना, विद्यमान चिकित्सा महाविद्यालयों में वार्षिक दाखिले तथा सीटों में वृद्धि हेतु अनुमति के नवीकरण में चिकित्सा शिक्षा के एकसमान मानकों की गैर-अनुपालना:

1.3.1 नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना में मानदण्डों की गैर-अनुपालना

वर्ष 2004-05 से 2008-09 के दौरान, परिषद ने मंत्रालय के माध्यम से नए चिकित्सा महाविद्यालयों के संस्थापन के मूल्यांकन तथा वांछनीयता एवं प्रथम दृष्टि में संभाव्यता का निर्धारण करने के लिए 255 आवेदन पत्र प्राप्त किए। परिषद द्वारा अनुशंसित तथा मंत्रालय द्वारा स्वीकृत आवेदनपत्रों का ब्यौरा नीचे तालिका-2 में दिया गया है:

तालिका-2

वर्ष/शैक्षिक वर्ष	नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु आवेदन पत्रों की संख्या		
	प्राप्त	परिषद द्वारा अनुशंसित	मंत्रालय द्वारा स्वीकृत
2004-05/2005-06	40	13	13
2005-06/2006-07	46	18	20
2006-07/2007-08	44	7	9
2007-08/2008-09	63	19	19
2008-09/2009-10	62	10	10
योग	255	67	71

मंत्रालय द्वारा स्वीकृत 71 मामलों में, लेखापरीक्षा ने पाया कि सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों³ के चार मामलों में (अनुबंध I में ब्यौरा दिया गया है) परिषद ने निम्नलिखित मुख्य कमियाँ पाई:

- 10 प्रतिशत की अनुमय सीमा की तुलना संकाय एवं आवासियों की कमी,
- अवसंरचना जैसे महाविद्यालय भवन, छात्रावास, व्याख्यान कक्ष, वार्ड, बाह्य रोगी विभाग (ओ.पी.डी.) में शिक्षण क्षेत्र आदि पूर्ण नहीं था
- रेडियोलोजी जाँचों, प्रयोगशाला जाँचों, ओ.पी.डी. परिचर तथा ऑपेरेशन थियेटर उपकरण आदि के संबंध में नैदानिक सामग्री सकल रूप से अपर्याप्त थीं तथा
- अपर्याप्त पैरा-चिकित्सा एवं नर्सिंग स्टाफ आदि।

तदनुसार, परिषद ने इन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की अस्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार को सिफारिश की। उपरोक्त में से तीन महाविद्यालयों (फुटनोट के क्रम सं. 1-3) ने सितम्बर 2006 से जुलाई 2007 के दौरान मंत्रालय को अपनी अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत की। मंत्रालय ने परिषद से अनुपालना रिपोर्ट सत्यापित कराये बिना इनकी स्थापना हेतु अनुमति प्रदान की। इस प्रकार, लेखापरीक्षा ने पाया कि परिषद द्वारा

³ (i) शिमोगा आयुर्विज्ञान संस्थान, शिमोगा, कर्नाटक, (ii) रायचूर आयुर्विज्ञान संस्थान, रायचूर, कर्नाटक, (iii) हसन आयुर्विज्ञान संस्थान, हसन, कर्नाटक तथा (iv) एन.डी.एम.सी. सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर, उड़ीसा

अनुपालना रिपोर्टों की सत्यापन जाँच के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि चिकित्सा महाविद्यालय, जिन्हें मंत्रालय ने स्थापना की अनुमति दी, चिकित्सा शिक्षा के निर्धारित मानकों को सुनिश्चित करते हैं।

चौथे महाविद्यालय के मामले में, मंत्रालय ने परिषद तथा महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाओं (म.नि.स्वा.से.) को उनकी टिप्पणियों हेतु चिकित्सा महाविद्यालय की अनुपालना रिपोर्ट भेजी। दोनों संस्थानों ने जुलाई 2006 के पहले सप्ताह में महाविद्यालय का निरीक्षण किया। दोनों संस्थानों की निरीक्षण प्रतिवेदनों में काफी विभिन्नता, विशेष रूप से शिक्षण संकाय की स्थिति में पाई गई थी। म.नि.स्वा.से. ने महाविद्यालय की स्थापना हेतु अनुशंसा की जबकि परिषद ने अनुशंसा नहीं दी। परिषद की अनुशंसाओं को अनदेखा करते हुए मंत्रालय ने म.नि.स्वा.से. की अनुशंसाओं के आधार पर 100 से 50 छात्रों तक अंतर्ग्रहण कम करके चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की अनुमति दी। इस मामले में लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि निरीक्षण प्रतिवेदनों में विभिन्नता के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि क्या चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सा शिक्षा के निर्धारित न्यूनतम मानकों को पूरा कर सकेगा।

1.3.1.1 परिषद तथा मंत्रालय की निरीक्षण प्रतिवेदनों में विभिन्नता

संवीक्षा के अधीन अवधि के दौरान मंत्रालय ने परिषद की अनुशंसाओं के अनुसार इन महाविद्यालयों में उपलब्ध बताई गई सुविधाओं को सत्यापित करने हेतु 18 चिकित्सा महाविद्यालयों⁴ का निरीक्षण किया। लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित दो चिकित्सा महाविद्यालयों (प्रकरण अध्ययन 1 एवं प्रकरण अध्ययन 2), जिन्हें नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना हेतु मंत्रालय द्वारा आ.प./अ.प. प्रदान किए गए थे, के संबंध में परिषद तथा मंत्रालय के निरीक्षण दल के निष्कर्षों में काफी विभिन्नताएं पाई।

⁴ (i) संतोष चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गाजियाबाद, उ.प्र., (ii) भास्कर चिकित्सा महाविद्यालय, येंकापल्ली, आन्ध्र प्रदेश, (iii) शादान आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, पेरांचेरु, आन्ध्र प्रदेश, (iv) कोनोसीमा आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान प्रतिष्ठान संस्थान, अमलापुरम, आन्ध्र प्रदेश (v) शांतिसराम चिकित्सा महाविद्यालय, नन्दयाल, आन्ध्र प्रदेश, (vi) मुजफ्फरनगर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, (vii) रूहेलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बरेली, उत्तर प्रदेश, (viii) इन्डेक्स चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, इन्दौर मध्य प्रदेश, (ix) राममूर्ति स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय, एवं अस्पताल, बरेली, उत्तर प्रदेश, (x) हिन्दू आयुर्विज्ञान संस्थान, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश, (xi) कस्तूरबा चिकित्सा महाविद्यालय, मनीपाल, कर्नाटक, (xii) कस्तूरबा चिकित्सा महाविद्यालय, बेंगलोर, कर्नाटक, (xiii) सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, मदोहपुरा, बिहार (xiv) सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, बैतिया, बिहार, (xv) सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, पावापुरी, बिहार, (xvi) गीतांजली चिकित्सा महाविद्यालय, एवं अस्पताल, उदयपुर, राजस्थान (xvii) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जयपुर, राजस्थान, (xviii) लोक आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।

प्रकरण अध्ययन 1 - गीतांजलि प्रतिष्ठान, उदयपुर, राजस्थान (निजी)

मंत्रालय ने नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु गीतांजलि प्रतिष्ठान, उदयपुर, राजस्थान के बारे परिषद के निरीक्षण प्रतिवेदन पर अनुपालन रिपोर्ट प्रेषित की (फरवरी 2008)। परिषद ने अनुपालन सत्यापन निरीक्षण किया (अप्रैल 2008) तथा पर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाएं पाई और अ.प. देने की सिफारिश की (जून 2008)। बाद में, मंत्रालय ने कथित महाविद्यालय का निरीक्षण किया (जुलाई 2008)। निरीक्षण प्रतिवेदनों में निम्नलिखित मानदण्डों के संबंध में काफी विभिन्नताएं थी जो नीचे दर्शाई गई है:-

मानदण्ड	परिषद का निरीक्षण	मंत्रालय का निरीक्षण
अवसंरचना	पर्याप्त	चिकित्सा महाविद्यालय भवन, छात्रावास एवं स्टाफ मकान निर्माणाधीन थे।
नैदानिक सामग्री	पर्याप्त	समग्र रूप से अपर्याप्त अर्थात् अधिकतर मरीजों को बिस्तर अधिभोग तथा जाँच बढ़ाने हेतु जाँच के लिए ओ.पी.डी. से दाखिल किया गया।

मंत्रालय ने, अपने निरीक्षण प्रतिवेदन में, भी इंगित किया कि भवन, अपनी वर्तमान स्थिति (चित्र-1) में, छात्रों को विभिन्न प्रकार के जोखिमों में डाल सकता है तथा घातक दुर्घटनाओं तथा क्षतियों का कारण बनेगा। तदनुसार, मंत्रालय ने आवेदक को कमियाँ सुधारने एवं अनुपालना प्रस्तुत करने को कहा (अगस्त 2008)। अनुपालना की प्राप्ति (सितम्बर 2008) के पश्चात, मंत्रालय ने आ.प. एवं अ.प. जारी किया (सितम्बर 2008)। मंत्रालय ने पुर्ननिरीक्षण के बिना महाविद्यालय द्वारा बताई अनुपालना के आधार पर अनुमति प्रदान की जो कि अनुचित थी।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2009) कि अनुमति, महाविद्यालय द्वारा विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 3 सितम्बर 2008 के आदेश, जो मामले के निर्णय हेतु एक सप्ताह का समय प्रदान करता है, के कारण समय की कमी तथा परिषद की सकारात्मक अनुशंसाओं से प्रदान की गई थी। उत्तर न्यायसंगत नहीं है क्योंकि महाविद्यालय द्वारा बताई गई अनुपालना, मंत्रालय द्वारा सत्यापित नहीं थी तथा परिषद की अनुशंसा मंत्रालय की प्रतिकूल अनुवर्ती निरीक्षण प्रतिवेदन द्वारा स्थगित हो गई थी।



चित्र:
महाविद्यालय
भवन, उदयपुर,
राजस्थान
(जुलाई, 2008)
के कार्य में प्रगति

प्रकरण अध्ययन-2. फतेह चन्द धमार्थ न्यास, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश (निजी)

परिषद के मानदण्डों के अनुसार, शिक्षण संकाय एवं रेजिडेंटों की कुल अपेक्षित संख्या की पाँच प्रतिशत तक की कमी, निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के निरीक्षण प्रतिवेदनों पर विचार करते समय उपेक्षणीय थी। लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि मंत्रालय ने नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु फतेह चन्द धमार्थ न्यास मुजफ्फर नगर के आवेदन को परिषद को प्रेषित किया (सितम्बर 2005)। परिषद ने, निरीक्षण करने (2-3 जून 2006) के पश्चात, अ.प. जारी करने की सिफारिश की (15 जून 2006)। तथापि, मंत्रालय ने, 26 दिनों के अंतराल के पश्चात, निरीक्षण किया (29 जून 2006) तथा परिषद द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन में निम्नलिखित पैरामीटरों के संबंध में काफी असंगतियाँ पाई।

मानदण्ड	परिषद का निरीक्षण	मंत्रालय का निरीक्षण
शिक्षण संकाय की कमी	5 प्रतिशत से कम	57.6 प्रतिशत
रेजिडेंटों की कमी	शून्य	68.4 प्रतिशत
नैदानिक सामग्री-बिस्तर अधिभोग	84 प्रतिशत	21.33 प्रतिशत

मंत्रालय द्वारा निरीक्षण ने, परिषद द्वारा अपने निरीक्षण में पाई गई से अधिक महत्वपूर्ण कमियाँ प्रकट की। 26 दिनों के अंतराल के पश्चात किए गए निरीक्षण प्रतिवेदन में भारी विभिन्नता के कारण अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे। तथापि, मंत्रालय ने महाविद्यालय के यह स्पष्ट करने (11 जुलाई 2006) पर कि आधे शिक्षण संकाय अवकाश पर थे तथा नैदानिक सामग्री में कमियों हेतु निरंतर वर्षा को बताने के पश्चात 12 जुलाई 2006 को आ.प. तथा 14 जुलाई 2006 को अ.प. जारी किया।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (नवम्बर 2009) कि अनुमति परिषद की विशिष्ट अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मंत्रालय द्वारा किए गए निरीक्षण (29 जून 2006) ने बाद में परिषद के पहले के निरीक्षण (2-3 जून 2006) को स्थगित कर दिया था।

इस प्रकार, मंत्रालय तथा परिषद की निरीक्षण प्रतिवेदनों में काफी अन्तरों के बावजूद, केवल आवेदक द्वारा कमियों की अनुपालना के प्रस्तुतिकरण पर तथा परिषद द्वारा अनुपालना सत्यापन निरीक्षण के माध्यम से इसे सत्यापित कराए बिना केन्द्र सरकार द्वारा नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की अनुमति प्रदान की गई थी।

1.3.1.2 वार्षिक दाखिले हेतु अनुमति के नवीकरण में चिकित्सा शिक्षा के समान मानकों का पालन न करना

लेखापरीक्षा ने वार्षिक दाखिलों हेतु अनुमति के नवीकरण के 11 मामलों⁵ तथा स्नातकोत्तर (स्ना.) पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने के दो मामलों⁶ (ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है) में पाया कि परिषद ने महाविद्यालय के निरीक्षण के दौरान पाई गई बड़ी कमियों के कारण दाखिले के लिए अनुमति के नवीकरण की सिफारिश नहीं की थी, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

- शिक्षण संकाय तथा रेजिडेंटों में 10 प्रतिशत की अनुज्ञेय सीमा के अतिरिक्त कमी,
- अवसंरचना जैसे कि परीक्षा भवन, छात्रावास, आपरेशन थियेटर, व्याख्यान कक्ष, प्रयोगशाला, प्रदर्शन कक्ष, वार्ड, पुस्तकालय की पुस्तकें आदि पर्याप्त नहीं थी,
- रेडियोलोजी जांचों, प्रयोगशाला जांचों, बिस्तर अधिभोग तथा सूक्ष्म जैविक सेवाएं, उपकरण आदि के संबंध में नैदानिक सामग्री अपर्याप्त थी तथा
- अपर्याप्त पैरा-चिकित्सा तथा नर्सिंग स्टाफ आदि,
- कोई प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित नहीं किए गए,
- आधारभूत विज्ञानों हेतु अपेक्षित सुविधाओं की अनुपलब्धता।

तदनुसार, परिषद ने इन चिकित्सा महाविद्यालयों में अनुमति के नवीकरण/स्ना. पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की अस्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार को सिफारिश की। इन चिकित्सा महाविद्यालयों में चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानकों को पूरा न करने के बावजूद, चूंकि ये सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय थे तथा राज्य सरकारों द्वारा दिए गए आश्वासनों/उत्तरों के आधार पर मंत्रालय ने इन चिकित्सा महाविद्यालयों में वार्षिक दाखिले हेतु अनुमति प्रदान की। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा यह सत्यापित नहीं कर सकी कि क्या ये कमियाँ, परिषद द्वारा अनुपालना सत्यापन निरीक्षण के अभाव में सही की गई थीं।

मामले का पूर्ण रूप से समझाने हेतु उम्र बताए गए 11 मामलों में से त्रिपुरा चिकित्सा महाविद्यालय एवं बी.आर.ए.एम. शिक्षण अस्पताल, अगरतल्ला के एक मामले, जहाँ

⁵ (i) हसन आयुर्विज्ञान संस्थान, हसन, कर्नाटक, (ii) श्री गुरु राम राय आयुर्विज्ञान संस्थान, देहरादून, उत्तराखण्ड, (iii) थैनी चिकित्सा महाविद्यालय, थैनी, तमिलनाडु, (iv) बैलगॉम आयुर्विज्ञान संस्थान, बैलगॉम, कर्नाटक, (v) माण्ड्या, आयुर्विज्ञान संस्थान, माण्ड्या, कर्नाटक, (vi) त्रिपुरा चिकित्सा महाविद्यालय एवं बी.आर.ए.एम. शिक्षण अस्पताल, अगरतला, त्रिपुरा, (vii) रायचूर आयुर्विज्ञान संस्थान, कर्नाटक, (viii) अगरतला सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, अगरतला, त्रिपुरा, (ix) सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, बैलोर, तमिलनाडु, (x) कन्या कुमारी चिकित्सा महाविद्यालय, असादीपलम, तमिलनाडु, (xi) एस.सी.बी. चिकित्सा महाविद्यालय, कटक, उड़ीसा

⁶ कमांड अस्पताल, कलकत्ता, मानसिक स्वास्थ्य संस्थान तथा अस्पताल, आगरा, उत्तर प्रदेश

लेखापरीक्षा ने छात्रों के द्वितीय एवं तृतीय बैच के नवीकरण में कमियों की निरन्तरता पाई थी, जिस पर नीचे चर्चा की गई है:

त्रिपुरा चिकित्सा महाविद्यालय एवं डा.बी.आर.ए.एम. शिक्षण अस्पताल, अगरतल्ला

एम.बी.बी.एस. छात्रों के द्वितीय बैच हेतु 100 छात्रों के दाखिले हेतु अनुमति के नवीकरण के लिए त्रिपुरा चिकित्सा महाविद्यालय एवं डा.बी.आर.ए.एम. शिक्षण अस्पताल, अगरतल्ला के निरीक्षण के दौरान (जून 2007), परिषद ने शिक्षण संकाय तथा रेजिडेंट डाक्टरों की क्रमशः 92 तथा 100 प्रतिशत नई नियुक्तियों सहित कई कमियाँ पाई तथा मंत्रालय को अनुमति का नवीकरण न करने की सिफारिश की (जून 2007)। तथापि, यह पाया गया था कि कमियों को सुधारने के लिए, राज्य सरकार की वचनबद्धता के आधार पर तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि महाविद्यालय उत्तर-पूर्व में लोक निजी साझेदारी पर एक संयुक्त उद्यम था, मंत्रालय ने द्वितीय बैच हेतु दाखिले के लिए अनुमति का नवीकरण स्वीकृत किया (जुलाई 2007) तथा आवेदक को तीन माह के भीतर कमियों को सुधारने की सलाह दी। तथापि, यह कमियाँ बनी रही जैसा कि नीचे तालिका तृतीय में दिए ब्यौरे के अनुसार तृतीय बैच के दाखिले हेतु अनुमति के नवीकरण के लिए परिषद द्वारा अनुवर्ती निरीक्षणों में पाया गया था:

तालिका-3

क्र.सं.	निरीक्षण की अवधि	शिक्षण स्टाफ की कमी (प्रतिशत में)	रेजिडेंटों की कमी (प्रतिशत में)	अन्य कमियाँ
1.	मई 2008	13.00	शून्य	अपर्याप्त नैदानिक सामग्री तथा अवसंरचनात्मक सुविधाएँ
2.	अगस्त 2008	51.72	63.41	समग्र रूप से अपर्याप्त नैदानिक सामग्री, अपर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाएँ
3.	अक्टूबर 2008	20.56	18.29	समग्र रूप से अपर्याप्त नैदानिक सामग्री

मंत्रालय ने उत्तर दिया (नवम्बर 2009) कि विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कमियों को सुधारने हेतु स्वास्थ्य मंत्रालय, त्रिपुरा सरकार द्वारा वचनबद्धता के आधार पर द्वितीय बैच के लिए अनुमति का नवीकरण किया गया था। मंत्रालय ने यह भी बताया कि परिषद की अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा तृतीय बैच हेतु अनुमति का नवीकरण स्वीकृत नहीं किया गया था। तथापि, तथ्य यह है कि मंत्रालय ने परिषद की अनुशंसाओं को अनदेखा करते हुए, राज्य सरकार की वचनबद्धता के आधार पर द्वितीय बैच हेतु दाखिले के लिए अनुमति के नवीकरण हेतु स्वीकृत प्रदान की। इसके अतिरिक्त, द्वितीय बैच के दाखिले हेतु निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियाँ तृतीय बैच के दाखिले हेतु अक्टूबर 2008 में किए गए निरीक्षण तक बनी हुई थीं, जबकि द्वितीय बैच हेतु अनुमति प्रदान करने वाली शर्तों के अनुसार इन कमियों को जुलाई 2007 से तीन महीनों अर्थात् अक्टूबर 2007 के भीतर सुधारा जाना चाहिए था।

अनुशंसा

- चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानकों का पालन करने के लिए मंत्रालय को, अनुमति प्रदान करते समय, नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना, सीटों में वृद्धि, अध्ययन के नए पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने तथा वार्षिक दाखिले हेतु अनुमति के नवीकरण के लिए अपेक्षित सभी शर्तों/प्रतिमानों की पूर्ति को सुनिश्चित करना चाहिए।

1.3.2 विद्यमान चिकित्सा महाविद्यालयों में सीटों की वृद्धि में चिकित्सा शिक्षा के एकसमान मानकों की अनुपालना न करना

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2004-05 से 2008-09 के दौरान परिषद द्वारा, सीटों में वृद्धि के मूल्यांकन और वृद्धि की वांछनीयता तथा प्रथम दृष्टि में संभाव्यता निर्धारित करने हेतु प्राप्त सभी 93 आवेदन-पत्रों की जाँच की। यह पाया गया था कि उपरोक्त में से परिषद ने सीटों में वृद्धि हेतु केवल 26 आवेदन-पत्रों की सिफारिश की, जिसके प्रति सरकार ने 29 मामलों में सीटों की वृद्धि प्रदान की। परिषद द्वारा की गई सिफारिश की तुलना में मंत्रालय द्वारा प्रदान स्वीकृति का वर्ष-वार ब्यौरा नीचे तालिका-4 में दिया गया है:

तालिका-4

सीटों की वृद्धि हेतु आवेदन-पत्रों की संख्या			
वर्ष/शैक्षिक वर्ष	प्राप्त	परिषद द्वारा अनुशंसित	मंत्रालय द्वारा स्वीकृत
2004-05/2005-06	13	3	3
2005-06/2006-07	15	8	8
2006-07/2007-08	16	3	6
2007-08/2008-09	23	3	3
2008-09/2009-10	26	9	9
	93	26	29

सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों⁷ के तीन मामलों में (अनुबंध I में विवरण दिया गया है), परिषद ने निम्नलिखित बड़ी कमियों को उजागर किया:

- शिक्षण संकाय तथा रेजिडेंटों में 10 प्रतिशत की अनुमत सीमा से अधिक की कमी,
- अवसंरचना जैसे कि परीक्षा भवन, छात्रावास, व्याख्यान-कक्ष, प्रदर्शन कक्ष, आदि पर्याप्त नहीं थी,
- रेडियोलोजी जांचों, प्रयोगशाला जांचों, बिस्तर अधिभोग तथा सूक्ष्म जैविक सेवाओं आदि के संबंध में नैदानिक सामग्री अपर्याप्त थी तथा

⁷ (i) टी.डी.चिकित्सा महाविद्यालय, अलपूझा, केरल, (ii) एम.के.सी.जी. चिकित्सा महाविद्यालय, ब्रह्मपुर, उड़ीसा तथा (iii) वी.एस.एस. चिकित्सा महाविद्यालय, बर्ला, उड़ीसा

➤ अपर्याप्त पैरा-चिकित्सा तथा नर्सिंग स्टाफ आदि।

तदनुसार, परिषद ने इन चिकित्सा महाविद्यालयों में सीटों की वृद्धि की अस्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार को सिफारिश की। इन चिकित्सा महाविद्यालयों में चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानकों को पूरा न करने के बावजूद, मंत्रालय ने इस अपदेश, कि (i) ये सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय थे तथा (ii) उड़ीसा में दो चिकित्सा महाविद्यालयों के मामले में, राज्य सरकार ने राज्य में चिकित्सा महाविद्यालयों की कमी को दर्शाया तथा संबंधित चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा कमियों को सुधारे जाने का आश्वासन दिया, पर इन चिकित्सा महाविद्यालयों में सीटों की वृद्धि हेतु अनुमति प्रदान की। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा यह सत्यापित नहीं कर सकी कि क्या अनुपालना सत्यापन निरीक्षण के अभाव में परिषद द्वारा इन कमियों का सुधार किया गया था।

1.4 मान्यताप्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों के आवधिक निरीक्षण के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा के एकसमान मानकों का अनुरक्षण न करना

पूर्व-स्नातक तथा स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर चिकित्सा शिक्षा के एक समान मानकों का अनुरक्षण करने के मुख्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए परिषद को विद्यमान चिकित्सा महाविद्यालयों का आवधिक निरीक्षण करना अपेक्षित है। इस संबंध में परिषद का अधिदेश नीचे बॉक्स-2 में दिया गया है:

बॉक्स-2:- चिकित्सा महाविद्यालयों के निरीक्षण का अधिदेश

चिकित्सा महाविद्यालयों के निरीक्षण हेतु अधिदेश की धाराएं 17 तथा 18 प्रावधान करती हैं कि विश्वविद्यालय अथवा चिकित्सा संस्था द्वारा प्रदान की गई चिकित्सा उपाधि की मान्यता की निरंतरता हेतु मंत्रालय को सिफारिश करने के उद्देश्य के लिए स्टाफ, उपकरण, आवास-स्थान एवं प्रशिक्षण सुविधाओं के संबंध में चिकित्सा शिक्षा के मानकों की पर्याप्तता को निर्धारण करने हेतु किसी भी चिकित्सा संस्था, महाविद्यालय, अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए, परिषद की कार्यकारी समिति चिकित्सा निरीक्षकों/आगंतुकों की नियुक्ति करेगी। तथापि, अधिनियम ऐसे आवधिक निरीक्षण करने हेतु कोई आवर्तन प्रदान नहीं करता।

लेखापरीक्षा ने 63 चिकित्सा महाविद्यालयों, जिनका 2004-05 से 2008-09 की अवधि के दौरान परिषद द्वारा आवधिक रूप से निरीक्षण किया गया था, के सभी निरीक्षण प्रतिवेदनों की जाँच की गई थी। पाई गई कमियों की चर्चा अनुवर्ती पैराग्राफों में की गई है।

1.4.1 आवधिक निरीक्षण हेतु मानदण्डों की अनुपालना न करना

अधिनियम में किसी भी मानदण्ड के अभाव में परिषद ने महाविद्यालय की मान्यता के पश्चात चिकित्सा योग्यता की निरन्तरता हेतु पांच वर्षों में एक बार चिकित्सा संस्था के निरीक्षण के मानदण्डों को अपनाया। तथापि इस उद्देश्य हेतु, परिषद ने आवधिक निरीक्षण के लिए बकाया चिकित्सा संस्थाओं का चयन करने हेतु कोई समय-सारणी निर्धारित

नहीं की थी। कोई भी समय-सारणी न बनाने के कारण, परिषद आवधिक निरीक्षण के अपने स्वयं के प्रतिमान का अनुपालन नहीं कर सका तथा 2004-05 से 2008-09 की अवधि के दौरान निरीक्षण किए 63 चिकित्सा महाविद्यालयों में से 56 चिकित्सा महाविद्यालयों (89 प्रतिशत) का निरीक्षण 6-16 वर्षों की बीच की अवधि के पश्चात किया गया था, जैसा कि नीचे तालिका-5 में दिया गया है (महाविद्यालय-वार विवरण अनुबंध-III में है):

तालिका-5

आवधिक निरीक्षण हेतु समय अंतराल	महाविद्यालयों की संख्या		
	सरकारी	निजी	कुल
5 वर्ष से कम	2	5	7
5 से 6 वर्ष	4	6	10
6 से 8 वर्ष	19	7	26
8 से 10 वर्ष	6	1	7
10 से 12 वर्ष	8	2	10
12 से 14 वर्ष	2	0	2 ⁸
14 से 16 वर्ष	1	0	1 ⁹
योग	42	21	63

लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते समय, परिषद ने बताया (अक्तूबर 2009) कि संबंधित महाविद्यालयों ने या कोई अनुपालना रिपोर्ट नहीं भेजी या फिर जो अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वह प्रत्यक्षतः इस रूप में असंतोषजनक थी कि मुख्य कमियाँ सुधारी नहीं गई थी जिसके बिना आगे का निरीक्षण न तो सम्भव था, न ही अनुज्ञेय था।

तथापि, उत्तर स्पष्ट नहीं करता है कि अनुपालना रिपोर्टें अथवा असंतोषजनक अनुपालना रिपोर्टों के अभाव में इंगित की गई कमियों को सुधारने के लिए संस्थाओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई थी और विद्यमान चिकित्सा महाविद्यालयों ने चिकित्सा शिक्षा में गुणवत्ता में समान मानकों का अनुरक्षण सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के अनुसार क्यों और अधिक निरीक्षण नहीं किया जा सका था।

1.4.2 आवधिक निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियाँ

शिक्षण संकाय तथा रैजिडेंटों की पर्याप्तता, चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण कारक है। परिषद की प्रचलित नीति के अनुसार, निजी एवं सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के संबंध में क्रमशः 5 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत तक संकाय की कमी तथा रैजिडेंटों की कमी को अनुज्ञेय सीमाओं के भीतर माना गया है। यद्यपि इस प्रकार की कमियाँ, सरकारी और निजी चिकित्सा महाविद्यालय दोनों के स्तर एवं गुणवत्ता पर समानरूप से प्रभावं डालती है, फिर भी सरकारी चिकित्सा

⁸ (1) एस.एन. चिकित्सा महाविद्यालय, आगरा, उत्तर प्रदेश

(2) एम.एल.एन. चिकित्सा महाविद्यालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश

⁹ लेडी हार्डिंग चिकित्सा महाविद्यालय, नई दिल्ली

महाविद्यालयों में हलके मानदण्डों को निर्धारित करने के कारण अभिलेख में नहीं पाए गए थे।


1.4.2.1 सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में कमियां

42 सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में, जिनकी नमूना जांच की गई थी, के अभिलेखों के आवधिक निरीक्षण, में लेखापरीक्षा ने निम्न कमियों को पाया:

- i. 18 चिकित्सा महाविद्यालय (i) संकाय में 12.86 से 71.5 प्रतिशत के बीच और (2) रेजिडेंट में 10 प्रतिशत की अनुज्ञेय सीमा के प्रति 16 से 70-27 प्रतिशत के बीच की कमी के साथ चलाए जा रहे थे।
- ii. 11 चिकित्सा महाविद्यालय 10 प्रतिशत की अनुज्ञेय सीमा के प्रति 13.1 से 45.53 प्रतिशत के बीच संकाय की कमी के साथ चलाए जा रहे थे।
- iii. तीन चिकित्सा महाविद्यालय 10 प्रतिशत की अनुज्ञेय सीमा के प्रति 10.4 से 63.38 प्रतिशत के बीच रेजिडेंटों की कमी के साथ चलाए जा रहे थे।

सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में शिक्षण संकायों तथा रेजिडेंटों की कमियों की प्रतिशतता निम्न ग्राफ 1 में दर्शाई गई है (महाविद्यालय वार विवरण अनुबंध-III में दिये गये हैं)।

ग्राफ -1



29 (कुल संख्या का 71 प्रतिशत) और 21 (कुल संख्या का 51 प्रतिशत) सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के आवधिक निरीक्षण में पाई गई क्रमशः शिक्षण संकाय और रेजिडेंटों की कमी अनुज्ञेय सीमा से अधिक थी।


1.4.2.2 निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में कमियां

इसी प्रकार, परिषद द्वारा आवधिक रूप से निरीक्षित 21 निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में निम्नलिखित कमियां लेखापरीक्षा के ध्यान में आईं:

- 17 चिकित्सा महाविद्यालय, 5 प्रतिशत की अनुमत सीमा के प्रति 8 से 30.2 प्रतिशत तक के बीच शिक्षण संकाय तथा 5.4 से 73.08 प्रतिशत तक के बीच रेजिडेंटों की कमी के साथ चलाए जा रहे थे।
- दो चिकित्सा महाविद्यालय 5 प्रतिशत की अनुमत सीमा के प्रति 6.5 से 6.70 प्रतिशत के बीच, शिक्षण संकाय की कमी के साथ चलाए जा रहे थे।
- एक चिकित्सा महाविद्यालय 5 प्रतिशत की अनुमत सीमा के प्रति रेजिडेंटों की 35.02 प्रतिशत की कमी के साथ चलाया जा रहा था।

निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में शिक्षण संकाय और रेजिडेंटों की कमियों की प्रतिशतता के विवरण, ग्राफ 2 में नीचे दर्शाये गये हैं (महाविद्यालय-वार विवरण अनुबंध-III में दिये गये हैं)।

ग्राफ -2



19 (कुल संख्या का 90 प्रतिशत) तथा 18 (कुल संख्या का 86 प्रतिशत) निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के आवधिक निरीक्षण के दौरान क्रमशः संकाय और रेजिडेंटों में पाई कमी की संख्या अनुमत सीमा से अधिक थी।

आवधिक निरीक्षण में ध्यान में आई चिकित्सा शिक्षा के समान मानक को प्राप्त करने के लिए शिक्षण संकायों तथा रेजिडेंटों के अपेक्षित मानदण्डों के गैर-अनुपालन के बावजूद, परिषद ने अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत मान्यता को वापस लेने की अनुशंसा हेतु कार्यवाही करने के बजाय महाविद्यालयों को समय तथा कमियों को फिर से सुधारने के लिए अनुमति दी तथा इस प्रकार, इन महाविद्यालयों ने शिक्षण संकायों तथा रेजिडेंटों की अपेक्षित संख्या के बिना चिकित्सा शिक्षा प्रदान करना जारी रखा।

परिषद ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया (अक्टूबर 2009) और बताया कि आवधिक निरीक्षण में ध्यान में आई कमियों पर अनुपालन को प्रस्तुत करने के लिए महाविद्यालयों की प्रतिक्रिया न तो त्वरित और न ही उत्साहवर्धक थी। कुछ चिकित्सा महाविद्यालयों की मान्यता समाप्त करने के लिए, मंत्रालय द्वारा परिषद की अनुशंसाओं को लागू न करने के कारण परिषद के पास उपलब्ध मान्यता समाप्त करने की अनुशंसा की एकमात्र पद्धति निष्प्रभावी सिद्ध हुई है। परिषद का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इसने त्रुटिपूर्ण पाए गए उपरोक्त किसी भी चिकित्सा महाविद्यालयों में मान्यता वापस लेने के लिए सिफारिश नहीं की थी।

अतः यह आशंका है कि चिकित्सा शिक्षा के समान मानकों का पालन न करने से चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने की गुणवत्ता तथा स्तर की कमी को बढ़ावा मिलेगा। इसका परिणाम, देश में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने में असमर्थ, अप्रशिक्षित चिकित्सा व्यवसायियों को तैयार करने में भी होगा।

इस प्रकार, परिषद (i) सरकारी तथा निजी चिकित्सा संस्थाओं के लिए शिक्षण संकायों तथा रेजिडेंटों में कमी की अनुज्ञेय सीमाओं के विभिन्न मानदण्डों का पालन करके तथा (ii) आवधिक निरीक्षणों में त्रुटिपूर्ण पाए गए चिकित्सा महाविद्यालयों के विरुद्ध अधिनियम के अनुसार उपयुक्त कार्यवाही न करने के अपने मुख्य लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही।

अनुशंसाएं

- परिषद को चिकित्सा संस्थाओं द्वारा मान्यता प्राप्त करने के बाद, नियत आवधिक निरीक्षण हेतु उन्हें चिन्हित करने के लिए, पांच वर्षों के एक ब्लॉक में एक बार आवधिक निरीक्षण हेतु समय-सारणी निर्धारित की जानी चाहिए।
- परिषद को मान्यताप्राप्त चिकित्सा संस्थानों का पांच वर्षों के प्रत्येक ब्लॉक में एक बार आवधिक निरीक्षण करने के अपने मानदण्डों का पालन करना चाहिए।
- परिषद को सरकारी और निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए भेदभावपूर्ण मानदण्डों को लागू करने की वांछनीयता की समीक्षा करनी चाहिए।

- परिषद को आवधिक निरीक्षणों में ध्यान में आई कमियों को सुधारने हेतु चिकित्सा संस्थानों के लिए समयावधि निर्धारित करनी चाहिए और तत्पश्चात कमियों के सुधार के लिए बार-बार अवसर प्रदान करके पर्याप्त समय देने के बजाए तुरन्त अनुपालन सत्यापन निरीक्षण करना चाहिए। नियत तिथि के बाद भी, यदि कमी बनी रहती है, तब परिषद को चिकित्सा संस्थानों के विरुद्ध अधिनियम के अनुसार अविलम्ब कार्यवाही आरम्भ करनी चाहिए।

1.5 सीटों की अनुमत संख्या के प्रति अधिक दाखिले

अधिनियम की धारा 10 ख.3 के अनुसार जहाँ कोई भी चिकित्सा महाविद्यालय केन्द्र सरकार की पिछली अनुमति के बिना किसी भी अध्ययन अथवा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अपनी दाखिला क्षमता को बढ़ता है तो अपनी दाखिला क्षमता में वृद्धि के आधार पर ऐसे चिकित्सा महाविद्यालय के किसी छात्र को प्रदान की गई चिकित्सा उपाधि पंजीकृत उपाधि नहीं होगी। धारा 10.क के तहत स्पष्टीकरण के अनुसार, चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययन के किसी भी पाठ्यक्रम के संबंध में 'दाखिला क्षमता' का तात्पर्य छात्रों की अधिकतम संख्या है जिसे परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान 59 महाविद्यालयों ने अपनी भर्ती क्षमता से अधिक छात्रों का दाखिला किया। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीटों की स्वीकृति भर्ती से अधिक दाखिला किए छात्रों के वर्षवार ब्यौरे नीचे तालिका-4 में (महाविद्यालय-वार ब्यौरे अनुबंध-IV में) दिए गए हैं:

तालिका-6

वर्ष	चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या	पाठ्यक्रम की सं.	अनुमत भर्ती के आधिक्य में दाखिल किए छात्रों की संख्या
2007-08	55	121	317
2008-09	4	5	9
योग	59	126	326

यादृच्छिक आधार पर चयनित 10 महाविद्यालयों¹⁰ की एक नमूना जाँच की गई थी जिसने प्रकट किया कि परिषद ने महाविद्यालयों को शिक्षा वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान अनुमत भर्ती से अधिक दाखिल किए छात्रों को छोड़ने को कहा था (जनवरी, अगस्त तथा नवम्बर 2008) तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्र राज्य सरकार को प्रेषित किया। तथापि, महाविद्यालयों ने कोई कार्रवाई नहीं की तथा संबंधित राज्य सरकार ने भी महाविद्यालयों के प्रति कोई कार्रवाई नहीं की थी। इस प्रकार, उपरोक्तित

¹⁰ (i) एम.पी. शाह चिकित्सा महाविद्यालय, जामनगर, (ii) अल-अमीन चिकित्सा महाविद्यालय, बीजापुर, (iii) श्री देवराज उर्स चिकित्सा महाविद्यालय, कोलार (iv) एस.वी. चिकित्सा महाविद्यालय, तिरुपति, (v) रंगाराय चिकित्सा महाविद्यालय, काकीनन्दा, (vi) महादेवाप्पा रामपुरे चिकित्सा महाविद्यालय, गुलवर्ग, (vii) प्रमुखस्वामी चिकित्सा महाविद्यालय, कर्मसद, (viii) आम्ना चिकित्सा महाविद्यालय, विशाखापटनम, (ix) काकतीय चिकित्सा महाविद्यालय, वरंगल, (x) कुरनूल चिकित्सा महाविद्यालय, कुरनूल।

चिकित्सा महाविद्यालय उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में अपनी भर्ती क्षमता से अधिक छात्रों को दाखिल कर रहे थे।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने यह भी प्रकट किया कि परिषद ने, अधिनियम की धारा 10.क के तहत आवश्यक कार्रवाई करने के लिए केन्द्र सरकार को ऐसे मामलों में अपनी विशिष्ट अनुशंसाएं भेजने की बजाए संबंधित राज्य सरकारों, राज्य चिकित्सा परिषदों तथा विश्वविद्यालयों को प्रति सहित संबंधित महाविद्यालयों को सीधे उन्मुक्ति नोटिस जारी किए, जिन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जबकि केन्द्र सरकार ही ऐसे चिकित्सा संस्थानों में दाखिलों को अस्वीकृत करने हेतु एकमात्र प्राधिकरण था।

अनुशंसा

- संस्वीकृत भर्ती में वृद्धि को समायोजित करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उत्पन्न करने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए।

1.6 नियत मानकों का पालन करने में विफल चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा प्रदान चिकित्सा उपाधियों की मान्यता समाप्त करने में विफलता

अधिनियम की धारा 19 अनुबंध करती है कि जब भी परिषद को यह आभास होता है कि चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त स्टाफ, उपकरण, आवास स्थान, प्रशिक्षण की सुविधाएँ अथवा अन्य सुविधाएँ परिषद द्वारा नियत मानकों के अनुरूप नहीं हैं तो परिषद मंत्रालय को उस पर एक अभ्यावेदन देगी। मंत्रालय कमियों हेतु स्पष्टीकरण की माँग करते हुए इसे संबंधित राज्य सरकार को प्रेषित करेगा। राज्य सरकार से उत्तर की प्राप्ति के पश्चात मंत्रालय कथित चिकित्सा उपाधि की मान्यता पर अधिसूचना जारी करेगा। 220 मान्यता-प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों में परिषद ने स्नातक पूर्व पाठ्यक्रम के मामले में, नौ महाविद्यालयों तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के मामलों में नौ महाविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई चिकित्सा उपाधियों के मान्यता समाप्त करने के लिए अनुशंसा की थी जैसी कि अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

1.6.1 स्नातकपूर्व पाठ्यक्रम (एम.बी.बी.एस.)

लेखापरीक्षा ने नौ ऐसे चिकित्सा महाविद्यालयों से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच की जहां यह पाया गया कि कई वर्षों से विद्यमान बड़ी कमियों को ध्यान में रखते हुए परिषद ने 1998 से 2009 की अवधि के दौरान, एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम की मान्यता को वापस लेने के लिए मंत्रालय को सिफारिश की (विवरण नीचे तालिका-7 में दिये गये हैं)। तथापि मंत्रालय ने इन चिकित्सा महाविद्यालयों की मान्यता समाप्त नहीं की।

तालिका-7

क्र.सं.	चिकित्सा महाविद्यालय का नाम	निरीक्षण का वर्ष	निरीक्षण के दौरान ध्यान में आई कमियां	परिषद द्वारा वापस लेने की सिफारिश करने की तिथि
1.	डा. बी.आर. अम्बेडकर चिकित्सा महाविद्यालय, बेंगलोर, कर्नाटक (निजी)	2002, 2004, 2007, 2008, 2009	<ul style="list-style-type: none"> • शिक्षण संकाय और रेजिडेंट की कमी • अपर्याप्त अवसंरचना सुविधाएं • अत्याधिक अपर्याप्त क्लिनिकल सामग्री • कम बिस्तर अधिभोग 	मई 2005, मई 2007, जुलाई 2008, जून 2009
2.	एस.एस. चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश (सरकारी)	1993, 1998, 2003, 2005, 2006	<ul style="list-style-type: none"> • शिक्षण संकाय और रेजिडेंट की कमी • अपर्याप्त अवसंरचना सुविधाएं • अत्याधिक अपर्याप्त क्लिनिकल सामग्री • कुछ विशेष विषय के लिए अलग विभाग का अभाव 	जनवरी 2004, दिसम्बर 2006, फरवरी 2007
3.	एन.एस.सी.बी. चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर मध्य प्रदेश (सरकारी)	1998, 2003, 2005, 2006	<ul style="list-style-type: none"> • शिक्षण संकाय और रेजिडेंट की कमी • अपर्याप्त अवसंरचना सुविधाएं • अत्याधिक अपर्याप्त क्लिनिकल सामग्री • छात्रावास एवं चिकित्सा सुविधाओं का खराब रखरखाव 	जनवरी 2004, दिसम्बर 2006
4.	जी.आर. चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर, मध्य प्रदेश (सरकारी)	2003, 2005, 2006	<ul style="list-style-type: none"> • शिक्षण संकाय और रेजिडेंट की कमी • अपर्याप्त अवसंरचना सुविधाएं 	जनवरी 2004, दिसम्बर 2006
5.	एम.जी.एम. चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर, मध्य प्रदेश (सरकारी)	1992, 1998, 2001, 2003, 2005, 2006	<ul style="list-style-type: none"> • अत्याधिक अपर्याप्त क्लिनिकल सामग्री 	जनवरी 2004, दिसम्बर 2006
6.	गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल, मध्य प्रदेश (सरकारी)	1998, 2003, 2005, 2006	<ul style="list-style-type: none"> • अपर्याप्त नर्सिंग तथा पैरा-चिकित्सा स्टाफ 	जनवरी 2004, दिसम्बर 2006, फरवरी 2007
7.	बी.आर.डी. चिकित्सा महाविद्यालय, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश (सरकारी)	1995, 1999	<ul style="list-style-type: none"> • शिक्षण संकाय और रेजिडेंट की कमी • समग्र अवसंरचना सुविधाओं में भारी कमी 	अप्रैल 1998, नवम्बर 1999, अप्रैल 2003, जून 2003, दिसम्बर 2009

क्र.सं.	चिकित्सा महाविद्यालय का नाम	निरीक्षण का वर्ष	निरीक्षण के दौरान ध्यान में आई कमियां	परिषद द्वारा वापस लेने की सिफारिश करने की तिथि
8.	डा. पंजाब राव अलीयास साहेब देशमुख स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय, अमरावती, महाराष्ट्र (निजी)	1997, 2000, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009	<ul style="list-style-type: none"> • शिक्षण संकाय और रेजिडेंट की कमी • अपर्याप्त अवसंरचना सुविधाएं • विद्यार्थियों, परिचारिकाओं, इनटर्न के लिए अपर्याप्त स्थान • अपर्याप्त क्लिनिकल सामग्री 	मई 2006, फरवरी 2007, अक्टूबर 2007, जून 2008, जून 2009, अगस्त 2009, सितम्बर 2009
9.	राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची, झारखण्ड (सरकारी)	2004, 2005, (3/2008), (6/2008)	<ul style="list-style-type: none"> • शिक्षण संकाय और रेजिडेंट की कमी • अपर्याप्त अवसंरचना सुविधाएं • अपर्याप्त क्लिनिकल सामग्री • इकाईयों, विद्यार्थियों तथा पी.जी. विद्यार्थियों की संख्या में असंगति 	मई 2006, फरवरी 2007

डा. बी.आर. अम्बेडकर चिकित्सा महाविद्यालय, बँगलोर, कर्नाटक (क्र.सं.1) के संबंध में, महाविद्यालय प्राधिकारियों ने कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय, जिसने केन्द्रीय सरकार को आदेश की तिथि के चार महीनों के भीतर मान्यता देने का आदेश जारी करने हेतु निर्देश दिया (11 जून 2009), के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया। मई 2010 तक केन्द्र सरकार द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किए गए थे।

मध्य प्रदेश में स्थित क्रम सं. 2 से 6 तक सूचीबद्ध पाँच चिकित्सा महाविद्यालयों के संबंध में, मंत्रालय ने सितम्बर 2009 में राज्य सरकार को परिषद द्वारा इंगित कमियों पर ब्यौरेवार अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था। राज्य सरकार से सभी पाँच उपरोक्त चिकित्सा महाविद्यालयों के संबंध में ब्यौरेवार अनुपालना रिपोर्टों की प्राप्ति पर, मंत्रालय ने टिप्पणियों/अनुशंसाओं हेतु इन्हें परिषद को प्रेषित किया (नवम्बर 2009)। तथापि, परिषद ने संबंधित महाविद्यालयों से अभी भी निरंतर कमियों पर अतिरिक्त स्पष्टीकरणों तथा/अथवा अनुपालना की माँग की (22 फरवरी 2010)।

क्रम सं. 7 पर बी.आर.डी. चिकित्सा महाविद्यालय, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश (सरकारी) के संबंध में अक्टूबर 1999 में परिषद द्वारा महाविद्यालय के निरीक्षण ने प्रकट किया कि महाविद्यालय 50 छात्रों के अनुमत वार्षिक भर्ती के प्रति 105 छात्रों का दाखिला कर रहा था, जिसके लिए अन्य भारी कमियों के अतिरिक्त स्टाफ की कमी भी थी। राज्य सरकार ने परिषद के पत्र दिनांक 11 दिसम्बर 2009 में इंगित कमियों के सुधार पर महाविद्यालय की अनुपालना रिपोर्ट को मंत्रालय को प्रेषित किया (मार्च 2010)। मंत्रालय

ने राज्य सरकार के कथित उत्तर को आवश्यक कार्रवाई हेतु परिषद को प्रेषित किया (मार्च 2010)।

क्रम सं. 8 पर डा. पंजाबराव अलीयास भाउ साहेब देशमुख स्मारक चिकित्सामहाविद्यालय, अमरावती, महाराष्ट्र (निजी) के संबंध में, मंत्रालय ने परिषद को महाविद्यालय की अनुपालना रिपोर्ट को सत्यापित करने को कहा (अप्रैल 2010) था।

क्रम सं. 9 पर राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची (सरकारी) के संबंध में, मार्च 2008 में अनुपालना सत्यापन निरीक्षण करने के पश्चात, परिषद ने पंजीकरण को वापस लेने के लिए महाविद्यालय को एक कारण बताओं नोटिस जारी किया (मई 2008)। मंत्रालय ने राज्य सरकार को मार्च 2008 के अपने निरीक्षण में परिषद द्वारा पाई गई कमियों के सुधार पर ब्यौरेवार अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा (मई 2008)।

1.6.2 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

इसी प्रकार, परिषद ने वर्ष 2007, 2008 तथा 2009 में मंत्रालय को महाविद्यालयों के निरीक्षण में पाई गई गम्भीर कमियों की दृष्टि से नौ महाविद्यालयों (ब्यौरा नीचे तालिका 8 में दिया गया है) में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले रोकने हेतु सिफारिश की थी (स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम-वार ब्यौरा अनुबंध-V में)। मंत्रालय ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की थी।

तालिका-8

क्र.सं.	महाविद्यालय/संस्था का नाम तथा शहर जिसमें स्थित है	निरीक्षण की तिथि	शिक्षण संकाय की कमी (प्रतिशत में)	रैंजिडेंटों की कमी (प्रतिशत में)
1.	एन.एस.सी.बी. चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर (सरकारी)	नवम्बर 2006	31.70	34.10
2.	एस.एस.चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (सरकारी)	नवम्बर 2006	63.00	31.00
3.	जी.आर. चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर (सरकारी)	नवम्बर 2006	28.80	25.80
4.	एम.जी.एम. चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर (सरकारी)	नवम्बर 2006	27.85	29.56
5.	गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल (सरकारी)	नवम्बर 2006	40.00	25.80
6.	डा. बी.आर. अम्बेडकर चिकित्सा महाविद्यालय, बेंगलोर (निजी)	फरवरी 2007	33.54	31.30
7.	कस्तूरबा चिकित्सा महाविद्यालय मनीपाल (निजी)	फरवरी 2007	17.20	36.00
8.	कस्तूरबा चिकित्सा महाविद्यालय, मंगलोर (निजी)	फरवरी 2007	12.57	46.80

उपरोक्त के अतिरिक्त, काय-चिकित्सा एवं शल्य-चिकित्सक महाविद्यालय, मुंबई, जो एम.सी.पी.एस., एफ.सी.पी.एस., डी.जी.ओ., डी.सी.एच. जैसी स्नातकोत्तर योग्यताएँ प्रदान करता है, के संबंध में परिषद ने निरीक्षणों के दौरान पाई गई कमियों के आधार

पर मंत्रालय को 1972, 1998, 2000, 2001, 2004 तथा 2009 में मान्यता समाप्त की सिफारिश की थी। इसके अतिरिक्त, परिषद का दृष्टिकोण था कि महाविद्यालय न तो विधान-मंडल के अधिनियम द्वारा सृजित एक सांविधिक निकाय था और न ही एक स्वायत्त संस्थान था। चूंकि, बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान कर रहे हैं, इसलिए काय-चिकित्सक, शल्य चिकित्सक महाविद्यालय, मुंबई जैसे केवल परीक्षा लेने वाले निकायों को डिप्लोमा योग्यताएँ प्रदान करना जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मंत्रालय ने दिनांक (मई 2010) तक परिषद की अनुशंसाओं का संज्ञान नहीं लिया है तथा कथित महाविद्यालय द्वारा प्रदान की गई स्नातकोत्तर उपाधियों की मान्यता समाप्त नहीं की गई है जबकि कथित महाविद्यालय की मान्यता समाप्ति हेतु परिषद की सिफारिश की प्रथम तिथि से 37 वर्षों की अवधि बीत गई है।

इस प्रकार, त्रुटिपूर्ण चिकित्सा महाविद्यालयों की मान्यता की निरन्तरता, चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता/मानकों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, परिणाम: असमर्थ चिकित्सा व्यवसाइयों में होगा जो लोक स्वास्थ्य देखभाल को प्रदान करने के लिए हानिकारक सिद्ध होंगे।

अनुशंसा

- मंत्रालय को परिषद की सिफारिशों के अनुसार ऐसे चिकित्सा महाविद्यालयों, जो चिकित्सा शिक्षा के नियत मानकों की पुष्टि नहीं करते हैं, की मान्यता समाप्त करने हेतु अविलम्ब कार्रवाई करनी चाहिए।

1.7 चिकित्सा व्यवसाइयों द्वारा व्यावसायिक कदाचार

भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार तथा कर्तव्य) विनियम, 2002 पंजीकृत चिकित्सा व्यवसाइयों हेतु व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार के मानकों तथा कर्तव्य संहिता निर्धारित करते हैं। ये यह भी विनिर्दिष्ट करने के लिए गृहित अधिनियमों की एक सम्पूर्ण सूची तैयार करना नहीं है; कि परिस्थितियाँ समय-समय पर भी प्रकट हो सकती हैं, जिनके संबंध में व्यावसायिक कदाचार का प्रश्न उठ सकता है जो विनियमों में नियत किसी भी वर्ग के तहत नहीं आता है।

परिषद के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने निम्नलिखित कमियाँ प्रकट की:

1.7.1 अनैतिक प्रैक्टिस हेतु चिकित्सा शिक्षकों/डाक्टरों के विरुद्ध कार्रवाई

अक्टूबर 2004 में परिषद ने पाया कि बड़ी संख्या में डाक्टर एक समय पर एक से अधिक चिकित्सा महाविद्यालय में चिकित्सा शिक्षकों के रूप में रोजगार का दावा कर रहे थे, जैसा कि विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों की निरीक्षण प्रतिवेदनों से पाया गया है। चिकित्सा महाविद्यालय इस कार्य को परिषद की न्यूनतम स्टाफ की आवश्यकता को पूरा करने तथा अपेक्षित अनुमतियों/नवीकरणों को प्राप्त करने हेतु प्रयोग कर रहे थे। इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने निम्न अनियमितताओं को अवलोकित किया:

- भारतीय दन्त परिषद् ने 102 चिकित्सा शिक्षक संकायों, जो दन्त महाविद्यालय तथा चिकित्सा महाविद्यालयों दोनों में कार्यरत पाए गए थे, के विवरण परिषद् को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये। तथापि, परिषद् ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की।
- लेखापरीक्षा ने 2004-05 से 2008-09 की अवधि के लिए परिषद् के डाटा बेस से प्रतिरूपण के 18 मामले पाए जहां निरीक्षण की उसी तिथि पर चिकित्सा शिक्षक एक से अधिक चिकित्सा महाविद्यालय में कार्य करते पाए गए थे। चूंकि परिषद् असंगतियों का पता लगाने में विफल रहा, इसलिए प्रतिरूपण के इन मामलों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।
- 2006-08 के दौरान, परिषद् चिकित्सा महाविद्यालयों के परिषद् द्वारा निरीक्षण के समय परिषद् को नकली/झूठी सूचना/प्रमाणपत्र/घोषणा प्रदान करने हेतु 325 डाक्टरों के प्रति पुलिस प्राधिकारियों को एफ.आई.आर. दर्ज करने की सिफारिश की। जब पुलिस प्राधिकारियों द्वारा कोई ए.आई.आर. दर्ज नहीं की गई, तो मार्च 2009 में विलंबित स्तर पर ऐसे डाक्टरों के नाम नैतिक समिति को प्रस्तुत करने के सिवाय परिषद् ने आगे कोई कार्रवाई नहीं की थी। नैतिक समिति ने केवल तीन डाक्टरों के नाम भा.चि.प. से हटाए जबकि शेष मामलों में, संबंधित डाक्टरों, जिनमें से अधिकांश ने अपनी तैनाती का स्थान छोड़ दिया बताया गया, से टिप्पणियों/स्पष्टीकरणों का मांग अभी प्रक्रिया में है। तथापि, परिषद् को भा.चि.र. से उनके नाम काटने हेतु अनुदेश जारी करने चाहिए थे, जिससे कि वह अपना कार्य आगे जारी न रख सके। इसका परिणाम दोषी डाक्टरों द्वारा कार्य जारी रखने में हो सकता था, जो लोगों को निकृष्ट स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने का कारण बनती।

मामले की गम्भीरता की दृष्टि से, परिषद् ने भारतीय चिकित्सा रजिस्टर (भा.चि.र.) से ऐसे चिकित्सा शिक्षकों के नाम हटाने हेतु उपयुक्त कार्यवाही प्रारम्भ करने, सभी चिकित्सा शिक्षा निदेशालयों (चि.शि.नि.), विश्वविद्यालयों एवं चिकित्सा महाविद्यालयों को उनके नाम प्रेषित करने तथा इसे बेवसाईट -www.mciindia.org में प्रकाशित करने का निर्णय लिया (अक्टूबर 2004)। वर्ष 2004 से 2009 के दौरान, परिषद् ने विभिन्न आधारों पर अस्थायी रूप से 134 चिकित्सा शिक्षकों/डाक्टरों के नाम भा.चि.र. से हटा दिये थे जैसा कि नीचे तालिका 9 में दर्शाया गया है:

तालिका-9

भा.चि.र. से हटाए जाने की अवधि	चिकित्सा शिक्षकों/डाक्टरों की संख्या
1 वर्ष से कम	1
एक वर्ष	3
दो वर्ष	65
दो वर्षों से अधिक	65
योग	134

उपरोक्त में से, 128 चिकित्सा शिक्षक थे तथा शेष 6 चिकित्सा प्रेक्टिशनर थे। 128 चिकित्सा शिक्षकों के संबंध में, लेखापरीक्षा ने अनुवर्ती निरीक्षणों के दौरान चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत घोषणा फार्म में आगे पाया कि 38 ऐसे डाक्टर, भा.चि.र. से उनके नाम काटे जाने की अवधि के दौरान चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्य करते पाए गए थे। इस प्रकार परिषद द्वारा की गई कार्रवाई इस संकट की रोकने हेतु प्रभावी सिद्ध नहीं हुआ था।

1.7.2 दोषी डाक्टर के नाम को हटाने के लिए व्यापक प्रचार की कमी

‘दंड एवं अनुशासनिक कार्यवाही’ से संबंधित भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार तथा आचार) विनियम, 2002 का अध्याय 8 नियत करता है कि ‘रजिस्टर से हटाए जाने का विभिन्न चिकित्सा संघों/समितियों/निकायों के प्रकाशनों के साथ-साथ स्थानीय प्रैस में व्यापक रूप से प्रचार किया जाना चाहिए’। कर्तव्य परक समिति ने कदाचार के संबंध में कि कैसे यह हुआ, कैसे इसका पता लगाया गया था, क्या दंडात्मक उपाय दिए गए थे तथा सुधारात्मक उपाय क्या थे, का मास मीडिया के माध्यम से प्रचार की सिफारिश की थी (अक्टूबर 2007)

तथापि भा.चि.र. से दोषी पाए गए सभी 134 चिकित्सा प्रेक्टिशनरों को हटाए जाने का विभिन्न चिकित्सा संघों/समितियों/निकायों के प्रकाशनों के साथ-साथ स्थानीय प्रैस में व्यापक रूप से प्रचार नहीं किया गया था। इसका परिणाम दोषी चिकित्सा प्रेक्टिशनरों द्वारा कार्य को जारी रखने में होगा।

परिषद ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2009) कि भा.चि.र. से संबंधित शिक्षक/डाक्टर के नाम को हटाए जाने की सूचना राज्य चिकित्सा परिषद, चि.शि.नि., संबंधित संस्थान के अध्यक्षों/प्रधानाचार्यों को प्रेषित कर दी गई थी। विभिन्न चिकित्सा संघों/समितियों/निकायों के प्रकाशनों के साथ-साथ स्थानीय प्रैस के माध्यम से, जैसा कि विनियम आईबीड के तहत अपेक्षित है, भा.चि.र. से अपचारी डाक्टरों के नाम को हटाए जाने के प्रचार न किये जाने के मामले पर उत्तर मौन था।

अनुशंसाएं

- परिषद के पास यह जाँचने हेतु कि वे डाक्टर जिनके नाम भारतीय चिकित्सा रजिस्टर से हटा दिए गए हैं उनकी प्रेक्टिस जारी है, एक उपयुक्त क्रियाविधि होनी चाहिए।
- व्यावसायिक कदाचार में दोषी पाए गए डाक्टरों के नामों को आम जनता को सूचित करने हेतु व्यापकरूप से प्रचार किया जाना चाहिए जैसा कि भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार तथा आचरण) विनियम, 2002 में नियत है।

1.8 चिकित्सा व्यवसाइयों का पंजीकरण

अधिनियम की धारा 25 (1) एवं 25 (2) एवं 13 (3) तथा 23 के प्रावधानों, जो योग्य डाक्टरों के प्रावधानिक/स्थायी पंजीकरण हेतु किसी विश्वविद्यालय अथवा चिकित्सा संस्थान में व्यावहारिक प्रशिक्षण की अपेक्षा करते हैं, के अतिरिक्त अधीनस्थ विधि-निर्माण पर संसदीय समिति (दसवीं लोक सभा) ने चिकित्सा व्यवसाइयों के पंजीकरण के अनिवार्य नवीकरण हेतु एक सिफारिश की थी। तदनुसार, परिषद ने चिकित्सा शिक्षा पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसने सभी चिकित्सा व्यवसाइयों को प्रत्येक पाँच वर्षों की अवधि के पश्चात पंजीकरण के अनिवार्य पुनःपंजीकरण/नवीकरण/पुनर्वैधीकरण की सिफारिश की (मई 1996)। इसने, अपने पंजीकरण के नवीकरण/पुनर्वैधीकरण के लिए योग्यता प्राप्त करने हेतु अपने ज्ञान एवं कौशल को बढ़ाने तथा उन्नयन करने के लिए प्रति वर्ष अनुवर्ती चिकित्सा शिक्षा (अ.चि.शि.) के कम से कम 30 घण्टों की भी सिफारिश की।

तदनुसार, मंत्रालय ने परिषद को इन अनुशंसाओं के कार्यान्वयन हेतु एक कार्य योजना तैयार करने को कहा (दिसम्बर 1996) तथा इस पर परिषद ने अनुशंसाओं के कार्यान्वयन हेतु अधिनियम में संशोधन करने के लिए मंत्रालय को अनुरोध किया (अप्रैल 1997)।

मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2010) कि चिकित्सा कर्मियों के आवधिक पुनः पंजीकरण हेतु भारतीय चिकित्सा परिषद (संवशोधित) बिल, 2009 पर अंतिम निर्णय अभी भी प्रतीक्षित है क्योंकि कथित बिल पर विभाग संबन्धी संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों पर मंत्रालय द्वारा विचार किया जाना है। इसी बीच, मंत्रालय एक ओवरसीचिंग नियामक निकाय नामतः स्वास्थ्य हेतु राष्ट्रीय मानव संसाधन आयोग का गठन करने का विचार कर रहा है। तथापि, भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1954 में, संशोधन पर अंतिम निर्णय अभी भी नहीं लिया गया है।

इस प्रकार, तथ्य यह रह जाता है कि चिकित्सा क्षेत्र में तीव्र प्रौद्योगिकी विकासों के साथ गति बनाए रखने हेतु प्रेक्टिस कर रहे योग्य डाक्टरों के ज्ञान एवं कौशल को बढ़ाने तथा उन्नयन का संसदीय समिति (दसवीं लोक सभा) का उद्देश्य 13 वर्षों के अंतराल के पश्चात भी प्राप्त नहीं हुआ।

अनुशंसा

- मंत्रालय को चिकित्सा व्यवसाइयों के पंजीकरण के अनिवार्य पुनः पंजीकरण/नवीकरण हेतु अनुशंसाओं के कार्यान्वयन के लिए भा.चि.प. अधिनियम को संशोधित करना चाहिए।

1.9 निष्कर्ष

निष्पादन लेखापरीक्षा ने (i) कुछ नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना में (ii) आवश्यक सुविधाओं/मानकों के बिना कुछ विद्यमान चिकित्सा महाविद्यालयों में सीटों की वृद्धि में तथा (iii) कुछ मामलों में संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित आवश्यक न्यूनतम मानकों को पूरा किए बिना वार्षिक दाखिले हेतु अनुमति के नवीकरण में निर्धारित मानकों की गैर-अनुपालना को प्रकट किया।

चिकित्सा शिक्षा के एक समान मानकों का अनुरक्षण अव्यवस्थित था क्योंकि परिषद ने संवीक्षा अवधि के दौरान आवधिक रूप से निरीक्षित 63 में से 56 चिकित्सा महाविद्यालयों में पांच वर्षों के ब्लाक में एक बार पंजीकृत चिकित्सा महाविद्यालयों के आवधिक निरीक्षण के अपने स्वयं के प्रतिमानों का अनुपालन नहीं किया था। कुछ निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की तुलना में यह सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में शिक्षण संकाय एवं रेजिडेंटों की अनुज्ञेय कमी के लिए चिकित्सा शिक्षा के तनूकृत मानकों को अपना रही थी। इन 63 चिकित्सा महाविद्यालयों में से निजी और सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में 48 तथा 39 चिकित्सा महाविद्यालयों को क्रमशः संकाय तथा रेजिडेंटों की अनुमत सीमा से कहीं अधिक कमी होने के बावजूद काम करने की अनुमति दी गई थी।

इस प्रकार, निष्पादन लेखापरीक्षा ने चिकित्सा शिक्षा के एक समान मानकों के अनुरक्षण के अपने प्रधान उद्देश्य को प्राप्त करने में परिषद की विफलता को प्रकट किया, जो त्रुटिपूर्ण पाए गए चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रदान की जा रही चिकित्सा शिक्षा की निकृष्ट गुणवत्ता का कारण बनी। इसका परिणाम, देश में लोक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने में प्रतिकूल प्रभाव में भी हो सकता है।

लेखापरीक्षा के दौरान, मंत्रालय ने प्रारम्भिक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के उत्तर प्रस्तुत किये थे, जिसे प्रतिवेदन में शामिल कर लिया गया है। जनवरी 2010 में मंत्रालय को जारी ड्राफ्ट प्रतिवेदन का उत्तर सितम्बर 2010 तक प्रतिक्रिया है।

अनुबंध-I

(पैराग्राफ 1.3.1 तथा 1.3.2 के संदर्भ में)

मामलों की सूची जहाँ मंत्रालयों ने परिषद की सिफारिशों के प्रतिकूल नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना/सीटों में वृद्धि हेतु अनुमति प्रदान की

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम/सीटों की संख्या	परिषद की अनुशंसाएं	परिषद द्वारा पाई गई कमियाँ	मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई
(क) नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना				
1.	शिमोगा आयुर्विज्ञान संस्थान, शिमोगा कर्नाटक (सरकारी)/100	अस्वीकृत (सितम्बर 2006) (जून 2007)	<ul style="list-style-type: none"> ■ शिक्षण संकाय एवं रेजिडेंटों की कमी ■ अपर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाएं ■ अपर्याप्त नैदानिक सामग्री 	महाविद्यालय की अनुपालना रिपोर्ट (जुलाई 2007) तथा राज्य सरकार के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने 13 जुलाई 2007 को आ.प. तथा अ.प. जारी किए।
2.	रायचूर आयुर्विज्ञान संस्थान, रायचूर, कर्नाटक (सरकारी)/100	अस्वीकृत (जून 2005) (जून 2006) (जून 2007)	<ul style="list-style-type: none"> ■ शिक्षण संकाय एवं रेजिडेंटों की कमी ■ अपर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाएं ■ अपर्याप्त नैदानिक सामग्री ■ अपर्याप्त पैरा-चिकित्सा एवं नर्सिंग स्टाफ 	महाविद्यालय की अनुपालना रिपोर्ट (जून 2007) को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने 13 जुलाई 2007 को आ.प. तथा अ.प. जारी किए।
3.	हसन आयुर्विज्ञान संस्थान, हसन, कर्नाटक (सरकारी)/100	अस्वीकृत (जून 2005) (जून 2006) (सितम्बर 2006)	<ul style="list-style-type: none"> ■ शिक्षण संकाय एवं रेजिडेंटों की कमी ■ अपर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाएं ■ अपर्याप्त नैदानिक सामग्री ■ अपर्याप्त पैरा-चिकित्सा एवं नर्सिंग स्टाफ 	राज्य सरकार की अनुपालना रिपोर्ट (सितम्बर 2007) को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने 29 सितम्बर 2006 को आ.प. तथा अ.प. जारी किए।
4.	एन.डी.एम.सी. सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ (सरकारी)/50	अस्वीकृत (दिसम्बर 2005) (जून 2006) (जुलाई 2006)	<ul style="list-style-type: none"> ■ शिक्षण संकाय एवं रेजिडेंटों की कमी ■ अपर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाएं ■ अपर्याप्त नैदानिक सामग्री ■ अपर्याप्त पैरा-चिकित्सा एवं नर्सिंग स्टाफ 	डी.जी.एच.एस. समिति की अनुशंसाओं (जुलाई 2006) तथा अविकसित क्षेत्र में महाविद्यालय होने को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने 12 जुलाई 2006 को आ.प. तथा 15 जुलाई 2006 को अ.प. जारी किए।

(ख) एम.बी.बी.एस. में सीटों की वृद्धि				
5.	टी.डी. चिकित्सा महाविद्यालय, अल्पुझा, केरल (सरकारी)/100 से 150 तक	अस्वीकृत (जून 2007)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ शिक्षण संकाय एवं रेजिडेंटों की कमी ▪ अपर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाएं 	राज्य सरकार के उत्तर (जुलाई 2006) (जुलाई 2007) को ध्यान में रखते हुए तथा चूंकि यह एक सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय है, मंत्रालय ने 20 जुलाई 2007 को आ.प. तथा अ.प. जारी किए।
6.	एम.के.सी.जी. चिकित्सा महाविद्यालय, ब्रह्मपुर, उड़ीसा (सरकारी)/107 से 150 तक	अस्वीकृत (जून 2007)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ रेजिडेंटों की कमी ▪ अपर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाएं ▪ अपर्याप्त नैदानिक सामग्री 	उड़ीसा राज्य सरकार ने बताया (जुलाई 2007) कि उन्होंने महाविद्यालयों को कमियां सुधारने तथा अनुपालना रिपोर्ट प्रेषित करने को कहा था। इसने यह भी बताया कि 364 की भर्ती क्षमता वाले केवल तीन चिकित्सा महाविद्यालय थे तथा सीटों की कम संख्या के कारण उड़ीसा में ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने हेतु कम डाक्टर उपलब्ध थे। इसने आगे बताया कि अगर सीटों की वृद्धि नहीं की गई तो यह स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में बाधा का कारण बनेगा। उपरोक्त कारणों के कारण मुख्यमंत्री, उड़ीसा ने 107 से 150 तक सीटों की वृद्धि अनुमत करने हेतु अनुरोध किया। राज्य सरकार के उत्तर को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने 13 जुलाई 2007 को आ.प. तथा 14 जुलाई 2007 को अ.प. जारी किए।
7.	वी.एस.एस. चिकित्सा महाविद्यालय, बर्ला, उड़ीसा (सरकारी)/107 से 150 तक	अस्वीकृत (जून 2007)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ शिक्षण संकाय एवं रेजिडेंटों की कमी ▪ अपर्याप्त नैदानिक सामग्री ▪ अपर्याप्त पैरा-चिकित्सा एवं नर्सिंग स्टाफ 	उड़ीसा राज्य सरकार ने बताया (जुलाई 2007) कि उन्होंने महाविद्यालयों को कमियां सुधारने तथा अनुपालना रिपोर्ट प्रेषित करने को कहा था। इसने यह भी बताया कि 364 की भर्ती क्षमता वाले केवल तीन चिकित्सा महाविद्यालय थे तथा सीटों की कम संख्या के कारण उड़ीसा में ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने हेतु कम डाक्टर उपलब्ध थे। इसने आगे बताया कि अगर सीटों की वृद्धि नहीं की गई तो यह स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में बाधा का कारण बनेगा। उपरोक्त कारणों के कारण मुख्यमंत्री, उड़ीसा ने 107 से 150 तक सीटों की वृद्धि अनुमत करने हेतु अनुरोध किया। राज्य सरकार के उत्तर को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने 13 जुलाई 2007 को आ.प. तथा 14 जुलाई 2007 को अ.प. जारी किए।

अनुबंध II
(पैराग्राफ 1.3.1.2 के संदर्भ में)

मामलों की सूची जहाँ मंत्रालयों ने परिषद की अनुशंसाओं के प्रतिकूल वार्षिक दाखिलों का नवीकरण/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने हेतु अनुमति प्रदान की

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम तथा वर्ष जिसमें आरम्भ हुआ/सीटों की संख्या	परिषद के निरीक्षण /अनुशंसाओं की तिथि	परिषद द्वारा पाई गई कमियाँ	मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई
(क) सत्र 2007-08 के लिए एम.बी.बी.एस के द्वितीय बैच के दाखिले हेतु अनुमति का नवीकरण				
1.	हसन आयुर्विज्ञान संस्थान, हसन, कर्नाटक (सरकारी), 2006-07/100	8-9 जून 2007/ अस्वीकृत (जून 2007)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ शिक्षण संकाय की कमी ▪ अपर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाएं ▪ अपर्याप्त नर्सिंग स्टाफ 	महाविद्यालय की अनुपालना रिपोर्ट के आधार पर तथा चूंकि यह एक सरकारी महाविद्यालय था, मंत्रालय ने 10 जुलाई 2007 को अनुमति प्रदान की।
2.	श्री गुरु रामराय आयुर्विज्ञान संस्थान, देहरादून, उत्तराखण्ड (निजी), 2006-07/100	8-9 मई 2007/ अस्वीकृत (जून 2007)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ रेजिडेंटों की कमी ▪ अपर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाएं ▪ अपर्याप्त नैदानिक सामग्री 	राज्य सरकार के उत्तर (5 जुलाई 2007) के आधार पर तथा चूंकि महाविद्यालय एक परोपकारी उद्देश्य के साथ कार्य कर रहा था, मंत्रालय ने 13 जुलाई 2007 को अनुमति प्रदान की।
3.	थैनी चिकित्सा महाविद्यालय, थैनी, तमिलनाडु (सरकारी), 2006-07/100	8-9 जून 2007/ अस्वीकृत (जून 2007)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ शिक्षण संकाय एवं रेजिडेंटों की कमी ▪ अपर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाएं 	महाविद्यालय की अनुपालना रिपोर्ट के आधार पर तथा चूंकि यह एक सरकारी महाविद्यालय था, मंत्रालय ने 6 जुलाई 2007 को अनुमति प्रदान की।
4.	बेलगाम आयुर्विज्ञान संस्थान, बेलगाम, कर्नाटक (सरकारी), 2006-07/100	18-19 मई 2007/ अस्वीकृत (जून 2007)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ शिक्षण संकाय एवं रेजिडेंटों की कमी ▪ अपर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाएं ▪ अपर्याप्त नैदानिक सामग्री 	महाविद्यालय की अनुपालना रिपोर्ट के आधार पर तथा चूंकि यह एक सरकारी महाविद्यालय था, मंत्रालय ने 10 जुलाई 2007 को अनुमति प्रदान की।

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम तथा वर्ष जिसमें आरम्भ हुआ/सीटों की संख्या	परिषद के निरीक्षण /अनुशंसाओं की तिथि	परिषद द्वारा पाई गई कमियाँ	मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई
5.	मांड्या आयुर्विज्ञान संस्थान, मांड्या, कर्नाटक (सरकारी), 2006-07/100	18-19 मई 2007/ अस्वीकृत (जून 2007)	<ul style="list-style-type: none"> ■ शिक्षण संकाय एवं रेजिडेंटों की कमी ■ अपर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाएं ■ अपर्याप्त पैरा-चिकित्सा एवं नर्सिंग स्टाफ 	महाविद्यालय तथा राज्य सरकार के उत्तरों (29 जून 2007) के आधार पर मंत्रालय ने 13 जुलाई 2007 को अनुमति प्रदान की।
6	त्रिपुरा चिकित्सा महाविद्यालय, एवं बी.आर.ए.एम. शिक्षण अस्पताल, अगरतला (लोक निजी साझेदारी), 2007-08/100	5-6 जून 2007/ अस्वीकृत (जून 2007)	<ul style="list-style-type: none"> ■ शिक्षण संकाय की कमी • ■ 92 प्रतिशत शिक्षण संकाय की नई नियुक्तियां थी ■ 100 प्रतिशत रेजिडेंटों डाक्टरों की नई नियुक्तियां थी ■ अपर्याप्त नैदानिक सामग्री ■ अपर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाएं 	कमियों को सुधारने के लिए राज्य द्वारा दी गई वचनबद्धता (3 जुलाई 2007) के आधार पर मंत्रालय ने 13 जुलाई 2007 को अनुमति प्रदान की।
(ख) सत्र 2008-09 के लिए एम.बी.बी.एस. के द्वितीय बैच के दाखिले हेतु अनुमति का नवीकरण				
7	रायचूर आयुर्विज्ञान संस्थान, रायचूर, कर्नाटक (सरकारी), 2007-08/100	6-7 जून 2008/ अस्वीकृत (जून 2008)	<ul style="list-style-type: none"> ■ शिक्षण संकाय एवं रेजिडेंटों की कमी ■ अपर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाएं 	राज्य सरकार के उत्तर (जुलाई 2007) के आधार पर मंत्रालय ने 10 जुलाई 2008 को अनुमति प्रदान की।

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम तथा वर्ष जिसमें आरम्भ हुआ/सीटों की संख्या	परिषद के निरीक्षण/अनुशासनों की तिथि	परिषद द्वारा पाई गई कमियाँ	मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई
			<ul style="list-style-type: none"> अपर्याप्त नैदानिक सामग्री 	
(ग) सत्र 2007-08 के लिए एम.बी.बी.एस. के तृतीय बैच के दाखिले हेतु अनुमति				
8.	अगरतला सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, अगरतला, त्रिपुरा (सरकारी), 2005-06/100	8-9 जून 2007/अस्वीकृत (जून 2007)	<ul style="list-style-type: none"> शिक्षण संकाय एवं रेजिडेंटों की कमी अपर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाएं अपर्याप्त नैदानिक सामग्री 	राज्य सरकार के उत्तर (3 जुलाई 2007) के आधार पर तथा उत्तर-पूर्व में चिकित्सा महाविद्यालयों की कमी की दृष्टि से तथा चूंकि यह एक सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय है, मंत्रालय ने 11 जुलाई 2007 को अनुमति प्रदान की।
9.	सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, वैलोर, तमिलनाडु (सरकारी), 2005-06/100	5-6 जून 2007/अस्वीकृत (जून 2007)	<ul style="list-style-type: none"> शिक्षण संकाय एवं रेजिडेंटों की कमी अपर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाएं 	राज्य सरकार के उत्तर के आधार पर तथा चूंकि यह एक सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय था, मंत्रालय ने 6 जुलाई 2007 को अनुमति प्रदान की।
(घ) सत्र 2007-08 के लिए एम.बी.बी.एस. के चौथे बैच के दाखिले हेतु अनुमति का नवीकरण				
10.	कन्याकुमारी चिकित्सा महाविद्यालय, असासीपत्तम, तमिलनाडु (सरकारी), 2004-05/100	5-6 जून 2007/अस्वीकृत (जून 2007)	<ul style="list-style-type: none"> शिक्षण संकाय की कमी अपर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाएं 	राज्य सरकार के उत्तर (28 जून 2007) के आधार पर तथा चूंकि यह एक सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय था, मंत्रालय ने 11 जुलाई 2007 को अनुमति प्रदान की।
(ङ) सत्र 2007-08 के लिए एम.बी.बी.एस. के पांचवें बैच के दाखिले हेतु अनुमति का नवीकरण				
11.	एस.सी.बी. चिकित्सा महाविद्यालय, कटक, उड़ीसा (सरकारी), 1994/150	18-19 मई 2007/अस्वीकृत (जून 2007)	<ul style="list-style-type: none"> शिक्षण संकाय एवं रेजिडेंटों की कमी अपर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाएं 	राज्य सरकार के उत्तर (2 जुलाई 2007) के आधार पर तथा राज्य में चिकित्सा महाविद्यालयों की कमी की दृष्टि से मंत्रालय ने 11 जुलाई 2007 को अनुमति प्रदान की।

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम तथा वर्ष जिसमें आरम्भ हुआ/सीटों की संख्या	परिषद के निरीक्षण /अनुशंसाओं की तिथि	परिषद द्वारा पाई गई कमियाँ	मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई
(घ) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करना				
12.	कमांड अस्पताल, कलकत्ता (सरकारी), 2006-07/2	फरवरी 2006/ अस्वीकृत (फरवरी 2006)	<ul style="list-style-type: none"> ■ आधारभूत विज्ञान हेतु अपेक्षित सुविधाओं की गैर-उपलब्धता ■ परिषद के प्रतिमानों के अनुसार शिक्षण संकाय का वितरण न होना 	अस्पताल के उत्तर (15 मार्च 2006) के आधार पर मंत्रालय ने 31 मार्च 2006 को अनुमति प्रदान की।
13.	मानसिक स्वास्थ्य संस्थान तथा आगरा (सरकारी), 2009-10/2	जनवरी 2009/ अस्वीकृत (फरवरी 2009)	<ul style="list-style-type: none"> ■ अपर्याप्त शिक्षण संकाय 	अस्पताल के उत्तर (30 मार्च 2009) के आधार पर मंत्रालय ने 30 मार्च 2009 को अनुमति प्रदान की।

अनुबंध -III

(पैराग्राफ 1.4.1, 1.4.2.1 एवं 1.4.2.2 के संदर्भ में)

महाविद्यालयों की सूची जिनका वर्ष 2004-05 से 2008-09 के दौरान आवधिक निरीक्षण किया गया था

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम	स्थिति	आवधिक निरीक्षण की तिथि	पूर्ववर्ती निरीक्षण की तिथि	समय अन्तराल (वर्षों में)	शिक्षण संकाय की कमी (प्रतिशत में)	रेजिडेंट की कमी (प्रतिशत में)
1.	सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, चण्डीगढ़	सरकारी	26-27 अक्टूबर 2004	अक्टूबर 1998	6	9.4	0
2.	पं. जे.एन.एम. चिकित्सा महाविद्यालय, राँयपुर	सरकारी	26-27 अक्टूबर 2004	सितम्बर 1996	8	38.6	32.5
3.	ए.सी.पी.एम. चिकित्सा महाविद्यालय, धुले	निजी	7-8 जनवरी 2005	मार्च 1998	7	24.32	28.04
4.	महाराष्ट्र चिकित्सा शिक्षा संस्थान एवं अनुसंधान चिकित्सा महाविद्यालय, तेलीगाँव, पुणे	निजी	7-8 जनवरी 2005	अक्टूबर 2002	2	13.2	17.1
5.	टर्ना चिकित्सा महाविद्यालय, नवी मुम्बई	निजी	19-20 जनवरी 2005	जुलाई 1998	6 ½	12.6	73.8
6.	ग्रामीण चिकित्सा महाविद्यालय, लोनी, महाराष्ट्र	निजी	1-2 फरवरी 2005	सितम्बर 1999/अगस्त 2000(सी.वी.)	4 ½	24.6	31.6
7.	एन.डी.एम.वी.पी. समाज चिकित्सा महाविद्यालय, नासिक	निजी	25-26 फरवरी 2005	नवम्बर 1999	5	27.2	19.3
8.	राजेन्द्र चिकित्सा विज्ञान संस्थान, राँची	सरकारी	8-9 सितम्बर 2005	जनवरी 1997/ नवम्बर 2004 (सी.वी.)	1	34.5	5
9.	विजयनगर चिकित्सा विज्ञान संस्थान, बिलारी	सरकारी	15-16 सितम्बर 2005	अक्टूबर 1996	9	25	8.3
10.	आर.एन.टी. चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर	सरकारी	15-16 सितम्बर 2005	फरवरी 1995	10 ½	22	16
11.	जे.एल.एन. चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर	सरकारी	15-16 सितम्बर 2005	फरवरी 1995	10 ½	20.93	28.94

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम	स्थिति	आवधिक निरीक्षण की तिथि	पूर्ववर्ती निरीक्षण की तिथि	समय अन्तराल (वर्षों में)	शिक्षण संकाय की कमी (प्रतिशत में)	रेजिडेंट की कमी (प्रतिशत में)
12.	क्रिश्चन चिकित्सा महाविद्यालय, वेल्लौर	निजी	22-23 सितम्बर 2005	फरवरी 1997	8	8.3	25
13.	उस्मानियां चिकित्सा महाविद्यालय, हैदराबाद	सरकारी	22-23 सितम्बर 2005	मार्च 1999	5 ½	7.82	63.38
14.	सेन्ट जॉन चिकित्सा महाविद्यालय, बैंगलोर	निजी	22-23 सितम्बर 2005	फरवरी 1997	8 ½	6.5	5% से कम
15.	कलकत्ता राष्ट्रीय चिकित्सा महाविद्यालय, कलकत्ता	सरकारी	7-8 दिसम्बर 2005	अप्रैल 1996	9 ½	2.2	1.8
16.	सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, पटियाणा	सरकारी	6-7 अक्टूबर 2006	नवम्बर 1998	8	18.72	5.12
17.	राजीव गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय, छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल, थाणे	सरकारी	6-7 अक्टूबर 2006	अगस्त 1998	8	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
18.	चिकित्सा विज्ञान क्षेत्रीय संस्थान, इम्फाल	निजी	6-7 अक्टूबर 2006	जुलाई 1999	7	6.70	1.31
19.	सड़क परिवहन संस्थान पेरुन्दराई चिकित्सा महाविद्यालय, पेरुन्दराई	सरकारी	6-7 अक्टूबर 2006	अक्टूबर 1993/अगस्त 1997 (सी.वी.)	9	35.9	25.8
20.	एस.पी. चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर	सरकारी	13-14 अक्टूबर 2006	जुलाई 1998	8	27.6	6.8
21.	एन.आर.एस. चिकित्सा महाविद्यालय, कलकत्ता	सरकारी	30-31 अक्टूबर 2006	अप्रैल 1996	10 ½	4.4	Nil
22.	श्री सिद्धार्थ चिकित्सा महाविद्यालय, टुमकुर	निजी	7-8 नवम्बर 2006	अक्टूबर 2000	6	15.31	31.96
23.	सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, श्रीनगर	सरकारी	7-8 नवम्बर 2006	अप्रैल 1996	10 ½	27.4	7.1
24.	श्रीदेवराज उर्स	निजी	7-8 नवम्बर 2006	जून 1995	11	23.74	24.34

2010-11 का प्रतिवेदन सं. 20

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम	स्थिति	आवधिक निरीक्षण की तिथि	पूर्ववर्ती निरीक्षण की तिथि	समय अन्तराल (वर्षों में)	शिक्षण संकाय की कमी (प्रतिशत में)	रेजिडेंट की कमी (प्रतिशत में)
	चिकित्सा महाविद्यालय, कोलार						
25.	गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय, हैदराबाद	सरकारी	7-8 नवम्बर 2006	अप्रैल 1999	7 ½	7	7.8
26.	अल अमीन चिकित्सा महाविद्यालय, बीजापुर	निजी	15-16 नवम्बर 2006	फरवरी 2000/जुलाई 2001 (सी.वी.)	5	30.04	50
27.	सिद्धार्थ चिकित्सा महाविद्यालय, विजयवाड़ा	सरकारी	5-6 जनवरी 2007	फरवरी 1997	10	14.87	42.30
28.	विनायक मिशन चिकित्सा महाविद्यालय, सलेम	निजी	5-6 जनवरी 2007	दिसम्बर 2000	6	16.3	20
29.	आन्ध्र चिकित्सा महाविद्यालय, विशाखापट्टनम	सरकारी	5-6 जनवरी 2007	फरवरी 1999	8	9.9	9.4
30.	सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, कलकत्ता	सरकारी	3-4 अप्रैल 2007	मार्च 1996/ मई 1999 (सी.वी.)	8	2.56	1.70
31.	चेन्नलपट्टु चिकित्सा महाविद्यालय, चेन्नलपट्टु	सरकारी	23-24 अक्टूबर 2007	अगस्त 2001	6	15.3	18.7
32.	गुरु गोविन्द सिंह चिकित्सा महाविद्यालय, फरीदकोट	सरकारी	29-30 नवम्बर 2007	अप्रैल 2000	6 ½	51.61	70.27
33.	एस. एम. एस. चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	सरकारी	29-30 नवम्बर 2007	फरवरी 1999	8 ½	13.49	20
34.	थंजावुर चिकित्सा महाविद्यालय, थंजावुर	सरकारी	29-30 नवम्बर 2007	अप्रैल 1998/ नवम्बर 2000 (सी.वी.)	7	13.1	5.1
35.	महात्मा गाँधी चिकित्सा विज्ञान संस्थान, सेवाग्राम, वर्धा	निजी	11-12 जनवरी 2008	अप्रैल 1997	11	15.38	7.44
36.	हिमालयन चिकित्सा विज्ञान संस्थान, देहरादून	निजी	11-12 जनवरी 2008	सितम्बर 2000	7	3.4	4.7

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम	स्थिति	आवधिक निरीक्षण की तिथि	पूर्ववर्ती निरीक्षण की तिथि	समय अन्तराल (वर्षों में)	शिक्षण संकाय की कमी (प्रतिशत में)	रेजिडेंट की कमी (प्रतिशत में)
37.	स्टैनले चिकित्सा महाविद्यालय, चैन्नई	सरकारी	23-24 जनवरी 2008	अप्रैल 1998/ नवम्बर 2000 (सी.वी.)	7	17.42	2.32
38.	एम.जी.एम. चिकित्सा महाविद्यालय, नवी मुम्बई	निजी	1 फरवरी 2008 (आकस्मिक निरीक्षण)	मई 2006	1 ½	30.2	38.1
39.	पी.एस.जी. चिकित्सा विज्ञान संस्थान, कोयम्बटूर	निजी	20 फरवरी 2008	जुलाई 1999/ जून 2001 (सी.वी.)	6 ½	13.7	34.1
40.	सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, नान्देड़	सरकारी	11-12 जुलाई 2008	अगस्त 2001	7	22.11	16.43
41.	सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, किलपोक	सरकारी	11-12 जुलाई 2008	अगस्त 2001	7	6.8	शून्य
42.	एम.जी.एम. चिकित्सा महाविद्यालय, औरंगाबाद	निजी	14-15 जुलाई 2008	दिसम्बर 2004	3 ½	9.92	5.88
43.	टी.एम. चिकित्सा महाविद्यालय, मुम्बई	सरकारी	22-23 जुलाई 2008	अगस्त 2001	7	14.50	27.10
44.	ए.एफ.एम.सी. पुणे	सरकारी	30-31 जुलाई 2008	नवम्बर 1998/मई 2000 (सी.वी.)	8	16.6	30.8
45.	माता गुजरी चिकित्सा महाविद्यालय, किशनगंज	निजी	24-25 जुलाई 2008	मई 2000	8	8	5.4
46.	जी.एस.वी.एम. चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर	सरकारी	31 st जुलाई तथा 1 अगस्त 2008	फरवरी 1997/अप्रैल 1997 (सी.वी.)	11 ½	52.4	31.2
47.	एस.एन. चिकित्सा महाविद्यालय, आगरा	सरकारी	31 जुलाई तथा 1 अगस्त 2008	सितम्बर 1995	13	71.5	28.24
48.	सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, मिराज	सरकारी	31 जुलाई तथा 1 अगस्त 2008	सितम्बर 2001	7	4.9	शून्य
49.	वी.एम. चिकित्सा महाविद्यालय,	सरकारी	31 जुलाई तथा 1	सितम्बर 2001	7	20	30

2010-11 का प्रतिवेदन सं. 20

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम	स्थिति	आवधिक निरीक्षण की तिथि	पूर्ववर्ती निरीक्षण की तिथि	समय अन्तराल (वर्षों में)	शिक्षण संकाय की कमी (प्रतिशत में)	रेजिडेंट की कमी (प्रतिशत में)
	शोलापुर		अगस्त 2008				
50.	बी.जे. चिकित्सा महाविद्यालय, पुणे	सरकारी	1-2 अगस्त 2008	दिसम्बर 2001	6 ½	12.86	25.84
51.	एम.एल.बी. चिकित्सा महाविद्यालय, झांसी	सरकारी	7-8 अगस्त 2008	सितम्बर 1995/ नवम्बर 2003 (सी.वी.)	5	51.6	35.1
52.	एम.एल.एन. चिकित्सा महाविद्यालय, इलाहाबाद	सरकारी	7-8 अगस्त 2008	सितम्बर 1995	13	46.15	36.36
53.	श्री भाउसाहिब हाइअर सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, धुले	सरकारी	7-8 अगस्त 2008	सितम्बर 2001	7	5.74	35.13
54.	पेरीयारम चिकित्सा विज्ञान अकादमी, कन्नूर	निजी	13-14 अगस्त 2008	दिसम्बर 2002	5 ½	23.96	31.76
55.	एल.एल.आर.एम. चिकित्सा महाविद्यालय, मेरठ	सरकारी	13-14 अगस्त 2008	मई 1997	11	46.29	35.29
56.	एल.डी.एम.वी.पी. समाज चिकित्सा महाविद्यालय, नासिक	निजी	13-14 अगस्त 2008	फरवरी 2005	3 ½	10	20
57.	चैन्नई चिकित्सा महाविद्यालय, चैन्नई	सरकारी	25-26 अगस्त 2008	सितम्बर 1998/ जनवरी 2007(सी.वी.)	1 ½	4.68	शून्य
58.	मौलाना आजाद चिकित्सा महाविद्यालय, दिल्ली	सरकारी	25-26 अगस्त 2008	फरवरी 1998	10 ½	37.6	5
59.	लेडी हार्डिंग चिकित्सा महाविद्यालय, दिल्ली	सरकारी	25-26 अगस्त 2008	मार्च 1992	16	45.53	4.72
60.	जवाहरलाल स्नातकोत्तर शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुंडुचेरी	सरकारी	3-4 अक्टूबर 2008	मार्च 1997	11 ½	40	5
61.	यू.सी.एम.एस. एवं जी.टी.बी अस्पताल, नई दिल्ली	सरकारी	3-4 अक्टूबर 2008	फरवरी 1997/ जुलाई 1998 (सी.वी.)	10	20.35	4.5
62.	सरकारी चिकित्सा	सरकारी	16-17	अगस्त 2001	7	3.9	10.4

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम	स्थिति	आवधिक निरीक्षण की तिथि	पूर्ववर्ती निरीक्षण की तिथि	समय अन्तराल (वर्षों में)	शिक्षण संकाय की कमी (प्रतिशत में)	रेजिडेंट की कमी (प्रतिशत में)
	महाविद्यालय, बडौदा		अक्टूबर 2008				
63.	श्री रामचन्द्र चिकित्सा महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान, चैन्नई	निजी	19-20 मार्च 2009	दिसम्बर 2003	5	4.9	35.02

अनुबंध-IV

(पैराग्राफ 4 के संदर्भ में)

चिकित्सा महाविद्यालयों की सूची जिन्होंने वर्ष 2007-08 से 2008-09 के दौरान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए भर्ती क्षमता से अधिक छात्रों को दाखिला दिया

क्र.सं.	चिकित्सा महाविद्यालय/संस्थान का नाम	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की संख्या	स्वीकृत भर्ती	दाखिल किए गए छात्रों की संख्या	आधिक्य में दाखिल किए गए छात्रों की संख्या
2007-08					
1.	केम्पेगोवड़ा चिकित्सा विज्ञान संस्थान, बैंगलूरु	2	0	4	4
2.	सेन्ट जॉन चिकित्सा महाविद्यालय, बैंगलूरु	1	1	2	1
3.	मैसूर चिकित्सा महाविद्यालय, मैसूर	1	8	9	1
4.	जे.एन. चिकित्सा महाविद्यालय, बेलगाम	3	5	10	5
5.	अल अमीन चिकित्सा महाविद्यालय, बीजापुर	1	0	2	2
6.	एम.आर. चिकित्सा महाविद्यालय, गुलबर्ग	2	0	5	5
7.	जे.जे.एम. चिकित्सा महाविद्यालय, दावनगेरे	5	19	32	13
8.	रंगारया चिकित्सा महाविद्यालय, काकीनाड़ा	5	8	20	12
9.	कुरनूल चिकित्सा महाविद्यालय, कुरनूल	3	4	8	4
10.	ओसमानियां चिकित्सा महाविद्यालय, हैदराबाद	2	6	8	2
11.	गुन्टूर चिकित्सा महाविद्यालय, गुन्टूर	1	1	2	1
12.	एस.वी. चिकित्सा महाविद्यालय, तिरुपति	8	7	21	14
13.	आन्ध्र चिकित्सा महाविद्यालय, विशाखापट्टनम	4	8	17	9
14.	गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, सिकन्दराबाद	2	4	6	2
15.	ककातिया चिकित्सा महाविद्यालय, वारंगल	2	4	9	5
16.	पं. पी.डी. शर्मा स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान, रोहतक	2	4	6	2
17.	श्रीमती एन.एच.एल. नगर पालिका चिकित्सा महाविद्यालय, अहमदाबाद	1	3	4	1
18.	प्रमुखस्वामी चिकित्सा महाविद्यालय, कर्मसर्द	1	0	2	2

क्र.सं.	चिकित्सा महाविद्यालय/संस्थान का नाम	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की संख्या	स्वीकृत भर्ती	दाखिल किए गए छात्रों की संख्या	आधिक्य में दाखिल किए गए छात्रों की संख्या
19.	सरकारी. चिकित्सा महाविद्यालय, सूरत	1	4	6	2
20.	चिकित्सा महाविद्यालय, बडौदा	3	14	29	15
21.	एम.पी.शाह चिकित्सा महाविद्यालय, जामनगर	1	0	2	2
22.	राजेन्द्र चिकित्सा महाविद्यालय, राँची	1	7	12	5
23.	चिकित्सा विज्ञान का विश्व महाविद्यालय, दिल्ली	1	2	4	2
24.	सफदरजंग अस्पताल, दिल्ली	1	3	5	2
25.	लेडी हार्डिंग चिकित्सा महाविद्यालय, दिल्ली	1	1	2	1
26.	एम.के.सी.जी. चिकित्सा महाविद्यालय, ब्रह्मपुर	1	7	12	5
27.	इन्दिरा गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय, शिमला	1	0	2	2
28.	सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, श्रीनगर	2	2	6	4
29.	सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, जम्मू	3	10	21	11
30.	शेर-ए-कश्मीर चिकित्सा विज्ञान संस्थान, श्रीनगर	2	20	44	24
31.	टी.एन. चिकित्सा महाविद्यालय, मुम्बई	1	6	8	2
32.	एस.आर.टी.आर. चिकित्सा महाविद्यालय, अम्बाजोगाई	4	6	12	6
33.	के.जे. सोम्मइया चिकित्सा महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई	1	0	2	2
34.	बी.जे. चिकित्सा महाविद्यालय, पुणे	1	2	4	2
35.	सेठ जी.एस. चिकित्सा महाविद्यालय, मुम्बई	4	34	45	11
36.	अनुदान चिकित्सा महाविद्यालय, मुम्बई	1	4	6	2
37.	सशस्त्र सेनाएं चिकित्सा महाविद्यालय, पुणे	1	2	3	1
38.	आई.एन.एच.एस. अश्वनी	2	0	2	2
39.	चैन्ई चिकित्सा महाविद्यालय, चैन्ई	2	3	36	33
40.	किलपाँक चिकित्सा महाविद्यालय, किलपाँक	1	2	4	2

क्र.सं.	चिकित्सा महाविद्यालय/संस्थान का नाम	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की संख्या	स्वीकृत भर्ती	दाखिल किए गए छात्रों की संख्या	आधिक्य में दाखिल किए गए छात्रों की संख्या
41.	मोहन कुमारमंगलम चिकित्सा महाविद्यालय, सलेम	1	0	2	2
42.	मदुराई चिकित्सा महाविद्यालय, मदुराई	3	4	10	6
43.	थंजावुर चिकित्सा महाविद्यालय, थंजावुर	2	8	17	9
44.	गोवा चिकित्सा महाविद्यालय, गोवा	1	1	2	1
45.	चिकित्सा महाविद्यालय, कोट्टायम	1	2	9	7
46.	चिकित्सा महाविद्यालय, कालीकट	1	0	2	2
47.	चिकित्सा महाविद्यालय, तिरुवनन्तपुरम	3	5	8	3
48.	एस.एम.एस. चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	4	9	15	6
49.	एस.पी. चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर	4	3	7	4
50.	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकता	3	8	16	8
51.	किंग जॉर्ज चिकित्सा महाविद्यालय, लखनऊ	6	30	48	18
52.	जी.एस.वी.एम. चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर	1	10	18	8
53.	बी.आर.डी. चिकित्सा महाविद्यालय, गोरखपुर	5	12	22	10
54.	एम.एल.बी. चिकित्सा महाविद्यालय, झांसी	3	10	19	9
55.	जे.एल.एन. चिकित्सा महाविद्यालय, अलीगढ़	1	4	5	1
		121			317
2008-09					
1.	चिकित्सा विज्ञान का दक्कन महाविद्यालय, हैदराबाद	1	0	1	1
2.	अल अमीन चिकित्सा महाविद्यालय, बीजापुर	1	0	2	2
3.	श्री देवराज उर्स चिकित्सा महाविद्यालय, कोलार	2	0	5	5
4.	पदमश्री डा. डी.वाई. पाटिल चिकित्सा महाविद्यालय, नवी मुम्बई	1	1	2	1
		5			9
		126			326

अनुबंध -V

(पैराग्राफ 1.6.2 के संदर्भ में)

महाविद्यालयों की सूची जिनके संबंध में परिषद ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिलों को बंद करने हेतु मंत्रालय को सिफारिश की है।

महाविद्यालय का नाम	क्रं.स.	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का नाम	परिषद की सिफारिश की तिथि
एम.जी.एम. चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर	1.	एम.डी. (एस.पी.एम)	21.1.2008
	2.	एम.एस (सामान्य सर्जरी)	21.1.2008
	3.	डी.टी.सी.डी.	21.1.2008
	4.	एम.एस. (एनाटॉमी)	21.1.2008
	5.	एम.एस (ई.एन.टी.) एवं डी.एल.ओ.	21.1.2008
	6.	एम.डी. (ऐनेस्थिया) एवं डी.ए. पाठ्यक्रम	21.1.2008
	7.	एम.डी. (रेडियो-निदान) एवं डी.एम.आर.डी पाठ्यक्रम	21.1.2008
	8.	एम.डी. (बाल चिकित्सक) एवं डी.सी.एच. पाठ्यक्रम	21.1.2008
	9.	एम.डी. (पैथोलॉजी) तथा डी.सी.पी. योग्यताएं	21.1.2008
	10.	एम.डी. (सामान्य औषधि)	21.1.2008
	11.	एम.डी. (फिजियोलॉजी)	21.1.2008
	12.	एम.डी. (फार्माकोलॉजी)	21.1.2008
	13.	एम.एस. (आर्थो तथा डी. आर्थो)	28.3.2007
	14.	एम.एस. (ओ.बी.जी.) तथा डी.जी.ओ.	21.1.2008
	15.	एम.एस. (ऑफथामोलॉजी) तथा डी.ओ.एम.एस.	21.1.2008
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल	16.	एम.डी. (ऑफथामोलॉजी) तथा डी.ओ.एम.एस.	21.1.2008
	17.	एम.डी. (ऐनेस्थिया) तथा डी.ए. पाठ्यक्रम	21.1.2008
	18.	एम.डी. (सामान्य औषधि)	21.1.2008
	19.	एम.डी. (एस.पी.एम.)	21.1.2008
	20.	एम.डी. (फिजियोलॉजी)	21.1.2008
	21.	एम.डी. (फार्माकोलॉजी)	28.3.2007
	22.	एम.एस. (सामान्य शल्य-चिकित्सा)	28.3.2007
	23.	एम.एस. (ई.एन.टी.) तथा डी.एल.ओ.	28.3.2007
	24.	एम.डी. (पैडियट्रिक्स) तथा डी.सी.एच.	28.3.2007
	25.	एम.डी. (पैथोलॉजी) तथा डी.सी.एच. योग्यताएं	28.3.2007
	26.	एम.एस. (ऑर्थो.) तथा डी. ऑर्थो	28.3.2007
	27.	एम.एस. (एनाटॉमी)	28.3.2007
	28.	एम.एस. (ऑब्स्ट्रेटिक्स तथा गाइने.) तथा डी.जी.ओ. पाठ्यक्रम	28.3.2007
	29.	एम.सी.एच. (पैडियट्रिक्स शल्य चिकित्सा)	28.3.2007

महाविद्यालय का नाम	क्रं.स.	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का नाम	परिषद की सिफारिश की तिथि
एन.एस.सी.वी. चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर	30.	एम.डी. (एनेस्थिया) तथा डी.ए.	30.3.2007
	31.	एम.डी. (पैडियट्रिक्स) तथा डी.सी.एच.	21.1.2008
	32.	एम.एस. (ऑर्थो.) तथा डी. ऑर्थो	28.3.2007
	33.	एम.डी. (पैथेलाॅजी)	28.3.2007
	34.	एम.डी. (एस.पी.एम.)	28.3.2007
	35.	एम.डी. (फिजियोलॉजी)	28.3.2007
	36.	एम.डी. (रेडियोलॉजी)	21.1.2008
	37.	एम.एस. (ऐनाटॉमी)	21.1.2008
	38.	एम.डी. (फार्माकोलॉजी)	21.1.2008
	39.	एम.एस. (ओ.बी.जी.) तथा डी.जी.ओ.	21.1.2008
एस.एस. चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा	40.	एम.डी. (ओ.बी.जी.)	21.1.2008
	41.	एम.डी. (फिजियोलॉजी)	30.3.2007
	42.	एम.एस. (ऐनाटॉमी)	21.1.2008
	43.	एम.डी. (एनेस्थिया) तथा डी.ए.	30.3.2007
	44.	एम.डी. (फार्माकोलॉजी)	21.1.2008
	45.	एम.एस. (सामान्य शल्य चिकित्सा)	30.3.2007
	46.	एम.डी. (पैथेलाॅजी) तथा डी.सी.पी. उपाधियां	28.3.2007
	47.	एम.डी. (सामान्य औषधि)	28.3.2007
	48.	एम.डी. (एस.पी.एम.)	28.3.2007
जी.आर. चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर	49.	एम.डी. (सामान्य औषधि)	21.1.2008
	50.	एम.डी. (एनेस्थिया) तथा डी.ए. पाठ्यक्रम	21.1.2008
	51.	एम.डी. (फिजियोलॉजी)	21.1.2008
	52.	एम.डी. (पैथेलाॅजी) तथा डी.सी.पी. उपाधियां	28.3.2007
	53.	एम.डी. (रेडियो-डाइग्नोसिस)	28.3.2007
	54.	एम.डी. (ऑबस्ट्रेटिक्स तथा गाइने.)	28.3.2007
	55.	एम.डी. (ऑफथामोलॉजी) तथा डी.ओ.एम.एस.	28.3.2007
	56.	एम.डी. (एस.पी.एम.)	28.3.2007
	57.	एम.डी. (फार्माकोलॉजी)	28.3.2007
	58.	एम.एस. (सामान्य शल्य चिकित्सा)	28.3.2007
	59.	एम.एस. (ऐनाटॉमी)	28.3.2007
	60.	एम.एस. (ई.एन.टी.) तथा डी.एल.ओ.	28.3.2007
कस्तूरबा चिकित्सा महाविद्यालय, मनिपाल	61.	एम.एस. (ऑर्थो) तथा डी. (ऑर्थो)	12.3.2007
	62.	एम.सी.एच. (यूरोलॉजी)	
	63.	एम.डी. (सामान्य औषधी)	
	64.	एम.डी. (माइक्रो बायोलॉजी)	
	65.	एम.डी. (अस्पताल प्रशासन)	
	66.	एम.डी. (त्वचा तथा वी.डी.) तथा डी.वी.डी.	
	67.	एम.एस. (ई.एन.टी.) तथा डी.एल.ओ.	
	68.	एम.सी.एच. (पैडियट्रिक्स शल्य चिकित्सा)	
	69.	एम.डी. (ऑबस्ट्रेटिक्स तथा गाइने.) तथा डी.जी.ओ. पाठ्यक्रम	
	70.	एम.सी.एच. (कॉरडियो थोरोसिस शल्य	

महाविद्यालय का नाम	क्रं.सं.	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का नाम	परिषद की सिफारिश की तिथि
		चिकित्सा)	
	71.	एम.डी. (रेडियॉ-डाइग्नोसिस) तथा डी.एम.आर.उपाधियां.	
	72.	एम.डी. (कम्यूनिटी औषधी)	
	73.	एम.डी. (फार्माकोलॉजी)	
	74.	एम.डी. (ऐनेस्थिया) तथा डी.ए. पाठ्यक्रम	
	75.	एम.डी. (पैथेलाॅजी) तथा डी.सी.पी.	
	76.	एम.डी. (ऑफथामोलॉजी) तथा डी.ओ. योग्यताएं	
	77.	एम.डी. (पैडियट्रिक्स) तथा डी.सी.एच.	
	78.	एम.डी. (बाॅयो कैमिस्ट्री)	
	79.	एम.डी. (फिजियोलॉजी)	
	80.	एम.एस. (सामान्य शल्य चिकित्सा)	
	81.	एम.एस. (ऐनाटॉमी)	
	82.	एम.डी. (फॉरेंसिक विज्ञान)	
कस्तूरबा चिकित्सा महाविद्यालय, मंगलोर	83.	एम.डी. (सामान्य औषधि)	12.3.2007
	84.	एम.डी. (मॉइक्रो बायोलॉजी)	
	85.	एम.डी. (बायो कैमिस्ट्री)	
	86.	एम.डी. (त्वचा तथा वी.डी.) तथा डी.वी.डी.	
	87.	एम.एस. (ई.एन.टी.) तथा डी.एल.ओ.	
	88.	एम.डी. (ऑफथामोलॉजी) तथा डी.ओ.एम.एस.	
	89.	एम.डी. (फिजियोलॉजी)	
	90.	एम.डी. (पैथेलाॅजी) तथा डी.सी.पी. उपाधियां	
	91.	एम.एस. (ऑर्थो.) तथा डी. ऑर्थो	
	92.	एम.डी. (पैडियट्रिक्स) तथा डी.सी.एच.	
	93.	एम.डी. (फार्माकोलॉजी)	
	94.	एम.डी. (ऑबस्ट्रेटिक्स तथा गाइने.) तथा डी.जी.ओ. पाठ्यक्रम	
	95.	एम.एस. (ऐनाटॉमी)	
	96.	एम.एस. (सामान्य शल्य चिकित्सा)	
	97.	एम.डी. (ऐनेस्थिया) तथा डी.ए.	
बी.आर. अम्बेडकर चिकित्सा महाविद्यालय, बेंगलोर	98.	एम.डी. (ऐनेस्थिया) तथा डी.ए.	19.3.2007
	99.	एम.डी. (डरमेटोलॉजी) तथा डी.वी.डी.	
	100.	एम.डी. (फॉरेंसिक विज्ञान)	
	101.	एम.डी. (मॉइक्रो बायोलॉजी)	
	102.	एम.डी. (ऑबस्ट्रेटिक्स तथा गाइने.) तथा डी.जी.ओ.	
	103.	एम.एस. (ई.एन.टी.)	
	104.	एम.एस. (ऑफथामोलॉजी)	
	105.	डी.सी.एच.	
	106.	डी.सी.पी.	
	107.	डी.ओ.एम.एस.	

महाविद्यालय का नाम	क्रं.स.	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का नाम	परिषद की सिफारिश की तिथि
	108.	डी. आर्थो	
काय-चिकित्सक एवं शल्य चिकित्सक महाविद्यालय, मुम्बई	109.	पैथेलाॅजी तथा बैक्ट. में डिप्लोमा	16.1.1998
	110.	शिशु स्वास्थ्य में डिप्लोमा	
	111.	ऑबरट्रेटिक्स तथा गाइने. में डिप्लोमा	
	112.	एफ.सी.पी.एस. (डरमेटोलॉजी)	
	113.	एफ.सी.पी.एस. (औषधि)	
	114.	एफ.सी.पी.एस. (मिड. तथा गाइने.)	
	115.	एफ.सी.पी.एस. (ऑफथामोलॉजी)	
	116.	एफ.सी.पी.एस. (पैथेलाॅजी)	
	117.	एफ.सी.पी.एस. (शल्य चिकित्सा)	
	118.	एम.सी.पी.एस.	

ग्रामीण विकास मंत्रालय

लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद
की क्रियाविधि

संस्कृत-विद्यापीठ

संस्कृत-विद्यापीठ, मुंबई
संस्कृत-विद्यापीठ, मुंबई

अध्याय 2 - ग्रामीण विकास मंत्रालय

लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद की क्रियाविधि

कपार्ट की क्रियाविधि

मुख्य बिन्दु

1. कपार्ट ने 2003 और 2009 के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के दौरान ₹ 259.49 करोड़ खर्च किए।

(पैरा 2.1.4)

2. कपार्ट, देश के उपेक्षित हिस्सों तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत योजना आयोग द्वारा चिन्हित जिलों को शामिल नहीं किया जा सका। इसके अलावा फंड का भौगोलिक वितरण भी असमान रहा क्योंकि कुल जारी की गई धनराशि का 51 फीसदी हिस्सा केवल 6 राज्यों, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में ही सीमित रहा।

(पैरा 2.4.1)

3. परियोजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान सभी चरणों पर गंभीर खामियां पायी गई अर्थात्, संस्तुतियां, फंड जारी करने के पहले की मंजूरियों, प्रगति रिपोर्ट के जमा होने, कार्यक्रम का निरीक्षण आदि में काफी ज्यादा वक्त लगा जिससे कार्यक्रम का पूरा फायदा नहीं मिल पाया।

(पैरा 2.4.2)

4. लेखापरीक्षा के क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि कार्यक्रम का कार्यान्वयन मंजूरी के आधार पर नहीं किया गया। कपार्ट की मदद से जो कार्य किए गए थे उनसे संबंधित मानिट्रिंग रिपोर्ट क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान पाए गए तथ्यों से बिल्कुल अलग निकले।

(पैरा 2.4.5)

5. जनवरी 2010 तक कपार्ट द्वारा 659 ब्लैक लिस्टेड मामलों में से केवल 62 मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। ग्रामीण मंत्रालय द्वारा लोक लेखा समिति को ये जानकारी दिए जाने के बावजूद कि कपार्ट ने कुछ ब्लैकलिस्टेड संस्थाओं का पंजीकरण रद्द कर दिया है इस बारे में लेखापरीक्षा विभाग को कोई भी दस्तावेज नहीं दिए जा सके जिससे इस बारे में किसी उचित कार्रवाई न होने का अंदेशा है।

(पैरा 2.5.2)

सिफारिशों का सार

- परियोजनाओं की मंजूरी और मूल्यांकन में कमियों पर ध्यान देना चाहिए और एक तय समयसीमा के भीतर इस पर सुधार होना चाहिए।
- कपार्ट को कार्यक्रमों के जल्दी पूरा होने का मूल्यांकन करना चाहिए।
- कपार्ट को तय दिशानिर्देशों में कोई भी फेरबदल करने से पूरे तौर पर बचना चाहिए।
- स्वयंसेवी संगठनों (वीओ) का चयन पारदर्शी होना चाहिए और तय योग्यता के अनुसूच ही होना चाहिए।
- कपार्ट को स्वयंसेवी संगठन से संबंधित सभी दस्तावेजों और उनको दिए गए कार्यक्रमों का लेखाजोखा तैयार रखना चाहिए और उनकी निगरानी के लिए नियुक्तियां करनी चाहिए जिससे कार्य पर पूरी नजर रखी जा सके।
- कपार्ट को ऐसी संपूर्ण प्रणाली का विकास करना चाहिए जिससे उसकी मदद से बनाई गई इकाइयों को अलग से पहचाना जा सके।
- कपार्ट को लोक लेखा समिति के समक्ष किए गए वायदों को पूरा करने पर काम करना और ऐसे स्वैच्छिक संगठनों को कोई भी परियोजना नहीं देनी चाहिए जिनकी कार्यकारिणी समिति में राष्ट्रीय स्थाई समिति (एनएसी) या क्षेत्रीय समिति (आरसी) के सदस्य शामिल हों।
- कपार्ट को ब्लैक लिस्टेड और दूसरी श्रेणियों में आने वाले संगठनों के खिलाफ अंतिम निर्णय लेना चाहिए और उनसे बकाया राशि वसूलनी चाहिए।

2.1 परिचय

2.1.1 कपार्ट की स्थापना

कपार्ट की स्थापना 1986¹ में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में हुई थी जो भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था के रूप में काम करती है। कपार्ट की स्थापना के पीछे उद्देश्य था कि गावों की समृद्धि के लिए स्वसंसेवी कार्यों को बढ़ावा दिया जाये और ग्रामीण इलाकों में तकनीक को बढ़ावा देने के लिए एक उद्दीपन (सहयोगी) का काम किया जाये। कपार्ट के मुख्य लक्ष्यों को बाक्स 1 में दिया गया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और पूरे देश में इसके 9 क्षेत्रीय कार्यालय² हैं।

¹ काउंसिल फार अडवांसमेंट आफ रूरल टेकनालार्जी (सीएआरटी) और पीपुल्स एक्शन फार डेवलपेंट इंडिया (पीएडीआई) का विलय कर कपार्ट को बनाया गया

² अहमदाबाद, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, धारवाड़, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ और पटना

2.1.2 संगठनात्मक ढांचा

कपार्ट की संरचना तीन स्तरों पर है:

एक महानिकाय यानी जनरल बॉडी (जीबी) है जो कपार्ट की सभी नीतियों की दिशा और दशा के लिए जिम्मेदार मानी जा सकती है (इसमें अधिकतम 100 सदस्य³ हो सकते हैं);

कार्यकारिणी समिति जिसके पास आधिकारिक और वित्तीय अधिकार होते हैं;

महानिदेशक जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है और कपार्ट के दिन प्रतिदिन के कामों के लिए जिम्मेदार होता है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के केन्द्रीय मंत्री कपार्ट के अध्यक्ष और कार्यकारिणी समिति के चेयरमैन होते हैं।

बाक्स 1- कपार्ट के मुख्य लक्ष्य

- ग्रामीण इलाकों में सतत विकास के लिए स्वयंसेवी संगठनों के विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहायता करना।
- उपयुक्त ग्रामीण तकनीक के विकास और संवर्धन के लिए एक केन्द्रीय मुख्य बिन्दु के रूप में कार्य करना।
- विकास के लिए सामुदायिक कार्यों को बढ़ावा देना।
- गावों में पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देना।
- विकास की प्रक्रिया में महिलाओं, विकलांगों और दूसरे पिछड़े वर्गों को शामिल करना।

2.1.3 समिति की शक्तियां

समिति की शक्तियों का सार इस प्रकार है।

कार्यकारिणी समिति (ईसी)	• 1 करोड़ से ज्यादा की धनराशि के कार्यक्रमों को संस्तुति देना
राष्ट्रीय स्थाई समिति (एनएससी)	• हर कार्यक्रम के लिए अलग स्थाई समिति • ₹ 25 लाख से 1 करोड़ के बीच की धनराशि वाले कार्यक्रमों को मंजूरी देना।
क्षेत्रीय समिति (आरसी)	• हर क्षेत्रीय कार्यक्रम के लिए अलग क्षेत्रीय समिति

³ 40 सदस्य स्वयंसेवी संगठनों के, 25 दूसरी संस्थाओं के 25 बाहरी सदस्य और 10 व्यक्तिगत सदस्य

- ₹ 25 लाख तक के कार्यक्रमों को लागू करना (वाटर शेड के विकास और विकलांगों के लिए कार्यक्रम जो एनएससी द्वारा मंजूर किए जाते हैं उनके अतिरिक्त)

2.1.4 वित्तीय स्थिति

कपार्ट के अधिकतर फंड ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए गए और 2003-09 के बीच हुए योजनावार प्राप्तियों और खर्चों का विवरण सारणी 1 में दिया गया है:

सारणी 1. 2003-09 के दौरान कपार्ट की कुल प्राप्तियों और खर्चों का विवरण

(करोड़)

प्राप्ति				खर्च	
शुरूआती बैलेंस	अनुदान प्राप्ति	अन्य प्राप्तियां	कुल	योजना का नाम	राशि
5.32	358.36	43.05	406.73	पीसी	116.64
				एआरटीएस	67.09
				ओबी	15.91
				विकलांगता	5.15
				डब्ल्यूएसडी	37.37
				अन्य	17.33
				कुल योजना योग	259.49
				गैर योजना व्यय	128.90
				राशि जो खर्च नहीं हो पाई और मंत्रालय को लौटा दी गई	18.34
				कुल	406.73

2.1.5 कपार्ट की प्रमुख योजनाएं⁴

कपार्ट स्वयंसेवी संस्थाओं को अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत मदद मुहैया कराता है। कपार्ट द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का विवरण निम्नलिखित है:

2.1.5.1 ग्रामीण तकनीक संवर्धन योजना (एआरटीएस)

इस योजना का मुख्य उद्देश्य नई ग्रामीण तकनीक (जो सीएसआईआर, आईसीएआर, डीएसटी, डीबीटी, आईआईटी और दूसरी शोध संस्थाएं द्वारा विकसित हैं) के विकास, उनके प्रदर्शन और संबंधित जानकारी देना और गावों में खासतौर पर पिछड़े इलाकों में तकनीक को बढ़ावा देना है।

2.1.5.2 विकलांगता कार्यक्रम (डीए)

इस योजना का उद्देश्य विकलांगों को समुदाय आधारित पुनर्स्थापन कार्यक्रम के जरिए समान अवसर प्रदान करना है और इसके लिए संयुक्त उपायों को बढ़ावा देना है।

2.1.5.3 लाभार्थियों का संगठन (ओबी)

इस योजना के जरिए लाभ प्राप्त करने वाले संगठनों को सहयोग प्रदान किया जाता है जिससे वे गावों में अलग अलग योजनाओं को प्रचार प्रसार कर सकें, उसके अधिकारों और कानूनी हकों के बारे में बता सकें, साथ ही ग्रामीण समुदायों और संघों की आर्थिक बेहतरी के लिए और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार का झंडा बुलंद किया जा सके।

2.1.5.4 लोक सहयोग (पीसी)

इस योजना के कई आयाम हैं जिनका उद्देश्य समुदायों में डिजायनिंग, योजना बनाने, उनके कार्यान्वयन, निरीक्षण, और योजनाओं के अंतर्गत बनाए गए परिसंपत्तियों का रखरखाव सुनिश्चित करना है।

2.1.5.5 वाटरशेड का विकास (डब्ल्यूएसडी)

इस योजना के तहत फसलों और चारों, और जल, जमीन और मानव संसाधनों को सूखे के प्रभावों से बचाना है। लेकिन ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिशानिर्देशों के तहत अप्रैल 2006 से अब तक एक भी योजना मंजूर नहीं की जा सकी है।

⁴ इस योजना के तहत आने वाले विभिन्न कार्यक्रमों का वर्गीकरण के कोई समानता नहीं दिखाई देती। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ पर वर्षा जल संचयन के कार्यक्रम को पहले एनआरडीएम के तहत मंजूर किया गया जिसे लोक सहयोग (पीसी) में विलय कर दिया गया था जो बाद में एआरटीएस का हिस्सा बना और एआरटीएस के तहत आने क्षेत्रीय समिति पहले पीसी के तहत मंजूर की गई थी

2.1.5.6 अन्य योजनाएं

कपार्ट द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में युवा उद्यमी योजना, सामाजिक वृक्षारोपण, प्राकृतिक संसाधनों का विकास और प्रबंधन (एनआरडीएम) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की एक योजना, नई ग्रामीण हाउसिंग, ग्राम श्री मेला, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आदि शामिल हैं।

2.1.6 विभिन्न योजनाओं के तहत कार्यक्रम

साल 2003-09 के बीच कपार्ट की विभिन्न योजनाओं के तहत 4384 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई जिसका विवरण सारणी 2 में है:

सारणी 2- 2003-09 के बीच योजनावार जारी राशि का विवरण

योजना	कार्यक्रमों की संख्या	मंजूर धनराशि (करोड़ रुपए)	जारी धनराशि (करोड़ रुपए)
एआरटीएस	1320	87.51	56.61
विकलांगता	202	13.84	9.23
ओबी	364	8.05	5.29
पीसी	1847	133.07	82.51
डब्ल्यूएसडी	50	24.15	16.87
अन्य	601	26.23	20.01
कुल	4384	292.85	190.52

नोट: कपार्ट की आईटी विभाग (जिसमें योजनावार और परियोजनावार विवरण थे) और उनके लेखा विभाग (जिसमें केवल योजना वार विवरण ही थे) द्वारा दिए गए आंकड़े पूरे तौर पर अलग पाए गए। सारणी 1 में जो आंकड़े दिए गए हैं वो लेखा विभाग द्वारा दिए गए आंकड़े के आधार पर हैं जबकि सारणी 2 के आंकड़े आईटी विभाग ने दिए हैं। सारणी 1 के आधार पर 2003-09 के दौरान 259.49 करोड़ की धनराशि मंजूर की गई जबकि सारणी 2 में आईटी विभाग के आंकड़ों के मुताबिक ये धनराशि 190.52 करोड़ ही रही। इस बारे में 68.97 करोड़ के अंतर के बारे में कपार्ट कोई जवाब नहीं दे पाया है।


2.1.7 स्वसंसेवी संस्थाओं (स्वैच्छिक संगठनों) के चयन का आधार

कपार्ट गावों में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर काम करता है जिन्हें स्वैच्छिक संगठन अथवा वालेंटरी आर्गेनाइजेशन (वीओ) कहा जाता है। इन संस्थाओं को उनके काम के आधार पर चयनित किया जाता है। कपार्ट की विभिन्न योजनाओं के तहत स्वसंसेवी संस्थाओं के चयन के पीछे निम्नलिखित आधार हैं:

- वीओ सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत, या राज्य द्वारा उसके बाद किसी संशोधन अथवा इंडियन ट्रस्ट अधिनियम 1882 या धार्मिक और कल्याणकारी संस्था पंजीकरण अधिनियम 1920 के तहत पंजीकृत हों।
- कपार्ट में आवेदन करने से पहले वीओ अपने कार्य के तीन साल पूरे कर चुके हों।
- आवेदन से तीन साल पहले वीओ के पास उनका एक बैंक अथवा पोस्ट आफिस में अकाउंट होना जरूरी है।
- उनके एमओए में ग्रामीण विकास एक मुख्य बिन्दु हो।
- वीओ गावों में काम करते हों भले ही उनका मुख्यालय शहर में हो।
- इन संस्थाओं की संरचना काफी व्यापक होनी चाहिए। उनकी कार्यकारिणी अथवा प्रबंध समिति में सदस्य आपस में रिश्तेदार न हों अथवा एक ही परिवार से न हों। इसके बाद मार्च 2006 में इस शर्त में बदलाव किया गया जिसके अनुसार परिवार या रिश्ते में किन्हीं दो सदस्यों को इस समिति में शामिल होने की मंजूरी दी गई लेकिन ये तय किया गया कि उनमें से केवल एक ही बैंक अकाउंट का संचालन करेगा।
- कपार्ट के संस्तुति देने वाली समिति यानी, कार्यकारिणी समिति, राष्ट्रीय स्थाई समिति, और क्षेत्रीय समिति का कोई सदस्य या उनके परिवार का कोई भी सदस्य उस वीओ का सदस्य न हो जिसे कपार्ट से मदद मिल रही हो।
- कपार्ट के पास आवेदन के वक्त संस्था के पास तीन से ज्यादा सहयोगी कार्यक्रम नहीं होने चाहिए जिन्हें कपार्ट से वित्तीय मदद मिली हो।

2.1.8 परियोजना अनुमोदन प्रक्रिया

परियोजना के अनुमोदन और मूल्यांकन हेतु विभिन्न चरण नीचे दर्शाए गए हैं।



2.2 लेखापरीक्षा का दृष्टिकोण

2.2.1 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र

कपार्ट के लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अन्तर्गत की जाती है।

2.2.2 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

साल 2003-04 और 2008-09 के दौरान कपार्ट के निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान मुख्य उद्देश्य यह पता करना था कि:

- मंजूर की गई परियोजनाओं के क्रियान्वयन में कपार्ट कितना असरदार रहा;
- परियोजना को मंजूर करने, उनके लिए फंड जारी करने और प्रोजेक्ट के दौरान निरीक्षण और समीक्षा कितनी उचित, नियमों के अनुस्यू और सही रही;
- परियोजनाओं को मंजूर करने और उनके क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में कितना वक्त ज्यादा लगा;
- सतर्कता प्रणाली का कार्य कितना असरदार रहा।

2.2.3 लेखापरीक्षा का दायरा

कपार्ट की पांच मुख्य योजनाएं, ग्रामीण तकनीक संवर्धन योजना (एआरटीएस), विकलांग कार्यक्रम (डीए), लाभार्थियों का संगठन (ओबी), लोक सहयोग (पीसी) और वाटर शेड का विकास (डब्ल्यूएसडी)⁵, आडिट के लिए चुनी गईं। इन पांचों ही योजनाओं और निर्धारित कार्यक्रमों⁶ के तहत 182 कार्यक्रमों को लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया गया। निर्धारित कार्यक्रमों में ₹ 21.38 करोड़ जारी किए गए (कुल योजनागत खर्च की धनराशि ₹ 259.49 करोड़ का 8.24 फीसदी है)। लेकिन कई अहम मामलों में आडिट का दायरा बढ़ा दिया गया और उन योजनाओं और उनकी अवधि को भी शामिल कर लिया गया जिनके दौरान इन योजनाओं में 2003 और 2009 के बीच या तो संबंधित फंड जारी कर दिए गए थे या बंद कर दिए गए थे।

2.2.4 लेखापरीक्षा की क्रियाविधि

अप्रैल 2009 में एक सम्मेलन के साथ कपार्ट की परफारमेंस आडिट (निष्पादन लेखा परीक्षा) की प्रक्रिया को शुरू किया गया जिसमें आडिट के दायरे, इसके उद्देश्य, इसकी क्रियाविधि आदि की जानकारी दी गई। इस सम्मेलन में कपार्ट ने भी अपने कामकाज के

⁵ इन पांच योजनाओं में 2003-09 के दौरान कपार्ट द्वारा सहयोग प्राप्त योजनाओं का 93 फीसदी यानी ₹ 242.16 करोड़ खर्च किए गए

⁶ एसजीएसवाई, आईआरएच और यूएनडीपी

दायरे से संबंधित एक प्रस्तुतिकरण दिया। अप्रैल 2009 से जनवरी 2010 तक कर्पाट के मुख्यालय और इसके तीन क्षेत्रीय कार्यालय (भुवनेश्वर, अहमदाबाद, और जयपुर) के दस्तावेज लेखापरीक्षा के लिए चुने गए और इसके साथ ही आडिट टीम ने 11 प्रोजेक्ट को फील्ड में जाकर सर्वेक्षण किया।

1 जून 2010 को आडिट के दौरान पाए गए तथ्यों को लेकर एक निष्कास सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन में कर्पाट को कोई भी पांच परियोजनाएं दिखाने को कहा गया जो उनके हिसाब से सफलतापूर्वक क्रियान्वित की गईं। इसके जवाब में कर्पाट ने जुलाई 2010 में पांच परियोजनाओं की सूची भेजी। इनमें से चार परियोजनाओं की फील्ड आडिट करने का फैसला लिया गया जिसके नतीजों को भी इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

इस बारे में अप्रैल 2010 में मंत्रालय को ड्राफ्ट रिपोर्ट भेजी गई जिसकी एक प्रति कर्पाट को भी प्रेषित की गई। जुलाई 2010 में कर्पाट द्वारा दिए गए जवाबों को भी इस रिपोर्ट में स्थान दिया गया है। हालांकि मंत्रालय की ओर से कोई भी प्रत्युत्तर इस मामले में प्राप्त नहीं हो पाया है।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान कर्पाट मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रदान किया गया सहयोग और सहायता (मांगी गई सूचना/दस्तावेजों को पूर्ण रूप से व समय पर प्रदान करने तथा आरंभिक लेखापरीक्षा टिप्पणियों के त्वरित उत्तर की दृष्टि से) अपेक्षाकृत कम था।

2.3 पहले किए गए आडिट के तथ्य

कर्पाट की क्रियाविधि को पहले भी 1998 की नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 4 के द्वारा समीक्षा की गई थी इसके मुख्य बिन्दु थे:

- कर्पाट ने स्वयंसेवी संस्थाओं की अर्हता, उनकी विश्वसनीयता और उनकी व्यावसायिक क्षमता और उनके दस्तावेजों तक को जांचे बिना उन्हें परियोजनाएं सौंपी।
- जुलाई 1997 तक कुल सौंपी गई परियोजनाओं में से केवल 8 फीसदी पर ही काम पूरा किया जा सका, हालांकि कर्पाट द्वारा मदद की जा रही 95 फीसदी परियोजनाएं 6 से 1 साल की अवधि के लिए थीं। जुलाई 1997 तक कर्पाट की 14,082 परियोजनाओं (₹224.07 करोड़) पर काम पूरा नहीं हो पाया।

मंत्रालय ने 2004-05 के अपने की-गई-कार्यवाही रिपोर्ट में ये सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया गया था कि आडिट के दौरान पाई गई कमियों को दूर करने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। लेकिन जैसा कि इस रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है कि कर्पाट की गंभीर कमियों में से ज्यादातर, ज्यों की त्यों बरकरार रहीं जिनका उल्लेख पहले की आडिट रिपोर्ट में भी किया जा चुका है।

2.4 आडिट के दौरान तथ्य पाया गया - परियोजना प्रबंधन

2.4.1 परियोजनाओं का असमान वितरण

योजना आयोग ने राष्ट्रीय सम विकास योजना में 100 पिछड़े जिलों का चयन किया था। आडिट के दौरान ये पाया गया कि 2003-09 के दौरान इनमें से 28 पिछड़े जिलों में कोई परियोजना लागू नहीं हुई और बाकी के 72 जिलों में कुल 599 परियोजनाओं को मंजूरी मिली जो कुल मंजूर योजनाओं का 14 फीसदी ही है।

परियोजनाओं का भौगोलिक वितरण भी असमान रहा। साल 2003 और 2009 के दौरान लागू 4384 परियोजनाओं में से 1739 परियोजनाएं (40 फीसदी) जिनमें ₹ 117.38 करोड़ खर्च हुए, सिर्फ 57⁷ जिलों में लागू की गईं जबकि 593 जिले चयनित किए गए थे।

विभिन्न राज्यों में भी परियोजनाओं का वितरण असमान ही रहा। 2003-09 के दौरान कुल जारी धनराशि का 51 फीसदी हिस्सा केवल 6 राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, उड़ीसा, और उत्तर प्रदेश) में परियोजनाओं को मिला पूर्वोत्तर राज्यों को कुल योजनाखर्च का केवल 5 फीसदी से कम ही मिल पाया।

आडिट के दौरान ये भी पाया गया कि जिन परियोजनाओं को मंजूरी मिली उनमें ग्रामीण जनसंख्या तक को ध्यान में नहीं रखा गया जिसकी एक झलक सारणी 3 में देखी जा सकती है।

सारणी 3- ग्रामीण जनसंख्या के लिहाज से परियोजनाओं का राज्यवार असमान वितरण

राज्य	कुल ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशत (2001 जनगणना के मुताबिक)	स्वीकृत परियोजनाओं का प्रतिशत	कुल मंजूर धनराशि का प्रतिशत (2003-09)	कुल जारी धनराशि का प्रतिशत (2003-09)
आन्ध्र प्रदेश	7.46	14.37	11.50	13.35
छत्तीसगढ़	2.24	0.84	1.03	0.91
उत्तर प्रदेश	17.73	13.38	11.09	11.79
प.बंगाल	7.77	4.85	4.69	5.08

कपार्ट का पक्ष है (जुलाई 2010) कि चूंकि देश भर में स्वयंसेवी संस्थाओं का वितरण असमान है इसी वजह से परियोजनाओं की मंजूरी देने में भी इसका असर पड़ा। इसके

⁷ आन्ध्र प्रदेश -5, अरुणाचल प्रदेश - 1, असम-1, बिहार -2, छत्तीसगढ़-2, गुजरात-2, हरियाणा -3, हिमाचल प्रदेश-2, जम्मू और कश्मीर -2, झारखंड- 3, कर्नाटक- 1, केरल-1, मध्यप्रदेश-2 महाराष्ट्र -3, मणिपुर -3, मेघालय-1, मिजोरम-1, नागालैंड-1, ओड़ीशा -3, पंजाब-3, राजस्थान -2, सिक्किम-1, तमिलनाडु-3, उत्तराखंड-3, उत्तर प्रदेश-5, पश्चिम बंगाल-1

अलावा कर्पाट ने ये भी जोड़ा कि ₹50 से 100 करोड़ के बीच संसाधनों की उपलब्धता की वजह से सिर्फ उनके लिए ये संभव नहीं कि इस असमानता की परेशानी को हल किया जा सके।

कर्पाट के इस तर्क को इसलिए स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि परियोजनाओं के इस तरह के असमान वितरण से कर्पाट का मूल लक्ष्य, जो कि स्वयंसेवी संस्थाओं को सहयोग के माध्यम से ग्रामीण विकास में लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना है, को कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता।

2.4.2 परियोजनाओं की मंजूरी की प्रक्रिया में कमी

182 परियोजनाओं के आडिट के दौरान हर स्तर पर गंभीर कमियां पाई गईं जिसका विवरण नीचे है। कुछ उदाहरण परिशिष्ट में भी दिए गए हैं।

2.4.2.1 डेस्क पर मूल्यांकन

182 परियोजनाओं की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि 122 परियोजनाओं जिसमें ₹34.79 करोड़ की धनराशि में से ₹15.21 करोड़ जारी भी किए गए, उनके मूल्यांकन की प्रक्रिया में खामी थी क्योंकि बिना दस्तावेजों की उचित जांच के जारी की गईं परियोजनाएं ऐसी संस्थाओं को सौंप दी गईं जो इसके लिए पात्रता नहीं रखते थे, जिसका विवरण सारणी 4 में दिया गया है।

सारणी 4- डेस्क पर मंजूरी में खामियां

(करोड़ रु)

कमी का वर्गीकरण	परियोजनाओं की संख्या	जारी धनराशि
परिवार आधारित वीओ	10	0.32
पहली बार के वीओ को ₹5 लाख से ज्यादा मद की परियोजना	44	6.77
तीन या उससे ज्यादा परियोजनाओं के बावजूद परियोजनापाने वाले वीओ	11	2.59
तीन साल की शर्त न पूरा कर पाने वाले वीओ	8	2.63
एक ही जिले में समान प्रकृति वाले परियोजनाएं	2	0.13
आवश्यक दस्तावेज ⁸ जमा नहीं	71	7.16

⁸ लाभार्थियों की सूची, वीओ का पंजीकरण प्रमाणपत्र, पैन संख्या, आयकर फार्म संख्या 12ए और 80जी, बैंक पास बुक, किसी और स्रोत से फंड न मिलने का प्रमाण, वीओ का एमओए और बाई लाज, राज्य सरकार की संस्तुति, पिछले तीन सालों का सालाना अकाउंट, लैंड डीड इत्यादि

बाक्स 2- डेस्क मूल्यांकन में कमी का उदाहरण

फरवरी 2007 में महाराष्ट्र में स्थित सुवाइड फाउन्डेशन को ₹62 लाख की लागत वाली एक आरआरडब्ल्यूएच (छत पर वर्षा जल के संचयन) परियोजना सौंपी गई। ये संस्था परिवार पर आधारित संस्था थी क्योंकि इसमें सात सदस्यों की आधिकारिक समिति में 5 सदस्य एक ही परिवार के थे और पति पत्नी के पास अध्यक्ष और सचिव का पद थे और इनकी संस्था के कामों में ग्रामीण विकास शामिल नहीं था। इसके जवाब में कपार्ट ने (जुलाई 2010) कहा कि बैंक अकाउंट को एक ही परिवार के सदस्यों द्वारा संचालित नहीं किया जाता। लेकिन इस जवाब को स्वीकार इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि आवेदन के वक्त जिसके हस्ताक्षर थे वे एक ही परिवार के सदस्य थे। कपार्ट को इस बात का पता परियोजना की पहली किश्त जारी होने के बाद चला और इसके बाद संस्था से उनके अधिकारियों और हस्ताक्षर करने वालों में बदलाव की सलाह दी गई जो इस बात का प्रमाण है कि इस परियोजना के मूल्यांकन के वक्त ही इस अहम बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया जा सका था।

2.4.2.2 फंडिंग से पहले की मंजूरी

कपार्ट ने अप्रैल 2005 में लोकलेखा समिति को आश्वासन दिया था कि फंड दिए जाने से पहले की मंजूरी के बिना किसी भी परियोजना को मंजूरी नहीं दी जाएगी। बावजूद इसके, इस तरह की जरूरत को दरकिनार करते हुए 112 परियोजनाओं को मंजूरी मिली जिसमें ₹31.07 करोड़ का प्रावधान था और ₹11.79 करोड़ जारी भी किए गए।

182 परियोजनाओं में से 112 परियोजनाओं को बिना फंड जारी किए जाने से पहले के मूल्यांकन (प्री फंडिंग अप्रैजल) के ही मंजूरी मिल गई। इसके अलावा

- किसी भी परियोजना में फंड दिए जाने के पहले आकलन करने वाली संस्था ने स्वयंसेवी संस्था के संबंधित अधिकारी से पंजीकरण के सत्यापन को जरूरी नहीं समझा;
- आकलन करने वाली संस्था को पता ही नहीं चल पाया कि 10 मामलों में आधिकारिक सदस्य एक ही परिवार के हैं;
- कपार्ट के पास ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं जिससे संस्थाओं के अधिकारियों के स्थाई पते की जानकारी मिल सके या उसको सत्यापित किया जा सके।

2.4.2.3 परियोजनाओं की मंजूरी

182 परियोजनाओं जिनका लेखा परीक्षण किया गया उनमें से ज्यादातर गलत तरीके से मंजूर की गई:

- 82 परियोजनाएं जिनकी लागत ₹24.83 करोड़ थी उनको इस आधार पर मंजूरी दी गई कि बाद में, बचे एक या उससे अधिक दस्तावेज जमा कर दिए

जाएंगे। लेकिन मंजूरी के वक्त न तो इनके बारे में कोई पूछताछ की गई न ही इनके सत्यापन की कोई कोशिश नजर आई।

- 27 परियोजनाओं, जिनकी लागत ₹ 6.79 करोड़ आई, को इस आधार पर सौंपा गया कि संस्थाओं (वीओ) के एमओए (मेमोरेन्डम आफ एसोसिएशन) में ग्रामीण विकास के लक्ष्य को शामिल कर लिया जाएगा।
- 67 परियोजनाएं जिनकी लागत ₹22.04 करोड़ उनको बिना लाभार्थियों के पहचान के ही मंजूर कर लिया गया।
- 59 परियोजनाओं (लागत ₹17.36 करोड़) में वीओ और लाभार्थियों द्वारा सहयोग राशि का मंजूरी पत्र में जिक्र ही नहीं था।
- 14 ग्रामीण विकास आंदोलन परियोजनाएं जिनकी लागत ₹1.58 करोड़ थी (ओबी के तहत उप योजनाएं) उनमें लागू नियम और शर्तें (जिन्हें परियोजनाके लिए तय राशि की पहली किश्त जारी करने के बाद जारी किया जाता है) परियोजना के आवेदन के वक्त ही सौंप दी गई जिसका मतलब हुआ कि पहले से ही उन्हें मंजूरी देने का मन बना लिया गया था।

कपार्ट ने (जुलाई 2010) इस बारे में कहा कि इन सुझावों को भविष्य में मार्गदर्शन के रूप में स्वीकार कर लिया गया है।

2.4.2.4 पहली किश्त को जारी करना

77 परियोजनाओं (लागत ₹ 14.43 करोड़) में योजना राशि की पहली किश्त, बिना जरूरी दस्तावेजों को प्राप्त किए ही जारी कर दी गई जबकी पहले उन्हें इसी शर्त पर मंजूरी दी गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि कपार्ट के लिए शर्तों के आधार पर मंजूरी दिए जाने का कोई खास मतलब नहीं क्योंकि इस मामले में मंजूरी के बाद पूरी की जाने वाली शर्तों को पूरा करने की कोई कोशिश कपार्ट की ओर से नहीं की गई।

कपार्ट ने (जुलाई 2010) इस बारे में कहा कि इन सुझावों को भविष्य में मार्गदर्शन के रूप में स्वीकार कर लिया गया है।

2.4.2.5 प्रगति रिपोर्ट को जमा करना और बाकी की किश्तों को जारी करना

- 45 परियोजनाओं के मामले में (लागत 9.64 करोड़) प्रगति रिपोर्ट स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा 1 से 60 माह की देरी से जमा की गई जिसे कपार्ट ने भी स्वीकार किया। (जुलाई 2010)
- दो परियोजनाओं के मामले में बैंक गारंटी के खत्म होने के बावजूद ₹39 लाख जारी किए गए।
- 10 परियोजनाओं (लागत ₹ 5.59 करोड़) में मध्यावधि समीक्षा के दौरान नकारात्मक टिप्पणी के बावजूद भी बाकी की किश्तें जारी कर दी गईं।

- 23 परियोजनाओं में (लागत ₹ 5.89 करोड़) कपार्ट की अनुमति के बिना ही लाभार्थियों को बदल दिया गया जिससे फंड दिए जाने से पहले मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया का कोई मतलब ही नहीं रह गया।

2.4.2.6 परियोजनाओं का निरीक्षण

स्वयंसेवी संस्थाओं के काम के मूल्यांकन और उनके द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं पर निगरानी रखने के लिए कपार्ट ने सहयोग और निरीक्षण (एफसीई) पैनल बनाया और कपार्ट की मदद से स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जमीनी प्रगति का जायजा लेने के लिए उनकी सेवाएं लीं। पैनल का ये भी काम था कि वे सर्वोत्तम नतीजे के लिए संस्थाओं का मार्गदर्शन भी करें। निरीक्षकों को ये सारा कार्य, कार्य सौंपे जाने के बाद 45 दिनों के भीतर किया जाना तय किया गया।

पिछली बार अप्रैल 1997 में कपार्ट के कामकाज की समीक्षा के दौरान लोकलेखा समिति को ये आश्वासन दिया गया था कि इन निरीक्षकों के कामकाज की भी समय-समय पर समीक्षा की जाएगी और अगर उनकी रिपोर्टिंग में गलती और खानापूति देखी गई, रिपोर्ट जमा करने में देरी हुई अथवा काम पूरा नहीं किया गया और गलत रिपोर्टिंग की गई तो उनको पैनल से बाहर कर दिया जाएगा। कपार्ट ने लोकलेखा समिति को ये भी आश्वासन दिया था कि हर निरीक्षक टीम को एक बार में तीन से ज्यादा और साल भर में 8 से ज्यादा परियोजनाओं के निरीक्षण का काम नहीं सौंपा जाएगा और उनके कामकाज की लगातार समीक्षा की जाएगी।

इन मानिट्रिंग एजेंसियों की समय पर नियुक्ति, उनकी कपार्ट के योजनाओं को लेकर कितना अनुभव है और उनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, नियमों की अनदेखी करने वाले निरीक्षकों के खिलाफ कार्रवाई, जैसे कि कितनी रिपोर्ट अधूरी रही, गलत रिपोर्टिंग की गई या फिर रिपोर्ट देने में देरी की गई, इन सबसे जुड़ी जानकारियां कपार्ट से लेखापरीक्षा द्वारा मांगी गई जो नहीं दी जा सकी। किसी भी समग्र आंकड़ों की अनुपस्थिति में केवल 182 परियोजनाओं के परीक्षण जांच के दौरान निरीक्षण की प्रक्रिया (मानीट्रिंग) की गुणवत्ता का आकलन किया गया जिसका विवरण इस प्रकार है

- 38 परियोजनाओं (लागत 10.85 करोड़) में मानीटरों की नियुक्ति में 1 से 52 महीनों की देरी की गई।
- 54 परियोजनाओं (लागत 12.79 करोड़) मानीटरों के द्वारा रिपोर्ट दिए जाने में 1 से 21 माह की देरी हुई।
- 31 परियोजनाओं (लागत 9.52 करोड़) में मानीटरों के मूल्यांकन रिपोर्ट को कपार्ट द्वारा जांच नहीं की गई।
- वाटरशेड के विकास कार्यक्रम के 5 मामले (लागत 5.42 करोड़) में मूल्यांकन का काम ऐसे निरीक्षकों (मानीटरों) को सौंपा गया जो स्वायत्त नहीं थे क्योंकि वे राष्ट्रीय स्थाई समिति के भी सदस्य थे।

कपार्ट द्वारा जुलाई 2010 में दिए गया जवाब इस बिन्दु को लेकर मौन है।

अनुशंसा

- परियोजनाओं को मंजूर किए जाने और उनके मूल्यांकन में जो कमियां रह गईं उनके निवारण के लिए समयवद्ध तरीके से कदम उठाए जाए।

2.4.3 परियोजनाओं का खराब कार्यान्वयन और उनके समापन में कमिया

2.4.3.1 समग्र स्थिति

वर्तमान लेखापरीक्षा से यही निष्कर्ष निकलता है कि परियोजना के कार्यान्वयन के मामले में कपार्ट का प्रदर्शन पहले जैसा ही खराब रहा है। 2003-09 के बीच जारी की गई 4,384 परियोजनाओं में से 2514 परियोजनाएं (57 फीसदी) जिनकी लागत ₹195 करोड़ रही अभी तक पूरी नहीं की जा सकी हैं जबकि उनमें से अधिकतर परियोजनाएं लघु अवधि (6 माह से 2 साल) की ही थीं। ₹37.02 करोड़ की लागत वाली 546 परियोजनाओं को बीच में ही समाप्त कर दिया गया और 1324 परियोजनाओं को (लागत ₹ 60.33 करोड़) ही पूरा किया जा सका।

कपार्ट इस बात की कोई वजह नहीं दे पाया कि 2514 परियोजनाओं को पूरा होने में तय वक्त से ज्यादा समय क्यों लगा। ये परियोजनाएं उन 6838 परियोजनाओं से अलग हैं जो 1979-2003⁹ के दौरान मंजूर तो की गईं लेकिन कभी पूरी नहीं हो पाईं। इनका विवरण सारणी 5 में दिया गया है।

सारणी 5 - 1979-2003 के बीच मंजूर परियोजनाओं की स्थिति

वर्ष	मंजूर योजनाएं	जारी योजनाएं	पूर्ण योजनाएं	रद्द परियोजनाएं
1979-03	22316	6838	10997	4481
2003-09	4384	2514	1324	546
कुल	26700	9352	12321	5027

2004-05 में लोकलेखा समिति की रिपोर्ट में ये सिफारिश की गई थी कि पूरी हो चुकी योजनाओं की समग्र समीक्षा की जाय और उन्हें जल्दी से जल्दी समाप्त घोषित किया जाय। लेकिन कितनी योजनाओं को समाप्त घोषित किया जा सका उसका वर्षवार विवरण कपार्ट द्वारा नहीं दिया जा सका क्योंकि ऐसा कोई रिकार्ड कपार्ट के पास मौजूद ही नहीं था।

⁹ कपार्ट की स्थापना 1986 में हुई लेकिन जिन परियोजनाओं को मंजूरी मिलने के दस्तावेज मौजूद हैं वो इससे पहले के संस्थाओं द्वारा 1979 से मंजूर किए गए थे।

कपार्ट के अनुसार प्रोजेक्ट को समाप्त न करने और परियोजनाओं की देरी की मुख्य तौर पर तीन वजहें हैं:

- मध्यावधि समीक्षा और परियोजना के पूरा होने के बाद उनके मूल्यांकन में देरी
- स्वसंसेवी संस्थाओं के सूदूर होने की वजह से फंड पहुंचने में हुई देरी ,और
- स्वसंसेवी संस्थाओं द्वारा अंतिम रिपोर्ट और परियोजना पूरा होने संबंधी रिपोर्ट जमा होने में देरी।

लेकिन इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि लोकलेखा समिति की सिफारिशों के बावजूद पूरी हो चुकी परियोजनाओं के समापन की प्रक्रिया में कोई सुधार नहीं देखा गया क्योंकि जिस अवधि के दौरान वर्तमान आडिट प्रक्रिया को अंजाम दिया गया यानी 2003 में जारी परियोजनाओं की संख्या जो 6838 थी 2009 में बढ़कर 9352 तक पहुंच गई थी।

कपार्ट ने अपने उत्तर में बताया कि (जुलाई 2010) जो फंड जारी किए गए थे वो मंजूर फंड से कम थे इसलिए स्वयंसेवी संस्थाएं अपनी परियोजनाओं को पूरा करने में सफल नहीं रही और परियोजनाओं के रद्द करना पड़ा लेकिन इसकी वजह क्या रही, ये बताने में कपार्ट असफल ही रहा।

2.4.3.2 परीक्षण जांच की गई परियोजनाओं की स्थिति

आडिट द्वारा जांची गई 182 परियोजनाओं में से 165 परियोजनाएं जारी थीं, 8 रद्द कर दी गई थी और केवल 9 परियोजनाएं ही समाप्त हो सकीं जिसका विवरण सारणी 6 में दिया गया है।

सारणी 6 - जांची गई परियोजनाओं की स्थिति

परियोजनाओं की स्थिति	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर की गई धनराशि (करोड़)	जारी की गई धनराशि (करोड़)
जारी परियोजनाएं	165	40.50	18.66
पूरी परियोजनाएं	9	0.64	0.64
रद्द परियोजनाएं	8	4.20	2.08
कुल	182	45.34	21.38

182 परियोजनाओं जिनकी जांच की गई उनमें से 132 परियोजनाओं (73 फीसदी) में 3 से 96 माह की देरी हुई, इनमें से 122 परियोजनाएं (67 फीसदी) अपने तय वक्त के समाप्त होने का बाद भी जारी थीं। इसका विवरण सारणी 7 में दिया गया है:

सारणी 7- जाची गई परियोजनाओं में देरी की स्थिति

परियोजनाओं का नाम	परियोजनाओं की संख्या	परियोजनाओं की स्थिति		देरी का दायरा (माह)
पीसी	54	जारी	53	3-96
		पूरी	1	12
		रद्द	0	-
एआरटीएस	33	जारी	30	6-58
		पूरी	2	35-36
		रद्द	1	24
ओबी	18	जारी	18	12-20
		पूरी	0	-
		रद्द	0	-
विकलांगता	20	जारी	15	6-72
		पूरी	5	24-72
		रद्द	0	-
वाटरशेड का विकास	5	जारी	4	27-60
		पूरी	0	-
		रद्द	1	6
अन्य	2	जारी	2	19-22
		पूरी	0	-
		रद्द	0	-
कुल	132	जारी	122	
		पूरी	8	
		रद्द	2	

बाक्स 3 गंभीर देरी का एक उदाहरण

महाराष्ट्र में 5 वाटरशेड विकास परियोजनाओं में से 2 (सेवा महाराष्ट्र और नरसा बाई महिला मंडल) के लिए 2009 में 83.55 लाख और मार्च 2007 में ₹80.72 लाख जारी किए गए। लेकिन स्वयंसेवी संस्थाओं ने क्षमता के विकास में 2 से 4 साल का वक्त लिया जबकि इसके लिए 3 से 6 माह का वक्त दिया गया था। इसके बावजूद मार्च 2010 तक दोनों ही परियोजनाओं को पूरा नहीं किया जा सका है। कपार्ट ने इस तथ्य को स्वीकार किया है। (जुलाई 2010)

कपार्ट द्वारा दिए गए देरी के विभिन्न कारणों में से मुख्य कारण रहे (1) स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा प्रगति रिपोर्ट जमा करने में देरी, (2) परियोजनाओं के मूल्यांकन में 6-8 माह की देरी, और (3) परियोजनाओं संबंधी फाइलों का विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों से मुख्यालय तक जाना

लेकिन अब भी तथ्य यही है कि मंजूरी की गई परियोजनाओं में 73 फीसदी मामलों में देरी हुई जो कपार्ट के खराब परियोजना प्रबंधन को दिखाता है।

अनुशंसा

- कपार्ट को चल रही परियोजनाओं की समीक्षा करनी चाहिए जिससे उन्हें जल्दी से जल्दी पूरी किया जा सके।

2.4.4 नई उप-परियोजनाओं का निर्माण

नोडल एनजीओ योजना (एनएनजीओ) 2006-07 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत हर राज्य में एक नोडल एनजीओ का चयन किया जाना था जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि कपार्ट की विभिन्न कार्यक्रम एकाग्रता के साथ पूरे किए जा सके। इस नोडल एनजीओ का काम राज्य के विभिन्न स्वसंसेवी संस्थाओं की सूची तैयार करना जिससे कपार्ट की योजनाओं को सूदूर और पिछड़े इलाकों के लोगों तक सुगमता से पहुंचाया जा सके। इस योजना की प्राथमिकता ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (आरएस), छतों पर वर्षा के जल संचयन (आरआरडब्ल्यूएच), एआरटीएस के तहत ग्रामीण ज्ञान केंद्र (वीकेसी) और पीसी के तहत ग्रामीण युवा व्यवसाय (आरवाईपी)।

नोडल एनजीओ योजना और उप-योजनाओं को 2006-07 शुरू किया गया और इसके तहत 200 परियोजनाओं को मंजूर¹⁰ भी किया गया जिसमें साल 2006-07 और 2007-08 में ₹57.04 करोड़ स्वीकृत किए गए ₹ 21.22 करोड़ जारी किए गए जिसका विवरण सारणी 8 में दिया गया है।

सारणी 8 - उप योजनाओं के तहत साल दर साल परियोजनाओं का विवरण

वर्ष	मंजूर होने वाली परियोजनाएँ	मंजूर धनराशि (करोड़ स्मए)	जारी धनराशि (करोड़ स्मए)
2006-07	175	50.65	20.79
2007-08	25	6.39	0.43
कुल	200	57.04	21.22

नई उप योजनाओं में कपार्ट के तहत दिशानिर्देशों में निम्नलिखित संबंधों में ढील भी दी गई

- फंडिंग से पहले मंजूरी की प्रक्रिया;
- उन संस्थाओं को भी परियोजनाओं की मंजूरी जिनके पास 3 या अधिक परियोजनाए पहले से ही है

¹⁰ फरवरी 2008 के बाद उप योजनाओं के तहत कोई भी परियोजना मंजूर नहीं की गई और इसके बाद फंडिंग से पहले की मंजूरी को फिर से जल्दी बना दिया गया।

कपार्ट ने बताया (जुलाई 2010) कि फंडिंग से पहले की मंजूरी की प्रक्रिया को समाप्त करने का फैसला कार्यकारिणी समिति द्वारा नवंबर 2006 में लिया गया। कपार्ट का जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कपार्ट ये बताने में असमर्थ रहा कि उसी के दिशानिर्देश को बदलने के पीछे क्या वजह रही। इस शर्त को समाप्त करना कपार्ट द्वारा अप्रैल 2005 में लोकलेखा समिति को दिए गए आश्वासन के विपरीत है जिसमें कहा गया था कि इन मंजूरीयों के बिना कोई परियोजनाओं को मंजूर नहीं किया जाएगा।

आडिट के जांच के दौरान पाया गया कि इनमें से ज्यादातर परियोजनाओं को रद्द कर दिया गया और इनमें से किसी को भी अभी तक पूर्ण नहीं किया गया है। छत्तों पर वर्षा के जल संचयन (आरआरडब्ल्यूएच) के मामले में कार्यकारिणी समिति ने पाया (सितंबर 2009) कि गावों में छत्तों 1980 के फेरोसीमेंट तकनीक की बनी है जिनसे वर्षा का जल संचय नहीं किया जा सकता जो इस बात की ओर संकेत देता है कि इस परियोजना में सही तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये जानना काफी दिलचस्प रहा कि सारी की सारी एनएनजीओ योजनाएं असफल रही और उनके तहत सारी परियोजनाओं को रद्द करना पड़ा। उप योजनाओं में से कितनी मंजूर की गई, कितनी रद्द की गई और कितनी को बंद करना पड़ा इसका विवरण सारणी 9 में दिया गया है:

सारणी 9 उपयोजनाओं के तहत मंजूर परियोजनाओं की स्थिति

उप योजनाओं का नाम	मंजूर परियोजनाओं की संख्या	मंजूर धनराशि (करोड़ रु.)	जारी धनराशि (करोड़ रु.)	रद्द परियोजनाओं की संख्या	बंद परियोजनाएं	जारी परियोजनाएं
ग्रामीण युवा व्यवसाय (आरवाईपी)	54	24.85	9.54	4	-	50
नोडल एनजीओ योजना (एनएनजीओ)	74	11.39	4.62	74	-	0
छत्तों पर वर्षा के जल संचयन(आरआरडब्ल्यू एच)	27	7.18	2.31	-	-	27
ग्रामीण स्वच्छता (आरएस)	29	8.64	4.71	2	-	27
ग्रामीण ज्ञान केंद्र(वीकेसी)	16	4.98	0.05	1	-	15
कुल	200	57.04	21.23	81	-	119

इसके साथ ही इन उप योजनाओं का उद्देश्य था, सुदूर इलाकों और पिछड़े गावों के लोगों तक पहुंचना। लेकिन इसके बावजूद पाया गया कि इन योजनाओं को योजना आयोग द्वारा राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत चिन्हित पिछड़े जिलों में कहीं भी लागू नहीं किया गया।

इन उप योजनाओं को सितंबर 2009 में 50वें कार्यकारिणी समिति द्वारा समाप्त कर दिया गया क्योंकि आडिट जांच के दौरान इस बात को चिन्हित किया गया कि इन योजनाओं को लागू करने में गंभीर खामियां पाई गई हैं, उदाहरण के तौर पर फंडिंग से पहले मंजूरी की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया था और गरीबी रेखा से नीचे वाले लाभार्थियों की पहचान नहीं की जा सकी।

कपार्ट ने बताया कि (जुलाई 2010) एनएनजीओ योजना लाभार्थियों पर केन्द्रित नहीं थी। लेकिन कपार्ट ये नहीं बता पाया उसके इस दिशानिर्देश का उल्लंघन क्यों किया गया जिसमें 50 फीसदी लाभार्थी अनुसूचित जाति जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले होने जरूरी है। कपार्ट का जवाब इस बात पर भी मौन ही रहा कि ये परियोजनाएं पिछड़े जिलों में लागू क्यों नहीं की जा सकीं।

अनुशंसा

- कपार्ट को निश्चित तौर पर अपने दिशानिर्देशों में ढील देने से परहेज करना चाहिए।

2.4.5 आडिट टीम द्वारा क्षेत्र सर्वेक्षण

आडिट टीम ने ओड़ीशा, गुजरात और राजस्थान में 11 स्थानों पर जाकर क्षेत्र सर्वेक्षण किया। इस क्षेत्र सर्वेक्षण के नतीजों को तस्वीरों के साथ बाक्स 4 में दिया गया है।

बाक्स 4- अच्छे काम के उदाहरण

शिक्षा सशक्तीकरण और पुनर्वास कार्य केन्द्र भुवनेश्वर, कउड़ीसा, कउड़ीसा के खुर्दा जिले में जनजातियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है इसमें मिट्टी की ईंटों के उपयोग से सस्ते और कच्चे घरों का निर्माण किया जाता है। आडिट टीम ने अक्टूबर 2009 में इस क्षेत्र का दौरा किया और यहां के लाभार्थियों ने परियोजना चला रहे स्वयंसेवी संस्था के काम पर संतोष जाहिर किया।



कुष्ठ सुधार और पुनर्वास सोसायटी पुरी कउड़ीसा अक्टूबर 2008 में मंजूर परियोजना को चला रहा था जिससे गावों की महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण किया जा सके। आडिट टीम ने अक्टूबर 2009 में क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जिसमें लाभार्थियों ने कार्य पर संतोष जाहिर किया ।



प्रशिक्षण प्राप्त करते लाभार्थी

बाक्स 5 अनियमित क्रियान्वयन के मामले

1) 6 नवंबर 2009 को आडिट टीम द्वारा किए क्षेत्र सर्वेक्षण में गुजरात में इंसाफ खादी ग्रामोद्योग द्वारा संचालित छतों के जरिए वर्षा जल संचयन कार्यक्रम की समीक्षा की गई। परियोजना दिसंबर 2005 में मंजूर की गई और इसमें ₹15 लाख की लागत आई। आडिट के दौरान खुलासा हुआ कि जितनी भी संरचना बनाई गई थी उनमें से ज्यादा पाइप या चैनल द्वारा जुड़े नहीं थे और इसलिए जल संचयन हो ही नहीं सकता था।



बिना पाइप अथवा चैनल के बिना ही बनाया गया पानी का टैंक (ऐरवादा सुरेन्द्रनगर गुजरात)

कपार्ट का कहना था कि (जुलाई 2010) इस मामले को जांच के लिए सतर्कता विभाग को सौंप दिया गया है।

ii) दिसंबर 2006 में एनआरडीएम योजना (अन्य योजना) के तहत राजस्थान के शिल्पी संस्थान को ₹ 21.71 लाख की लागत में 70 सामुदायिक पानी की टंकियां बनाने का काम सौंपा गया जिसे वर्ष के जल संचयन के लिए छतों से जोड़ना था। कार्यक्रम के मध्यावधि मूल्यांकन करने वाले संस्थान ने कार्य को संतोषप्रद बताया था और साथ में लाभार्थियों के साथ टंकियों¹¹ की तस्वीर भी संलग्न की थी। दिसंबर 2009 के दौरान

¹¹ वर्षा का जल संरक्षण के लिए बनाया गया भूमिगत टैंक

क्षेत्र सर्वेक्षण में पाया गया कि 10 में से 4 टैंक छत से जुड़े नहीं थे और इसलिए इन्हें वर्षा के जल संचयन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। इसके साथ ही इन टैंकों पर लाभार्थियों के नाम नहीं थे और कपार्ट का नाम भी नहीं लिखा था जो जरूरी होता है। लेकिन जो तस्वीर मूल्यांकन के दौरान भेजी गई थीं उनमें ये सारे विवरण मौजूद थे। चूंकि ग्राम पंचायत भी ऐसे ही कार्यक्रम पर काम कर रहा था, मुमकिन है कि एक ही पानी टंकी को किसी दूसरी योजना जैसे नरेगा¹² के तहत दर्शा दिया गया हो।



बिना छत से जुड़े पानी की टंकी की संरचना, भानपुरा गांव ,बाड़मेर



भानपुरा बाड़मेर में एफसीई द्वारा लिए गए एक टैंक की तस्वीर



आडिट टीम द्वारा उसी पानी के टैंक की तस्वीर बिना विवरण

¹² राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

(iii) एनआरडीएम के तहत नेहरू नवयुवक मंडल, मोसेरी राजस्थान को ₹ 4.20 लाख की लागत में 14 सामुदायिक टंकियां बनाने का काम सौंपा गया जिसे दो गावों खारची और मोसेरी बाड़मेर में बनाया जाना था। दिसंबर 2009 में आडिट टीम के दौरे में 7 पानी टंकियों का मुयायना किया गया जिसमें प्रायोजक एजेंसी के नाम और जारी धनराशि का जिक्र नहीं था जो कि दिशा-निर्देशों के तहत जरूरी था। मुमकिन है कि एक ही टंकी का इस्तेमाल दूसरे स्रोत से धनराशि पाने के लिए किया गया हो



मोसेरी बाड़मेर में बिना किसी विवरण के पानी की टंकी

(iv) एनआरडीएम योजना के तहत नेहरू नवयुवक मंडल गोर्डिया, जिला बाड़मेर को ₹12.54 लाख की लागत से एक परियोजना सौंपी गई जिसके तहत बाड़मेर जिले के हरसानी ब्लाक में 38 पानी के टैंक बनाए जाने थे। आडिट टीम द्वारा दिसंबर 2009 में हरसानी गांव के दौरे के दौरान पता चला कि जांचे गए पांच में से चार टैंको पर जारी राशि, प्रायोजक एजेंसी के नाम का कोई विवरण नहीं था जबकि मूल्यांकन करने वाले निरीक्षक द्वारा दिए गए रिपोर्ट में कपार्ट की दिशानिर्देशों के अनुस्र्म सारे ब्योरे मौजूद थे। ऐसा मुमकिन है कि किसी और योजना के तहत फंड पाने के लिए ऐसा किया गया हो।



एफसी (मूल्यांकन करने वाले निरीक्षक) द्वारा की गई टैंक की तस्वीर जिसमें विवरण पट्टी को दिखाया गया है



आडिट टीम द्वारा ली गई उसी टैंक की तस्वीर जिसमें विवरण पट्टी नहीं है

(v) बाड़मेड़ के गंगोत्री संस्थान को 16 सामुदायिक भूमिगत पानी के टैंक बनाने के लिए ₹ 5.53 लाख जारी किए गए। ये निर्माण रेवाली और छेना की धानी गांव में किया जाना था। दिसंबर 2009 में आडिट टीम ने क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान पाया कि निर्माण से जुड़े सारी सूचनाएं हटा दी गई थीं जबकि मूल्यांकन करने वाले निरीक्षक द्वारा दाखिल किए गए चित्रों में कपार्ट के दिशानिर्देश के मुताबिक सारे ब्योरे मौजूद थे। हो सकता है कि फंड पाने के लिए एक ही कार्य को अन्य योजनाओं के तहत दिखाने की कोशिश की गयी हो।



रेवाली गांव में एक टैंक की तस्वीर जो कि मूल्यांकन करने वाले निरीक्षक द्वारा दी गयी जिसमें सारे ब्योरे दिये गये हैं



आडिट टीम के द्वारा ली गई वही तस्वीर जिसमें ब्योरे गायब हैं।

बाक्स 5 में टिप्पणी संख्या (2) के जवाब में कपार्ट ने कहा कि भूमिगत टैंको को छतों से पाइप के जरिए न जोड़े जाने के मामले में स्वैच्छिक संगठन से राशि वसूली की जा चुकी थी। आगे जवाब में ये भी जोड़ा गया कि स्वैच्छिक संगठन (वीओ) ने तब तक तब तक निर्माण स्थल के सभी चित्र ले लिए थे। इसके अलावा कपार्ट ने वीओ से ये वचन भी ले रखा था कि वे उसी परियोजना के लिए किसी दूसरी एजेंसी से किसी भी तरह की आंशिक या पूर्ण निधि नहीं ले सकता। जबकि निरीक्षक द्वारा दिए गए रिपोर्ट में निर्माण के ब्योरे मौजूद थे। लेकिन आडिट टीम की जांच में ये नदारद पाए गए, ऐसे में कपार्ट का ये कहना कि अब ब्योरे वाली तस्वीर वीओ स्वैच्छिक संगठन दे चुका है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

2.4.6 कपार्ट द्वारा प्रदर्शित सफल परियोजनाओं का क्षेत्रीय दौरा

आडिट टीम ने कपार्ट द्वारा निकास सम्मेलन में सफल बताई गई 4 परियोजनाओं¹³ का दौरा किया जो आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में थी। इन सभी चार परियोजनाओं को स्वैच्छिक संगठनों द्वारा पूरा किया गया था और लाभार्थियों ने परियोजनाओं पर संतोष भी जताया।

अनुशंसाएं

- स्वैच्छिक संस्थाओं का चयन पारदर्शी और निर्धारित मापदंडों के अनुसार होना चाहिए।
- प्रभावी जांच के लिए कपार्ट को स्वैच्छिक संगठनों, उनके मानीटरों की नियुक्ति के साथ साथ उनको दी गई परियोजनाओं से जुड़े आकड़ों को भी इकट्ठा करना चाहिए।
- कपार्ट को उसकी सहायता के बनाए गए परिसंपत्तियों को अलग करने के लिए एक विश्वसनीय तरीका खोजना चाहिए।

2.5 सतर्कता और आंतरिक नियंत्रण

2.5.1 पहले की आडिट रिपोर्ट में पाई गई कमियों पर लोकलेखा समिति को दिए गए आश्वासनों पर कोई कार्यवाई नहीं

अक्टूबर 2001 में जारी कपार्ट के परिपत्र (सर्कुलर) और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2004-05 में लोकलेखा समिति को दिए गए आश्वासनों के मुताबिक ये जरूरी है कि

¹³ (i) बाराङ्गेन सामाजिक कल्याण संगठन पश्चिम बंगाल वीओ द्वारा ₹ 17.42 लाख में प. बंगाल में 2008 में एकीकृत और नवीन दृष्टिकोण से स्थाई आजीविका सुरक्षा योजना पूरी की गई।

(ii) पश्चिम बंगाल में श्रमिक विद्या मंदिर, प. बंगाल वीओ द्वारा ₹ 19.24 लाख में लागत में -कम लागत और पर्यावरण के अनुकूल प्रचार तकनीक को अपनाने की परियोजना

(iii) तमिलनाडु में श्री रामाकृष्णा सारदा ट्रस्ट वीओ द्वारा 2007 में ₹ 24.64 लाख की लागत में टैंको की पारंपरिक श्रृंखला और संबंधित गतिविधियों के लिए परियोजना पूरी हुई।

(iv) आन्ध्र प्रदेश में उमा शिक्षा और तकनीक सोसायटी द्वारा 2006 में जारी ₹ 9.25 लाख की लागत से पूर्वी गोदावरी के ग्रामीण इलाकों में विकलांगों द्वारा विस्तार योजनाएं परियोजना

राष्ट्रीय स्थाई समिति और क्षेत्रीय समिति के सदस्य उन संगठनों को बढावा नहीं देंगे जिनमें वे या उनके परिवार के कोई भी सदस्य जुड़े हैं और अगर ऐसा हुआ तो इससे संबंधित प्रस्तावों को मुख्यालय के उचित प्रभाग द्वारा निपटाया जाएगा जो अपनी जांच के बाद अपनी टिप्पणियों के साथ मामले को संबद्ध राष्ट्रीय स्थाई समिति के सामने रखे।

जांच परीक्षण के दौरान पाया गया कि 31 दिसंबर 2008 को जयपुर में आयोजित 41वीं क्षेत्रीय समिति की बैठक में एक ऐसे संगठन को परियोजना दी गई जिसकी कार्यकारी समिति में उस क्षेत्रीय समिति का एक सदस्य शामिल था। एक दूसरे मामले में जलविभाजन विकास कार्यक्रम से जुड़ी एक परियोजना ऐसे वीओ को सौंपी गई जिसकी कार्यकारी समिति में एक सदस्य कपार्ट को इसी कार्यक्रम के लिए सलाहकार (डब्ल्यूएसडी) था।

अनुशंसा

- कपार्ट को लोकलेखा समिति को दिए गए आश्वासन का पालन करना चाहिए और ऐसे किसी भी स्वैच्छिक संगठन की परियोजनाएँ मंजूर नहीं करनी चाहिए जिसकी कार्यकारी समिति में राष्ट्रीय स्थाई समिति या क्षेत्रीय समिति के सदस्य हों।

2.5.2 स्वैच्छिक संगठनों को ब्लैकलिस्ट करना और अन्य निधि पाबंदियाँ

आडिट जांच में पाए गये तथ्य इस प्रकार हैं:

- जनवरी 2010 तक कपार्ट ने फंडिंग से जुड़े विभिन्न प्रतिबंधों के दायरे में 2304 संगठनों को रखा था। इनमें से 659 वीओ प्रतिबंधित (ब्लैकलिस्टेड), 223 को दोषी, 1226 को आगे सहायता न देने (एफएएस) और 196 को अन्य की श्रेणी में रखा गया। इन सभी संगठनों को ₹135.58 करोड़ जारी किए जा चुके थे। प्रतिबंधित संगठनों के मामले में कपार्ट ने मई 2009 तक केवल 62 मामलों में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच में ये भी पाया गया कि प्रतिबंधित किए जाने के बावजूद कपार्ट ने एक संगठन (सोशल एक्शन फार रूरल एंड ट्राइबल इनहेरिटेन्ट्स आफ इंडिया) को ₹ 36.73 करोड़ जारी कर दिए। इसी तरह आडिट के दौरान ये भी पाया गया कि जन जागृति नाम के स्वैच्छिक संगठन को ₹17.95 लाख जारी किए गए जबकि उसे आगे निधि न दिए जाने वाले संगठन की श्रेणी में रखा गया था।
- कपार्ट द्वारा प्रतिबंधित संगठनों की सूची अपनी वेबसाइट पर भी डालने का कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि इसमें संगठनों और पदाधिकारियों और उनके पते का उल्लेख नहीं था।

आगे हालांकि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लोकलेखा समिति को बताया कि कपार्ट ने प्रतिबंधित संगठनों का पंजीकरण रद्द करने जैसे कदम उठाए थे। लेकिन आडिट के

दौरान इससे जुड़े आंकड़े उपलब्ध कराने में कपार्ट असफल रहा और इसलिए इन दावों पर संदेह बढ़ जाता है।

अनुशांसा

- कपार्ट को प्रतिबंधित सगठनों और अन्य श्रेणी में रखे गए वीओ और उनसे बकाया धन की वसूली के मामले में निर्णायक कदम उठाना चाहिए।

2.5.3 सतर्कता तंत्र का असर

लेखा परीक्षा के दौरान कपार्ट ये जानकारी नहीं दे पाया कि से कितनी शिकायतें मिली, और उन पर क्या कार्यवाही की जा सकी, जिससे सतर्कता विभाग के कामकाज के असर का आकलन किया जा सके। कपार्ट ने जवाब में (जुलाई 2010) बताया कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने इस बात के आंकड़े प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था कि कितनी शिकायतें मिली, उन पर क्या कार्यवाही हुई उसके क्या परिणाम हुए। लेकिन इस बारे में आडिट को कोई साल दर साल ब्योरा नहीं दिया जा सका।

2.6 मूल्यांकन से जुड़े अध्ययन

योजनाआयोग की सदस्या सईदा हमीद की अध्यक्षता में बनी विशेषज्ञ समिति ने मूल्यांकन अध्ययन में (मार्च 2007) ये सिफारिश दी थी कि कपार्ट की संरचना और काम काज में व्यापक बदलाव की जरूरत है। साथ ही इनमें अधिकारियों के चयन और कार्यकाल के बारे में, कार्यक्रमों के चयन में लचीलापन अपनाए जाने जैसी संस्तुतियां शामिल थीं जिससे बहुआयामी कार्य हो सकें। इसके जवाब में (जुलाई 2010) कपार्ट ने कहा कि सईदा हमीद समिति की रिपोर्ट मंत्रालय के विचाराधीन है।

2.7 निष्कर्ष

निष्पादन लेखा परीक्षा से ये उजागर हुआ कि परियोजनाओं की मंजूरी, मूल्यांकन, और निरीक्षण के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। परियोजनाओं द्वारा समयसीमा के पालन न किए जाने का क्रम अब भी जारी है। कपार्ट ने योजना आयोग द्वारा चिन्हित पिछड़े जिलों में परियोजनाएं लागू करने के प्रयास नहीं किए। आडिट टीम ने परियोजनास्थलों के क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान पाया कि लाभार्थियों तक फायदा पहुंचने के मामले में अब भी कई अनियमितताएं हैं। स्वैच्छिक संगठनों का चयन तय दिशानिर्देशों के तहत नहीं किया गया जिससे परियोजनाएं या तो पूरी नहीं हो पाईं या रद्द कर दी गईं। निगरानी की प्रक्रिया कमजोर है और कई मामलों में भरोसेमंद भी नहीं। इतने बड़े पैमाने पर असफलताओं से कपार्ट द्वारा संगठनों को सहायता, प्रोत्साहन और संवर्धन के जरिए ग्रामीण विकास की योजना के क्रियान्वयन के लक्ष्य को पाना संभव न हो सका है। कपार्ट के लक्ष्यों और भारत सरकार के दूसरे फ्लैगशिप कार्यक्रमों में समानता को देखते हुए मंत्रालय चाहे तो कपार्ट के पुनर्गठन पर विचार कर सकती है।

परिशिष्ट

(जिनका जिक्र पैरा 2.4.2 में किया गया है)

परियोजनाओं की मंजूरी में कमी के गंभीर मामले

- i. प्रदूषण नियंत्रण अवाम ऊर्जा विकास समिति इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश को फरवरी 2004 में 18 लाख रुपए की लागत में नई तकनीक के इस्तेमाल से अभिनव आवास योजना (आईआरएच) के तहत घर बनाने का काम सौंपा गया। इस काम में स्थाई मिट्टी की कच्ची ईंटों का इस्तेमाल करना था लेकिन आडिट के दौरान पता चला कि इसमें आम लाल ईंटों का इस्तेमाल किया गया। कपार्ट ने जुलाई 2010 में इसके जवाब में कहा कि महानिदेशक के स्तर पर तकनीक में बदलाव करते हुए लाल ईंटों के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी थी। इस मामले में महानिदेशक द्वारा तकनीक में बदलाव किए जो से परियोजना का असल मकसद ही बदल गया।
- ii. अगस्त 2007 में उत्तर प्रदेश के विकलांग कल्याण सोसायटी को 9 लाख रुपए की लागत में विकलांगों के प्रशिक्षण के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी गई (जिसमें विकलांगों को विभिन्न क्षेत्रों में कुशलता के लिए ट्रेनिंग देना शामिल था)। लेकिन जुलाई 2008 में बिना राष्ट्रीय स्थाई समिति की अनुशंसा के ही इसे रद्द कर दिया गया। इसके रद्द होने के कारणों के बारे में आडिट टीम को कोई जवाब नहीं मिला। बाद में कपार्ट ने जुलाई 2010 में इस स्वीकार किया कि इस बारे में संबंधित अधिकारी से कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है।
- iii. नई परियोजना देते वक्त स्वयंसेवी संस्थाओं के पिछले प्रदर्शन और उनकी कितनी परियोजनाएं रद्द हुईं या उनमें देरी हुई इसका ध्यान नहीं रखा गया। पिछड़े इलाकों के कल्याण के लिये बनी सोसायटी, ओड़ीशा ने छत पर वर्षा जल के संरक्षण के लिए 2006-07 में लाभार्थियों की सूची नहीं दी। इस स्वयंसेवी संस्था को (जनवरी 2007 में) 21 लाख रुपए की लागत में परियोजना दी गई जबकि इसे पहले दी गई 7 परियोजनाओं में तीन रद्द कर दी गई थी, दो को अस्वीकार, एक अधूरी थी और एक पिछले 16 सालों से चल रही थी। इसे कपार्ट ने स्वीकार भी किया (जुलाई 2010)।
- iv. शिवांगी शिक्षा और ग्रामीण विकास समिति मध्य प्रदेश ने विकलांगता योजना के तहत सितम्बर 2006 में एक परियोजना के लिए प्रस्ताव दिया था जिसकी अवधि 2 साल की थी। कपार्ट ने नवंबर 2006 में वीओ को प्रस्ताव में कमियों को इंगित किया जिसका जवाब वीओ द्वारा फरवरी 2007 में दिया गया। यद्यपि इस परियोजना का डेस्क मूल्यांकन सितंबर 2008 में पूरा किया गया। कपार्ट ने 40.60 लाख का राशि जारी करने में 4 माह का समय लिया। कपार्ट ने 2 साल की परियोजना को मंजूर करने में ही 24

माह का वक्त ले लिया। कर्पाट ने इस देरी को स्वीकार (जुलाई 2010) किया।

- v. अस्मिता संवर्धन ट्रस्ट गुजरात को को भुज में भूकंप प्रभावित इलाको में घर बनाने के लिए 5.99 लाख (मई 2001 और जनवरी 2002) स्मए दिए गए। अंतिम कार्यक्रम की समीक्षा (मई 2004) में पता चला कि घर तो बनाए ही नहीं गए थे। कर्पाट ने बताया (जुलाई 2010) कि इस मामले में मजूर की गई राशि को जुर्माना सहित वापिस लेने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है।
- vi. विकलांग योजना के तहत सामाजिक कार्य और ग्रामीण विकास उत्तर प्रदेश को 11 लाख स्मए जून 2005 में दिए गए। इस परियोजना के लिए मध्यावधि समीक्षा के लिए तय निरीक्षक अपनी रिपोर्ट देने में 18 माह के वक्त में भी कामयाब नहीं हो पाया। इसके बाद जुलाई 2008 में फिर से दूसरे निरीक्षक को नियुक्त किया गया जिसने नवंबर 2008 में अपनी रिपोर्ट दी। कर्पाट ने इस प्रक्रिया में दिशानिर्देशों ने निहित 45 दिनों की बजाय 21 माह का वक्त लिया। कर्पाट ने इस तथ्य को स्वीकार किया (जुलाई 2010)।
- vii. महाराष्ट्र सूर्योदय बहुदेशीय सामाजिक संस्था को फरवरी 2005 में किवलांग योजना के तहत 10 लाख स्मए स्वीकृत किये गए । इसके लिए जुलाई 2008 में मध्यावधि समीक्षा के लिये निरीक्षक को नियुक्त किया गया जिसने नवंबर 2009 तक अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी। कर्पाट ने बताया (जुलाई 2010) कि इस मामले में दोबारा अंतिम निरीक्षण की प्रक्रिया को शुरू किया गया है।
- viii. मुरारी समाज कल्याण समिति, ओड़ीशा के ग्रामीण विकास आन्दोलन परियोजना लिए दिसंबर 2007 में मध्यावधि समीक्षा के लिए निरीक्षक नियुक्त किया गया। अक्टूबर 2009 तक निरीक्षक ने कोई रिपोर्ट नहीं दी। इसे कर्पाट ने अपने (जुलाई 2010) उत्तर में स्वीकार किया।
- ix. चक्रधर ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान (महाराष्ट्र) को आरआरडब्ल्यूएच परियोजना के तहत फरवरी 2007 में 82.72 लाख स्मए स्वीकृत किये गए। दिसंबर 2007 और अगस्त 2008 में किये गये मध्यावधि मूल्यांकन में दो निरीक्षकों की रिपोर्ट में लाभार्थियों की सूची नहीं दी गई। कर्पाट ने भी इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की। कर्पाट ने इन तथ्यों को अपने जवाब (जुलाई 2010) में स्वीकार किया है।

संक्षेपणों की सूची

संक्षेपण	पूर्ण रूप
एआरटीएस	ग्रामीण तकनीक संवर्धन योजना
बीएलए	काली सूची में आई संस्थाएं
कपार्ट	लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिक परिषद
सीएसआईआर	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद
डीबीटी	बायो तकनीकी विभाग
डीजी	महानिदेशक
डीएसएसडब्ल्यू	सामाजिक कार्य विभाग
डीएसटी	विज्ञान और तकनीक विभाग
डीआरडीए	जिला ग्रामीण विकास संस्था
ईसी	कार्य कारणी समिति
एफएएस	आगे की मदद रोकी गई
जीबी	महानिकाय
जीओआई	भारत सरकार
जीवीए	ग्रामीण विकास आन्दोलन
आईसीएआर	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
आईआईएफएम	भारतीय वानिकी प्रबंधन संस्थान, भोपाल
आईआईटी	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
आईएम	संस्थागत नीरीक्षक
आईआरएच	अभिनव ग्रामीण आवास
आईआरएमए	ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आनंद
आईआरएमए	ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आनंद
इसरो	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी
आईसीटी	सूचना और जनसंचार तकनीक
आईटीसी	इंडियन टैबैको कंपनी
एमओए	संस्था के बहिर्नियम
एमओआरडी	ग्रामीण विकास मंत्रालय
एनजीओ	गैर सरकारी संगठन
एनएनजीओ	केन्द्रीय गैर सरकारी संगठन
एनआरईजीए	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
एनएससी	राष्ट्रीय स्थाई समिति
ओबी	लाभार्थियों का संगठन
पीएसी	लोकलेखा समिति
पीएडीआई	पीपुल्स एक्शन फार डेवेलपमेंट इंडिया
पैन	परमानेंट अकाउंट नंबर
पीसी	लोक सहयोग
आरसी	क्षेत्रीय समिति
आरआरएमसी	क्षेत्रीय प्रतिनिधी और सदस्य संयोजक
आरआरडब्ल्यूएच	छतों पर वार्ड जल संरक्षण

2010-11 का प्रतिवेदन सं. 20

आरएस	ग्रामीण स्वच्छता
आरवाईपी	ग्रामीण युवा उद्यमी
एसजीएसवाई	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
एसएचजी	स्वयं सहायता समूह
टीआईएसएस	टाटा सामाजिक वि ज्ञान संस्थान
यूएनडीपी	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
वीकेसी	ग्रामीण ज्ञान केंद्र
वीओ	स्वयंसेवी संगठन /स्वैच्छिक संस्थाएं
डब्ल्यूएसडी	वाटरशेड विकास

कपड़ा मंत्रालय

केन्द्रीय सिल्क बोर्ड का उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम

अध्याय III: कपड़ा मंत्रालय

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम

विशिष्टताएं

- के.रे.बो. ने XIवीं योजना के अंतर्गत योजना से पूर्व उचित सर्वेक्षण की कमी के कारण चार घटकों की वापसी का प्रस्ताव किया।

(पैराग्राफ 3.2.1)

- पूर्ण योजना अवधि के लिए ₹7.50 करोड़ के आबंटन के विरुद्ध XIवीं योजना अवधि के पहले दो वर्षों (2007-09) में पालनघरों के निर्माण के लिए ₹ 20.66 करोड़ की भारी राशि देने के कारण खराब नियोजन हुआ। इस प्रकार के विपथन से इरी क्षेत्र के शेष घटकों में निष्पादन प्रभावित हुआ।

(पैराग्राफ 3.2.3)

- 2007-09 के लिए शहतूत बीज क्षेत्र में उपलब्धि, परिकल्पित लक्ष्य का केवल 15 प्रतिशत थी।

(पैराग्राफ 3.4.1)

- पालन घरों के निर्माण के लिए सहायता विस्तारित करने के बाद प्रगति को मॉनीटर करने के लिए के.रे.बो. और राज्य सरकारों की विफलता के परिणामस्वरूप लाभार्थियों द्वारा बिबोल्टिन रेशम के कीड़ों का पालन की समाप्ति हुई जिससे बिबोल्टिन रेशम धागे के उत्पादन की वृद्धि में गिरावट हुई।

(पैराग्राफ 3.4.2.1)

- के.रे.बो. ने “रीलिंग इकाइयों” को बैंक द्वारा संस्वीकृति कार्यरत पूंजीगत ऋण पर ब्याज परिधान को पांच वर्षों की निर्धारित अवधि के लिए बढ़ाया।

(पैराग्राफ 3.4.3.1)

अनुशासकों का सारांश

- के.रे.बो. और राज्य सरकारों को मूल स्तर सर्वेक्षण से उत्पन्न होने वाले विश्वसनीय डेटा के आधार पर लक्ष्य तय करना चाहिए।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाभार्थियों को बढ़ाई गई सहायता, योजना दिशानिर्देशों के अनुसार प्रयुक्त की गई है, एक उपयुक्त क्रियाविधि की युक्ति की जानी चाहिए।
- के.रे.बो. को रेशम उत्पादन और रेशम उद्योग के व्यापक विकास के लिए सभी घटकों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए।

3. प्रस्तावना

3.1.1 रेशम -उत्पादन और रेशम

रेशम एक केटरपीलर द्वारा द्रव अवस्था में सेक्रेटेड प्रोटीन से बना है, जो एक रेशम कीड़ा के नाम से लोकप्रिय है। चुनिंदा खाद्य पौधों पर रेशम के कीड़े फीड करते हैं और अपने स्थिर जीवन के लिए कोकून को स्पिन करते हैं। रेशम कीड़े की अपने जीवन चक्र में चार अवस्थाएं हैं अर्थात्, अंडे, केटरपीलर, पपाई और कीड़े। मनुष्य कोकून स्तर पर इस जीवन चक्र के साथ हस्तक्षेप करने के लिए रेशम प्राप्त करता है।

शहतूत देश में कुल रेशम उत्पादन (मल्टीवोलटीन एवं बीवोलटीन रेशम) का 90 प्रतिशत समझा जाता है। यह रेशम ऐसे रेशम कीड़ों से मिलता है जो शहतूत के पत्तों से भोजन प्राप्त करते हैं। मुख्य उत्पादक राज्य कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और जम्मू एवं कश्मीर हैं।

टसर यह अपरिष्कृत प्रकार है जो मुख्यतः आंतरिक सज्जा सामान के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसका प्रजनन रेशम कीड़े से होता है जो असम, अर्जुन और ओक खाद्य पौधों पर पनपते हैं। इसका उत्पादन झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और आन्ध्र प्रदेश में होता है। औक टसर का उत्पादन सामान्यतः मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय और जम्मू एवं कश्मीर में होता है।

मुगा यह रेशम असम का गौरव है। यह अल्प पालतू बहु-वॉलटाइम रेशम कीड़े, जो सोम और सोलू पौधों के सुगन्धित पत्तों से भोजन करते हैं, से उत्पन्न होता है।

इरी यह अंत में खुले कोकून से बहु-वॉलटाइम रेशम स्पिन है। यह एक पालतू रेशम कीड़ा उत्पाद है जो कस्टर पत्तों से भोजन करते हैं। इसका उत्पाद मुख्यतः उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में होता है। यह बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी पाया जाता है।

शहतूत के अलावा रेशम के अन्य किस्मों सामान्यतः गैर शहतूत रेशम या वन्य रेशम के रूप में कहा जाता है। भारत को रेशम के इन सभी वाणिज्यिक किस्मों के उत्पादन का अद्वितीय गौरव प्राप्त है।

3.1.2 उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम

रेशम उत्पादन की संपूर्ण गतिविधियों को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है (1) रेशम कीट बीज क्षेत्र (2) कोकून क्षेत्र और (3) पोस्ट कोकून क्षेत्र। विकास की पहल के भाग के रूप में केन्द्रीय रेशम बोर्ड के माध्यम से कपडा मंत्रालय, संबंधित राज्य रेशम उत्पादन विभागों के सहयोग से केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम अर्थात्, उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सी.डी.पी.) लागू कर रहा है। IXवीं योजना अवधि (1997-02) में कार्यान्वित सी.डी.पी. Xवीं योजना (2002-07) और XIवीं (2007-12) की अवधि के दौरान जारी थी। इसमें भारत में रेशम की सभी किस्मों के संवर्धन के लिए विभिन्न घटक और

उप-घटक शामिल हैं। “अतिरिक्त इनपुट” के अंतर्गत वर्ष 2005-06 के दौरान मंजूर बिबोल्टिन रेशम, वन्य रेशम और नई प्रौद्योगिकियों प्रतिष्ठापित के विस्तार कार्यक्रम के विस्तार को समायोजित करने के लिए सी.डी.पी. कार्यक्रम की Xवीं योजना के दौरान जारी रखा, जिसमें 12 अतिरिक्त घटकों सहित 40 घटक शामिल हैं। XIवीं योजना के दौरान, सी.डी.पी. कुछ अतिरिक्त घटकों के साथ जारी था। XIवीं योजना के अंतर्गत सभी वर्गों के लाभार्थियों जैसे किसानों, रीलरों और बुनकरों को लाभ देने के लिए सेवा क्षेत्र द्वारा सहायता प्रदान करने वाले तीन क्षेत्रों अर्थात् (i) बीज (ii) कोकून और (iii) पोस्ट कोकून क्षेत्रों के अंतर्गत पैकेज के रूप में परियोजना पद्धति प्रस्ताव के माध्यम से कार्यान्वित किए जाने वाले कुल 57 घटक प्रस्तावित किए गए थे। घटकों का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है। चूंकि सी.डी.पी. के अंतर्गत घटक रेशम उत्पादन कार्य के लिए मौजूदा और नये किसानों दोनों के लिए लाभकारी थे, राज्य विभागों को मौजूदा किसानों के साथ-साथ नए किसानों की पहचान करनी थी और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार घटकों को प्रदान करना था। सी.पी.डी. के अंतर्गत योजनाओं/घटकों को बीज, कोकून और धागे उत्पादन के बीच अग्रगामी और पश्चगामी सम्पर्कों को सुनिश्चित करने का प्रस्ताव किया गया था। Xवीं और XIवीं योजना के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के अधीन घटकों की संख्या निम्न प्रकार थी।

तालिका 1

क्र.सं.	विवरण	घटकों की संख्या									
		बीज क्षेत्र		कोकून क्षेत्र		पोस्ट काकून (रेशम के प्रकार के लिए सभी) क्षेत्र		समर्थन सेवाएँ (सभी संकुल को आम करने के लिए)		अन्य	
		X*	XI	X*	XI	X*	XI	X*	XI	X*	XI
	योजना अवधि										
1	शहतूत	1	4	12	10		-	-	-	-	-
2	टसर	2	4	3	3		-	-	-	-	-
3	इरी	3	1	1	3		-	-	-	-	-
4	मुगा	2	2	2	1		-	-	-	-	-
5	रेशम रिलींग और स्पिनिंग	-	-	-	-	8	15	-	-	-	-
6	रेशम की बुनाई	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
7	गीला संसाधन	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
8	समर्थन सेवाएँ	-	-	-	-	-	-	6	10	-	-
9	रेशम उत्पादन में भागीदारी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	कुल	6	11	18	17	8	18	6**	10	-	1
	कुल योग	95									

* अतिरिक्त इनपुट के घटक शामिल हैं

** समर्थन सेवाओं के अंतर्गत दो घटकों के लिए कोई आबंटन नहीं किया गया। इसलिए अतिरिक्त इनपुट में शामिल नहीं किए गए।

3.1.3 उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य

मुख्य उद्देश्य थे

- उत्कृष्ट गुणवत्ता बिबोल्टिन रेशम, निर्यात और कच्चे रेशम की आयात को कम करने सहित कच्चे रेशम के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए राज्यों के प्रयासों को उत्प्रेरित करना।
- पणधारकों के बीच के संबंध सुविधाजनक करना और रेशम उत्पादन के लिए आपूर्ति-श्रेणी को मजबूत बनाना।

3.1.4 संघटनात्मक ढांचा

के.रे.बो. में सदस्य सचिव अध्यक्ष, को निदेशक, संयुक्त सचिव, उप सचिव और सहायक सचिव द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। राज्य स्तर पर, कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए, रेशम उत्पादन के निदेशकों और कार्यान्वयन इकाइयाँ जिम्मेदार थीं।

3.1.5 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा को एक जाँच करने की दृष्टि में आरम्भ किया गया था कि क्या

- कार्यक्रम के विभिन्न घटकों की योजना प्रभावी थी और उचित सर्वेक्षण पर आधारित थी।
- प्रत्येक घटक के लिए निर्धारित निधियों का आबंटन, निर्मुक्ति और उसका उपयोग पर्याप्त था।
- कार्यान्वयन एक कुशल और प्रभावी ढंग से निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया था।
- कार्यक्रम के परिणामस्वरूप उच्च गुणवत्ता के रेशम धागे का विकास हुआ।

3.1.6 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड के उपयोग के संदर्भ में परिचालन दिशानिर्देश और लक्ष्यों को योजनाओं के लिए निर्धारित किया गया था।

3.1.7 कार्यक्षेत्र और क्रियाविधि

3.1.7.1 कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा का कवरेज

2004-09 के दौरान व्यय के आधार पर निष्पादन लेखा परीक्षा नौ राज्यों में रेशम कीट पालन का अभ्यास किया गया। व्यय के आधार पर प्रत्येक राज्य में, 25 प्रतिशत जिलों

को चुना गया। इस प्रकार, 48 जिलों में निष्पादन लेखापरीक्षा को आयोजित किया गया। अनुबंध-II में चयनित जिलों की राज्यवार सूची दी गई है।

3.1.7.2 लेखापरीक्षा पद्धति

के.रे.बो. दस्तावेजों की जाँच के द्वारा और 2004-09 की अवधि में रेशम उत्पादन विभागों की निष्पादन लेखा परीक्षा को नवम्बर 2009 और मार्च 2010 के बीच किया गया। अक्टूबर 2009 में के.रे.बो. के साथ एक प्रविष्टि सम्मेलन से निष्पादन लेखापरीक्षा शुरू की गई जिसमें लेखापरीक्षा पद्धति, उद्देश्य और मानदंडों को समझाया गया। मई 2010 के दौरान, लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा के लिए के.रे.बो. के साथ निर्गम सम्मेलन आयोजित किया गया था।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों

अनुवर्ती पैराग्राफों में लेखापरीक्षा परिणामों, निष्कर्षों और अनुशंसाओं पर चर्चा की गई है।

3.2 उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम का विनियोजन

के.रे.बो. ने भारत सरकार (भा.स.) द्वारा मंजूरी के लिए योजनाएँ तैयार की और उनके प्रस्तावों पर आधारित राज्यों को निधियों का केंद्रीय हिस्सा जारी किया और कार्यान्वयन और प्रगति को मॉनीटर किया। 'रेशम उद्योग का विकास योजना के अंतर्गत/पूर्वोत्तर योजना स्कीमों और परियोजनाओं' शीर्षक के अधीन भारत सरकार ने सहायता अनुदान के रूप में धन राशि जारी की थी। इसके लिए, के.रे.बो. योजना दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित अनुपात में सहायता के रूप में राज्य सरकार के माध्यम से लाभार्थियों को निधि जारी करता था। सामान्य राज्यों में इकाई लागत का 25-50 प्रतिशत और विशेष दर्जा (उत्तर-पूर्वी) राज्यों में 45-90 प्रतिशत था। समर्थन सेवाओं के लिए के.रे.बो. की हिस्सेदारी लगभग 100 प्रतिशत थी। अपने प्रभावीकरण का आकलन करने के लिए लेखापरीक्षा में विभिन्न घटकों के लिए योजना समीक्षा की गई। वर्ष 2004-09 के दौरान सी.पी.डी. का क्षेत्र-वार वित्तीय लक्ष्य और उपलब्धियां निम्नानुसार थी:

तालिका 2

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	2004-05 से 2008-09 अवधि के दौरान लक्ष्य और उपलब्धि (₹ करोड़ में)		लक्ष्यों पर उपलब्धि पर प्रतिशतता
		लक्ष्य	उपलब्धि	
क	बीज क्षेत्र			
1	शहतूत*	5.04*	1.18	23.41
2	टसर	12.46	11.87	95.26
3	इरी	1.45	2.00	137.93
4	मुगा	8.74	8.61	98.51
ख	कोकून क्षेत्र			
1	शहतूत	167.78	193.24	115.17

2	टसर	6.66	6.94	104.20
3	इरी	7.62	36.98	485.30
4	मुगा	7.64	8.16	106.80
ग	पोस्ट कोकून क्षेत्र	65.17	41.63	63.87
घ	समर्थन और विस्तार सेवाएं	8.28	9.73	117.51
ङ	अतिरिक्त निविष्टियाँ			
	बीज क्षेत्र (शहतूत)	5.25	2.69	51.23
	कोकून क्षेत्र (शहतूत)	24.05	17.20	71.51
	पोस्ट कोकून क्षेत्र	28.24	10.09	35.72
	समर्थन और विस्तार सेवाओं	19.45	2.83	14.55
	कुल योग	367.83	353.15	

* शहतूत के लिए बीज क्षेत्र केवल XIवीं योजना में आरम्भ किया गया था। अतः आंकड़े वर्ष 2007-09 के लिए हैं।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि

- परियोजना पूर्व सर्वेक्षण के लिए सी.डी.पी. ने कोई भी व्यय प्रदान नहीं किया।
- पूर्व कोकून (बीज और कोकून क्षेत्र) और पोस्ट कोकून क्षेत्रों के लिए लक्ष्यों का बेमेल होना आगामी और पश्चगामी संपर्क करने की योजना बनाने में कमी को दर्शाता है।
- Xवीं योजना अवधि वर्ष 2005-06 और 2006-07 के मध्य में लागू “अतिरिक्त इनुपट” घटक के लक्ष्य की उपलब्धि न होना त्रुटिपूर्ण योजना को दर्शाता है।

निर्गम सम्मेलन के दौरान के.रे.बो. ने बताया कि पूर्व-कोकून एवं कोकून-पश्च के क्षेत्रों के बीच की विभिन्नता राज्य के प्रस्तावों/आवश्यकताओं के अनुसार थी एवं यह भी उल्लेख किया कि पूर्व कोकून के क्षेत्र में अधिक सहयोग की आवश्यकता थी जबकि कोकून पश्च क्षेत्र में पर्याप्त निजी निदेश विद्यमान था। प्रस्तुत उत्तर यह दर्शाता था कि राज्यों/लाभ उठाने वालों की सर्वेक्षण में पहचान नहीं की गयी है, जिससे अनुपयुक्त योजना का नतीजा सामने आया है। इसके अतिरिक्त, उत्तर के.रे.बो. की कोकून पश्च क्षेत्र की अल्प उपलब्धियों पर की गई उस लेखा परीक्षा की प्रतिक्रिया से संगति नहीं रखता था जिसमें उन्होंने बताया कि रीलर्स इकाई के लिए सहयोग प्राप्त करने के योग्य नहीं थे जब कि भारत सरकार के द्वारा लाभ प्राप्त करने वालों का हिस्सा Xवीं योजना के दौरान 10 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक बढ़ाया गया था, जो के.रे.बो. के हस्तक्षेप की आवश्यकता को दर्शाता था।

3.2.1 अनुमोदन के पश्चात घटकों के आहरण हेतु प्रस्ताव

XIवीं योजना अवधि (2007-12) के अधीन भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सी.डी.पी. के 57 घटकों में से चार घटकों को कार्यान्वयन के प्रारम्भिक स्तर पर वापस लेने का प्रस्ताव रखा गया था जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :

तालिका-3

क्र. सं	क्षेत्र/घटक	योजना	लक्ष्य	परिव्यय (₹ करोड़ों में)		टिप्पणीयां
				कुल	के.रे.वो. का हिस्सा	
1	रेशम उत्पादन में निगमों की सहभागिता	कॉर्पोरेट क्षेत्र के अंतर्गत एकीकृत रेशम उत्पादन परियोजना की योजना	निर्यात उन्मुख इकाई एवं पावर लुम्स की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वृहद स्तर पर गुणवत्ता वाले बिबोल्टाइन के उत्पादन को सुनिश्चित करना	89.45	35.78	अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 80 एम.टी. के बिबोल्टाइन कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु घटकों का प्रयोग किया गया। यद्यपि XIवीं योजना की अवधि के पहले दो वर्षों (2007-09) के दौरान कोई आबंटन नहीं किया गया 2009 की अवधि में राज्यों से अच्छी प्रतिक्रिया न आने के कारण परियोजना को वापस लेने का प्रस्ताव था
2	सहायक सेवाएँ	जनजातीय क्षेत्रों पर जोर	साधन संपन्न ग्रामीणों को शामिल करा कर संसाधन मशीनों के लिए इनपुट/अतिरिक्त पुर्जा घरों तक उपलब्ध कराकर आदि के द्वारा लागत को प्रभावित करने वाली एवं प्रभावी तकनीकी संबंधी गतिविधियों को समझने के लिए विश्वास बनाना, ज्ञान देना, सूचना देना एवं कुशल बनाना।	1.18	1.00	मिजोरम राज्य मात्र में ही घटकों का क्रियान्वयन किया गया जिसके लिए ₹0.88 लाख दिये गये परंतु 2009 में राज्यों की ओर से खराब प्रतिक्रिया का उदाहरण देकर इस्को वापस लेने का प्रस्ताव रखा गया।
3	कुक्न पश्च/रेशम रीलिंग एवं कातना	प्रमाणित ड्यूपियन रेशम रीलिंग इकाई की स्थापना के लिए सहयोग	छटाई किए गए खराब कुक्नुस (उदाहरण दोहरे, पतले, उजि प्रभावित, मूत्र प्रभावित, पतले किनो वाले एवं गले हुए कुक्नुस) के उपयोग द्वारा अंतर राष्ट्रीय स्तर के ड्यूपियन रेशम का उत्पादन	2.00	1.15	वर्ष 2007-09 में आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, त्रिपुरा एवं छत्तीस गढ़ को ₹19 लाख की राशि दी गई। 2007-08 के लिए 30 यूनिट (₹36 लाख) के लक्ष्य के प्रति 18 यूनिट (₹19 लाख) स्थापित किए गए। 2008-09 की

						अवधि में रेशम उत्पादन के परंपरागत राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडू और आंध्र प्रदेश से अच्छी प्रतिक्रिया न मिलने के कारण इन घटकों को वापस लेने का प्रस्ताव रखा गया।
4	-वही-	नई धीमी-रफ्तार की प्रमाणित बहु छोरों की रीलिंग को लोकप्रिय बनाना।	ताना की गुणवत्ता वाले धागे के उत्पादन एवं बिजली की करघे वाले उद्योग की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बृहद बहुत से उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे रेशम के उत्पादन को सुगम बनाना।	4.00	2.00	इसका वर्ष 2007-09 के दौरान कार्यान्वयन नहीं किया गया। वर्ष 2008-09 के दौरान रेशम उत्पादन के परंपरागत राज्यों जैसे कर्नाटक, तमिलनाडू और आंध्रप्रदेश से अच्छी प्रतिक्रिया न आने के कारण के.रे.बो. ने वापस लेने का प्रस्ताव रखा।

के.रे.बो. ने निर्गम सम्मेलन के दौरान बताया कि पैसे लगाने वालों की और से पर्याप्त प्रतिक्रिया न आने के कारण ये योजनाएँ आगे नहीं बढ़ी थी। अतः इनके वापस लेने का प्रस्ताव है। यह उत्तर योजना के विषय में पहले पर्याप्त सर्वेक्षण न होने की कमी को दर्शाता था।

3.2.2 अपर्याप्त योजनाबद्धता के कारण इरी क्षेत्र (कोकून क्षेत्र) के अन्तर्गत भारी निधि जारी करना

इस क्षेत्र में होने वाली धीमी प्रगति को देखते हुए कैंस्टर /टापिकों की खेती के लिए आरंभिक औजारों, बारहमासी इरी खाद्य पौधों के साथ आरंभिक औजारों एवं पालन गृहों के निर्माण की सुविधा हेतु, Xवीं योजना के दौरान हुए ₹16.60 करोड़ के व्यय के स्थान पर XIवीं योजना अवधि (2007-12) के दौरान ₹26.43 करोड़ का परिव्यय प्रदान किया गया। ₹26.43 करोड़ में से ₹7.50 करोड़ 2081 पालन गृहों के निर्माण योजना अवधि में उद्दिष्ट किए गए। उपरोक्त राशि में से ₹1.20 करोड़ वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में 300 पालन गृहों के निर्माण में उद्दिष्ट हुए।

यद्यपि लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि उपरोक्त लक्ष्य के प्रति, के.रे.बो. ने इरी पर प्रयोग कर रहे राज्यों को वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 के दौरान 5801 पालन गृहों के निर्माण हेतु ₹20.66 करोड़ दिए। अभिलेख में इसका कारण नहीं पता चला कि आखिर जहाँ पूरे योजना वर्ष में ₹7.50 करोड़ ही खर्च किए गए थे। वही मात्र दो वर्षों के लिए इतनी ज्यादा पूंजी क्यों खर्च की गई। इस क्षेत्र के अंतर्गत अन्य दो घटक (i) कैंस्टर /टेपिको को उपजाने वाले आरंभिक औजारों के साथ (आधा एकड़ इकाई) और (ii) आरंभिक औजारों की सप्लाय के साथ वांशिकी इरी खाद्य पौधों के संवर्धन में

सर्वाधिक कम ध्यान दिया गया इसमें ₹ 5.22 करोड़ की उद्दिष्ट निधियों के प्रति वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान मात्र ₹ 2.78 करोड़ दिए गए। अतः इन दो घटकों की भौतिक उपलब्धि लक्ष्य 32787 इकाई के विरुद्ध मात्र 7046 इकाई थी।

के.रे.बो. ने बताया (मार्च 2010) कि इरी पालन गृहों के निर्माण हेतु यह आवश्यक था कि सभी इरी उपजाने वाले किसानों को मदद मिले क्योंकि लगभग समस्त इरी पालन ड्वेलिंग गृहों में ही होता था। आगे बताया गया कि पर्याप्त स्थान, जरूरत के अनुसार स्वच्छ हवा एवं प्रकाश अच्छी गुणवत्ता के कूकून्स की उपज प्राप्ति में किसानों का सहायक होगा और इसलिए XIवीं योजना के आरंभिक दो वर्षों में मदद बढ़ाई जाए। निर्गम सम्मेलन के दौरान भी के.रे.बो. ने बताया कि इरी उपजाने वाले राज्यों की ओर से 2007-09 के दौरान पालन गृहों एवं निधि की भारी माँग थी जब कि दूसरे घटकों की ओर से इस संबंध में बहुत अच्छी प्रतिक्रिया नहीं थी। उत्तर इस बात की पुष्टि करता है कि XIवीं योजना में लक्ष्य तैयार करने के स्तर पर कमी थी जिसके परिणामस्वरूप इरी क्षेत्र के शेष दो घटकों में भी लक्ष्य में कमी रही।

3.2.3 स्वास्थ्य बीमा योजना (समर्थन सेवाएं) के अंतर्गत रेशम उपजाने वाली महिलाओं को शामिल करना

XIवीं योजना की अवधि में, महिला कामगारों को निजी एवं सहकारी रूप से चालित इकाई और अन्न क्षेत्र में स्वास्थ्य बीमा की सुविधा के वस्तुपरक लक्ष्य को महिला विकास के घटकों में शामिल किया गया। इस योजना के अंतर्गत महिला कामगारों को उनके परिवारों जिसमें उनके पति एवं दो बच्चे शामिल थे के साथ शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि कुल 27 राज्यों में (पाँच पारंपरिक एवं 22 गैर-पारंपरिक) के.रे.बो. ने वर्ष 2008-09 के दौरान इस घटक को सात राज्यों में (पाँच पारंपरिक एवं दो गैर-पारंपरिक) लागू किया। इसमें 26040 लाभान्वित लोग रहे जिन्हें ₹ 1.67 करोड़ की सहायता मिली। यद्यपि, फरवरी 2009 में, इस योजना को रेशम उत्पादन करने वाली सभी महिलाओं को शामिल कर विस्तारित किया गया। इसके पश्चात वर्ष 2009-10 के दौरान शारिरीक एवं आर्थिक सहायता को शामिल करने पर इससे लाभान्वित होने वालों की संख्या निर्धारित लक्ष्य 7250 लाभान्वित एवं ₹ 58 लाख से बढ़कर क्रमशः 115800 एवं ₹ 7.27 करोड़ हो गई।

लक्ष्य और उपलब्धियों में भिन्नता ने मान्य डाटा को इकट्ठा न करने को दर्शाया जो खराब योजना का कारण बनी।

अनुशंसा

- के.रे.बो. एवं राज्य सरकारों को मूल-सर्वेक्षण पर आधारित विश्वसनीय डाटा के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए।

3.3 वित्तीय प्रबंधन

3.3.1 निधियों का उपयोग

वर्ष 2004-05 से 2008-09 की अवधि के दौरान सी.डी.पी. पर निधियों का आबंटन एवं उपयोग नीचे दिया गया है:

तालिका 4

वर्ष	(₹ करोड़ में)		
	सी.डी.पी. के लिए आबंटित बजट	सी.डी.पी. पर व्यय	आबंटन से व्यय की प्रतिशतता
2004-05	38.51	48.44	125.79
2005-06	42.28 ¹	68.56	162.15
2006-07	55.37 ²	64.59	116.65
2007-08	79.85	80.82	101.21
2008-09	113.21	90.74	80.15

सी.डी.पी. पर अधिक व्यय अन्य अनुदानों से किया गया जो कि रेशम उद्योग के विकास के लिए प्राप्त हुए थे। वर्ष 2005-06 में व्यय में बढोत्तरी शहतूत एवं इरी क्षेत्र में पालन गृहों के निर्माण में सहयोग के खर्च में अधिकता के कारण हुई। वर्ष 2008-09 में बीज क्षेत्र एवं समर्थन सेवा के घटकों में लक्ष्य की प्राप्ति न होने के कारण व्यय में स्पष्ट रूप से कमी आई।

3.3.2 Xवीं योजना में अतिरिक्त इनपुट के लिए निधियों का अभ्यर्पण

Xवीं योजना की अवधि अंतर्गत ₹ 76.99 करोड़ का अतिरिक्त परिव्यय वर्ष 2005-06 एवं वर्ष 2006-07 के दौरान सी डी पी की नई तकनीकों के विकास के लिए 10 अतिरिक्त इनपुट³ हेतु संस्वीकृत किया गया (मार्च 2006)। यद्यपि के.रे.बो. नवंबर 2006 तक मात्र ₹ 23.40 करोड़ खर्च कर सकता था इसलिए मंत्रालय ने मुद्दे की पुनः जाँच की एवं ₹ 38.38 करोड़ की राशि तक प्रतिबंधित कर दिया 2005-07 की अवधि के खर्च का विवरण निम्न है:

¹ अतिरिक्त इनपुट के लिए प्राप्त ₹ 9.62 करोड़ का अनुदान शामिल है।

² अतिरिक्त इनपुट के लिए प्राप्त ₹ 28.76 करोड़ का अनुदान शामिल है।

³ (i) वर्मी कॉम्पोस्ट शेड के निर्माण के लिए समर्थन (ii) पालन साधनों की आपूर्ति (iii) इरी कच्चा माल बैंक की स्थापना (iv) कोकून पश्चक्षेत्र (v) उपोत्पादन उपयोग के लिए समर्थन (vi) वन्य रेशम मार्क-प्रमोशन सैल (vii) टपकन सिंचाई (viii) निजी लाईसेंसधारी रेशम कीट बीज उत्पादकों को सहायता (ix) भविष्य एवं ऑनलाइन व्यापार के लिए आई.टी. उपकरण (x) रेशम मार्क प्रमोशन

तालिका-5

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	क्षेत्र का नाम	परिव्यय	व्यय	व्यय की प्रतिशतता
1	बीज क्षेत्र (शहतूत)	5.25	2.69	51.23
2	कोकून क्षेत्र (शहतूत)	24.05	17.20	71.51
3	कोकून पश्च क्षेत्र	28.24	10.09	35.72
4	सहायता एवं विस्तारण सेवा	19.45	2.83	14.55

उपरोक्त से देखा जा सकता है कि 'अतिरिक्त इनपुट' के घटकों के कार्यान्वयन के लिए प्राप्त निधियों के उपयोग की प्रतिशतता 14.55 से 71.51 के बीच थी। घटकों में उत्पाद उपयोग की मदद लागू नहीं की गई एवं अन्य घटक से जैसे पालन संबंधी साधन कर आपूर्ति, कोकून पश्च क्षेत्र, आई.टी. उपक्रमण, भारत का रेशम मार्क आदि आंशिक रूप से ही लागू किये गये।

इस प्रकार, जनवरी 2007 में आंशिक रूप से/लागू न होने वाली योजनाओं के घटकों का परिणाम कपड़ा मंत्रालय द्वारा ₹ 38.61 करोड़ के अभ्यर्पण की मंजूरी में हुआ।

के.रे.बो. ने उत्तर दिया (मार्च 2010) कि भारत सरकार द्वारा योजना की मंजूरी में विलंब एवं राज्यों के लिए पूर्व जारी किए गए उपयोगिता प्रमाणपत्रों की अप्रेषणीयता योजना के अतिरिक्त इनपुट के घटकों के कार्यान्वयन के लिए स्वयं पूर्ण रूप से तैयार नहीं था जिससे विशेष रूप से पश्च कोकून क्षेत्र में निधियों पर कठोर प्रतिबंध लगा।

3.3.3 गलत/अप्रेषण उपयोगिता प्रमाणपत्र

सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार अनुदान के संदर्भ में उपयोगिता प्रमाणपत्र (यू.सी.), अनुदानग्राही द्वारा मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

विभागों के अभिलेख की नमूना जांच से यह पता चलता था कि उपयोगिता प्रमाणपत्र (यू.सी.) की गलत प्रस्तुति/अप्रस्तुति के कई मामले थे जिनका विवरण निम्न है:

आन्ध्र प्रदेश रेशम उत्पादन विभाग, आन्ध्र प्रदेश द्वारा इरी उत्पादन की प्रस्तावना पर पाइलट परियोजना को संचालित करने के लिए, के.रे.बो. ने 2003-04 से 2006-07 के दौरान ₹ 1.61 करोड़ जारी किए थे। विभाग ने जुलाई 2004 दिसम्बर 2006 के दौरान सम्पूर्ण राशि के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए थे। यद्यपि, जुलाई 2007 में प्राप्त हुई परियोजना समापन रिपोर्ट ₹ 45 लाख अव्ययित दर्शाती थी जिसका अभ्यर्पण अभी तक नहीं किया गया था। इस प्रकार, उपयोगिता प्रमाणपत्र का प्रस्तुतिकरण गलत था। के.रे.बो. ने उत्तर दिया कि अव्ययित शेष के समायोजन के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

उत्तर प्रदेश जबकि उत्तर प्रदेश के तीन नमूना जांच किए गए जिलों (वाराणसी, साहरनपुर और बेहरेच) में कार्यान्वित इकाईयों द्वारा ₹ 75 लाख के उपयोगिता प्रमाणपत्र

प्रस्तुत नहीं किए गए थे, तथापि 2005-06 और 2007-08 के दौरान राज्य विभाग से प्राप्त सम्पूर्ण राशि के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र के परिणामस्वरूप उपयोगिता प्रमाणपत्रों का गलत प्रस्तुतिकरण किया गया।

3.4 योजनाओं का कार्यान्वयन

लेखापरीक्षा में घटकों के क्षेत्र-वार कार्यान्वयन में निम्न कमियाँ पाई गई थीं।

3.4.1 बीज क्षेत्र

रेशम कीट के बीज उत्पादकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। रेशम उत्पादन संबंधी गतिविधियों की लागत का प्रभाव बढी हुई उत्पादकता एवं उच्च लाभ पर निर्भर करता है। इसे XIवीं योजना में विशिष्ट घटक के रूप में शामिल किया गया निश्चित समयावधि में रेशम कीट के बीज की अपेक्षित मात्रा के उत्पादन को सुगम बनाने हेतु पूरी 5 वर्ष की अवधि के बजाय स्वयं ही पहले तीन वर्षों की अवधि में पूरा करने में मदद करे। XIवीं योजना की अवधि के वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में इस क्षेत्र के अंतर्गत लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं।

तालिका 6

(₹ करोड़ में)

क्र सं	क्षेत्र	XIवीं योजना के लिए लक्ष्य	2007-08 एवं 2008-09 के लिए लक्ष्य	2007-08 एवं 2008-09 के लिए निर्धारित लक्ष्य	2007-08 एवं 2008-09 की उपलब्धि	कॉलम 4 से संबंधित उपलब्धि की प्रतिशतता	कॉलम 5 से संबंधित उपलब्धि की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8
1	शहतूत	11.56	5.04	7.71	1.18	23	15
2	टसर	12.18	2.46	8.12	3.03	123	37
3	इरी	2.0	0.79	1.33	0.79	100	59
4	मुगा	12.68	3.43	8.45	1.80	52	21

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि किसी भी क्षेत्र में परिकल्पित लक्ष्य प्राप्त नहीं किये गये एवं ये उपरोक्त लक्ष्यों को प्रभावित कर रहे थे।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि

- मलबेशी बीज क्षेत्र में वर्ष 2007-09 में निर्धारित लक्ष्य का मात्र 23 प्रतिशत ही प्राप्त किया जा सका। संवीक्षा आगे प्रकट करती है कि अनाजों एवं बीज जांच की सुविधा के 150 इकाईयों के लक्ष्य के स्थान पर मात्र 39 इकाईयों (26 प्रतिशत) को ही सहयोग दिया गया था, बावजूद इस तथ्य के कि के.रे.बो. को इस बात को सुनिश्चित करना था कि बीज अपर्याप्त न हों।

- बीज क्षेत्र के अंतर्गत सार्वजनिक/निजी क्षेत्र एवं/या सार्वजनिक निजी की साझेदारी में बीज उत्पादन के लिए घटक भी शामिल थे। बीज क्षेत्र के 16 घटकों एवं एक अतिरिक्त घटक इनपुट के अंतर्गत वर्ष 2004-09 की अवधि में कार्यान्वयन हुआ। इसमें 4 घटकों के अंतर्गत कार्यान्वयन न होना/आंशिक कार्यान्वयन निम्नानुसार थे।

तालिका-7

क्र. सं.	प्रकार	योजना	भौतिक (संख्या में)		टिप्पणी
			लक्ष्य	उपलब्धियाँ	
	अतिरिक्त इनपुट 2005-07 मलबेरी	रोगमुख बिब्ल्टाइन लंडिंग के उत्पादन हेतु निजी लाइसेंसी रेशम कीट बीज उत्पादकों को सहयोग	75 उत्पादक	161 उत्पादक	यद्यपि प्राप्त की गई उपलब्धि निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा थी। आबंटित किए गए ₹ 5.25 करोड़ की तुलना में बचत ₹ 2.56 करोड़ की थी। बचत को देखते हुए लक्ष्य बढ़ाया जा सकता था और इसके उत्तर में सी एस बी ने कहा कि जे ओ आई द्वारा योजना की मंजूरी में किए गए विलंब से राज्यों को दिए जाने वाले आबंटन में परिणत होता है क्यों कि यू सी को जमा न करने के कारण पूर्व में दिया गया फंड उपयोग नहीं हो पाता था
	मलबेरी	सार्वजनिक /निजी क्षेत्रों में वृहद पैमाने पर बिब्ल्टाइन बीज के उत्पादन में सहयोग।	02 इकाइयाँ	-	सी.एस.बी. ने कहा कि 2007-09 की अवधि में राज्यों द्वारा पर्याप्त जानकारी के साथ प्रस्तावों को न स्वीकार करने के कारण ही ₹ 1.20 करोड़ के आबंटन साथ घटकों का क्रियान्वयन नहीं हो सका।
	मुगा	मुगा निजी ग्रेनेज को सहयोग	277 इकाइयाँ	150 इकाइयाँ	वर्ष 2007-09 में ₹ 2.43 करोड़ का आबंटन हुआ था परंतु ₹ 1.29 करोड़ का उपयोग हुआ। सी.एस.बी. ने उत्तर दिया कि असम राज्य विभाग वर्ष 2007-09 में दिए गए फंड को खर्च नहीं कर सका जिसके कारण बाद में फंड के आबंटन में परेशानी आई, परिणाम स्वरूप लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका।
	मुगा	ग्रेनेज औजारों की भांति मुगा बीज बहुत आयामी ढाँचों को मजबूत करने के लिए राज्य विभागों को सहायता	07 इकाइयाँ	04 इकाइयाँ	वर्ष 2007-09 में ₹ 1 करोड़ का आबंटन किया गया परंतु मात्र 51 लाख ही उपयोग में लाए जा सके। सी. एस बी ने बताया कि असम राज्य विभाग वर्ष 2007-08 में दिए गए फंड को खर्च नहीं कर सका जिसके कारण बाद में फंड के आबंटन में परेशानी आई। नतीजतन लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

जहाँ तक मलबेरी बीज क्षेत्र में उपलब्धि में कमी का प्रश्न है, इस संबंध में सी एस बी ने कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया है।

3.4.2 कोकून क्षेत्र

कोकून क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र विस्तार के माध्यम से क्षैतिजी विकास एवं मलबेरी और वन्य रेशम क्षेत्र दोनों के अंतर्गत मात्रात्मक एवं गुणात्मक उत्पादन एवं उत्पादकता की बढ़ोतरी से विकास की दिशा में अग्रसर है। मलबेरी के अंतर्गत बिवोल्टाइन पर विशेष जोर दिया गया है। इस क्षेत्र में भोज्य पादपों के विकास, सिंचाई-सुविधाओं, पालन केन्द्रों के निर्माण, माउन्टेजस को शामिल करके पालन के औजारों की विकसित के साथ सलाई बिवोल्टाइन बीज के किसानों के लिए कीटनाशकों की आपूर्ति, अनिवार्य बीमा कवरेज के साथ चाकी पालन केन्द्र आदि शामिल है। वर्ष 2004-09 के मध्य ₹ 213.75 करोड़ के आबंटन के विरुद्ध ₹ 262.52 करोड़ की राशि आबंटित की गई इसमें कूकून्स क्षेत्र के कुल आबंटन का 122.82 प्रतिशत था। कोकून क्षेत्र के 32 घटकों में से और 2004-09 में लागू अतिरिक्त इनपुट में से चार घटकों को लागू करने में कमी पाई गई जिनका वर्णन निम्नानुसार थे।

3.4.2.1 पालन केन्द्रों के निर्माण एवं पालन उपकरणों की आपूर्ति में सहयोग

10 वीं योजना के दौरान कीटाणुरहित स्वच्छ कार्य स्थिति एवं रेशम कीट के पालन के दौरान संदूषकों से बचाव के लिए अलग पालन केन्द्रों के घटकों के निर्माण की प्रविधि विकसित की गई एवं यह XIवीं योजना की अवधि में भी जारी रही। इस घटक के अंतर्गत इकाई की लागत का 50 प्रतिशत सामान्य श्रेणी के अंतर्गत होने वाले राज्यों के लिए मदद के बतौर एवं 90 प्रतिशत विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत आने वाले राज्यों की मदद के लिए उपलब्ध कराई गई है जिसे केन्द्र (सी.एस.बी. के माध्यम से) एवं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाना था। Xवीं योजना अवधि के अंतर्गत 375-1000 स्कवाइर फीट के क्षेत्र में पालन केन्द्रों के लिए ₹ 15000 से 50000 तक की मदद की आर्थिक सीमा थी। XIवीं योजना के अंतर्गत यह सीमा ₹ 25000 से 75000 तक बढ़ा दी गई। वर्ष 2004-09 के लिए "पालन केन्द्रों एवं पालन प्रविधियों" के घटकों पर आबंटन एवं खर्च का विवरण निम्न था

तालिका 8

क्र.सं.	घटक के नाम	भौतिक (संख्या)		उपलब्धि की प्रतिशतता	वित्तीय (₹ करोड़ों में)		उपलब्धि का प्रतिशत
		लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि	
1	पालन गृह	35292	58893	166	90.09	100.60	113
2	पालन उपकरण	27400	33068	121	40.73	36.49	90

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सी.एस.बी. ने पालन गृहों के घटक पर बजट की तुलना में अधिक व्यय किया था। लेखापरीक्षा जाँच से प्रकट हुआ कि सी.एस.बी. ने उपयुक्त नियंत्रण का प्रावधान नहीं बनाया जिससे निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार सहायता दी जा सके।

(क) कर्नाटक:

दिशानिर्देशों के अनुसार बिवोल्टीन रेशम कीड़ों के पालक किसानों को ही दी जानी थी तथा किसान को बिवोल्टीन रेशम कीड़ों का पालन पांच वर्षों की न्यूनतम तक ही करना था, ऐसा नहीं करने पर सहायता राशि की वसूली भूमि राजस्व के किश्तों के रूप में होनी थी। कीट उत्पादन विभाग को यह सुनिश्चित करना था कि लाभार्थी बिवोल्टीन रेशम कीड़ों के कोकून का उत्पादन जारी रखें।

चयनित जिलों में अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि 2004-09 के दौरान ₹ 17.50 करोड़ रूपए की सहायता का 3772 लाभार्थियों ने लाभ उठाया था। उस में से

- उत्तरवर्ती वर्षों में, ₹ 8.25 करोड़ सहायता का लाभ उठाने 1907 लाभार्थियों ने बिवोल्टीन रेशम कीट का पालन नहीं किया था।
- केवल एक वर्ष के लिए ₹ 2.22 करोड़ का सहायता लाभ उठाने 528 लाभार्थियों बिवोल्टीन रेशम कीट पालन किया।
- दो साल सहायता का लाभ उठाने के बाद ₹ 46 लाख का सहायता लाभ उठाने 121 लाभार्थियों ने बिवोल्टीन रेशम कीट पालन किया।

तथापि, दिशानिर्देशों के अनुसार, सी.एस.बी. द्वारा या राज्य विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी। इसके परिणामस्वरूप 2004-05 से कर्नाटक के हिस्से में बिवोल्टीन कच्चे रेशम के कुल उत्पादन में लगातार गिरावट आई।

तालिका 9

(मात्रा मि. ट. में)

वर्ष	सम्पूर्ण भारत	कर्नाटक	प्रतिशतता
2004-05	893	498	56
2005-06	971	396	41
2006-07	1100	358	33
2007-08	1175	401	34
2008-09	1250	374	30

उपरोक्त घटक की भांति 'पालन उपकरणों की आपूर्ति' भी बिवोल्टीन कोकून उत्पादक सहयोगी राज्यों पर लागू थी। चयनित जिलों के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि, 2004-09 के दौरान, 1273 लाभार्थियों को ₹ 1.97 करोड़ जारी किया गया था उस में ₹ 1.43 करोड़ की सहायता प्राप्त करने वाले 906 लाभार्थियों ने, बिवोल्टीन उत्पादन बंद किये थे। तथापि, सी एस बी द्वारा या राज्य विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इस प्रकार, कच्चे रेशम का उच्च गुणवत्ता उत्पादन करने के घटक का मूल उद्देश्य निष्फल हुआ था।

(ख) तमिलनाडु:

2004-09 के दौरान पालन उपकरणों की खरीद के लिए ₹ 6.12 करोड़ की सहायता सात नमूना जांच किए गए जिलों के 2904 लाभार्थियों को प्रदान की गई थी। इनमें से 356 लाभार्थियों ने ₹ 60 लाख की सहायता प्राप्त करने के बाद बिबोल्टिन कोकून का उत्पादन बंद कर दिया।

(ग) आंध्र प्रदेश:

2004-09 के दौरान नमूना जांच किए गए छः जिलों में, पालन शेड के निर्माण के लिए ₹ 21.68 की सहायता दी गई थी, जिसे 6038 लाभार्थियों को प्रदान किया गया था। तथापि, ₹ 3.10 करोड़ की सहायता प्राप्त करने वाले 1535 पालन शेड अधूरे पड़े थे, जिससे सहायता निष्फल रही।

(घ) छत्तीसगढ़:

2007-09 के दौरान 50 शहतूत पालन गृहों, 13 टसर निजी ग्रेनर इकाइयों और दो इरी पालन इकाइयों को ₹ 56.00 लाख की सहायता दी गई थी, इनमें से केवल केवल दो शहतूत पालन घरों और एक निजी टसर ग्रेनर इकाई का निर्माण पूरा किया गया लक्ष्य की उपलब्धि न होने के लिए लाभार्थियों द्वारा खातों को खोलने में देरी को जिम्मेदार ठहराया गया था।

3.4.2.2 ड्रिप सिंचाई के लिए सहायता का विस्तार

कृषि और बागवानी जैसे अन्य विभागों में ड्रिप सिंचाई किसानों के लिए भी सहायता क्षेत्र बढ़ाया गया था। यह राज्य विभाग की जिम्मेदारी थी कि वह ऐसे लाभार्थी की पहचान करे जो सहायता के एक ही घटक के लिए अन्य विभागों से लाभ नहीं उठाये थे। इसे सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थी को अन्य विभागों की एक प्रमाण-पत्र प्राप्त करना था कि लाभार्थी ने सब्सिडी का लाभ नहीं उठाया था और इसे रेशम उत्पादन विभाग के तालुक/जिला स्तर के अधिकारियों को प्रस्ताव भेजते समय इसे संलग्न करना चाहिए था।

नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 2007-09 के अवधि में कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के राज्यों को ₹ 15.65 करोड़ ड्रिप सिंचाई की सहायता दी गई थी।

तालिका-10

क्रम संख्या	राज्य का नाम	अवधि	क्षेत्र (हेक्टेयर में)	सी.एस.बी. प्रदत्त सहायता (₹ करोड़ में)
1	आंध्र प्रदेश	2007-09	1656	4.14
2	तमिलनाडु	2007-09	805	2.00
3	कर्नाटक	2007-09	3805	9.51
	कुल		6266	15.65

यह देखा गया कि लाभार्थियों द्वारा अन्य विभागों से वांछित आवश्यक प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किया गया था। इस पर जोर दिए बगैर सी.एस.बी. ने धन राशि जारी किया। इसलिए अन्य विभागों से इसी घटक के लिए लाभार्थी द्वारा सहायता का लाभ उठाने से इन्कार नहीं किया सकता था।

सी.एस.बी. ने बताया कि राज्यों को लगातार कहा जा रहा था कि वे आगे आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। तथापि, प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना ही निधियों का देना दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं था।

3.4.2.3 जैविक खाद शेड का निर्माण

जैविक कल्चर तकनीक का उपयोग से रिकल्चर मलबे का पुनः चक्रण करके अच्छे जैविक खाद्य के रूप में विकसित करने की क्षमता के रूप में किया जा सकता था। उपरोक्त उद्देश्य के लिए "जैविक खाद्य शेड के निर्माण हेतु सहायता" नामक एक घटक वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान कार्यान्वयन हेतु "अतिरिक्त इनपुट" के अंतर्गत शामिल किया गया था (मार्च 2006)। 1500 जैविक खाद शेडों के निर्माण के लिए ₹ 1.05 करोड़ का प्रावधान किया गया था। इसी के विरुद्ध ₹ 1.86 करोड़ के उपयोग से 3552 शेडों का निर्माण किया गया था। कर्नाटक में चार चयनित जिलों के रिकॉर्ड की जाँच से पता चला कि रूपए तीन लाख की सहायता चहाने वाले 33 लाभार्थियों में से 23 लाभार्थियों ने दो लाख की सहायता प्राप्त करने के बाद जैविक खाद उत्पादन बंद करे किया। इसी तरह, आंध्र प्रदेश के छह जिलों के अभिलेखों का परीक्षण जाँच से पता चला कि ₹ 27 लाख की सहायता से बनाये गए 406 जैविक कम्पोस्ट इकाइयों में से ₹ 12.31 लाख की सहायता से बनाई गई 183 इकाइयों निष्क्रिय थीं। तथापि, सी.एस.बी. या राज्य विभाग द्वारा चूककर्ता लाभार्थियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

3.4.2.4 दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में सहायता का विस्तार

रिकॉर्ड की जाँच से पता चला कि दिशानिर्देशों उल्लंघन में, लाभार्थियों को सहायता दी गई थी जिसका वर्णन नीचे दिया गया है।

पश्चिम बंगाल 2008-09 के दौरान बिबोल्टिन रेशमकीट पालन के लिए पालन उपकरणों के लिए, ₹ 35 लाख की सहायता सी.एस.बी. ने जारी की थी। तथापि, 10-25 एम.टी. के लक्ष्य के विरुद्ध वर्ष 2006-09 के दौरान बिबोल्टिन कच्चे रेशम का 1.2 एम.टी. पी मन्द उत्पादन को ध्यान में रखते हुए, सहायता न्यायसंगत नहीं थी। सी.एस.बी. ने बताया (मार्च 2010) कि विशेष मामले के रूप में निधियां जारी की गई थी। निर्धारित लक्ष्य की तुलना में वास्तविक उपलब्धि को देखते हुए उत्तर तर्कसंगत नहीं था।

असम विद्यमान राज्य/पैरा स्टेटल मलवरी क्षेत्र में बीज एवं उत्पाद की कॉर्पोरेटिव अवसंचना के विकास के घटक के अन्तर्गत 12 राज्य

फार्मों को उन्नत करने के लिए सी.एस.बी. ने ₹ 32.40 लाख की निमुक्ति की थी (जुलाई 2003)। चूंकि प्रस्तावित इकाईयां जिनको सुगठित करना था बेकार पड़ी थी। सी.एस.बी. ने प्रावधान न होने पर भी सम्पूर्ण राशि सिविल कार्य के लिए खर्च की (मार्च 2010)। सी.एस.बी. ने बताया (मार्च 2010) कि इकाईयों के सुदृढीकरण का उद्देश्य तब तक पूरा नहीं होगा जब तक उनके भवनों की मरम्मत नहीं होती। उत्तर, निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नहीं था क्योंकि उपकरणों के उन्नयनों हेतु सहायता प्रदान करने से पहले ही सी.एस.बी. को यह सुनिश्चित करना था कि विद्यमान अवसंरचना सुविधाओं की स्थिति क्या है।

3.4.2.5 घटकों का आंशिक कार्यान्वयन

2007-09 के दौरान निम्नलिखित विवरण के अनुसार घटकों को आंशिक रूप से लागू किया गया था।

तालिका 11

क्र सं	किस्म	क्षेत्र/घटक	लक्ष्य	उपलब्धि	टिप्पणियाँ
1	शहतूत	कोकून क्षेत्र/अग्रणी किसानों के प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान करना	40 अग्रणी किसान	6 किसानों का नेतृत्व	2007-09 की अवधि के लिए ₹ 32 लाख के आबंटन के प्रति, ₹ 4 लाख राशि का ही इस्तेमाल किया गया, सी.एस.बी. ने कहा कि पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र को छोड़कर घटक के लिए कोई माँग नहीं थी तथा उत्तर पूर्वी एवं गैर परम्परागत राज्यों में अग्रणी किसानों की पहचान नहीं की गई थी।
2	शहतूत	कोकून क्षेत्र / पोलीक्लिनिक्स रेशम उत्पादन के लिए घर-घर सेवा एजेंटों तथा सेरीकलचर पोलिक्लिनिक सहायता की इनपुट एवं आपूर्ति	26 संख्या	7 संख्या	2007-09 की अवधि के लिए, ₹ 22 लाख के आबंटन के प्रति, केवल पाँच लाख उपयोग किया गया, नगर समाज निर्माण सी.एस.बी. ने कहा कि भारत सरकार द्वारा प्रस्तावों की स्वीकृति में विलम्ब और पारंपरिक और गैर-पारंपरिक राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण वहाँ पोलीक्लिनिक की स्थापना में कमी थी।

इस प्रकार XIवीं योजना के दो महत्वपूर्ण घटक जो कोकून क्षेत्र की गतिविधियों में गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए आवश्यक थे, उन पर ध्यान नहीं दिया गया।

3.4.3 पश्च कोकून क्षेत्र

इस क्षेत्र का उद्देश्य गुणवत्ता सुधार, तकनीक अनुशीलन, उत्पादकता में सुधार तथा निवेश निर्माण के माध्यम से गुणात्मक सुधार एवं निर्यात से संबंधित था। Xवीं योजना के अतिरिक्त XIवीं योजना में भी नए मद शामिल किए गए जिससे पोस्ट कोकून क्षेत्र का विकास हो सके। पोस्ट कोकून क्षेत्र मुख्य रूप से रील बनाने से संबंधित है। 2004-09 की अवधि में अतिरिक्त इनपुट सहित ₹ 93.41 करोड़ के आबंटन की तुलना में ₹ 51.72 करोड़ खर्च किया गया था, जो क्षेत्र के कुल आबंटन में प्रतिशत 55.37 है। सी.एस.बी. ने उत्तर दिया (मार्च 2010) कि घटिया कार्यान्वयन के लिए प्रमुख कारण था कि Xवीं योजना के 10 प्रतिशत के मुकाबले XIवीं योजना में लाभार्थियों के हिस्से में 50 प्रतिशत की भारी वृद्धि जो मल्टी इंड रील बनाने हेतु आवश्यक था जिसके कारण ₹ 60 हजार के लाभ के लिए ₹ चार लाख का योगदान करना पड़ा। आगे उत्तर में बताया गया कि XIवीं योजना के दौरान सी.एस.बी. का हिस्सों में पुनः 50 प्रतिशत की वृद्धि की गई और पश्च कोकून क्षेत्र के घटकों के लिए परिणाम स्वरूप घोषित लक्ष्यों की उपलब्धि हुई।

नमूना जाँच राज्यों में, घटकों के कार्यान्वयन में कमियों को देखा गया जो निम्नलिखित हैं।

3.4.3.1 कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज सब्सिडी

बैंकों द्वारा रील बनाने वाली इकाइयों के लिए संस्वीकृत 'कार्यशील पूंजी पर ब्याज सब्सिडी' घटक ने व्यवसायों पर ब्याज के भार को कम किया। राज्य सरकार एवं बैंकों की सिफारिश के आधार पर सी.एस.बी. को सहायता राशि को सार्वधिक जमा के रूप में रखना था एवं उस पर अर्जित ब्याज को दिशानिर्देशों के अनुसार इकाई/लाभार्थी के कार्यशील पूंजी ऋण खाते में क्रेडिट करना था जो इकाई/लाभार्थी के वार्षिक आधार पर अधिकतम पांच वर्षों की अवधि में निष्पादन पर आधारित था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू एवं कश्मीर, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ में जनवरी 1999 से जनवरी 2007 के बीच ₹ 3.68 करोड़ की सहायता राशि को 142 लाभार्थियों को सावधि जमा के रूप में दी गई। नमूना जाँच में पता चला कि ₹ 1.67 करोड़ की सावधि जमा को 60 मामलों में पांच वर्ष की निर्धारित अवधि से आगे भी ब्याज सब्सिडी को जारी रखा गया था। सी.एस.बी. को क्रेडिट होने वाले ब्याज की राशि को लेखापरीक्षा में संख्यात्मक रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता।

सी.एस.बी. ने बताया कि योजना जारी रखने प्रत्याशा में कार्यशील पूंजी सब्सिडी को पांच वर्ष से आगे भी जारी रखा गया। उत्तर योजना दिशानिर्देशों के अनुसार अनुरूप नहीं है।

3.4.3.2 घरेलू उद्योग बेसिन की स्थापना के लिए सहायता

Xवीं योजना के अंतर्गत घटक लागू किया गया था और संशोधनों के साथ XIवीं योजना में जारी रखा गया था। इस घटकों का उद्देश्य उत्तम गुणवत्ता का रेशम प्राप्त करना तथा रील बनाने वालों के अस्वास्थ्यकर कार्यस्थल, प्रदूषित वातावरण तथा स्वास्थ्य खतरों से पूर्ण कार्य दशाओं में सुधार लाना था।

2005-06 के दौरान दोनों पारंपरिक और गैर पारंपरिक राज्यों में ₹ 75 लाख के उपयोग से 122 इकाईयाँ स्थापित की गई थी। 2007-09 में 100 इकाईयों के प्रति, 47 इकाईयों की स्थापना के लिए (₹ 1.40 करोड़ आबंटित के प्रति) ₹ 69 लाख की राशि उपयोग की गई। 2007-09 में प्राप्त प्रस्तावों के बावजूद, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि जैसे परंपरागत राज्यों में, घटक लागू नहीं किया गया क्योंकि निधियों का निर्मुक्ति के लिए सर्वोच्च निगरानी समिति सुझाव नहीं दिए।

के.रे.बो. ने बताया (मार्च 2010) कि बीवोल्टाइज उत्पादन को जोर देने के लिए, पारंपरिक राज्यों में नहीं लागू करने के लिए निर्णय लिया गया। के.रे.बो. ने निर्गम सम्मेलन में इसी बात को दोहराया। दिशानिर्देशों के अनुसार उत्तर तर्कसंगत नहीं था जिसका परिणाम अपर्याप्त कार्यान्वयन और परिहार्य बचत के रूप में हुआ।

3.4.3.3 दिशानिर्देशों के उल्लंघन में सहायता का विस्तार

अभिलेखों की जांच से प्रकट हुआ कि लाभार्थियों को दिशानिर्देशों के उल्लंघन से सहायता दी गई जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

असम	के.रे.बो. ने 2007-08 में कुटीर बेसिन सुधार के लिए 6 इकाईयों के लिए ₹ 12 लाख सहायता जारी की थी। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि रेशम उत्पादन विभाग ने 36 संशोधित देशी चरखा ₹ 13 लाख में खरीदा (अक्टूबर 2009)। परिणामस्वरूप इस कोष को अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया गया।
उत्तर-पूर्वी राज्य	योजना का उद्देश्य राज्य सरकारों को बाजार, भण्डारण रेशम एक्सचेंज, गर्म वायु वाष्पीकरण सुविधा आदि सहायता प्रदान करना था। उत्तर-पूर्वी राज्यों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों में घटक में वर्णित वांछित विवरण का समुचित विवरण नहीं था। तथापि, लम्बित विस्तृत विवरण की प्रतीक्षा में ₹ 49.50 लाख की निधियां 2007-08 में असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैण्ड तथा त्रिपुरा को दी गई थी। अगले त्रैमासिक आधार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति भी राज्यों को जारी नहीं की गई थी (मार्च 2010)। के.रे.बो. ने बताया (मार्च 2010) कि मामला संबंधित राज्यों से उठाया गया है। तथ्य यह है कि निर्धारित दिशानिर्देशों के विरुद्ध निधियां जारी की गईं।

3.4.3.4 घटकों का आंशिक कार्यान्वयन

पश्च - कोकून कार्यकलापों के घटकों के कार्यान्वयन की समीक्षा से प्रकट हुआ कि पश्च -कोकून क्षेत्र के पांच घटकों का कार्यान्वयन आंशिक रूप से हुआ जो पूर्व एवं पश्च कोकून के अग्रिम एवं पश्च सम्मिलन में कमी का द्योतक था। इसका विवरण निम्ननुसार था।

तालिका - 12

क्र.सं.	योजना	लक्ष्य (इकाईयां)	उपलब्धि (इकाईयां)	अभ्युक्तियां
1.	रील निर्माण करने वाले स्वचालित मशीनों की Xवीं योजना के अंतर्गत "अतिरिक्त इनपुट" के अंतर्गत स्थापना	6	2	₹ 1.50 करोड़ के उपयोग में ₹ तीन करोड़ की छः इकाईयों की स्थापना के लिए आबंटन के प्रति केवल तीन इकाईयां आन्ध्र प्रदेश (1) तथा तमिलनाडु (2) स्थापित की गई थी। के.रे.बो. ने बताया कि 2005-07 में वित्तीय स्वीकृति में देरी के कारण उपलब्धि कम हुई।
2.	Xवीं योजना के अंतर्गत अतिरिक्त इनपुट इलेक्ट्रिकल/ मल्टिप्ल्युल के तहत - उषान कोटि (50 कि.ग्रा./प्रतिदिन)	500	118	यह घटक उत्तरी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए था। इस योजना के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में तमिलनाडु (₹ 15 लाख), आन्ध्र प्रदेश (₹ एक लाख), कर्नाटक (₹ पांच लाख) तथा महाराष्ट्र (₹ चार लाख) में घटक लिया गया था। इस योजना के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में 2006-07 के अंत तक 118 इकाईयों की स्थापना के लिए ₹ 1.48 करोड़ का उपयोग किया गया था। ₹ 2.29 करोड़ के आबंटन के प्रति ₹ 1.48 करोड़ का उपयोग किया गया था। के.रे.बो. ने बताया कि वर्ष 2005-07 में धन की स्वीकृति की देरी से आंशिक कार्यान्वयन हुआ।
3.	Xवीं योजना के अंतर्गत उन्नत प्रौद्योगिकियों के अतिरिक्त अनुदानों के अंतर्गत उपयोग के माध्यम से बालश्रम वितरित करने हेतु	2250	54	2005-07 के दौरान ₹ 2.72 करोड़ के आबंटन के प्रति ₹ 8.52 लाख के उपयोग से केवल कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में घटक लागू किया गया था। के.रे.बो. ने बताया कि धीमी प्रगति के कारण वित्तीय स्वीकृति में देरी थी।
4.	Xवीं योजना के अंतर्गत 'अतिरिक्त इनपुट' के अंतर्गत रेशम के वन्य धागे प्रसंकरण के लिए	4 मिलें और 7 सी.एफ.सी.	2	वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान चार मिलों और सात सी.एफ.सी. की स्थापना के लिए ₹ 10.06 करोड़ के आबंटन के प्रति आन्ध्र प्रदेश और असम में दो काता

	मशीनी प्रक्रिया से संबंध रचन-रेशम प्रणाली के लिए सामान्य सुविधा केन्द्र (सी.एफ.सी.) की स्थापना			रेशम मिल इकाईयों की स्थापना के लिए के.रे.बो. ने केवल ₹ 2.25 करोड़ का व्यय किया। के.रे.बो. ने बताया कि धीमी प्रगति का कारण वित्तीय अनुमोदन में देरी थी।
5.	XIवीं योजना के अधीन, रेशम चपेट और कटाई क्षेत्र में पपाई तेल निष्कर्षण उत्पादन की स्थापना और मध्यवर्ती उपयोग इकाईयों की स्थापना	02	-	दो पपाई तेल निष्कर्षण उत्पादन की स्थापना के लिए और उत्पाद उपयोग इकाईयों हेतु ₹ 21लाख के आबंटन (2007-09) के विरुद्ध कोई इकाई स्थापित नहीं की गई थी। के.रे.बो. ने बताया कि घटक, उद्यमियों से प्रतिक्रिया की कमी के कारण लागू नहीं किया गया था।

3.4.4 सहायता सेवा क्षेत्र

इस क्षेत्र के घटकों ने बीज क्षेत्र, कोकून क्षेत्र तथा पश्च कोकून क्षेत्र के पूरक कार्यक्रमों के रूप में कार्य किया। 2004-09 की अवधि में इस क्षेत्र के लिए ₹ 27.73 करोड़ के आबंटन के प्रति ₹ 12.56 करोड़ की राशि व्यय की गई। इस क्षेत्र के कुल आबंटन की 45.29 फीसदी थी। 2004-09 के दौरान इस क्षेत्र में 16 घटकों में से पाँच घटक के तहत शून्य/आंशिक कार्यान्वयन हुआ जिनके परिणामस्वरूप उद्देश्यों की गैर-उपलब्धि हुई जिका विवरण निम्न है।

तालिका 13

क्र.सं.	योजना	उद्देश्य	लक्ष्य (₹ करोड़ में)	उपलब्धि (₹ करोड़ में)	अभ्युक्तियाँ
1.	अध्ययन/मॉनीटरिंग/ सर्वेक्षण/परामर्श/ पर्यवेक्षण/मूल्यांकन के लिए सहायता	परियोजनाओं के प्रवाह पर ध्यान केन्द्रीत करने और लागू करने की प्रक्रिया में कमी/बाधाओं की पहचान करने के लिए	1.75	1	राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए थे।
2.	गैर-सरकारी संगठनों/स्वयं सहायता समूह और परियोजना की दिशा में प्रशासनिक व्यय कार्यान्वयन की बैठक के लिए बोर्ड और राज्य विभाग के अलावा अन्य	प्रौद्योगिकी अवशोषण तरह की गतिविधियों, भूमि और प्रयोगशाला के बीच अन्तर की कमी, क्षेत्र स्तर पर समस्या साधक के रूप में कार्य के लिए किसानों को संगठित करने की गतिविधियाँ	1.00	0.10	दिशानिर्देशों के बावजूद घटक, कर्नाटक और केरल में यह बताते हुए कि गैर-पारम्परिक राज्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, लागू किया गया था।

	एजेन्सियों को सहायता				
3.	परियोजना के डिजाइन और भारतीय रेशम के विकास जेनेरिक पदोन्नति रेशम उत्पादन प्रदर्शनियों सहित क्रेता - विक्रेता आदि से मिलता है।	गुणवत्ता उन्नयन, निवेश निर्माण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और रोजगार सृजन	0.14	0.11	2008-09 के दौरान 15 राज्यों के प्रति घटक, असम और कर्नाटक में लागू किया गया था।
4.	“अतिरिक्त इनपुट” के अंतर्गत भविष्य एवं ऑन लाइन व्यापार हेतु आई.टी. की पहल	गुणवत्ता आधारित मूल्य के संदर्भ में लाने के लिए कोकून और कच्चे रेशम के लिए ऑन लाईन व्यापार को बढ़ावा देने के लिए	7.50	0.35	लक्ष्य की गैर उपलब्धि के लिए के.रे.बो. ने बताया (मार्च 2010) कि मौजूदा राज्य कोकून स्कीम के सुचारु रूप से कार्यान्वयन के लिए बड़ी बाधा बने।
5.	“अतिरिक्त इनपुट” के अंतर्गत वन्य विपणन संवर्धन सेल	अनुसंधान एवं बाजार सर्वेक्षण के माध्यम से विपणन डिजाइन और उत्पादों को विकसित करने के लिए	7.50	0.35	वर्ष 2006-07 में ₹3.5 करोड़ के आबंटन के विरुद्ध भारत सरकार ने ₹1.50 करोड़ जारी किए जबकि ₹86 लाख उपयोग संवर्धन क्रियाकलापों के लिए हुआ शेष राशि का उपयोग 2007-08 के लिए प्रस्तावित था। तथापि, अव्ययित शेष अन्य घटक “अतिरिक्त इनपुट” के लिए पुनर्विनियोग किये गये थे।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से आगे प्रकट हुआ कि ‘लाभार्थी प्रशिक्षण कार्यक्रम’ घटक के अंतर्गत ₹ 41 लाख के आबंटन के प्रति के.रे.बो. ने नौ राज्यों को ₹ 2.32 करोड़ निर्मुक्त किए। यह देखा गया था कि अपेक्षित विवरण जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या/आयोजित किये गये प्रदर्शन दौरे, स्थल, अवधि, किसानों/ प्रशिक्षण पणधारियों, कार्यक्रम-वार व्यय आदि दर्शाने वाले कोई ब्यौरेवार प्रगति रिपोर्ट नहीं थी। संवीक्षा ने यह भी प्रकट किया कि असम, जिसने के.रे.बो. से ₹ एक करोड़ प्राप्त किए, घटक के लिए केवल ₹ 16 लाख का उपयोग कर सका तथा ₹84 लाख का अन्य क्षेत्रों को विपथन किया। तथापि, ₹ एक करोड़ की समग्र राशि के.रे.बो. की प्रगति रिपोर्ट में घटक के अंतर्गत दर्शाई गई थी।

अनुशंसा

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाभार्थियों तक विस्तारित सहायता, योजना दिशानिर्देशों के अनुसार प्रयुक्त की गई है, के लिए एक उपयुक्त क्रियाविधि की युक्ति करनी चाहिए।
- के.रे.बो. को रेशम उत्पादन और रेशम उद्योग के व्यापक विकास हेतु विचार किये गये सभी घटकों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए।

3.5 मॉनीटरिंग और मूल्यांकन

वित्तीय और भौतिक प्रगति की मॉनीटरिंग यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण थी कि उपलब्ध कराए गए संसाधन अभिप्रेत उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त किये गये थे। Xवीं योजना के अनुसार, कार्यक्रम स्वीकृति मॉनीटरिंग समितियां (पी.ए.एम.सी.), कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए 2002 के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा बनाई जानी चाहिए। तथापि, छत्तीसगढ़ ने 2003-04 में समिति बनाई जबकि कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु ने इसे मार्च 2004 में बनाया। फिर भी के.रे.बो. ने पी.ए.एम.सी. का गठन करने पर जोर दिए बिना निधियां जारी कीं।

राज्य स्तर पर परियोजना मॉनीटरिंग समितियों सहित के.रे.बो. में शीर्ष मॉनीटरिंग समिति (ए.एम.सी.) निधियों के जारी करने और, निर्देश और पी.एम.सी. को दिशानिर्देश देने के लिए कपड़ा मंत्रालय के अनुशंसित प्रस्तावों के उत्तरदायित्व सहित XI वीं योजना के आरम्भ की शुरुआत में गठित की जानी थी। तथापि, ए.एम.सी. फरवरी 2008 के दौरान ही गठित की गई थी और प्रतिवर्ष निर्धारित चार बैठकों के प्रति, 2007-08 के दौरान एक और 2008-09 के दौरान तीन बैठक हुई थी। जहां तक पी.एम.सी. का संबंध है, उत्तर प्रदेश ने इसे 10 महीनों के विलम्ब के पश्चात मार्च 2009 में गठित किया।

ए.एम.सी. और पी.एम.सी. बीच, कोकून और पश्च कोकून क्षेत्रों के अंतर्गत कुछ घटकों की मॉनीटरिंग कार्यान्वयन में प्रभावी नहीं थी।

3.6 उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम का प्रभाव

तालिका-14

(मात्रा मि.ट. में)

वर्ष	शहतूत (बिवोल्टिन)	मूगा	तसर	इरी	कुल
2004-05	14620(893)	110	322	1448	16500
2005-06	15445(971)	110	308	1442	17305
2006-07	16525(1100)	115	350	1485	18475
2007-08	16245(1175)	117	428	1530	18320
2008-09	15610(1250)	119	603	2038	18370

सी डी पी का उद्देश्य गुणवत्ता और मात्रा के संदर्भ में रेशम उत्पादन में धारणीयता और सुधार के लिए राज्यों और लाभार्थियों को शामिल करके रेशम उद्योग का पूर्ण और समग्र विकास करना था। उच्च श्रेणी के कच्चे रेशम विशेष तौर पर बिवोल्टिन कच्चा

रेशम के उत्पादन की महत्ता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए बिबोल्टिन कृमिकोष के उत्पादन एवं उत्पादकता के सुधार पर विशेष बल दिया जा रहा था। कच्चे रेशम के कुल उत्पादन का विवरण नीचे के रूप में है।

समीक्षा अवधि के दौरान, समग्र उत्पादन ने किसी महत्वपूर्ण वृद्धि को नहीं दर्शाया था। बिबोल्टिन उत्पादन के संबंध में, यह पाया गया कि 2004-05 में 1100 एम टी से लेकर 2008-09 में 2380 एम टी के लक्ष्य के प्रति, वास्तविक उत्पादन 81 प्रतिशत (2004-05) से 53 प्रतिशत (2008-09), तक कम हुआ जो उच्च गुणवत्ता वाले रेशम के धागे के उत्पादन पर सी डी पी के कम प्रभाव को इंगित करता था।

इसके अतिरिक्त, निम्न तालिका में यह देखा जा सकता था कि पारम्परिक राज्यों में तमिलनाडु के सिवाय अन्य मुख्य रेशम उत्पादक राज्यों नामतः कर्नाटक एवं आन्ध्रप्रदेश में, बिबोल्टिन कच्चे रेशम धागे का उत्पादन घट रहा था। जम्मू एवं कश्मीर में, उत्पादन में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं थी जबकि पश्चिम बंगाल में उत्पादन नगण्य था।

तालिका-15

(मात्रा मि.ट. में)

वर्ष	परंपरागत राज्य									
	कर्नाटक		तमिलनाडु		आंध्र प्रदेश		जम्मू व कश्मीर		पश्चिम बंगाल	
	ल.	प्रा.	ल.	प्रा.	ल.	प्रा.	ल.	प्रा.	ल.	प्रा.
2004-05	600	498	60	59	250	150	85	90	1	1
2005-06	700	396	60	176	250	177	100	95	2	1
2006-07	650	358	190	296	450	193	100	102	10	1
2007-08	800	401	300	322	408	150	103	105	15	2
2008-09	950	374	430	377	440	130	106	102	25	1

ल. लक्ष्य प्रा. प्राप्ति

3.6.1 आयात और निर्यात

कच्चे रेशम के आयात का विवरण नीचे दी गई है

तालिका-16

(मात्रा मि.ट. में)

वर्ष	आयात (मात्रा में)	कीमत (₹ करोड़ में)
2004-05	7948	609.21
2005-06	8383	-
2006-07	5565	673.37
2007-08	7922	734.44
2008-09	8369	800.63

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि सिर्फ वर्ष 2006-07 में, आयात घटा और उसके बाद एक बढ़ती प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, जहां तक निर्यात का संबंध था, रेशम धागे तथा अग्रिम उत्पाद को निर्यात मूल्य 2004-05 में ₹ 2880 करोड़ से बढ़कर 2006-07 में ₹ 3338 करोड़ हो गया। तथापि, 2007-08 तथा 2008-09 में यह क्रमशः ₹ 2727 करोड़ और ₹ 3166 करोड़ तक कम हुआ।

यह स्पष्ट है कि वर्ष 2004-05 से 2008-09 के दौरान ₹ 353.15 करोड़ के लागत से सी.डी.पी. के कार्यान्वयन के बावजूद, आयात क्रमशः बढ़ा जबकि निर्यात ने ह्रास की प्रवृत्ति दर्ज की। इस प्रकार, रेशम के निर्यात को बढ़ाने और आयात को कम करने का सी.डी.पी. का बुनियादी उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

3.7 निष्कर्ष

सी.डी.पी. का कार्यान्वयन वास्तविक योजना एवं प्राप्य लक्ष्यों की तैयारी पर निर्भर करता था जो विश्वसनीय सर्वेक्षण के विशिष्ट स्थान निर्धारण पर आधारित थे। अनुमोदित घटकों की एक बड़ी संख्या का या तो कार्यान्वयन नहीं हुआ या फिर आंशिक कार्यान्वयन हुआ जो इंगित करता था कि योजना मूल स्तर से प्रतिपुष्टि किए बिना ही बनाई गई थी।

निधियों का अवास्तविक आबंटन, निधियों की अनुपयोगिता, उपयोगिता प्रमाणपत्रों का अवास्तविक प्रस्तुतीकरण, दिशानिर्देशों के विपरीत निधियों की निर्मुक्ति तथा कृमिकोष तथा पशु-कृमिकोष क्षेत्रों के बीच व्यय का बेमेल होने जैसी वित्तीय प्रबंधन में कमजोरी पाई गई। मौजूदा मॉनीटरिंग तंत्र प्रभावी नहीं थे क्योंकि पशु कृमिकोष क्षेत्र के विभिन्न घटकों के संदर्भ में लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण कमियां थीं। इसके अतिरिक्त, रेशम के आयात में कमी एवं निर्यात में वृद्धि के उद्देश्य से बिबोल्टिन रेशम की उच्च गुणवत्ता सहित कच्चे रेशम के उत्पादन में वृद्धि हेतु राज्यों के प्रभावों को उत्प्रेरित करने हेतु सी.डी.पी. का मूलभूत उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ।

आभार

हम के.रे.बो. और राज्य सरकारों के प्रबंधन के लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान, उनके सहयोग और सहायता के लिए आभार प्रकट करते हैं।

जून 2010 में मामला मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; और उनका उत्तर जुलाई 2010 तक प्रतीक्षित था।

अनुबन्ध-I

(पैराग्राफ 3.1.2 के संदर्भ में)

Xवीं योजना के अन्तर्गत संघटक

	शहतूत क्षेत्र
1.	शहतूत किस्मों के उच्च उत्पादन की पौधशालाओं को बढ़ाने में सहायता
2.	शहतूत के नए रेशम कीटपालकों को कृषि कार्य प्रशिक्षण एवं प्रारम्भिक उपकरण
3.	किसानों (बिवोल्टिन रेशम कीट पोषण हेतु) को पोषण उपकरण एवं कृषि उपकरण
4.	छिड़काव सिंचाई प्रणाली के संस्थापन हेतु सहायता
5.	जीवाणुरोधी गुणवत्ता के प्रयोग की सहायता
6.	पोषणघर के निर्माण हेतु किसानों को सहायता
7.	चाकीपोषण केन्द्र-गुणवत्ता सेवा क्लबों/गैर सरकारी संगठनों/स्वयं सहायता समूहों को चाकी पोषण गृह के निर्माण हेतु सहायता तथा चाकीपोषण उपकरण की अधिप्राप्ति
8.	फसल बीमा सहायता - शहतूत
9.	वर्तमान राज्य/पारास्टेटल/सहकारी स्वामित्व वाले बीज उत्पादन एवं रीलिंग इकाइयों में उपकरणों के उच्चीकरण हेतु सहायता
	तसर क्षेत्र
10.	तसर /ओक तसर भोजन पौध के क्रमबद्ध वृक्षारोपण का अनुक्षण एवं उत्थान हेतु सहायता
11.	राज्यों के तसर /ओक तसर बीज गुणात्मक अवसंरचना के अनुक्षण हेतु सहायता
12.	निजी ग्रेनरों द्वारा तसर ग्रेनेज की स्थापना हेतु सहायता
13.	पोषण उपकरणों की अधिप्राप्ति हेतु तसर व्यवसायी पोषकों की स्थापना
14.	फसल बीमा सहायता - तसर
15.	ऐरी क्षेत्र
16.	ऐरी भोजन पौधों की वृद्धि, प्रशिक्षण एवं प्रारम्भिक उपकरणों हेतु सहायता
17.	ऐरी फार्म - सह-ग्रेनेजों के सुदृढीकरण हेतु राज्यों को सहायता
18.	मूगा - क्षेत्र
19.	मूगा भोजन पौधों के क्रमवार वृक्षारोपण के उत्थान तथा मूगा बीज पोषकों द्वारा वृक्षारोपण के अनुक्षण हेतु सहायता
20.	राज्यों में मूगा बीज गुणात्मक अवसंरचना के सुदृढीकरण हेतु सहायता
21.	मूगा निजी ग्रेनरों को सहायता
22.	फसल बीमा सहायता - मूगा
23.	पश्च कृषि कोण क्षेत्र
24.	मल्टी एंड रेशम रीलिंग इकाइयों हेतु सहायता
25.	रेशम रीलिंग इकाइयों से सहायता
26.	कृमिकोष गुणवत्ता श्रेणीक्रम एवं कच्चे रेशम का जांच उपकरण की अधिप्राप्ति हेतु गुणवत्ता सेवा क्लबों को सहायता
27.	राज्य सरकारों /गै.स.सं./सहकारी समितियों/ एस.एच.जी. के प्रमुख रीलर/बुनकर/रंगरेज को सेवाएं

	प्रदान करना
28.	सामान्य सुविधा केन्द्रों (सी.एफ.सी.) की स्थापना
29.	कृमिकोषों एवं रेशम धागे हेतु गुणवत्ता आधारित मूल्य सहायता
30.	संशोधित रीलिग /कताई उपकरणों के उच्चीकरण, एवं प्रसार हेतु अभिकरणों (गै.स.सं./सहकारी समितियों) को सहायता
31.	सहायता सेवाएं
	2005-06 में संस्वीकृत अतिरिक्त इनपुट के अन्तर्गत घटक
1	जैविक खाद शेड के निर्माण हेतु सहायता
2	पोषण उपकरणों की आपूर्ति - संशोधित फिल्म संग्रथन
3	एरी कच्चा सामग्री बैंक की स्थापना
4	पश्च कोकून क्षेत्र
5	सह उत्पाद उपयोग हेतु सहायता
6	वन्य रेशम बाजार प्रोत्साहन केन्द्र
7	छिड़काव सिंचाई
8	निजी लाइसेंसशुदा रेशमकीट बीज उत्पादों को सहायता
9	ऑनलाईन व्यापार एवं भविष्य हेतु आई टी पहल
10	रेशम मार्क को प्रोत्साहन

XI वीं योजना के अन्तर्गत संघटक

क्र. सं.	पैकेज/क्षेत्र का नाम	संघटकों का विवरण
1	बीज क्षेत्र हेतु पैकेज	<p>शहतूत:</p> <ul style="list-style-type: none"> • शहतूत क्षेत्र के अन्तर्गत मौजूदा बीज /ग्रेनेज इकाइयों के उच्चीकरण हेतु सहायता • लोक निजी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बिबोल्टिन बीज उत्पादन ग्रेनेज को स्थापित करने हेतु सहायता • लोक/निजी ग्रेनेज (गुणवत्ता बीज उत्पादन हेतु) बीज जांच सुविधाओं हेतु सहायता • पी1 ग्रेनेज एवं पी2 ग्रेनेज शहतूत रेशमकीट बीज उत्पादन केन्द्रों (रेशमकीट बीज इकाइयों हेतु आई.एस.ओ./बी.आई.एस. गुणवत्ता बीज प्रमाण के लिए सहायता) को सहायता <p>वन्य:</p> <p>तसर:</p> <ul style="list-style-type: none"> • निजी तसर भण्डारक • तसर बीज वृद्धि अवसंरचना को मजबूत बनाने के लिए सहायता • राज्य में ओक तसर हेतु बीज वृद्धि /अवसंरचना को मजबूत बनाने के लिए सहायता • बीज उत्पादकों को सहायता <p>एरी:</p> <ul style="list-style-type: none"> • विद्यमान एरी फार्म भण्डारण जिसमें बीज उत्पादकों एवं निजी भण्डारक शामिल थे, को मजबूत बनाने के लिए राज्य विभागों को सहायता <p>मूगा:</p> <ul style="list-style-type: none"> • मूगा निजी उत्पादकों को सहायता • मूगा बीज वृद्धि अवसंरचना को मजबूत बनाने के लिए राज्य विभागों को सहायता

क्र. सं.	पैकेज/क्षेत्र का नाम	संघटकों का विवरण
2	कोकून क्षेत्र के लिए पैकेज	<p>शहतूत:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● शहतूत वृक्षारोपण विकास हेतु सहायता एवं अन्य ● सिंचाई एवं अन्य जल संरक्षण तथा प्रयोग तकनीक हेतु सहायता ● बिवोल्टिन सेरीकल्वर किसानों के लिए - पालक उपकरणों (उन्नत माउन्टेज/कृषि उपकरणों को शामिल करते हुए) की आपूर्ति ● बिवोल्टिन बीज उत्पादन किसानों के लिए गुणवत्तापूर्ण जीवाणुनाशक वस्तुएं एवं अन्य फसल संरक्षण उपायों की आपूर्ति ● `150,000, `100,000 तथा `50,000 के आदर्श पालन केन्द्रों के निर्माण हेतु सहायता ● चौकी उद्यान के अनुसंधान, चौकी पालन केन्द्रों (सी.आर.सी.) के भवन निर्माण तथा चौकी पालन उपकरणों के प्रापण हेतु सहायता ● सभी क्षेत्रों के लिए बीमा सहायता ● जैविक इनपुट के लिए उत्पादक इकाइयों का गठन (टीके, जैविक नियंत्रक एजेन्ट आदि) ● किसानों के प्रशिक्षण हेतु सहायता ● जीवाणुनाशक एवं इनपुट आपूर्ति के लिए घर-घर सेवा एजेन्टों तथा सेरीकल्वर पाली क्लिनिक के लिए सहायता <p><u>वन्य:</u></p> <p>तसर:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● तसरधारक पौधारोपण की वृद्धि के लिए पालकों को सहायता ● ओकतसर के क्रमबद्ध पौधारोपण करने एवं इसके अनुसंधान हेतु सहायता ● तसर क्षेत्र में कोकून स्टोरेज गृहों के निर्माण हेतु सहायता। <p>एरी:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● प्रारम्भिक उपकरण के साथ अरण्डी/कसाबा उत्पादकों को सहायता ● एरी अन्न पौधों की शाश्वत वृद्धि हेतु प्रारम्भिक उपकरणों की आपूर्ति ● पालन गृहों का निर्माण <p>मूगा:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● मूगा आहार पौधों की पौधशाला/मूगा पौधों की वृद्धि के लिए कृषि यंत्रों की आपूर्ति/मूगा सिल्क कीड़ों के पालकों तथा बीज उत्पादकों को सहायता

क्र. सं.	पैकेज/क्षेत्र का नाम	संघटकों का विवरण
3	पोस्ट कूकून क्षेत्र के लिए पैकेज	<p>सिल्क रील तैयार करना एवं बुनाई:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● नई कम गति वाली, (20 छोर प्रति बेसिन) प्रमाणित बहुछोर रीलींग मशीन (18 बेसिन-360 छोर के बराबर) को लोकप्रिय बनाना ● प्रमाणित (10 छोर प्रति बेसिन) बहुछोर रीलींग मशीन (10 तथा 20 बेसिन) की स्थापना हेतु सहायता ● ऑटोमेटिक/सेमी ऑटोमेटिक रील बनाने वाली इकाईयों (आयातित) की स्थापना ● उन्नत घरेलू बेसिन रीलींग इकाईयों की स्थापना हेतु सहायता ● बाल श्रम निषेध हेतु मौजूदा चरखा इकाईयों को सहायता(मोटरवाला चरखा) ● प्रमाणित ड्यूपियन सिल्क रीलींग इकाईयों की स्थापना हेतु सहायता प्रदान करना (10 कि.ग्रा./20 कि.ग्रा. तदर्थ आधार) ● रीलींग इकाईयों (50 कि.ग्रा. तथा 100 कि.ग्रा. क्षमता)के लिए गर्म वायु शोधक/विद्युत/बहु ईंधन/उषान कोटिस के रूप में सहायता ● मरोड़ने वाली इकाईयों को सहायता ● प्यूपा तेल निकासी, उत्पादन तथा इसके मध्यवर्ती उत्पादों का उपयोग करने वाली इकाईयों की स्थापना हेतु सहायता ● विवोल्टीन सिल्क के उत्पादन हेतु सहायता ● राज्य सरकारों/काऑपरेटिव/एन.जी.ओ./एस.एच.जी. को कूकून एवं कच्चा सिल्क हेतु गुणवत्ता आधारित मूल्य सहायता प्रणाली विकसित करना ● कूकून बैंक/वन्य क्षेत्र के लिए बाजार सहायता -तसर, ओक तसर, इदी तथा मूगा के लिए आर.एम.बी. की स्थापना ● मास्टर रीलर्स/बुनकरों/रीलींग बुनाई, रंगाई का सुखाई कार्य करने वालों की सेवा राज्य सरकार एन.जी.ओ./काँपआरेटिव संस्थाओं/एस.एच.जी. को प्रदान करना ● वन्य रीलींग/स्पिनिंग क्षेत्रों को स्थापना हेतु सहायता <p>क) स्पिनिंग ख) रीलींग कम ट्वीस्टिंग</p> <ul style="list-style-type: none"> ● स्पन/स्पिनिंग मिलों की स्थापना हेतु सहायता <p>सिल्क बुनाई:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● शटल रहित लूम (8 लूम वाली प्रत्येक इकाई तथा 1 सैक्शनल वार्षिक मशीन के साथ) की स्थापना हेतु सहायता ● लूम की उन्नतिकरण के लिए हैण्डलूम क्षेत्र को सहायता <p>1. सिल्क के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए प्रमाणित हैण्डलूमों (समानान्तर बीट अप/झूलेदार बीट अप/नेगेटिव लेटऑफ आदि) 5- वहील टेक-अप, जेक्यार्ड (240 हुक) सहित अलग कपड़ा रूलर को सहायता प्रदान करना</p>

क्र. सं.	पैकेज/क्षेत्र का नाम	संघटकों का विवरण
		<p>2. जैकार्डस (या डॉ बी/न्यूमेटिक लिफ्टिंग मशीन/बाल टू बीम कन्वर्सन डिवाइस आदि) के माध्यम से लूम का उन्नतिकरण</p> <p>3. कम्प्यूटर की मदद से कपड़ों की डिजाइन तैयार करना (सी.ए.टी.डी.)</p> <p>नमी सहित प्रसंस्करण:</p> <ul style="list-style-type: none"> • धागों की रंगाई/कपड़े के प्रसंस्करण हेतु सम्मिलित सुविधा के निर्माण हेतु सहायता: <ol style="list-style-type: none"> 1. धागे की रंगाई : 25 कि.ग्रा. क्षमता 2. धागे की रंगाई : 50 कि.ग्रा. क्षमता 3. बॉह की रंगाई : 50 कि.ग्रा. क्षमता 4. कपड़ा प्रसंस्करण सुविधा
4	समर्थन सेवा क्षेत्र	<ul style="list-style-type: none"> • उत्पादन अभिकल्पना और विकास • वन्य सिल्क मार्केट प्रमोशन सेल • ठेकेदार एवं प्रबंधन विकास कार्यक्रम • लाभार्थी अधिकारिता कार्यक्रम • क्षेत्र की लोकप्रियता • अध्ययन/परामर्श/सर्वेक्षण/मॉनीटरिंग/मूल्यांकन आदि के प्रति सहायता • परियोजना कार्यान्वयन के प्रति प्रशासनिक व्यय करने के लिए एन.जी.ओ./एस.एच.जी. और अन्य एजेंसियों को सहायता • एस.जी.एस.वाई./एस.एफ.यू.आर.टी.आई. और इसी प्रकार की अन्य परियोजनाओं के समर्थन के लिए कलस्टर विकास परियोजना • महिला विकास घटक (नया घटक) • जनजातीय क्षेत्रों पर महत्व (नया घटक)
5	रेशम उत्पादन पर निगम भागीदारी	<ul style="list-style-type: none"> • निगम क्षेत्र के अन्तर्गत संगठित रेशम उत्पादन परियोजना के लिए स्कीम

अनुबन्ध II


(पैराग्राफ 3.1.7. में संदर्भित)

चयनित राज्य एवं जिले

राज्य का नाम	चयनित जिला	
	सं.	नाम
त्रिपुरा	1	पश्चिमी त्रिपुरा
छत्तीसगढ़	3	रायगढ़, कोबरा, अंबिकापुर
उत्तरप्रदेश	5	वाराणसी, सोनभद्र, सहारनपुर, कानपुर, बैहराच
तमिलनाडु	7	कोयम्बटूर, धर्मपुरी, ईरोड, कृष्णागिरी, नमकल, सलम, त्रिकवनमलाई
आन्ध्रप्रदेश	6	अनन्तपुर, चित्तोड़, करनूल, प्रकाशम, गंटूर, कादप्पा
असम	7	कचर, गोलपारा, कमरूप, कोकराजर, नगम, उत्तरलक्ष्मीपुर, सीबसागर
मध्यप्रदेश	6	बलघाट, बितुल, हारडा, होशंगाबाद, नर्सिंगपुर, विदिशा
कर्नाटक	8	बैंगलोर(शहरी), बैंगलोर (ग्रामीण), तुमकर, कोलर, मैसूर, मांड्या, हसन व बैलगांव
जम्मू एवं कश्मीर	5	अनंतनाग, बारामूला, कथुवा, राजौरी, उधमपुर

शब्दावली

बिवोल्टाइज	एक वर्ष में दो प्रजनन (जीवनचक्र) के साथ रेशम कीट रेस द्वारा कोकून बनाना
चरका (रेशम)	कच्चा रेशम रील करने के लिए हाथ से चलाने वाला देसी आशोधित यंत्र
कोकून (रेशम)	रेशम कीट दीमक द्वारा काता हुआ रेशम का छिलका जो उसके निकलने की पियूपा स्तर के दौरान कीड़े को सुरक्षा देता है
माउंटेज	कोकून बनाने के लिए रेशम कीट को सहारा देने के लिए प्रयोग में लाया जाता है
कच्चा रेशम	कोकून से आवश्यक तंतुओं को मिलाने के बाद रेशम को रील किया जाता है और उसमें वास्तविक गोंद या रेशमी होता है
रियअरर	पुनउत्पादन करने या रील करने के लिए रेशम कीट कोकून को उत्पादन के लिए रेशम कीट तैयार करने में लगे लोग
रीलर	रील बनाने के काकून के व्यापार में लगे रीलिंग स्थापना का प्रभारी
रेशमकीट	रेशमकीट वास्तविक में कीट नहीं है यह केटरपिलर है यह केटरपिलर रेशमकीड़े के होते हैं
रेशमकीट बीज	रेशमकीट बीज का अर्थ है सभी प्रकार के रेशम कीड़े बीज जो रेशम कीट रेश से उत्पन्न होते हैं जिसमें हाईबराइड दो या दो से अधिक स्वच्छ रेस, सभी प्रकार के रेशम कीट बीज कोकून और वाणिज्यिक उपयोग के लिए या उसके उद्देश्य से रीयर या उपयोग में आने वाले कीड़े।



कपड़ा मंत्रालय

जूट के विविधकृत उत्पादों के उन्नयन में राष्ट्रीय जूट
विविधता केन्द्र की भूमिका

1950

1950

अध्याय IV: वस्त्र मंत्रालय

जूट के विविध उत्पादों को प्रोत्साहन देने में जूट विविधिकरण हेतु
राष्ट्रीय केन्द्र की भूमिका

विशिष्टताएं

- ❖ एन.सी.जे.डी. ने अभिकल्प आवश्यकता के संदर्भ में तथा जे.डी.पी. की विपणनीयता को बढ़ाने हेतु नये क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किसी भी प्रकार का आवश्यकता निर्धारण सर्वे संचालित नहीं किया।
(पैराग्राफ 4.10.1)
- ❖ एन.सी.जे.डी. ने प्रचारित अभिकल्पों के क्रमबद्ध अभिलेख का रखरखाव नहीं किया और अभिकल्पों के अभिलेख पर कोई कार्रवाई नहीं की।
(पैराग्राफ 4.10.2 और 4.10.4)
- ❖ राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मेलों में एन.सी.जे.डी. प्रशिक्षुओं की भागीदारी सुनिश्चित नहीं थी।
(पैराग्राफ 4.11.2)
- ❖ जे.एस.सी. और जे.आर.एम.बी. योजनाएं उचित योजना और मॉनीटरिंग के बिना ही कार्यान्वित की गईं।
(पैराग्राफ 4.12.1 और 4.12.2)
- ❖ सी.डी.ए. के चयन में विसंगतियाँ थी और एन.सी.जे.डी. ने सी.डी.ए. द्वारा विकसित डब्ल्यू एस एच जी के द्वारा जे.डी.पी. के उत्पादन के संबंध में डाटा का रखरखाव नहीं किया।
(पैराग्राफ 4.13)
- ❖ जे.टी.एम. के प्रथम दो वर्षों में एन.सी.जे.डी. एक भी जूट पार्क विकसित नहीं कर सका।
(पैराग्राफ 4.14)
- ❖ एन.सी.जे.डी. ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रशिक्षुओं के डाटाबेस का रखरखाव नहीं किया।
(पैराग्राफ 4.15)

अनुशंसाओं का सारांश

- बेहतर प्रबंधन और नियंत्रण हेतु एन.जी.ओ./डब्लू एस एच जी के माध्यम से क्लस्टर के विकास हेतु योजना में जे.एस.सी. और जे.आर.एम.बी. योजनाओं को मिला देना चाहिए।
- राष्ट्रीय जूट बोर्ड (बोर्ड) को सुनिश्चित करना चाहिए कि सी.डी.ए. ने उचित योजना के साथ आधारभूत और उन्नत प्रशिक्षण आयोजित किए हैं और प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण के बाद उचित स्म से सहयोग दिया है जोकि उन्हें एक समय-सीमा के भीतर जे.डी.पी. के उत्पादन योग्य बना पाये।
- बोर्ड को जे.टी.एम. के अनुसार जूट पार्कों के सृजन कार्य को शीघ्र सम्पादित करना चाहिये।
- बोर्ड को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कार्यकलापों विशेषकर व्यापक डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रलेखन हेतु प्रणाली स्थापित करनी चाहिए।
- बोर्ड को सहयोगी एजेन्सियों के निष्पादन के मूल्यांकन हेतु प्रणाली स्थापित करनी चाहिए।
- बोर्ड को प्रशिक्षार्थियों हेतु यूनिक आई डी संख्या जारी करने हेतु एक प्रणाली आरंभ करनी चाहिए और प्रशिक्षण देने के पश्चात् भी उनके कार्यकलापों की जानकारी रखने के लिए एक डाटाबेस रखना चाहिए।

4.1 प्रस्तावना

जूट का पारंपरिक रूम से उपयोग बोरे जैसी पैकिंग सामग्री का निर्माण करने के लिए होता आया है। आधुनिक समय में, जूट के अद्वितीय भौतिक गुण ने विशेषकर वैश्विक पर्यावरणीय चिंता के संदर्भ में विविधीकरण का नया अवसर प्रदान किया है। अब जूट अनेक विविध उत्पादों में प्रयुक्त होता है, जिसे सामान्यतया जूट विविध उत्पाद (जे.डी.पी.) कहा जाता है। प्रमुख जे.डी.पी. में हाइड्रोकार्बन मुक्त अनाज ग्रेड जूट के बोरे, जूट के साथ मिश्रित धागे जो फैशन उपसाधन, जियोटेक्सटाइल्स, जूट प्रबलित यौगिक आदि में प्रयुक्त प्रमुख अवयव के रूप में प्रयोग होना शामिल है।

जूट क्षेत्र में विविधीकरण प्रयासों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए भारत सरकार ने (जी ओ आई) 1994 में वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय जूट विकास केन्द्र (एन.सी.जे.डी.) की स्थापना की थी। एन.सी.जे.डी. सोसाइटी निबंधन अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है। एन.सी.जे.डी. का राष्ट्रीय जूट बोर्ड में विलय हो गया है जिसने अपना कार्य 1 अप्रैल 2010 से आरंभ किया।

4.2 संगठन

एन.सी.जे.डी. के मामलों का प्रबंधन गवर्नर कौंसिल द्वारा होता था। कौंसिल का अध्यक्ष वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, का पदेन सचिव होता था और इसमें एक समय में न्यूनतम सात और अधिकतम 25 सदस्य हो सकते थे। एन.सी.जे.डी. का मुख्य कार्यपालक, कार्यपालक निदेशक होता था जो दैनिक प्रबंधन और संपूर्ण संचालन हेतु उत्तरदायी था।

4.3 एन.सी.जे.डी. का लक्ष्य

संस्था की बहिर्निर्णयमावली में दर्ज एन.सी.जे.डी. के मुख्य लक्ष्य निम्नांकित थे:

- आर एण्ड डी संस्था और अन्य संगठनों से प्रौद्योगिकी का अंतरण
- ठेकेदार/शिल्पकार/कारीगर को प्रशिक्षण एवं तकनीकी दिशानिर्देश प्रदान करना
- बाजार प्रोत्साहन योजना और मीडिया कम्पेन की योजना बनाना और क्रियान्वित करना
- आर्थिक सहायता या मूल-पूँजी के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करना

4.4 एन.सी.जे.डी. की योजनाएँ

2007-08 से पहले, एन.सी.जे.डी. निम्नलिखित मुख्य योजनाएँ कार्यान्वित कर रही थी

- अभिकल्प विकास योजना (डी-डी एस)
- बाजार सहायता योजना (एम एस एस)

- जूट सेवा केन्द्र योजना (जे.एस.सी.)
- जूट कच्चा माल बैंक योजना (जे.आर.एम.बी.)

घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जूट उत्पादों को प्रतियोगी बनाने के ध्येय से, जूट उद्योग के समग्र विकास के लिए भारत सरकार ने ₹ 355 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ 2007-08 से पाँच वर्ष की अवधि हेतु (जो XI योजना अवधि से भी मेल खाता था) जूट तकनीकी मिशन (जे.टी.एम.) को आरम्भ किया था। जे.टी.एम. का कार्यान्वयन ₹ 141 करोड़ के परिव्यय वाली जूट विविधीकरण योजनाओं को शामिल करते हुए मिनी मिशनों और मिनी मिशन IV (बी) के माध्यम से किया जाना था और जिसके लिए एन.सी.जे.डी. एक नोडल एजेंसी था। मुख्य योजनाएँ निम्नानुसार थीं-

- जे.डी.पी. के अभिकल्प और विकास की योजना
- जूट विविधीकरण की प्रोत्साहन हेतु योजना¹
- गैर-सरकारी संगठन और महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा क्लस्टर विकास हेतु योजना
- विविध क्षेत्रों हेतु जूट पार्कों की स्थापना हेतु योजना

4.5 निधिकरण

ये योजनाएँ पूर्ण रूपेण भारत सरकार के योजना अनुदानों से वित्तपोषित थीं। विभिन्न योजनाओं पर वर्ष-वार अनुदान और व्यय निम्नांकित थे:

वर्ष	प्राप्त अनुदान	व्यय						कुल व्यय
		अभिकल्प और विकास	बाजार विकास	व्यवसायिकता विकास (जे.एस.सी)	कच्चा माल सहायता (जे.आर.एम.बी)	क्लस्टर विकास	जूट पार्कों का विकास	
2004-05	748.00	85.33	201.25	239.01	69.31	0.00	0.00	594.90
2005-06	724.80	49.99	145.38	295.30	75.05	0.00	0.00	565.72
2006-07	826.00	71.09	189.65	277.99	70.49	0.00	0.00	609.22
2007-08	2140.00	219.86	91.07	96.33	9.45	38.10	5.34	460.15
2008-09	2153.00	266.05	87.27	366.57	47.24	124.85	82.72	974.70
कुल	6591.80	692.32	714.62	1275.2	271.54	162.95	88.06	3204.69

(₹ लाख में)

¹ वर्तमान योजनाएं नामतः एम.एस.एस., जे.एस.सी. और जे.आर.एम.बी. इस योजना में शामिल की गई थी।

4.6 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

एन.सी.जे.डी. की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्ति और सेवाशर्त) अधिनियम, 1971, की धारा 14(1) के अंतर्गत की गई थी। 2004-05 से 2008-09 तक के पांच वर्षों की अवधि शामिल करते हुए "जूट विविध उत्पाद के प्रोत्साहन में एन.सी.जे.डी. की भूमिका" पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा की गई (अगस्त से दिसम्बर 2009)। लेखापरीक्षा में जे.टी.एम. से तीन पूर्व की अवधि (2004-07) और जे.टी.एम. की अवधि के दो वर्ष (2007-09) शामिल थे।

4.7 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह मूल्यांकन करना था कि क्या एन.सी.जे.डी. जूट विविधीकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव डालने में सफल था। उप-लक्ष्य निम्नानुसार थे:-

- क्या विभिन्न योजनाओं हेतु नियोजन प्रभावी था और उचित सर्वेक्षण पर आधारित था;
- क्या विहित दिशानिर्देश के अनुसार प्रभावी ढंग से योजनाओं का कार्यान्वयन हुआ था;
- क्या योजनाओं के कार्यान्वयन पर किया गया व्यय मितव्ययी, दक्ष और प्रभावकारी था;
- क्या योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रभावकारीता मानीटरिंग के लिए क्रियाविधि विद्यमान थी।

4.8 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित से व्युत्पन्न किए गए थे:-

- एन.सी.जे.डी. का संस्थापन प्रलेख
- योजनाओं के कार्यान्वयन (जे.टी.एम. अवधि से पूर्व) के लिए मंत्रालय का दिशानिर्देश
- जे.टी.एम. कार्यपालन नियमावली

4.9 लेखापरीक्षा प्रणाली

सितम्बर 2009 में एन.सी.जे.डी. के प्रबंधन के साथ प्रवेश सम्मेलन के साथ ही निष्पादन लेखापरीक्षा आरंभ हुई, जिसमें लेखापरीक्षा लक्ष्य और क्षेत्र की व्याख्या की गई थी और लेखापरीक्षा मानदंड पर विचार-विमर्श किया गया था। जनवरी 2010 में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों और अनुशंसाओं पर निर्गम सम्मेलन बैठक में प्रबंधन के साथ विचारविमर्श किया गया था।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

4.10 जे.डी.पी. का अभिकल्पन और विकास

जे.डी.पी. के विकास और अभिकल्पन की योजना में स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही स्तरों पर एकीकृत और समन्वित तरीके से ऐसे विकास के लाभ की प्राप्ति हेतु नए उत्पादों का विकास और वर्तमान उत्पादों के अभिकल्प और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, बाजारोपयोगी अनुसंधान करने पर विचार किया गया था। Xवीं योजना और जे.टी.एम. के अंतर्गत योजना के लिए क्रमशः ₹3.25 करोड़ और ₹14 करोड़ के परिव्यय प्रदान किये गये थे। 2004-07 और 2007-09 के दौरान योजना पर क्रमशः ₹ 2.06 करोड़ और ₹4.86 करोड़ का व्यय था। जे.टी.एम. पूर्व-अवधि के अंतर्गत योजना के कार्यान्वयन हेतु कोई विशेष प्रणाली विहित नहीं थी। तथापि, जे.टी.एम. के अंतर्गत कार्यान्वयन प्रणाली निम्नानुसार थी:-

- अभिकल्प आवश्यकताओं के संदर्भ में बाजार का आवश्यकता आकलन सर्वेक्षण और अनुप्रयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करना
- प्रसिद्ध अभिकल्प और अनुसंधान संस्थानों को नियुक्त कर आवश्यकता आकलन सर्वेक्षण से प्राप्त प्रतिक्रिया के अनुसार नये अभिकल्प विकसित करना
- कारीगरों के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना
- नए उत्पादों के विकास के लिए आर एवं डी कार्यकलापों को प्रायोजित करना

4.10.1 अभिकल्प आवश्यकता के लिए आवश्यकता आकलन

जे.टी.एम. दिशानिर्देश जे.डी.पी. के विपणन सलाहकारों/एजेन्सियों/संस्थाओं की द्वारा जे.डी.पी. के विपणनीयता की वृद्धि हेतु अनुप्रयोग के नये क्षेत्रों की पहचान के साथ-साथ अभिकल्प आवश्यकता के संदर्भ में आवश्यक अभिकल्प सर्वेक्षण का अनुबंध करता था। यह सर्वेक्षण योजना के प्रथम दो वर्षों (2007-09) में ₹12 लाख के परिव्यय से पूरा किया जाना था। योजना के आगे के कार्यकलाप सर्वेक्षण के परिणाम पर निर्भर करते थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एन.सी.जे.डी. ने इस तरह का कोई सर्वेक्षण नहीं किया बल्कि गैर-संरचनात्मक तरीके से कार्यशालाओं/प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रसार कार्यकलापों जारी रखा।

4.10.2 अभिकल्प प्रसार

Xवीं योजना अवधि के दौरान एन.सी.जे.डी. को प्रत्येक वर्ष आवश्यकता आधारित क्षेत्रों में कम से कम 30 अभिकल्प/उत्पाद विकास और प्रसार कार्यक्रम आयोजित करने थे। एन.सी.जे.डी. ने 2004-07 के दौरान राष्ट्रीय अभिकल्प संस्थान, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, जैसी अभिकल्प संस्थाओं एवं निजी व्यवसायियों को नियुक्त करके 2760 प्रतिभागियों के लिए देश के विभिन्न स्थानों पर 138 अभिकल्प

कार्यशालाएं/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और उस पर ₹2.06 करोड़ का व्यय किया। जे.टी.एम. अवधि के प्रथम दो वर्षों के दौरान, एन.सी.जे.डी. ने व्यक्तिगत/निजी एजेन्सियों की नियुक्ति कर 14 ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जिस पर ₹33.41 लाख की राशि खर्च हुई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एन.सी.डी. ने ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से प्रसारित अभिकल्पों के अभिलेखों का सुनियोजित अभिरक्षण नहीं किया। इसलिए, ऐसी कार्यशालाओं/प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षार्थियों को दिखाये गये अभिकल्पों के प्रकार को ठीक-ठीक सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था कि क्या ऐसे अभिकल्प विपणनीय हैं और क्या प्रशिक्षार्थियों के पास ऐसे अभिकल्पों के अनुकूल बनाने के लिए अपेक्षित कौशल तथा अवसंरचना थीं।

प्रबंधन ने बताया (जनवरी 2010) कि प्रशिक्षण को अनुकूल बनाने के लिए इनपुट और इसके अनुकूलन हेतु प्रशिक्षार्थियों की योग्यता के बीच असमानता थी, जो इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को संदेहास्पद बनाती है।

4.10.3 आर एण्ड डी कार्यकलाप

एन.सी.जे.डी. ने "जूट धागे के विकास और इसके अनुप्रयोग के लिए कौशल अभिकल्प हस्तक्षेप" नामक ₹20 लाख की लागत की एक परियोजना, राष्ट्रीय अभिकल्प संस्थान, अहमदाबाद (एन.आई.डी.) को आबंटित की। परियोजना को 12 महीने के भीतर 5 चरणों में निम्न समय-सूची के अनुसार पूरा किया जाना था।

चरण	घटक	कार्यकलाप	पूरा होने की नियत तिथि	पूरा होने की वास्तविक तिथि
I	आवश्यकता आधारित अभिकल्प	संभाव्यता अध्ययन करना	मई 2007	कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं
II	धागा अभिकल्प और विकास	दो सप्ताह की कार्यशाला के पश्चात आर एण्ड डी संचालित करना	अगस्त 2007	दिसम्बर 2007 में कार्यशाला की गई
III	कपड़ा विकास कार्यशाला	दो सप्ताह के कार्यशाला अवधि में चरण-II में विकसित विभिन्न प्रकार के जूट धागे को कपड़े में बदलना	नवम्बर 2007	अक्टूबर 2008 में कार्यशाला की गई
IV	उत्पाद विविधीकरण एवं विकास	दो सप्ताह के कार्यशाला में बाजार के अनुकूल विभिन्न उत्पाद तैयार करना	जनवरी 2008	अप्रैल 2010 में कार्यशाला की गई
V	दस्तावेजीकरण	सम्पूर्ण प्रक्रिया को डिजिटल एवं मुद्रित फार्मेट में प्रस्तुत करना	फरवरी 2000	अभी भी किया जाना है

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि परियोजना का कोई भी चरण समय पर पूरा नहीं हो सका और पाँचवाँ चरण एन.आई.डी. द्वारा अप्रैल 2010 तक आरंभ किया जाना था। आगे यह भी पाया गया कि दिसम्बर 2007 में एन.आई.डी. ने परियोजना के चरण-II के तहत कार्यशाला आयोजित की थी जबकि इसने में सूचित किया था (जनवरी 2008) कि जूट मिश्रित धागे की 28 किस्में विकास की विभिन्न अवस्था में हैं। एन.सी.जे.डी. ने

एन.आई.डी. को ₹13 लाख भुगतान किया (फरवरी 2007 और सितम्बर 2008) और कच्चे माल की आपूर्ति करने, परिवहन, मशीनरी लागत आदि के माध्यम से परियोजना पर प्रत्यक्ष रूप से ₹4 लाख का व्यय किया। चूँकि परियोजना के परिणाम दस्तावेजीकरण द्वारा अंतिम चरण में प्रस्तुत किए जाने थे इसलिए इसे अभी भी एन.आई.डी. द्वारा आरंभ किया जाना था, अतः लेखापरीक्षा में परियोजना की प्रभावकारिता का आकलन नहीं किया जा सका।

एन.सी.जे.डी., को जे.टी.एम. के अंतर्गत 2007-08 से पाँच वर्षों की अवधि में विभिन्न चिन्ति विषयों पर, 22 अनुसंधान परियोजनाओं को कुल ₹9 करोड़ का परिव्यय प्रायोजित करना था। नवम्बर 2007 से जुलाई 2008 के बीच एन.सी.जे.डी. ने ₹9.02 करोड़ में उत्पाद विकास के लिए 17 अनुसंधान परियोजनाएं (मूलरूप से 18 क्योंकि 2 परियोजनाओं को मिलाकर एक कर दिया गया) हेतु 4 संस्थानों से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जो अनुबंध-1 में दिया गया है। इन परियोजनाओं को समझौता ज्ञापन की तिथि से 3-5 वर्षों के भीतर पूरा करना था। संस्थावार प्रायोजित परियोजनाओं की संख्या और निर्मुक्त की गई राशि निम्नानुसार थी:

(₹लाख में)

क्रम संख्या	संस्था का नाम	परियोजनाओं की संख्या	लागत	मार्च 2009 तक निर्मुक्त राशि	निर्मुक्ति का प्रतिशत
1	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर	5	373.01	197.30	53
2	भारतीय जूट उद्योग अनुसंधान संघ, कोलकाता	6	266.75	80.02	30
3	जूट प्रौद्योगिकी संस्थान, कोलकाता	4	175.00	99.00	57
4	दक्षिण भारत कपड़ा अनुसंधान संघ, कोयम्बटूर	2	87.00	52.20	60
	कुल	17	901.76	428.52	

यह पाया गया कि एन.सी.जे.डी. द्वारा उपयुक्त प्रत्युत्तर/आधुनिक मशीन वाली एजेंसी/फ्रेश डी.पी.आर. की कमी के कारण, अभी शेष चार परियोजनाओं को सौंपा जाना था और चालू परियोजनाओं की प्रगति भी समय-सारणी से पीछे थी। विशेषज्ञ और मानीटरिंग समिति ने भारतीय जूट औद्योगिक अनुसंधान संघ और जूट प्रौद्योगिक संस्थान को सौंपी गई दोनों परियोजनाओं की प्रगति को त्वरित करने की सलाह दी (जुलाई 2009)।

4.10.4 अभिकल्प अभिलेखन

जे.टी.एम. के दिशा-निर्देश भविष्य में संदर्भ और प्रसार के लिए अभिकल्प/उत्पाद विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रमलापों पर आधारित डिजीटल तथा गैर-डिजीटल प्राप्त सभी आवश्यक विवरण के साथ विकसित उत्पादों की व्यवसायिक सूची तैयार करने को उपबंधित करते थे।

किन्तु, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि एन.सी.जे.डी. ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जबकि जे.टी.एम. के द्वितीय वर्ष से ही इस कार्यकलाप के लिए ₹10 लाख का वार्षिक बजट था। इसके फलस्वरूप, जे.डी.जी. के अभिकल्प/उत्पादों की सूची अनुपलब्ध थी।

अनुशंसाएं

- राष्ट्रीय जूट बोर्ड को जे.डी.पी. की विपणनीयता हेतु आवश्यकता आधारित सर्वेक्षण करना चाहिए और लक्ष्यों हेतु स्पष्ट मार्गदर्शन करना चाहिए।
- राष्ट्रीय जूट बोर्ड को आर. एण्ड डी. परियोजनाओं का मध्यावधि मूल्यांकन, तकनीक के व्यावसायीकरण के लक्ष्य के साथ करना चाहिए, जिससे यह निर्णय किया जा सके कि परियोजनाओं को जारी रखे जाने या समाप्त कर दिए जाने की आवश्यकता है।

4.11 बाजार का विकास

एन.सी.जे.डी., जे.टी.एम. पूर्व अवधि से ही बाजार-विकास योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा था। हालाँकि, इस योजना का कार्यक्षेत्र मेलों में भाग लेना और बिक्री केन्द्र खोलने तक ही सीमित था। जे.टी.एम. के अंतर्गत योजना के कार्यक्षेत्र को निम्न बातें सम्मिलित करके व्यापक किया गया था।

- बाजार सूचना का विकास
- विज्ञापन अभियान
- नमूना प्रतिदर्श वितरण
- फीडबैक अभियान
- ब्रांड प्रोत्साहन

तथापि, एन.सी.जे.डी. को उपर्युक्त क्रियाकलापों पर अभी भी कार्रवाई करनी थी।

4.11.1 बिक्री केन्द्र खोलना

बाजार में जे.डी.पी. की उपस्थिति को बनाए रखने के उद्देश्य से, एन.सी.जे.डी. को सहयोगी एजेंसी जैसे स्टेट इम्पोरिया/एन.जी.ओ./स्वयं सहायता समूह/निजी व्यवसायियों को बिक्री केन्द्र खोलने और प्रबंधन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना था। Xवीं योजना में प्रति वर्ष आठ बिक्री केन्द्र खोलने के लिए, बिक्री केन्द्र सहायता हेतु ₹24 लाख का वार्षिक परिव्यय प्रदान किया गया था, जबकि जे.टी.एम. के अंतर्गत प्रति वर्ष 10 बिक्री केन्द्र खोलने के लिए ₹25 लाख का प्रबंध किया गया था। मार्च 2004 तक 4 बिक्री केन्द्र थे और 2004-05 से 2006-07 के बीच ऐसे चार और बिक्री केन्द्र

खोले गये। 2004-05 से 2006-07 के दौरान एन.सी.जे.डी. ने इन बिक्री केन्द्रों पर ₹13.87 लाख का व्यय किया। इस योजना के कार्यान्वयन में लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्न कमियाँ उजागर हुईं:

- एन.सी.जे.डी. ने बिक्री केन्द्रों के खोले जाने हेतु जे.डी.पी. के लिए संभाव्य बाजार सहित प्रमुख स्थानों की पहचान नहीं की। एन.सी.जे.डी. ने महाराष्ट्र के लाटूर में एक बिक्री केन्द्र खोला (जुलाई 2003) और जुलाई 2005 में एन.सी.जे.डी. द्वारा इसके निष्पादन को असंतोषजनक पाया गया। एन.सी.जे.डी. ने बिहार के सासाराम में एक बिक्री केन्द्र खोला (दिसम्बर 2006) जिसकी कोई निरीक्षण रिपोर्ट अभिलेख में उपलब्ध नहीं थी।
- सहयोगी एजेन्सियों को एन.सी.जे.डी. को मासिक बिक्री रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित था। लेकिन लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि सहयोगी एजेन्सियों ने नियमितरूप से अपेक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की और एन.सी.जे.डी. द्वारा भी ऐसे बिक्री केन्द्रों द्वारा जे.डी.पी. की बिक्री का कोई डाटाबेस अनुरक्षित नहीं किया गया।
- इन बिक्री केन्द्रों का जारी रहना, एन.सी.जे.डी. द्वारा निष्पादन संवीक्षा पर निर्भर करते थे। एन.सी.जे.डी. द्वारा इन केन्द्रों के प्रत्यक्ष सत्यापन का एक ही मामला पाया गया। सत्यापन जुलाई 2005 में लाटूर में किया गया था। इससे उचित मानीटरिंग की कमी परिलक्षित होती थी।
- एन.सी.जे.डी. ने जे.टी.एम. के दिशानिर्देश के अनुसार एक आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए, वर्तमान सभी बिक्री केन्द्रों के समझौता ज्ञापन को निरस्त कर दिया (मार्च 2007)। तथापि, जे.टी.एम. के प्रथम दो वर्षों में अपेक्षित 16 बिक्री केन्द्रों के प्रति एन.सी.जे.डी. ने एक भी बिक्री केन्द्र नहीं खोला।

4.11.2 मेलों में भागीदारी

उत्पादकों/व्यवसायियों को उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने में समर्थ बनाने के लिए और अपेक्षित भाग देने के उद्देश्य से, एन.सी.जे.डी. की राज्य², राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मेलों में भागीदारी अपेक्षित थी। एन.सी.जे.डी. ऐसे 149 मेलों में शामिल हुआ और 2004-05 से 2008-09 के बीच ₹7.01 करोड़ का व्यय किया। यद्यपि विभिन्न मेलों में हेतु विभिन्न प्रतिभागियों हेतु दिशानिर्देश विहित थे तथापि राज्य और राष्ट्रीय मेलों के वर्गीकरण हेतु कोई प्रतिमानक नियत नहीं किए गए थे। प्रत्येक प्रकार के मेलों की संख्या का और उस पर हुए व्यय का उपलब्ध पृथक डाटा अभिलेख में मौजूद नहीं था।

योजना दिशानिर्देश के अनुसार, एन.सी.जे.डी. प्रशिक्षित लोगों के द्वारा स्थापित जे.डी.पी. यूनिट राज्य के मेलों में भागीदारी के लिए लक्षित समूह थे। राज्य मेलों में भागीदारी करने पर नये उद्यमियों को बाजार में अपने उत्पादों की ताकत का पता लगेगा। जबकि

² जिला और ग्राम मेला शामिल है।

राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मेलों में लक्षित भागीदार वे जे.डी.पी. थे, जिन्होंने बाजार में गुणवत्ता हेतु एक निश्चित साख बनाई हुई थी। हालाँकि, लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मेलों में मुख्यतः जूट मिलों और बड़े एक्सपोर्ट हाउस की भागीदारी थी।

एन.सी.जे.डी. प्रबंधन ने स्वीकार किया (जनवरी 2010) कि बड़े आदेशों को पूरा करने के लिए पूँजी और गुणवत्ता नियंत्रण की आवश्यकता के चलते, एन.सी.जे.डी. लाभार्थियों का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी आरंभ करना अभी भी बाकी था।

अनुशंसाएं

- बिक्री केन्द्रों जे.डी.पी. हेतु संभाव्य बाजार को प्रमुख स्थानों पर खोलना चाहिये।
- राष्ट्रीय जूट बोर्ड को राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मेलों के वर्गीकरण हेतु प्रतिमानक नियत करना चाहिए और इन मेलों में एन.सी.जे.डी. द्वारा प्रशिक्षित व्यवसायियों की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।
- प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा प्रसार कर, नगर पालिकाओं, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यटन विकास कारपोरेशन, फैशन प्रदर्शन आयोजक के साथ मिलकर संयुक्त आयोजन करके जे.डी.पी. को जनप्रिय बनाने के लिए अभियान चलाना चाहिए।

4.12 व्यावसायिक विकास

एन.सी.जे.डी. मुख्यतः दो योजनाएँ नामतः जूट विकास केन्द्र (जे.एस.सी.) और जूट कच्चा माल बैंक (जे.आर.एम.बी.) व्यावसायिकता विकास के लिए चला रहा था।

4.12.1 जे.एस.सी. योजना

एन.सी.जे.डी. जे.डी.पी. के उत्पादन में शामिल करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता कार्यशाला और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके व्यवसायियों के विकास हेतु जे.एस.सी. योजना का कार्यान्वयन कर रहा था। दसवीं परियोजना में इस योजना पर ₹13.84 करोड़ का परिव्यय उपलब्ध कराया गया। इस योजना को जे.टी.एम. के अंतर्गत जूट विविधीकरण उत्पादों की प्रोत्साहन योजना में शामिल किया गया और पाँच वर्ष में ₹15 करोड़ परिव्यय उपलब्ध कराया गया। यह योजना चयनित सहयोगी एजेंसियों³, जिनके पास व्यावसायिकता विकास कार्यकलाप करने का प्रचुर अनुभव था, द्वारा कार्यान्वित की जानी थी।

³ सरकारी/अर्द्ध-सरकारी संगठन, स्वायत्त निकाय, प्रसिद्ध सार्वजनिक क्षेत्र संगठन, गैर-सरकारी संगठन और अन्य निकाय

4.12.1.1 अवस्थिति और सहयोगी एजेन्सियों का चयन

दिशानिर्देशों के अनुसार, जनजातीय क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी-क्षेत्रों को और जहाँ कहीं जे.डी.पी. निर्माणकर्ताओं का समूह हो और पर्यावरणीय स्तर से संवेदनशील और प्लास्टिक पर रोक लगी हो, ऐसे क्षेत्रों को प्रमुखता देनी चाहिए। इसलिए योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए व्यावसायिकता विकास हेतु संभाव्य अवस्थिति की पहचान के लिए उचित सर्वेक्षण करना आवश्यक था। लेकिन योजना के दिशानिर्देश में इस तरह का सर्वेक्षण न तो निर्धारित था और न ही सहयोगी एजेन्सियों के चयन हेतु कोई मानदंड विहित था। एन.सी.जे.डी. द्वारा नियुक्त जे.एस.सी. की संख्या देश भर में मार्च 2005 तक 22 थी जो मार्च 2009 तक बढ़कर 33 हो गई (अनुबंध-II)। इन जे.एस.सी. ने 1387 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये और 2004-05 से 2008-09 तक की अवधि के दौरान ₹12.75 करोड़ का व्यय किया जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	जे.एस.सी. की संख्या	आयोजित कुल प्रशिक्षण कार्यक्रम	व्यय (₹लाख में)
2004-05	22	267	239.01
2005-06	23	355	295.30
2006-07	23	259	277.99
2007-08	25	95	96.33
2008-09	33	411	366.57
	कुल	1387	1275.20

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि उचित दिशानिर्देश के अभाव में जे.एस.सी. उन क्षेत्रों में खोले गए जहाँ से सहयोगी एजेन्सियों से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

4.12.1.2 जे.एस.सी. के क्रियाकलाप

जे.एस.सी. के क्रियाकलाप में - जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित करना, आधारभूत एवं उन्नत प्रशिक्षण देना, तकनीकी प्रदर्शन, स्थानीय प्रदर्शनी आदि शामिल थे। जे.एस.सी. से यह भी अपेक्षित था कि वह प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षणोपरांत संबंधित प्राधिकारियों के मध्य संपर्क के स्तर में सहायता प्रदायक बने। दिशानिर्देश में यह विहित था कि राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित वर्तमान योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्णजयन्ती शहरी रोजगार योजना, आदि के साथ जे.एस.सी. के कार्यकलापों को मिला देना चाहिए और बेहतर परिणाम के लिए सरकार द्वारा हस्तशिल्प और हथकरघा विकास योजनाओं के साथ भी संपर्क करना चाहिए।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से कार्यकलापों के संचालन में निम्न विसंगतियों का पता चला:

- एन.सी.जे.डी. ने जे.एस.सी. द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों हेतु प्रशिक्षण नियमावली को तैयार नहीं किया।

- योजना दिशानिर्देश में प्रशिक्षक और प्रशिक्षार्थियों के चयन हेतु कोई मानदंड नहीं बनाया गया। इसी तरह, प्रशिक्षण की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षक और प्रशिक्षार्थियों का अनुपात नियत नहीं था।
- एन.सी.जे.डी. ने लाभार्थियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का विचार किए बिना जे.एस.सी. को एक के बाद एक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने की अनुमति प्रदान की। लेखापरीक्षा को कोई प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कोई क्रियाविधि नहीं थी कि उन्नत प्रशिक्षण में भाग ले रहे प्रशिक्षार्थी आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।
- जे.डी.पी. के उत्पादन में लगे लाभार्थियों को समर्थ बनाने के लिए जे.एस.सी. द्वारा विभिन्न कार्यकलापों को पूरा करने के लिए दिशानिर्देश में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं थी।
- एन.सी.जे.डी. ने जे.एस.सी. द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षणोपरांत सेवाओं की प्रकृति के बारे कुछ भी निर्धारित नहीं किया था।
- एन.सी.जे.डी. के पास जे.एस.सी. द्वारा राज्य सरकार के वर्तमान कार्यकलापों के साथ जोड़ने का और प्रशिक्षणोपरांत सेवाएँ देने के समर्थन में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था।
- एन.सी.जे.डी. में प्रशिक्षणोपरांत सहायता सेवाओं सहित और जे.एस.सी. द्वारा संचालित कार्यकलापों के वास्तविक परिणाम को मानीटर करने की कोई क्रियाविधि उपलब्ध नहीं थी।

4.12.2 जे.आर.एम.बी. योजना

जूट मिल, कच्चा जूट माल थोक के भाव से बेचती हैं, जो एन.सी.जे.डी. लाभार्थियों के लिए अपेक्षित नहीं हो सकता है। लाभार्थियों को उनके जरूरत के हिसाब से कच्चा माल की प्राप्ति में समर्थ बनाने हेतु एन.सी.जे.डी. ने, जे.आर.एम.बी. योजना कार्यान्वित कर रही थी। योजनानुसार जे.आर.एम.बी. को वही खोलना था जहाँ जे.डी.पी. कार्यकलाप नये स्थान पर आरंभ किये गये थे और वहाँ स्थानीय बाजार में जूट आधारित कच्चा माल उपलब्ध नहीं होता था। जनजातीय क्षेत्रों और उत्तर-पूर्वी राज्यों को प्रमुखता दी जानी थी। दसवीं योजना के अंतर्गत इस योजना के लिए ₹4.74 करोड़ का परिव्यय प्रदान किया गया था। यह योजना जे.टी.एम. के अंतर्गत जूट विविधीकरण उत्पादों के प्रोत्साहन हेतु योजना में शामिल की गई थी और इस पर ₹4.50 करोड़ का परिव्यय प्रदान किया गया। उक्त परिव्यय के प्रति 2004-07 के दौरान ₹2.15 करोड़ व्यय किया गया और जे.टी.एम. के प्रथम दो वर्षों में ₹57 लाख व्यय किया गया। योजना का कार्यान्वयन जे.एस.सी. योजना के अनुसूच सहयोगी एजेन्सियों का चयन करके किया जाना था। इस योजना के अंतर्गत, जे.आर.एम.बी. को जूट मिलों से कच्चा जूट माल प्राप्त करना था और इसे लाभार्थियों को मिल गेट दाम पर बेचना था और एन.सी.जे.डी.

को बिक्री किए गए कच्चे जूट माल पर 5 प्रतिशत के बराबर सब्सिडी देना था तथा इसके अतिरिक्त गोदाम रखरखाव लागत पर ₹0.09 लाख प्रति महीना देना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जे.आर.एम.बी. उन क्षेत्रों में खोले गये जे.एस.सी. जैसे सहयोगी एजेन्सियों से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इस तदर्थ दृष्टिकोण का परिणाम जे.आर.एम.बी. पश्चिम बंगाल (8), बिहार (4), आंध्रप्रदेश (4) (पूरे देश के कुल 37 जे.आर.एम.बी. में से) में एकत्रित होने में हुआ जहाँ कच्चा माल स्थानीय बाजार में उपलब्ध था (अनुबंध-III)।

अनुशांसा

- चूँकि इसी तरह की योजना जे.टी.एम. के अंतर्गत प्रारंभ की गई है (एन.जी.ओ./डब्ल्यू.एस.एच.जी. के माध्यम से क्लस्टर विकास योजना), बेहतर प्रबंधन और नियंत्रण के लिए योजनाओं को मिला देना चाहिए।

4.13 क्लस्टर विकास एजेन्सियों द्वारा क्लस्टर का विकास

यह योजना गैर-सरकारी संगठन और महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा जे.डी.पी. के विकास के द्वारा उत्पादन आधार बढ़ाने के उद्देश्य के साथ, जे.टी.एम. में प्रारम्भ की गई थी। इस योजना में 2007-08 से पाँच वर्ष हेतु ₹30 करोड़ का परिव्यय का प्रावधान किया गया था। योजना के कार्यान्वयन की प्रणाली और एन.जी.ओ. के चयन हेतु मुख्य मानदंड निम्नानुसार है :

प्रणाली:

- क्षेत्र सर्वेक्षण के द्वारा क्लस्टर की पहचान करना
- उपयुक्त क्लस्टर विकास एजेन्सी (सी.डी.ए.) की पहचान और चयन करना
- सी.डी.ए. को क्लस्टर के विकास हेतु विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करना

एन.जी.ओ. के चयन हेतु मुख्य मानदंड:

- ❖ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत एन.जी.ओ. का रजिस्ट्रेशन
- ❖ न्यूनतम तीन वर्षों का अनुभव
- ❖ मुख्य लाभार्थी के स्तर में महिला और डब्ल्यू.एस.एच.जी.
- ❖ एन.जी.ओ. के पास उचित आधारभूत संरचना
- ❖ राज्य सरकार/डी.आई.सी./नाबार्ड/लीड बैंक से संस्तुति

एन.सी.जे.डी. ने जे.टी.एम. के प्रथम दो वर्षों में इस योजना के अंतर्गत ₹1.63 करोड़ का व्यय किया। योजना के कार्यान्वयन से संबंधित अभिलेख की संवीक्षा करने पर निम्न का पता चला:-

- लेखापरीक्षा ने पाया कि एन.सी.जे.डी. ने क्लस्टर की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण किए बिना विभिन्न राज्यों में 22 सी.डी.ए. (अनुबंध IV) का चयन किया (मार्च 2008)। चयन प्रक्रिया भी त्रुटिपूर्ण थी, जिसकी चर्चा निम्न प्रकरण अध्ययन में की गई है।

प्रकरण अध्ययन: सी.डी.ए. का चयन
<ul style="list-style-type: none"> एन.सी.जे.डी. ने दो एन.जी.ओ., एक जम्मू व कश्मीर से, एक का बिहार से, का चयन किया और हालाँकि उन्होंने उनके द्वारा विकसित स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.) और बैंक के साथ अनुबंध से संबंधित अपेक्षित सूचना भी प्रस्तुत नहीं की थी। दूसरी ओर एन.सी.जे.डी. ने बर्दवान (पश्चिम बंगाल) के एक एन.जी.ओ. का आवेदन एस.एच.जी. पर उपर्युक्त सूचना के अभाव में निरस्त कर दिया था। योजना दिशानिर्देश के अनुसार एन.जी.ओ. के पास आय अर्जन परियोजना के कार्यान्वयन की पृष्ठ भूमि होनी चाहिए और हस्तशिल्प/हथकरघा के क्षेत्र में अनुभव होना चाहिए। यद्यपि, बिहार के एन.जी.ओ. को इस क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं था। दो एन.जी.ओ. का आवेदन- एक झारखंड से दूसरा उत्तराखंड से चयन हेतु विहित मानदंड के अनुसार प्राधिकारी की कोई अनुशंसा नहीं थी। किंतु, एन.सी.जे.डी. ने पहले का चयन कर लिया और दूसरे को निरस्त करने का कारण अभिलेख में दर्ज नहीं था। दो एन.जी.ओ. द्वारा - एक पश्चिम बंगाल से और दूसरा असम से - आधारभूत संरचना की उपलब्धता के बारे में कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की गई। तथापि, एन.सी.जे.डी. ने असम के एन.जी.ओ. का चयन किया और दूसरे को निरस्त करने के कारण अभिलेख में दर्ज नहीं थे।

- एन.सी.जे.डी. की अपनी कार्य योजना नहीं थी और यह सी.डी.ए. द्वारा प्रस्तुत कार्य योजना पर निर्भर था। इसलिए, योजना कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों को पूरा करने की निर्धारित समय-सीमा नहीं थी।
- यह पाया गया कि अगस्त 2008 से फरवरी 2009 के दौरान 20 सी.डी.ए. ने 1.13 आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्रत्येक सी.डी.ए. द्वारा 4-6) संचालित किये जिसमें 3343 प्रतिभागी शामिल थे। जम्मू कश्मीर के दो सी.डी.ए. ने कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित नहीं किया क्योंकि उनके द्वारा प्रस्तुत संभाव्य क्षेत्र सर्वेक्षण को एन.सी.जे.डी. ने संतोषजनक नहीं पाया।
- 17 सी.डी.ए. ने जनवरी से जुलाई 2009 के बीच 34 उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया। यद्यपि, एन.सी.जे.डी. इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रतिभागियों के बारे में डाटा प्रस्तुत नहीं कर सका। तीन सी.डी.ए. ने अगस्त

2008 से मई 2009 के दौरान आधार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के बावजूद उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं चलाया था।

- सी.डी.ए. के साथ समझौता ज्ञापन के अनुसार, डब्लू.एस.एच.जी. के उन सदस्यों को उन्नत प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए था जिन्होंने आधारभूत प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था और वाणिज्यिक उत्पादन में कम से कम छः महीने के लिए जुड़े हुए थे। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि एक मामले में आधारभूत और अग्रिम प्रशिक्षण साथ-साथ आयोजित करने को मिलाकर आठ मामलों में आधारभूत और अग्रिम प्रशिक्षण के बीच की अवधि छह महीने से कम थी।
- यद्यपि दिशानिर्देश में योजना मध्यस्थता के प्रभाव का आकलन करने हेतु अनुवर्ती कार्रवाई और सहमति मूल्यांकन के लिए उपबंध है तथापि इसका प्रमाण लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों में नहीं पाया गया था।
- सी.डी.ए. ने 2008-09 के दौरान 337 डब्लू एस एच जी का विकास किया जो 84 क्लस्टरों में फैला था। सी.डी.ए. के साथ समझौता ज्ञापन के अनुसार प्रत्येक डब्लू एस एच जी को छह महीने के आधारभूत प्रशिक्षण के पूर्ण होने तक कम से कम ₹0.50 लाख का जे.डी.पी. का उत्पादन करना चाहिए लेकिन एन.सी.जे.डी. ने वास्तविक स्थिति का सत्यापन करने के लिए कोई आँकड़ा नहीं रखा था।
- जे.एस.सी./जे.आर.एम.बी. और सी.डी.ए. का कार्यकलाप लगभग एक समान है। यह पाया गया कि आठ⁴ जिलों में जे.एस.सी./जे.आर.एम.बी. और सी.डी.ए. दोनों विद्यमान थे।

उपर्युक्त अभ्युक्तियां दर्शाती थी कि क्लस्टर आधारित उद्यमशीलता विकास का योजनाबद्ध तरीके से कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा था।

अनुशंसा

- सी.डी.ए. के स्तर में चयन के लिए विहित मानदण्ड के पालन को बोर्ड द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- प्रशिक्षुओं को निश्चित अवधि के अन्दर जे.डी.पी. के उत्पादन में लगाने के लिए उन्हें समर्थ बनाने के लिए सी.डी.ए. द्वारा योजनाबद्ध आधारभूत एवं विकसित प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षणोत्तर सहायता देने को बोर्ड द्वारा सुनिश्चित करना चाहिए।

⁴ वारंगल (आंध्रप्रदेश), कचर (असम), गुवाहाटी (असम), कटिहार (बिहार), रायपुर (छत्तीसगढ़), श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर), हुगली (पश्चिम बंगाल), हावड़ा (पश्चिम बंगाल)।

4.14 पी.पी.पी. रूप में जूट पार्कों का विकास

पाँच साल की अवधि में 10 जूट पार्कों की स्थापना के लिए ₹60 करोड़ की राशि के परिव्यय साथ जे.टी.एम. के अंतर्गत नई छोटी जूट मिलों/बुनाई ईकाईयों में विनिवेश हेतु व्यवसायियों ईकाईयों को आकर्षित करने के लिए जूट पार्क की एक योजना प्रारंभ की गई थी। योजना निजी सार्वजनिक साझेदारी में विशेष उद्देशीय वाहन (एस.पी.वी.) के द्वारा कार्यान्वित की जानी थी। एन.सी.जे.डी. को जमीन की लागत छोड़कर कुल परियोजना के लागत का 40 प्रतिशत प्रदान करना था।

एन.सी.जे.डी. ने आठ स्थानों की पहचान की थी-छह पश्चिम बंगाल में और एक-एक राजस्थान तथा बिहार में। यद्यपि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि केवल एक एस.पी.वी. (कूचबेहार जूट पार्क इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड) का गठन कूचबेहार में जूट पार्क के विकास हेतु मार्च 2009 में निम्न घटकों के साथ किया गया था-

क्र. सं.	एस.पी.वी. के अंशधारक का नाम	अंश का प्रतिशत
1.	पश्चिम बंगाल लघु उद्योग विकास निगम	48
2.	पश्चिम बंगाल टेक्नो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट लिमिटेड (एंकर सहभागी-1)	26
3.	श्रीमा जूट प्राइवेट लिमिटेड (ध्रुव सहभागी-2)	26

एन.सी.जे.डी. ने ₹60.70 लाख की राशि एस.पी.वी. के लिए बिना किसी स्पष्ट भूमि स्वामित्व के जारी की, जो जे.टी.एम. दिशानिर्देश में निहित निधि को जारी करने का एक मानदण्ड था (मार्च 2009)। पश्चिम बंगाल औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम द्वारा एस.पी.वी. को भूमि देने में बाधाओं के चलते इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हो सकी। इस प्रकार, एस.पी.वी. के पास ₹60.70 लाख की निधि का अवरोधन हुआ।

अनुशंसाएँ

- जे.टी.एम. के अनुसार राष्ट्रीय जूट बोर्ड को जे.डी.पी. के लिए जूट पार्क बनाने के कार्य को शीघ्र करना चाहिए।
- निधि के अवरोधन को रोकने के लिए बोर्ड द्वारा एस.पी.वी. निधि जारी करने से पूर्व भूमि की उपलब्धता जैसी न्यूनतम शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

4.15 योजना कार्यान्वयन का नियंत्रण एवं मॉनीटरिंग

किसी भी संगठन में योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और अंतिम परिणाम के मूल्यांकन हेतु उचित नियंत्रण एवं अनुश्रवण की क्रियाविधि को सुनिश्चित करना अत्यावश्यक है। जैसा कि पहले ही अवलोकित किया गया था कि एन.सी.जे.डी. ने अभिकल्पों के लिए कोई आवश्यक निर्धारण सर्वेक्षण नहीं किया, बाजार विकास के अंतर्गत जे.टी.एम. में अतिरिक्त घटकों का समावेश नहीं किया और जे.एस.सी. की गतिविधियों का अनुश्रवण नहीं किया था।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि एन.सी.जे.डी. ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रशिक्षणार्थियों के बारे में कोई डाटा अनुरक्षित नहीं किया था। तथापि, बहुप्रशिक्षण कार्यक्रमों में केवल एक प्रशिक्षणार्थी की भागीदारी प्रशिक्षण की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के आँकड़ों के अभाव में, एन.सी.जे.डी. द्वारा प्रशिक्षित व्यक्तियों की वास्तविक संख्या ज्ञात नहीं की गई थी।

अनुशंसाएँ

- विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत की गई गतिविधियों के निमित्त एक व्यापक आधारभूत आँकड़ा प्रबंधन प्रणाली की वांछनीयता के साथ राष्ट्रीय जूट बोर्ड द्वारा दस्तावेजीकरण की समुचित व्यवस्था की स्थापना करनी चाहिए।
- सहयोगी एजेन्सियों के कार्य निष्पादन के तात्कालिक मूल्यांकन हेतु एक प्रणाली राष्ट्रीय जूट बोर्ड द्वारा स्थापित की जानी चाहिए।
- बोर्ड को प्रशिक्षुओं के लिए एकमात्र आई.डी. संख्या की प्रणाली प्रारंभ करनी चाहिए तथा प्रशिक्षणोपरांत भी प्रशिक्षुओं की गतिविधियों के अनुरक्षण हेतु एक आधारभूत आँकड़ा रखना चाहिए।

निष्कर्ष

जूट क्षेत्र में विविधीकरण हेतु प्रयासों को ध्यान में रखकर एन.सी.जे.डी. की स्थापना जून 1994 में की गई। इसका कार्य अनुसंधान एवं विकास के परिणामों को विभिन्न जूट एवं वस्त्र संस्थानों से प्राप्त कर समेकित करना और उन्हें व्यावसायिक उत्पादन के लिए उद्यमियों को हस्तांतरित करना था। एन.सी.जे.डी. ने जागरूकता कार्यशाला आयोजित करने, प्रशिक्षण कार्यक्रम, आर्थिक सहायता प्राप्त कच्ची जूट सामग्री की व्यवस्था एवं मेलों में सहभागिता पर ध्यान संकेन्द्रित किया। तथापि, जे.एस.सी. और सी.डी.ए. के प्रशिक्षण कार्यक्रम, सुसंबद्ध एवं सुनियोजित ढंग से संचालित नहीं किए गए थे। सी.डी.ए. के माध्यम से जे.डी.पी. समूहों की रचना का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ था क्योंकि योजना ने प्रशिक्षण स्तर तक ही प्रगति की थी। सुविस्तृत भौगोलिक विस्तार और कर्मचारियों की कमी के कारण स्वीकार्यतः एन.सी.जे.डी. जागरूकता अभियान एवं प्रवीणता विकास के संचालन एवं अनुपालन में अक्षम रहा। एन.सी.जे.डी. द्वारा प्रशिक्षित लाभार्थियों की राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मेलों में सहभागिता भी कार्यकारी पूँजी एवं गुणवत्ता उत्पादों के अभाव के कारण सुनिश्चित नहीं की जा सकी। अतः जे.टी.एम. पूर्व एवं जे.टी.एम. के प्रथम दो वर्षों के दौरान जे.डी.पी. पर योजना कार्यान्वयन के प्रभाव का मूल्यांकन संभव नहीं हुआ था। जे.टी.एम. की कार्यान्वयित योजना की गतिविधियों एवं परिणाम से संबद्ध आधारभूत आँकड़ों की उपलब्धता और समुचित सर्वेक्षण को सुनिश्चित करने के निमित्त राष्ट्रीय जूट बोर्ड को अपनी नियंत्रण एवं संचालन व्यवस्था सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

आभार

हम लेखापरीक्षा के दौरान एन.सी.जे.डी. प्रबंधन के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हैं।

निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन मंत्रालय को जनवरी 2010 में जारी किया गया। उनका उत्तर जून 2010 तक प्रतीक्षित था।

अनुबंध-I

(पैराग्राफ 4.10.3 में संदर्भित)

जे.टी.एम. के अंतर्गत एन.सी.जे.डी. द्वारा प्रदान किए गए उत्पाद विकास हेतु आर एंड डी परियोजनाओं का ब्यौरा

एजेन्सी का नाम	क्रम संख्या	परियोजना का ब्यौरा	आरंभ की तिथि	परियोजना की अवधि	प्रदान की गई लागत (₹ लाख में)	मार्च 2009 तक निर्मुक्त राशि (₹ लाख में)
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर	1.	जूट फाइबर प्रबलित सीमेंट कंक्रीट का विकास	31.03.08	3 वर्ष	75.60	45.36
	2.	नूतन अंतिम उपयोग हेतु प्राकृतिक रबर से लेप किये गये जूट (आर सी जे) हेतु उपयुक्त उत्पादन प्रणाली का विकास	10.01.08	3 वर्ष	30.00	15.00
	3.	नदी के किनारे के क्षरण रोकने एवं अन्य उचित अंत प्रयोग के प्रयुक्त करने के लिए टिकाऊ जल रिपैलेन्ट जूट जियोटेक्सटाईल का विकास	10.01.08	3 वर्ष	168.72	84.36
	4.	इको फ्रेंडली/ बायोडिग्रेडेबुल आधारित मिश्रित (ई.एफ.बी.) का विकास	10.01.08	5 वर्ष	66.43	33.22
	5.	जूट उत्पादों का प्रयोग करके साउंड प्रूफ मिश्रण सामग्री का विकास	10.01.08	3 वर्ष	32.26	19.36
भारतीय जूट उद्योग अनुसंधान संघ	6.	धागा कातने को उन्नत बनाने और विषरहित और हाइड्रोकार्बन मुक्त जूट उत्पाद हेतु पारंपरिक जूट बैचिंग तेल का विकल्प तलाशना	18.03.08	2.5 वर्ष	42.00	12.60
	7.	करघा/ब्रेडिंग मशीन में जूट दोहरा परत फेबरिक/सर्कुलर कपड़ा का निर्माण	9.06.08	3 वर्ष	40.00	12.00

2010-11 का प्रतिवेदन सं. 20

	8.	निर्यात गुणवत्ता घरेलू वस्त्र उत्पादन हेतु हल्के फास्ट ब्लीच और परिष्कृत जूट कपड़ों का विकास	17.03.08	4 वर्ष	50.00	15.00
	9.	रेमी आधारित उत्पाद के उत्पादन के लिए तकनीकी का विकास	9.06.08	3 वर्ष	54.25	16.27
	10.	ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयुक्त होने के लिए जूट/वाँस कम्पोजिट का विकास	18.02.08	3 वर्ष	40.00	12.00
	11.	जूट धागे के लिए कोल्ड साइजिंग तकनीक का विकास	4.04.08	2.5 वर्ष	40.50	12.15
जूट तकनीकी संस्थान	12.	जूट विविधीकरण उत्पाद के उत्पादन के लिए उपयुक्त कम्प्यूटर से सहायता प्राप्त रंग मिलाने का डाटाबेस और मुद्रण अभिकल्प लाइब्रेरी का विकास	21.05.08	3.6 वर्ष	38.00	22.80
	13.	अग्निरोधी जूट धागे का विकास	22.07.08	3 वर्ष	32.00	13.20
	14.	बिटुमेन मास्टिक के सस्ते विकल्प के रूप में प्रयुक्त करने के लिए अभियांत्रिक उपयुक्त अच्छारित कपड़ा	27.02.08	4 वर्ष	65.00	39.00
	15.	पर्यावरण हितकारी जूट साज-सज्जा और विविध उत्पाद के लिए जूट आधारित वस्त्र पर प्राकृतिक रंग करने की विधि का मानकीकरण	22.04.08	3 वर्ष	40.00	24.00
दक्षिण भारतीय वस्त्र अनुसंधान संघ	16.	गृह वस्त्र/द्वितीयक-वस्त्र और अन्य विविधीकरण उत्पाद के लिए विभिन्न जूट और जूट मिश्रित धागे और कपड़ों (फर्निशिंग और अपहोल्स्ट्री) का विनिर्माण	28.11.07	3 वर्ष	45.00	27.00

	17.	जूट आधारित तकनीकी वस्त्र का क्रियागत गुण के सुधार के लिए क्रियागत रसायनिक फिनिश का उपयोग	1.01.08	3 वर्ष	42.00	25.20
कुल					901.76	428.52

अनुबंध-II

(पैरा 4.12.1.1 में संदर्भित)

मार्च 2009 के अनुसार जूट सेवा केंद्रों का ब्यौरा

क्रम संख्या	सहयोगी एजेंसी का नाम	जिला	राज्य
1.	हाई-फैशंस	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
2.	ए.ए.एस.आर.ए.	विजिनग्राम	आंध्र प्रदेश
3.	वारंगल दरीज	वारंगल	आंध्र प्रदेश
4.	ए.एन.सी.ओ.एन.	पोर्ट ब्लेयर	ए एंड एन द्वीप समूह
5.	अरुण कुटीर उद्योग	जिरो	अरुणाचल प्रदेश
6.	उद्योग विकास केंद्र	धुबरी	असाम
7.	सिद्ध प्रोजेक्ट्स	गुवाहाटी	असाम
8.	एन.ई.सी.ओ.एन.	सिलचर	असाम
9.	जीविका	कटिहार	बिहार
10.	जूट क्राफ्ट सेंटर	किशनगंज	बिहार
11.	दस्तकारी	रायपुर	छत्तीसगढ़
12.	स्टेलर इंडिया	दिल्ली	दिल्ली
13.	द सेंट्रल गोआ	-	गोआ
14.	साह भगवानजी ट्रस्ट	भावनगर	गुजरात
15.	नवसर्जन	पंचमहल	गुजरात
16.	शिव शक्ति	साबरकंठ	गुजरात
17.	अशोका हैंडलूम	पानीपत	हरियाणा
18.	आशिका हैंडीक्राफ्ट	सोलन	हिमाचल प्रदेश
19.	हिंद सोशल	श्रीनगर	जम्मू व कश्मीर
20.	छोटानागपुर क्राफ्ट विकास सोसाइटी	राँची	झारखंड
21.	एम.पी.एच.एस.वी.एन.	भोपाल	मध्य प्रदेश
22.	शरोदा टेक्सटाइल्स	मुम्बई	महाराष्ट्र
23.	एन.ई.सा.ओ.एन.	दीमापुर	नागालैंड
24.	आर.ओ.एस.ए.	कटक	उड़ीसा
25.	स्टेलर इंडिया	जयपुर	राजस्थान
26.	सिक्किम कंसल्टेंसी	सिक्किम	सिक्किम
27.	जोथी कन्निगा	कोयम्बटूर	तमिलनाडु
28.	एन.इ. सा.ओ.एन.	अगरतला	त्रिपुरा
29.	ए.टी.आर.	कानपुर	उत्तर प्रदेश
30.	डब्ल्यू.डी.ओ.	देहरादून	उत्तराखंड
31.	भारतीय ग्रामोत्थान	गढ़वाल	उत्तराखंड
32.	डब्ल्यू.इ. बी.सी.ओ.एन.	बर्दवान	पश्चिम बंगाल
33.	रामकृष्ण मिशन	हुगली	पश्चिम बंगाल

अनुबंध-III

(पैरा 4.12.2 में संदर्भित)

मार्च 2009 तक कच्चा जूट माल बैंकों का ब्यौरा

क्र. सं.	सहयोगी एजेंसी का नाम	जिला	राज्य
1.	हाई-फैशंस	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
2.	आदर्श युवाजन संगम	महबूबनगर	आंध्र प्रदेश
3.	एसोसियेशन फॉर एक्टिव सर्विस इन रूल एरिया	विजयनगरम	आंध्र प्रदेश
4.	ओसाल्लु दरीज मैनुफक्चर्स	वारंगल	आंध्र प्रदेश
5.	अरुण कुटीर उद्योग को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड	लोअर सुबनसिरी	अरुणाचल प्रदेश
6.	नॉर्थ इस्टर्न इंडस्ट्रियल कन्सल्टेंटस् लिमिटेड	कचर	असम
7.	उद्योग विकास केंद्र	गुवाहाटी	असम
8.	बाल महिला कल्याण विकास आश्रम	कटिहार	बिहार
9.	जीविका	कटिहार	बिहार
10.	जूट क्राफ्ट सेंटर	किशनगंज	बिहार
11.	इंस्टीट्यूट ऑफ इन्टरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट	पटना	बिहार
12.	दस्तकारी	रायपुर	छत्तीसगढ़
13.	द सेंट्रल गोआ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड	-	गोवा
14.	शाह भगवान जी कचराबाड़ी ट्रस्ट	भावनगर	गुजरात
15.	शिव शक्ति जलस्त्रव विकास मंडल	साबरकंठ	गुजरात
16.	अशोका हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स सोसायटी	पानीपत	हरियाणा
17.	हिंद सोशल वेलफेयर सोसायटी	श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर
18.	छोटानागपुर क्राफ्ट डेवलपमेंट सोसायटी	राँची	झारखंड
19.	एम पी हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा विकास निगम लिमिटेड	भोपाल	मध्य प्रदेश
20.	सरोदा टैक्सटाईल्स	कांदीवली(पश्चिम)	महाराष्ट्र
21.	रूल आर्गेनाइजेशन फॉर सोशल एक्शन	कटक	उड़ीसा
22.	हरजीत सिंह एंड संस	अमृतसर	पंजाब
23.	जूट जागृति	जयपुर	राजस्थान
24.	जोथी कनिगा यूनिवर्सल सर्विस ट्रस्ट	पीलमेडु	तमिलनाडु
25.	बालीफैब इंटरनेशनल लिमिटेड	वादापालनी	तमिलनाडु
26.	सीमातिनी	अगरतला	त्रिपुरा
27.	वीमेन डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन	देहरादून	उत्तराखंड
28.	भारतीय ग्रामोत्थान अपर धलवाला	टिहरी गढ़वाल	उत्तराखंड
29.	दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी	वाराणसी	उत्तर प्रदेश
30.	राय ट्रेडर्स	बर्दवान	पश्चिम बंगाल
31.	दिनहाता नं.- I एंड II ब्लॉक तांतुबे सामाबे समिति लिमिटेड	कूचबिहार	पश्चिम बंगाल
32.	रामकृष्ण मिशन	हुगली	पश्चिम बंगाल
33.	सरोदा टैक्सटाईल्स	हुगली	पश्चिम बंगाल
34.	मंगलम	हावड़ा	पश्चिम बंगाल
35.	जूट हैंडीक्राफ्ट्स	उत्तरी 24 परगना	पश्चिम बंगाल
36.	मार्केटिंग एंड रिसर्च सेंटर	पूर्व मेदिनीपुर	पश्चिम बंगाल
37.	आर.आर. इंटरप्राइजेज	सिलिगुड़ी	पश्चिम बंगाल

अनुबंध-IV
(पैराग्राफ 4.13 में संदर्भित)

जे.टी.एम. के अंतर्गत क्लस्टर विकास एजेंसियों के रूप में नियुक्त एन.जी.ओ. का ब्यौरा

क्रम संख्या	एन.जी.ओ. का नाम	जिला	राज्य
1.	ओरुगालु महिला संगम	वारंगल	आंध्र प्रदेश
2.	नोनियारखाल टी ई यूथ क्लब	कचर	असम
3.	असामी हस्त कला केंद्र	नलबाड़ी	असम
4.	यूथ अपलिफ्टमेंट सेंटर	बारपेटा	असम
5.	नॉर्थ इस्ट फाउंडेशन फॉर कल्चरल एंड सोशियो इकोनोमिक डेवलपमेंट	गुवाहाटी	असम
6.	सामाजिक न्याय धर्म निरपेक्षता लोकमंच	मधुबनी	बिहार
7.	ब्राल महिला कल्याण विकास आश्रम	कटिहार	बिहार
8.	जनशक्ति एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसायटी	अररिया	बिहार
9.	एकता समिति	रायपुर	छत्तीसगढ़
10.	स्वामी विवेकानंद युवक मंडल	नैनी दमन	दमन एवं दीव
11.	नवपाड़ा खादी ग्रामोद्योग मंडल	जूनागढ़	गुजरात
12.	हैप्पी होम वीमेन, चिल्ड्रेन एंड डाउन ट्रोडेन सोसायटी	श्रीनगर	जम्मू एवं कश्मीर
13.	स्वराज खादी ग्राम दस्तकारी उद्योग समाज	कुपवाड़ा	जम्मू एवं कश्मीर
14.	भारतीय सेवा संस्थान	लखनऊ	उत्तर प्रदेश
15.	ग्रामीण समाज कल्याण समिति	अल्मोड़ा	उत्तराखंड
16.	जादवपुर आभास	कोलकाता	पश्चिम बंगाल
17.	मल्लाभूम महिला कल्याण समिति	बाँकुड़ा	पश्चिम बंगाल
18.	सुकसागर रोड पलपाड़ा विवेकानंद मिशन	नादिया	पश्चिम बंगाल
19.	बलिवाड़ा आर्गेनाइजेशन फॉर फेलो फीट इम्पावरमेंट एंड रीकंस्ट्रक्शन	नॉर्थ चौबीस परगना	पश्चिम बंगाल
20.	अरविदं पल्ली भारत कृस्ति सेवा संघ	हुगली	पश्चिम बंगाल
21.	अग्रगति	हावड़ा	पश्चिम बंगाल
22.	खादी पब्लिक कल्चरल एंड वेलफेयर एसोसियेशन	हावड़ा	पश्चिम बंगाल

जल संसाधन मंत्रालय

ब्रह्मपुत्र बोर्ड की क्रियाविधि

अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत

अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत

अध्याय V : जल संसाधन मंत्रालय

ब्रह्मपुत्र बोर्ड के कार्य

विशिष्टताएं

- ❖ बोर्ड मुख्य योजना को तैयार करने का मुख्य कार्य पूर्ण नहीं कर सका। यह अपने अस्तित्व के गत 27 वर्षों के दौरान 57 मुख्य योजनाओं के लक्ष्य में से मात्र 43 योजनाओं को ही तैयार एवं अनुमोदित करा सका।

(पैराग्राफ 5.11)

- ❖ बोर्ड ने 64 परियोजनाओं के लिए डी.पी.आर. तैयार करने का काम आरम्भ किया लेकिन यह मात्र 34 डी.पी.आर. ही पूर्ण कर सका। यह मात्र 12 डी.पी.आर. के लिए केन्द्रीय जल आयोग से अनुमोदन प्राप्त कर सका।

(पैराग्राफ 5.12)

- ❖ जल निकास विकास योजना के अन्तर्गत 6 परियोजनाओं तथा एक बहुउद्देशीय योजना की समाप्ति में विलम्ब का परिणाम परिवर्द्धित कृषि उत्पादन/बाढ़ नियंत्रण/ऊर्जा उत्सर्जन के रूप में ₹ 243.72 करोड़ के लाभ की गैर वसूली में हुआ जो परियोजनाओं से प्रत्याशित था।

(पैराग्राफ 5.13.1)

- ❖ पंगलाड़िया बांध परियोजना का निष्पादन राज्य सरकार से भूमि न मिलने के कारण प्रारम्भ नहीं हो सका। चूंकि राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण/आवंटन की सम्भावना काफी कम थी इसलिए ₹ 25.77 करोड़ व्यय की गई राशि व्यर्थ मानी जा सकती है।


(पैराग्राफ 5.13.5)

अनुशंसाओं का सार

- बोर्ड को मुख्य योजना की तैयारी के लिए समय सीमा तैयार करनी चाहिए।
- बोर्ड को डी.पी.आर. के कार्य की तैयारी शीघ्रता से करने के लिए लगातार प्रयास करने चाहिए।
- बोर्ड को भूमि अधिग्रहण की समस्या उच्च स्तर पर उठानी चाहिए।
- बोर्ड के पास निर्धारित अवधि से अधिक समय बीतने को जांचने हेतु प्रभावी परियोजना मॉनीटरिंग होनी चाहिए।

5.1 प्रस्तावना

ब्रह्मपुत्र बोर्ड की स्थापना ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ों के नियंत्रण एवं बांध अपरदन हेतु उपायों के एकीकृत कार्यान्वयन के लिए योजना तथा तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय (अब जल संसाधन मंत्रालय), भारत सरकार (भा.स.) के संग्रहण के अधीन एक स्वायत्त सांविधिक निकाय के रूप में संसद के अधिनियम (1980 की धारा 46 के तहत 1980 में की गई थी।



बोर्ड के अधिकार क्षेत्र का अप्रैल 1982 में उत्तरपूर्वी क्षेत्र के सभी राज्यों

तक विस्तार किया गया था एवं दिसम्बर 2005 में सिक्किम और ब्रह्मपुत्र एवं बराक घाटी के भीतर पड़ने वाले पश्चिमी बंगाल के उत्तरी भाग शामिल किये गये थे।

बोर्ड ने 12 डिविजनों के माध्यम से जनवरी 1982 से कार्य आरम्भ किया।

5.2 बोर्ड के कार्य

ब्रह्मपुत्र बोर्ड के मुख्य कार्य थे:


- ✓ भा.स. की स्वीकृति हेतु जल संसाधनों के विकास एवं उपयोगिता के साथ-साथ बाढ़ नियंत्रण, बांध अपरदन तथा जल निकासी के सुधार हेतु मुख्य योजना तैयार करने के लिए ब्रह्मपुत्र घाटी तथा बराक घाटी में सर्वेक्षण तथा अन्वेषण करना;
- ✓ मुख्य योजना में प्रस्तावित बांधों एवं अन्य परियोजनाओं के संबंध में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) एवं अनुमान तैयार करना जो भा.स. द्वारा संस्वीकृत हो तथा उसे केन्द्रीय जल आयोग (सी.डब्ल्यू.सी.) की संस्वीकृति दिलाना।
- ✓ बांध एवं अन्य परियोजनाओं के निर्माण, संचालन अनुरक्षण हेतु मानक एवं विनिर्देशन तैयार करना;
- ✓ बहुउद्देशीय बांध एवं अन्य परियोजनाओं का निर्माण तथा संचालन एवं अनुरक्षण करना।

- ✓ अन्य ऐसे कार्य करना जो ऊपर विनिर्दिष्ट कार्यों के अनुपूरक, प्रासंगिक अथवा परिणामी है।

5.3 संगठनात्मक ढाँचा

बोर्ड 21 सदस्यों से बना है जिनमें से चार (सभापति, उप-सभापति, महा-प्रबंधक तथा वित्तीय सलाहकार) पूर्णकालिक सदस्य थे तथा 17 संबंधित राज्य सरकारों, उत्तर-पूर्वी परिषद तथा भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों के रूप में अंशकालिक सदस्य थे।

बोर्ड का संगठन चार्ट नीचे दर्शाया गया है:



बोर्ड की लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्तें अधिनियम, 1971) की धारा 19(2) के तहत की गई थी। ब्रह्मपुत्र बोर्ड की निष्पादन लेखापरीक्षा वर्ष 2004-05 से 2008-09 तक पाँच वर्ष की अवधि के लेन-देनों को शामिल करके अक्टूबर 2009 से जनवरी 2010 के दौरान की गई थी। बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली ₹ 143.96 करोड़ (अनुबंध IV) की लागत वाली 20

परियोजनाओं में से, ₹ 114.55 करोड़ की लागत वाली 12 परियोजनाओं की लेखापरीक्षा में नमूना जांच की गई जो यादृच्छिक चयनित थीं जैसा कि अनुबंध I में विवरण दिया गया है।

5.5 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि:

- ✓ मुख्य योजना की तैयारी के लक्ष्य निर्धारित समयसीमा में प्राप्त किये गये थे;
- ✓ बोर्ड द्वारा की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) उचित कार्यविधि का अनुपालन करते हुए तैयार की गई थी;
- ✓ सिंचाई, जलशक्ति, नौपरिवहन एवं अन्य लाभकारी उद्देश्य के लिए ब्रह्मपुत्र एवं बराक घाटी के जल संसाधन के विकास एवं उपयोगिता हेतु बोर्ड का लक्ष्य प्राप्त किया गया था जैसा कि इसकी विभिन्न परियोजनाओं के लिए विचारित था;
- ✓ बोर्ड के पास पर्याप्त निधि उपलब्ध थी तथा निर्धारित उद्देश्यों के लिए उपयोग की गई थी;
- ✓ बाढ़ नियंत्रण, बांध अपरदन एवं जल निकासी में सुधार के संबंध में बोर्ड का कार्य कुशल एवं प्रभावी था तथा संबंधित राज्य के लिए लाभकारी था;
- ✓ बोर्ड के भीतर आन्तरिक नियंत्रण तंत्र तथा मंत्रालय द्वारा पर्यवेक्षण पर्याप्त था और प्रबंधन/मंत्रालय द्वारा प्रभावी एवं कुशलता से लागू किया गया था।

5.6 लेखापरीक्षा मापदण्ड

लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित मापदण्ड के अन्तर्गत चिह्नित किए गए थे:

- ✓ ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980;
- ✓ मुख्य योजना दस्तावेज एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट;
- ✓ बजट दस्तावेज;
- ✓ भारत सरकार द्वारा जारी आदेश एवं अनुदेश।

5.7 लेखापरीक्षा कार्यविधि

बोर्ड की निष्पादन लेखापरीक्षा अक्टूबर 2009 में ब्रह्मपुत्र बोर्ड के प्रबंधन के साथ प्रवेश सम्मेलन के साथ प्रारम्भ हुई जिसमें लेखापरीक्षा कार्यविधि, कार्यक्षेत्र, उद्देश्य एवं मापदण्ड पर चर्चा की गई थी। लेखापरीक्षा कार्यविधि में कार्य अभिलेखों का निरीक्षण, आँकड़े का संकलन एवं विश्लेषण शामिल हैं। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर 5 जुलाई 2010 को प्रबंधन के साथ हुए निर्गम सम्मेलन में चर्चा की गई थी।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

5.8 वित्तीय प्रबंधन

बोर्ड को इसके कार्य एवं स्थापना व्यय के लिए भारत सरकार से सहायता अनुदान के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता था। 2004-05 से 2008-09 के दौरान वर्ष-वार बजट, बोर्ड द्वारा सहायता अनुदान एवं भुगतान नीचे दिये गये विवरण के अनुसार थे:

(करोड़ ₹ में)

वर्ष	बजट अनुमान का प्रस्ताव	संशोधित अनुमान प्रस्ताव	अथशेष	अनुदान प्राप्ति	अन्य प्राप्तियाँ ¹	कुल उपलब्ध निधियाँ	कुल भुगतान	बचत (प्रतिशतता)
2004-05	110.98	55.72	28.81	33.17	4.76	66.74	43.30	23.44(35)
2005-06	231.65	66.76	23.44	31.29	3.63	58.36	36.41	21.95(38)
2006-07	93.12	64.88	21.95	34.27	4.90	61.12	39.33	21.79(36)
2007-08	81.76	58.23	21.79	33.83	5.70	61.32	39.49	21.83(36)
2008-09	76.95	100.96	21.83	91.20	7.63	120.66	68.31	52.35(43)
योग				223.76	26.62		226.84	

जैसा कि उपरोक्त तालिका में देखा गया कि मंत्रालय द्वारा स्वीकृत बजट अनुमानों की आंशिक निमुक्ति के बावजूद सभी वर्षों में उपलब्ध निधियों की 35 से 43 प्रतिशत तक की काफी बचत थी। इसने दर्शाया कि बोर्ड ने अपनी निधि उपयोग क्षमता पर विचार करते हुए वास्तविक बजट अनुमान तैयार नहीं किए थे। इसका परिणाम मार्च 2009 तक ₹ 52.35 करोड़ की सीमा तक अव्ययित शेष के संचयन में हुआ। बोर्ड ने इन अधिशेष निधियों को बैंक में अल्पावधि जमा में रखा। इस प्रकार, अवास्तविक बजट अनुमानों का परिणाम दुर्लभ संसाधनों के अवरोधन में हुआ तथा अन्य महत्वपूर्ण विकास गतिविधियों में इसका उपयोग करने से भारत सरकार वंचित रही।

बोर्ड ने बताया (जून 2010) कि व्यय में कमी लगातार बाढ़, विद्रोह समस्या, केन्द्रीय जल आयोग (सी.डब्ल्यू.सी.) से आरेखन एवं रूपरेखा की स्वीकृति प्राप्त करने में तथा भूमि अधिग्रहण में विलम्ब के कारण थी। आगे यह बताया कि अधिशेष निधियों का, सरकार के धन का उत्तम मूल्य पाने के लिए अल्पावधि जमा में निवेश किया गया था।

बोर्ड का उत्तर इसलिए स्वीकार्य नहीं था कि समीक्षा के अधीन सभी वर्षों में बचत थी और बोर्ड को उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए बजट अनुमानों को तैयार करना चाहिए था। बोर्ड द्वारा अधिक निधियों के अवधारण पर दिसम्बर 2004 में हुई बोर्ड की बैठक में सं.स. एवं वि.स. (जल संसाधन मंत्रालय) द्वारा उठाई गई आपत्ति ने लेखापरीक्षा तर्क को सिद्ध किया।

¹ ब्याज, विविध प्राप्तियों व जमा कार्यों के विरुद्ध निधि

5.8.1 भूमि अधिग्रहण प्राधिकारियों के पास से जमा निधियों पर ब्याज की हानि

बोर्ड ने मार्च 2001 में पगलाडिया बाँध परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए प्रतिपूर्ति लागत के प्रति ₹ 10 करोड़ और दिसम्बर 2008 में भूमि अधिग्रहण हेतु प्रतिपूर्ति लागत तथा आमंजूर जल निकासी विकास योजना के लिए जिरात सर्वेक्षण के लिए ₹ 3.40 करोड़ भूमि अधिग्रहण प्राधिकारियों के पास जमा किए। बोर्ड के सभापति ने एक अलग खाते का अनुसूक्षण करने का प्रस्ताव किया। लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि ये निधियाँ अलग खाते में नहीं रखी गई थीं तथा भूमि अधिग्रहण प्राधिकारियों ने लेखापरीक्षा तिथि (नवम्बर 2009 तक) इसका उपयोग नहीं किया। तथापि, भूमि अधिग्रहण प्राधिकारियों ने बोर्ड के आग्रह पर पगलाडिया बाँध परियोजना हेतु ₹ 10 करोड़ की राशि को नवम्बर 2009 में वापस कर दिया।

निधियों को अलग खाते में नहीं रखे जाने के कारण बोर्ड को सात प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर परिकलित ब्याज के प्रति ₹ 6.23 करोड़ की हानि हुई।

5.8.2 निष्क्रिय स्टॉक में निधियों का अवरोधन

बोर्ड के पगलाडिया बाँध परियोजना प्रभाग ने ₹ 84.20 लाख की लागत पर 300 मीटर सी.जी.आई. शीटों का प्रापण किया (फरवरी 2001 में)। तथापि, प्रभाग केवल 124 मीटर सी.जी.आई. शीटों का उपयोग कर सका तथा मार्च 2009 तक ₹ 49.40 लाख की लागत वाली 176 मी. की मात्रा प्रभाग के पास व्यर्थ पड़ी थी। बोर्ड ने बताया (दिसम्बर 2009) कि सामग्री बोर्ड के दूसरे प्रभागों को जारी की जा रही थी। बोर्ड के उत्तर से यह स्पष्ट था कि प्रभाग ने वास्तविक आवश्यकता के निर्धारण के बिना आधिक्य में सामग्री का प्रापण किया जिसका परिणाम निष्क्रिय स्टॉक में ₹ 49.40 लाख की निधियों के अवरोधन के रूप में हुआ।

5.8.3 परियोजना लागत की गैर प्रतिपूर्ति

मुख्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि बोर्ड ने मंत्रालय के अनुदेशों की अनुपालना में तिपाईंमुख बाँध परियोजना को उत्तर पूर्वी विद्युत एवं ऊर्जा निगम (निपको) को सौंप दिया (मार्च 1999)। परियोजना सौंपने से पहले बोर्ड द्वारा व्यय किए गए ₹ 4.88 करोड़ की प्रतिपूर्ति हेतु जुलाई 1999 में निपको के पास एक दावा दर्ज किया गया था परन्तु अब तक (जनवरी 2010) कोई भी राशि प्राप्त नहीं की जा सकी।

इसी प्रकार, देहांग तथा सुबन्सीरी परियोजनाओं को ₹ 26.51 करोड़ व्यय करने के पश्चात मार्च 2000 में राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति निगम (एन.एच.पी.सी.) को हस्तांतरित किया गया था। व्यय किए गए खर्च की वापसी के लिए दावा एन.एच.पी.सी. से किया गया था। तथापि बोर्ड को लेखापरीक्षा तिथि (जनवरी 2010 तक) ₹ 1.35 करोड़ एन.एच.पी.सी. से प्राप्त हुए थे, शेष ₹ 25.16 करोड़ लम्बित थे।

अनुशंसाएं

- बोर्ड को अव्ययित निधियों के संवयन से बचने के लिए निधि उपयोग क्षमता को ध्यान में रखते हुए अपना बजट तैयार करना चाहिए।
- बोर्ड को ब्याज की हानि से बचने के लिए भूमि अधिग्रहण प्राधिकारियों के पास जमा निधियों के प्रभावी रूप से उपयोग का प्रयत्न करना चाहिए।
- बोर्ड को निपको तथा एन.एच.पी.सी. से अतिदेय बकाया राशि की वसूली के लिए कार्यवाही करनी चाहिए।

5.9 स्थापना पर व्यय

लेखापरीक्षा में शामिल अवधि के दौरान कुल व्यय तथा कार्यों की तुलना में प्रशासन एवं स्थापना पर व्यय को दर्शाने वाला विवरण नीचे दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल व्यय (मूल्यहास छोड़कर)	कार्य व्यय (जमा कार्य सहित)		स्थापना एवं प्रशासन व्यय	
		राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता	राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता
2004 - 05	36.06	25.30	70	10.76	30
2005 - 06	34.36	22.22	65	12.15	35
2006 - 07	37.62	24.45	65	13.17	35
2007 - 08	37.52	23.81	63	13.72	37
2008 - 09	65.49	41.20	63	24.29	37
कुल	211.05	136.98		74.09	

उपरोक्त तालिका से पता लगाया जा सकता है कि समीक्षा अधीन अवधि के दौरान स्थापना एवं अन्य प्रशासनिक व्यय अधिक था तथा कुल व्यय के 30 से 37 प्रतिशत के बीच था।

5.9.1 कार्य प्रभारित स्थापना पर अधिक व्यय

नमूना जांच ने अधिक व्यय के निम्नलिखित उदाहरण प्रकट किए।


- डी.पी.आर. के अनुसार हरंग जल निकासी विकास योजना के लिए निर्माण कार्य के भाग कार्य उपकर पर कार्य प्रभारित व्यय ₹ 19.82 करोड़ की अनुमानित लागत के दो प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। फरवरी 1999 में प्रारम्भ कार्य के निष्पादन को मार्च 2004 तक समाप्त किया जाना निर्धारित किया गया था। लेखापरीक्षा में यह पाया गया था कि ₹ 40 लाख की सीमा के प्रति मार्च 2009 तक ₹ 1.01 करोड़ की राशि प्रभारित की गई थी और कार्य अभी भी प्रगति में था (मार्च 2009 तक 95 प्रतिशत पूर्ण था)। अधिक समय

बीतने का परिणाम डी.पी.आर. में निर्धारित सीमा के अतिरिक्त कार्य प्रभारित स्थापना पर अधिक व्यय में हुआ।

- इसी प्रकार जियाधल जल निकासी विकास योजना के सर्वेक्षण एवं जाँच के लिए कार्य प्रभारित वेतन पर व्यय को ₹ 1.12 करोड़ पर अनुमानित किया गया था। तथापि, प्रभारित वास्तविक व्यय ₹ 1.96 करोड़ था। जिसका परिणाम अनुमानों के अतिरिक्त ₹ 84 लाख के व्यय में हुआ।

5.10 गतिविधियों की स्थिति

प्रारम्भ से मार्च 2009 तक बोर्ड की विभिन्न गतिविधियों की स्थिति को नीचे दर्शाया गया है:




लेखापरीक्षा के दौरान की गई अभ्युक्तियों पर अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

5.11 मुख्य योजना तैयार करना

बोर्ड को सर्वेक्षण एवं जांच के बाद सिंचाई, जलशक्ति, नौपरिवहन एवं अन्य लाभकारी उद्देश्यों हेतु जल संसाधन के विकास एवं उपयोगिता पर उचित ध्यान के साथ-साथ ब्रह्मपुत्र एवं बराक घाटी में बाढ़ नियंत्रण, तट कटाव एवं जल निकास के लिए मुख्य योजना की तैयारी करना अपेक्षित था। मुख्य योजना की एक प्रति सभी संबंधित राज्य सरकारों/अभिकरणों को उनकी टिप्पणियों के लिए दी जानी थी। भारत सरकार को संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से मुख्य योजना को स्वीकृत करना था। बोर्ड ने मुख्य योजना के लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की थी।

31 मार्च 2009 तक मुख्य योजना तैयार करने की स्थिति को नीचे दर्शाया गया है



यह देखा जा सकता है कि 57 मुख्य योजनाओं के लक्ष्य जैसा अनुबंध II में विवरण दिया गया है, के प्रति बोर्ड जनवरी 2010 तक मात्र 43 मुख्य योजनाओं की तैयारी एवं अनुमोदन प्राप्त कर सका। इस प्रकार बोर्ड सर्वप्रथम गतिविधि अर्थात अपने अस्तित्व के गत 27 वर्ष के दौरान मुख्य योजना की तैयारी पूर्ण करने में विफल रहा।

प्रबंधन ने बताया (मार्च 2010) कि 2012 तक मुख्य योजना तैयार करने का लक्ष्य बनाया गया है।

अभिलेख की समीक्षा ने प्रकट किया कि बोर्ड ने विभिन्न क्षेत्रों के संदर्भ में मुख्य योजना भागों में तैयार की जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

भाग	मुख्य योजना का नाम	समाप्ति की तिथि	भा.स. द्वारा अनुमोदन की तिथि
I	मुख्य स्टेम ब्रह्मपुत्र नदी पर मुख्य योजना	1986	अगस्त 1997
II	बराक नदी एवं इसकी सहायक नदियों पर मुख्य योजना	1988	अगस्त 1997
III	ब्रह्मपुत्र तथा मजुलीद्वीप सहित त्रिपुरा राज्य की सहायक नदियों पर मुख्य योजना	1995 से प्रगति में	2004 से 2009 के मध्य पूरे किए गए भाग

यह देखा जा सकता है कि भारत सरकार ने मुख्य योजना को स्वीकृत करने में 11 वर्ष लिए। लेखापरीक्षा संवीक्षा से आगे प्रकट किया कि जल निकासी विकास योजना से संबंधित दो परियोजनाएं (रोंगसाई एवं बथा) स्वीकृत मुख्य योजना में शामिल थीं परंतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य प्रारम्भ करने के बाद रद्द कर दी गई, क्योंकि राज्य सरकार ने पहले ही इन परियोजनाओं को ले लिया था। इसने मुख्य योजना तैयार करने के समय बोर्ड एवं राज्य सरकार के बीच समन्वय की कमी को दर्शाया।

अनुशांसाएं

- बोर्ड को मुख्य योजना तैयार करने के लिए समयसीमा निर्धारित करनी चाहिए।
- बोर्ड को परियोजना के दोहराए जाने से बचने के लिए मुख्य योजना तैयार करते समय संबंधित राज्य सरकार से परामर्श करना चाहिए।

5.12 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी

बोर्ड को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मुख्य योजना में प्रस्तावित बांध एवं अन्य परियोजनाओं के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार करना अपेक्षित था। तथापि, बोर्ड ने सर्वेक्षण एवं जाँच करने तथा डी.पी.आर. तैयार करने हेतु कोई समय सारणी नियत नहीं की थी। बोर्ड ने 64 परियोजनाओं हेतु सर्वेक्षण एवं जांच तथा डी.पी.आर. तैयार किए, जिसका ब्यौरा अनुबंध III में दिया गया है, तथा उनमें से लेखापरीक्षा की तिथि (जनवरी 2010) तक 34 परियोजनाओं का कार्य पूर्ण किया जा सका। बोर्ड मात्र 12 डी.पी.आर. के लिए सी.डब्ल्यू.सी. स्वीकृति प्राप्त कर सका तथा 15 डी.पी.आर. की स्वीकृति जनवरी 2010 तक प्रतिक्षित थी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने डी.पी.आर. तैयार करने के संबंध में निम्नलिखित प्रकट किया:

- डी.पी.आर. की तैयारी हेतु जल निकासी विकास योजना से संबंधित 41 परियोजनाओं में से बोर्ड मात्र 22 परियोजनाओं के लिए डी.पी.आर. की तैयारी का कार्य पूरा कर सका। बचा के लिए डी.पी.आर. तैयार करने को रद्द कर दिया गया था क्योंकि राज्य सरकार ने जलद्वार निर्माण एवं पुनर्विभाजन कार्य शुरू कर दिया था। शेष 18 परियोजनाओं का कार्य प्रगति में था। तैयार 22 डी.पी.आर. में से दो योजनाओं (कोनवारपुर एवं रंगसाई) को हटा दिया गया था। शेष 20 डी.पी.आर. में से सी.डब्ल्यू.सी. ने 11 डी.पी.आर. स्वीकृत किए एवं नौ डी.पी.आर. के विरुद्ध टिप्पणी की (जून 1992 से जुलाई 2008)। यद्यपि, बोर्ड को एक वर्ष के निर्धारित समय के भीतर अपने उत्तर प्रस्तुत करने थे लेकिन इसने लेखापरीक्षा की तिथि (जनवरी 2010 तक) तक उत्तर प्रस्तुत नहीं किए थे।
- सी.डब्ल्यू.सी. ने बाढ़ नियंत्रण उपायों के संबंध में 6 डी.पी.आर. पर टिप्पणियां की (अक्टूबर 2005 से 2008) लेकिन बोर्ड ने लेखापरीक्षा तिथि (जनवरी 2010) तक सी.डब्ल्यू.सी. की टिप्पणियों का जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने बाढ़ नियंत्रण उपायों के निष्पादन संबंधित 10 परियोजनाएं शुरू कीं तथा सात पूर्ण हुई थी। एक परियोजना का कार्य प्रगति में था और अन्य दो परियोजनाओं को लेखापरीक्षा की तिथि (जनवरी 2010) तक आरम्भ किया जाना था। तथापि, यह तथ्य कि इन परियोजनाओं के लिए डी.पी.आर. तैयार तथा सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा स्वीकृत थे, संबंधित संगत सूचना की कमी के कारण लेखापरीक्षा में पता नहीं लगाया जा सका।

- डी.पी.आर. तैयार करने हेतु लिए गए 14 बहुउद्देशीय योजनाओं (जमा कार्य के रूप में दो परियोजनाओं सहित) में से बोर्ड छः डी.पी.आर. (एक जमा कार्य भी जो मिजोरम सरकार को सौंपा गया था सहित) तैयार कर सका। अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया था कि आठ परियोजनाओं, जिसके लिए डी.पी.आर. प्रगति में थे में से 1997 में शुरू तथा 2000 तक पूर्ण की जाने वाली तीन² परियोजनाएं अब तक पूर्ण नहीं हुई थी। जियाधल परियोजना के लिए डी.पी.आर. कार्यदिवस 2003 तक समाप्त किया जाना था, लेकिन इसे मेसर्स कृषि वित्तीय निगम लिमिटेड द्वारा पर्यावरण प्रभाव निर्धारण तथा पर्यावरण प्रबंधन कार्यक्रम की कमी के कारण पूरा नहीं किया जा सका।
- 2004-05 के दौरान बोर्ड ने दो साल में समाप्ति के लिए प्रत्येक ₹ 30 लाख की स्वीकृत लागत वाली तीन मिनी माइक्रो हाइडेल परियोजनाओं हेतु डी.पी.आर. तैयार करना शुरू किया। तथापि, यह पाया गया था कि बोर्ड ने इन परियोजनाओं पर ₹ 82.97 लाख का व्यय किया लेकिन कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि से चार वर्ष से अधिक के बीत जाने के बाद भी अपूर्ण रहा।

उपरोक्त अभ्युक्तियों ने डी.पी.आर. की समाप्ति में समयबद्ध कार्यक्रम के अभाव को दर्शाया। बोर्ड द्वारा सी.डब्ल्यू.सी. की टिप्पणियों पर उत्तर के अप्रस्तुति का परिणाम डी.पी.आर. की स्वीकृति में विलम्ब तथा फलस्वरूप कार्य निष्पादन विलम्ब में हुआ।

अनुशंसाएं

- बोर्ड को डी.पी.आर. तैयार करने में शीघ्रता के लिए निरन्तर प्रयास करने चाहिए।
- बोर्ड अविलंबित डी.पी.आर. की स्वीकृति के लिए निर्धारित समय के भीतर सी.डब्ल्यू.सी. की टिप्पणियों का उत्तर प्रस्तुत करना चाहिए।

5.13 निष्पादन

बोर्ड ने निष्पादन हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 20 परियोजनाएं शुरू की लेकिन मार्च 2009 तक सुरक्षा कार्य के अन्तर्गत मात्र सात परियोजनाएं ही पूर्ण की जा सकी जैसा कि अनुबंध-IV में ब्यौरा दिया गया है। परियोजनाओं के निष्पादन से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान की गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की चर्चा निम्नलिखित उप-पैराग्राफों में की गई है।

5.13.1 परियोजनाओं की समाप्ति में विलम्ब के कारण लाभ की हानि

यह विचार किया गया था कि जल निकासी विकास योजनाओं का कार्यान्वयन बाढ़ समस्या को कम करेगा तथा उच्चतर कृषि उत्पादन में सहायता करेगा। इसी प्रकार, पगलाडिया बांध परियोजना से अभिकलित लाभों में बाढ़ नियंत्रण, विद्युतशक्ति सृजन

² कुलसी, किंशा-1 तथा सिमसैंग

2010-11 की प्रतिवेदन सं. 20

एवं सिंचाई आदि सम्मिलित थी। इस प्रकार, परियोजना लाभों को वित्तीय रूप में परिमाणित किया गया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि फरवरी 2001 से नवम्बर 2006 के दौरान बोर्ड ने निष्पादन हेतु निम्नलिखित परियोजनाएं शुरू की लेकिन समाप्ति की संबंधित निर्धारित तिथि से 1 से 7.5 वर्ष बीतने के बाद भी लेखापरीक्षा की तिथि (जनवरी 2010) तक उनमें से कोई भी पूर्ण नहीं की गई थी जैसा कि नीचे दी गई तालिका में विवरण दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	प्रशासनिक अनुमोदन	अनुमानित लागत/संशोधित अनुमानित लागत	राज्य सरकार द्वारा जारी अ.प्र.प.	समाप्ति की लक्षित तिथि	व्यय	वार्षिक लागत लाभ	वर्तमान स्थिति (समाप्ति की प्रतिशतता)	जनवरी 2010 तक विलम्ब की अवधि (वर्षों में)	लाभ की हानि
1.	आमजुर डी.डी.एस.	जनवरी 2006	14.15	जून 2006	मार्च 2009	4.50	9.98	10	1	9.98
2.	हरंग डी.डी.एस.	फरवरी 1998	30.49	उ.न.	मार्च 2004	28.80	10.80	95	6	64.80
3.	जेंगराई डी.डी.एस.	मार्च 1998	1.49	फरवरी 2001	अगस्त 2002	1.04	0.39	30	7.5	2.92
4.	ज्वायसागर डी.डी.	मार्च 2000	2.13	अक्टूबर 2001	अक्टूबर 2004	0.01	2.79	अभी प्रारम्भ होनी है	5.5	15.35
5.	कैलाशहर डी.डी.एस.	उ.न.	4.18	सितम्बर 2002	सितम्बर 2005	0.14	1.35	अभी प्रारम्भ होनी है	4.5	6.07
6.	सिंगला डी.डी.एस.	फरवरी 2006	3.54	नवम्बर 2006	मार्च 2008	0.15	3.79	अभी प्रारम्भ होनी है	2	7.58
7.	पगलड़िया बांध परियोजना	जनवरी 2001	542.90	उ.न.	दिसम्बर 2007	25.77	68.51	अभी प्रारम्भ होनी है	2	137.02
कुल			598.88			60.41				243.72

उपरोक्त तालिका से यह पाया जाता है कि चार परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था तथा शेष तीन की भौतिक प्रगति 10 प्रतिशत से 95 प्रतिशत के बीच थी। इन चार परियोजनाओं पर कार्य भूमि अधिग्रहण समस्या के कारण प्रारम्भ नहीं किया जा सका। जेंगराई परियोजना के संबंध में राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में बोर्ड ने तीन वर्ष लिए तथा आई.आई.टी. गुवाहाटी द्वारा जलद्वार की कार्य रूपरेखा को अंतिम रूप न देने के कारण समाप्ति में विलम्ब हुआ (कार्य जुलाई 2006 में सौंपा गया था)। हरंग परियोजना शेष कार्य के आवंटन में विलम्ब एवं ठेकेदारों की असफलता से कार्य के रद्द होने के कारण निर्धारित तिथि के अन्दर समाप्त नहीं हो सका। आमजुर परियोजना की प्रगति राज्य सरकार से जमीन न मिलने के कारण धीमी थी।

यद्यपि, बोर्ड ने उपरोक्त परियोजना के निष्पादन पर अनुमानित लागत ₹ 598.88 करोड़ में से ₹ 60.41 करोड़ का व्यय (मार्च 2009 तक) किया फिर भी समाप्ति में विलम्ब के परिणामस्वरूप उपरोक्त परियोजना से आवर्धित कृषि उत्पादन/बाढ़ नियंत्रण/विद्युत शक्ति उत्पादन जैसे प्रत्याशित लाभ के रूप में ₹ 243.72 करोड़ की हानि हुई।

5.13.2 अतिरिक्त व्यय

बोर्ड ने एक ठेकेदार को सितम्बर 2000 की निर्धारित समाप्ति तिथि के साथ फरवरी 1999 में ₹ 1.80 करोड़ की लागत पर हरंग डी.डी.एस. परियोजना के अन्तर्गत किन्नोरखल जलद्वार-नियामक संयंत्र निर्माण कार्य सौंपा था। ठेकेदार ने दिसम्बर 1999 में निर्माण कार्य शुरू किया। बाद में बोर्ड ने अभिकल्पन एवं आरेखन में परिवर्तन कर दिया (नवम्बर 2000) जिससे संशोधित लागत ₹ 4.81 करोड़ हो गई। प्रारम्भ में ठेकेदार



नए अभिकल्पन आरेखन के अनुसार बोर्ड द्वारा अतिरिक्त वस्तु Z-टाईप शीट पाइल्स की आपूर्ति करने की शर्त पर करार दर पर कार्य निष्पादन के लिए सहमत हुआ। तथापि, ठेकेदार ने ₹ 1.43 करोड़ का कार्य पूरा कर ₹ 3.38 करोड़ का शेष कार्य अप्रैल 2001 से रोक दिया। बोर्ड ने मार्च 2002 में ठेकेदार से कार्य वापिस लिया और निर्धारित समाप्ति तिथि

सितम्बर 2003 के साथ अगस्त 2002 में दूसरे ठेकेदार को ₹ 3.62 करोड़ की लागत पर कार्य सौंप दिया। आगे संवीक्षा से यह पता चला कि नये ठेकेदार द्वारा कार्य शुरू करने में विलम्ब एवं पहले ठेकेदार द्वारा कार्य रोकने के कारण कार्य स्थल पर मिट्टी का संचयन हो गया और मिट्टी की सफाई के लिए बोर्ड ने ठेकेदार को ₹ 30.22 लाख दिए। अंत में कार्य ₹ 4.28 करोड़ (₹ 85.13 लाख की अतिरिक्त वस्तुओं के साथ) की लागत पर जुलाई 2006 में समाप्त हुआ। इस प्रकार, प्रारम्भिक ठेकेदार की असफलता के कारण कार्य समाप्ति में 5 वर्ष का अधिक समय लगा। यद्यपि, कार्य समाप्ति में विलम्ब एवं शेष कार्य की समाप्ति के लिए बोर्ड से अधिक व्यय की प्राप्ति के लिए दण्ड (शेष कार्य के 10 प्रतिशत) का प्रावधान था, ₹ 64 लाख की वसूली के लिए ठेकेदार के विरुद्ध कोई दावा दर्ज नहीं किया गया।

5.13.3 ठेकेदार को अनुचित लाभ

हरंग डी.डी.एस. परियोजना के अन्तर्गत ककराखल जलद्वार नियामक की निर्माण परियोजना सितम्बर 2000 की निर्धारित समाप्ति तिथि के साथ फरवरी 1999 में ₹ 1.77 करोड़ की लागत पर एक ठेकेदार को सौंपी गई। बाद में, संरचना एवं विशिष्टताओं में परिवर्तन के कारण निर्धारित समाप्ति तिथि दिसम्बर 2004 के साथ-साथ

₹ 4.89 करोड़ लागत को बोर्ड ने संशोधित कर दिया। लेकिन ठेकेदार कार्य पूरा करने में असफल रहा तथा ₹ 5.72 करोड़ की लागत (पूरक वस्तु सहित) के 93 प्रतिशत कार्य निष्पादन के बाद कार्य स्थगित कर दिया। फलतः अगस्त 2007 में बोर्ड ने कार्य को निरस्त कर दिया। शेष कार्य की लागत ₹ 74.43 लाख (सिविल कार्य ₹ 55.14 लाख एवं यांत्रिक कार्य ₹ 19.29 लाख) आकलित की गयी। बोर्ड ने लगभग दो वर्ष के अन्तराल के बाद ₹ 92.24 लाख की लागत पर मई 2009 में शेष सिविल कार्य पुनः सौंपा जिसकी मई 2010 तक प्रगति 70 प्रतिशत थी। दूसरा भाग (यांत्रिक कार्य) लगभग 3 वर्ष के बाद ₹ 42.92 लाख की लागत पर मार्च 2010 में पुनः सौंपा गया जो अब तक प्रारम्भ होने को था। इस प्रकार ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा करने में असफलता एवं बोर्ड द्वारा कार्य पुनः सौंपने में विलम्ब के कारण अब तक ₹ 60.75 लाख की अधिक लागत एवं 5 वर्ष का अधिक समय लगा। प्रारम्भिक विलम्ब का कारण ठेकेदार के लिए पहुंच मार्ग की अनुपलब्धता को बताया गया था जिसके लिए बोर्ड को ₹ 60.30 लाख ठेकेदार को क्षतिपूर्ति के रूप में देय था। यद्यपि, बोर्ड ₹ 10.20 लाख के दण्ड में से ₹ 7.82 लाख वसूल सका लेकिन शेष कार्य की समाप्ति के लिए बोर्ड द्वारा प्राप्त की जाने वाली ₹ 60.73 लाख के अतिरिक्त खर्च की वसूली के लिए ठेकेदार के विरुद्ध कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया।

5.13.4 ठेकेदारों से दण्ड की गैर-वसूली

जनवरी 2005 में भारत सरकार ने ₹ 41.28 करोड़ (अगस्त 2008 में ₹ 56.07 करोड़ संशोधित) की लागत पर माजुली द्वीप फेज-1 के मिट्टी कटाव से बचाव के लिए एक योजना को स्वीकृति दी थी। एकल समूह में योजना निष्पादन के बदले, बोर्ड ने इसे 28 कार्यों में तीन वर्षों के लिए विभक्त कर दिया। ये सभी कार्य ₹ 47.75 करोड़ की कुल लागत पर 19 ठेकेदारों को मार्च 2005 से नवम्बर 2007 के मध्य सौंपे गये। 19 ठेकेदारों में से 7 ठेकेदार 8 कार्यों को निर्धारित समय सीमा के अन्दर पूरा नहीं कर सके जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

क्र. सं.	कार्य का नाम	निविदा लागत (₹ करोड़ में)	वितरण तिथि	प्रारम्भ तिथि	समाप्ति की निर्धारित तिथि	मार्च 2009 को प्रतिशतता में भौतिक प्रगति
1.	कन्धुलिमारी चेक डैम के अगले भाग की मरम्मत एवं निर्माण	1.61	22.2.05	24.4.05	45 दिन	13
2.	सोनोवाल कचारी में चेक डैम न. 2 के अगले भाग की मरम्मत एवं निर्माण	1.53	22.2.05	4.3.05	45 दिन	38
3.	तटबंध ऊंचा उठाना एवं मजबूत बनाना (कमालबारी के उपरी धारा)	8.37	11.3.05	21.3.05	3 महीने	31
4.	बेसमारा से खड़खरीजन तक ब्रह्मपुत्र बांध ऊंचा उठाना एवं	1.93	14.3.07	23.3.07	3 महीने	91

क्र. सं.	कार्य का नाम	निविदा लागत (₹ करोड़ में)	वितरण तिथि	प्रारम्भ तिथि	समाप्ति की निर्धारित तिथि	मार्च 2009 को प्रतिशतता में भौतिक प्रगति
	मजबूत बनाना					
5.	कंधुलीमारी से टेकलीफुटा तक ब्रह्मपुत्र तटबंध उन्ना उठाना एवं मजबूत बनाना	1.67	14.3.07	25.2.07	3 महीने	92
6.	कंधुलीमारी से बेसमारा तक तटबंध उन्ना उठाना एवं मजबूत बनाना	1.42	14.3.07	15.3.07	3 महीने	92
7.	कंधुलीमारी से बेसमारा तक तटबंध उन्ना उठाना एवं मजबूत बनाना	1.33	14.3.07	3.3.07	3 महीने	85
8.	काबुलुघाट और लुईट घाट के बीच में कमलाबारी रोड के तीन न. दशर को बन्द करना	1.49	19.4.07	9.4.07	3 महीने	82
	कुल	19.35				

संबंधित डिविजन में संगत अभिलेख की अनुपलब्धता के कारण 20 महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी कार्य की अपूर्णता के कारणों का लेखापरीक्षा में मूल्यांकन नहीं किया जा सका। यद्यपि, परियोजना की समाप्ति में विलम्ब के लिए ठेकेदार पर दण्ड का प्रावधान था, बोर्ड ने ठेकेदार पर दण्ड के लिए कोई भी प्रक्रिया तैयार नहीं की।

5.13.5 भूमि की अनुपलब्धता के कारण परियोजना का गैर-निष्पादन

जनवरी 2001 में भारत सरकार ने ₹ 542.90 करोड़ की अनुमानित लागत पर पगलाडिया बांध परियोजना के निर्माण के लिए संस्वीकृति प्रदान की एवं दिसम्बर 2007 तक पूर्ण करने का समय निर्धारित किया। परियोजना का निष्पादन असम सरकार द्वारा पूरा की जानी वाली दो प्रमुख प्रक्रियाओं अर्थात् (1) जिरत सर्वेक्षण³ एवं (2) भूमि अधिग्रहण पर निर्भर था। भूमि की कुल आवश्यकता 7510 हेक्टेयर निर्धारित की गई। लेखापरीक्षा तिथि (जनवरी 2010) तक राज्य सरकार ने 33 स्थानों में 956 हेक्टेयर सरकारी भूमि उपलब्ध कराई। पुनर्वास कार्य के लिए अन्तरिम आकलन ₹ 99.04 करोड़ था। बोर्ड ने मार्च 2001 में राज्य सरकार को ₹ 10 करोड़ का अग्रिम भुगतान किया लेकिन राज्य सरकार परियोजना प्रभावित परिवारों द्वारा प्रतिरोध के कारण जिरत सर्वेक्षण संचालन नहीं कर सकी। राज्य सरकार ने नवम्बर 2009 में अग्रिम राशि वापिस कर दी। इसी बीच बोर्ड ने अप्रैल 2001 से मार्च 2009 के बीच विभिन्न मदों के साथ-साथ बेकार पड़े हुए 16 आवासीय मकानों एवं एक अतिथि गृह (₹ 1.04 करोड़) पर ₹ 25.77 करोड़ खर्च किया।

³ पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना योजना के निर्णय के लिए परियोजना प्रभावित परिवारों की सम्पत्ति का मूल्यांकन

उच्च शक्ति प्राप्त समीक्षा बोर्ड के सभापति ने भी नवम्बर 2005 में बताया कि परियोजना को तब तक रोक दिया जाए जब तक कि राज्य सरकार द्वारा जिरत सर्वेक्षण संचालित नहीं किया जाता।

चूंकि राज्य सरकार जिरत सर्वेक्षण/भूमि अधिग्रहण (मार्च 2009) के संचालन में असफल रही एवं अग्रिम राशि को वापिस कर दिया, इस परियोजना की पूर्णता की आशा क्षीण थी। भूमि की अनुपलब्धता की दशा में ₹ 25.77 करोड़ का कुल व्यय व्यर्थ सिद्ध होगा।

अनुशंसाएं

- बोर्ड को भूमि अधिग्रहण की समस्या को उच्च स्तर पर उठाना चाहिए।
- बोर्ड को प्रभावी परियोजना प्रबंधन एवं नियंत्रण द्वारा परियोजना के निष्पादन में अधिक समय लगने की जांच करनी चाहिए।

5.14 नेहारी (NEHARI) में सुविधाओं का उपयोग

नॉर्थ इस्टर्न हाइड्रोलिक एण्ड एलाइड रिसर्च इन्सटीच्युट (नेहारी) निम्नलिखित सुविधाओं के साथ ₹ 13.67 करोड़ की लागत पर दिसम्बर 1996 में में रुद्रेश्वर (उत्तरी गुवाहाटी) में स्थापित किया गया।

- i) भौतिक प्रतिरूपों के अध्ययन की सुविधा के साथ हाइड्रोलिक प्रयोगशाला।
- ii) चट्टान, कंक्रीट एवं मिट्टी के लिए भौतिक जाँच प्रयोगशाला।

लेखापरीक्षा के दौरान ऐसा पाया गया है कि नेहारी ने अपने प्रारम्भ से केवल 6 भौतिक नदी माडल अध्ययन एवं 4 बांध परियोजना संचालित की थी। ये उच्च लागत पर निर्मित सुविधाओं के कम उपयोग को प्रदर्शित करता है।



बोर्ड ने स्वीकार किया (मार्च 2010) कि प्रयोगशाला पूर्णतः समर्थ थी लेकिन तकनीकी जनशक्ति के अभाव, प्रस्तावित 122 पद की जगह मात्र 34 व्यक्तियों की पदनियुक्त होने के कारण पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं हुआ था। इस प्रकार, अपेक्षित जनशक्ति के अभाव के कारण जिस उद्देश्य से नेहारी की स्थापना की गई थी, वह अपूर्ण रह गया।

5.15 परियोजना निगरानी

किसी भी परियोजना की समय से समाप्ति के लिए प्रभावी निगरानी अपेक्षित थी। परियोजना नियंत्रण प्रक्रिया तभी काम करती है जब पर्याप्त प्रलेखन एवं कुशल संचालन सूचनाविधि विद्यमान हो। तथापि, लेखापरीक्षा ने निम्न त्रुटियों का अवलोकन किया।

- कोई भी परियोजना प्रभावी नियंत्रण तकनीक की कमी के कारण निर्धारित समय से पूरी नहीं हो सकी।
- बोर्ड को बांध और अन्य परियोजनाओं के निर्माण, परिचालन एवं देखरेख के लिए मानक एवं प्रारूप तैयार करना था, लेकिन अभी तक ऐसा मानक एवं प्रारूप नियमपुस्तिका को तैयार नहीं किया गया।
- लेखापरीक्षा द्वारा मांगे गये सभी अभिलेख/सूचना बोर्ड नहीं जुटा पाया जो अभिलेख नहीं रखने या खराब देखरेख का द्योतक है।
- भारत सरकार के अनुदेश (दिसम्बर 2008) के अनुसार, बोर्ड को निष्पादित कार्य की उपयोगिता एवं गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र एजेन्सियों के जरिए मूल्यांकन करना था लेकिन बोर्ड ने लेखापरीक्षा तिथि (जनवरी 2010) तक इस कार्य के लिए कोई भी एजेन्सी नियुक्त नहीं की थी।

5.15.1 उच्च शक्ति समीक्षा बोर्ड का कार्य

उच्च शक्ति समीक्षा बोर्ड (एच.पी.आर.बी.) को ब्रह्मपुत्र बोर्ड के क्रियाकलापों की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा मार्च 1982 में स्थापित किया गया। इसके प्रारम्भ से मार्च 2009 तक सिर्फ पांच बैठकें हुईं। अप्रैल 1993 में चौथी बैठक से 12 वर्ष के अंतराल के बाद नई दिल्ली में नवम्बर 2005 में अन्तिम बैठक हुई। यद्यपि, पांचवीं बैठक में एच.पी.आर.बी. की सभा प्रत्येक साल होने का आश्वासन दिया गया था लेकिन उसके बाद किसी बैठक का आयोजन नहीं किया गया।

निष्कर्ष

बोर्ड को ब्रह्मपुत्र एवं बराक घाटी में तट कटाव, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास में सुधार के लिए मुख्य योजना तैयार करनी थी। बोर्ड ने मुख्य योजना बनाने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की थी जिसके परिणामस्वरूप कार्य अपूर्ण रहे। इस प्रकार, बोर्ड अपने पिछले 27 वर्षों के अस्तित्व में अपने मुख्य कार्य - मुख्य योजना विकसित करने में असफल रहा। मुख्य योजना बनाते समय राज्यों एवं बोर्ड के बीच समन्वय की कमी थी। बोर्ड 64 परियोजनाओं में से 34 परियोजनाओं के लिए डी.पी.आर. बनाने का कार्य पूरा कर सका। जनवरी 2010 तक प्रस्तुत किए गए 29 डी.पी.आर. में से मात्र 12 डी.पी.आर. के लिए सी.डब्ल्यू.सी. से अनुमोदन प्राप्त कर सका। बोर्ड ने निष्पादन के लिए विविध योजनाओं के अन्तर्गत 20 परियोजनाएं लीं। लेकिन मात्र 7 को पूरा कर सका। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चलता है कि भूमि की कमी के कारण पांच परियोजनाएं पूर्ण नहीं हो सकीं। भूमि अधिग्रहण प्राधिकारी के नाम से जमा निधि को

2010-11 की प्रतिवेदन सं. 20

अलग खाते में न रखे जाने के कारण बोर्ड को ₹ 6.23 करोड़ के ब्याज की हानि हुई। डी.डी.एस. परियोजना के पूर्ण होने में विलम्ब के कारण प्रत्याशित लाभ की अप्राप्ति के रूप में ₹ 243.72 करोड़ की हानि हुई। अपर्याप्त मानव संसाधन के कारण अत्यधिक लागत पर स्थापित नेहारी (NEHARI) का उपयोग क्षमता से कम रहा। परियोजना पर्यवेक्षण प्रक्रिया प्रभावी नहीं थी। लेखापरीक्षा से यह पता चला कि परियोजना से संबंधित अभिलेखों को अद्यतन नहीं किया गया।


यह तथ्य कि 27 वर्ष के दौरान बोर्ड मात्र सात परियोजनाओं को, वह भी केवल सुरक्षा कार्यों के अन्तर्गत पूर्ण कर सका है साबित करता था कि वह अपने उद्देश्य की प्राप्ति में असफल रहा।

आभार

हम लेखापरीक्षा के दौरान बोर्ड प्रबंधन के सहयोग के आभारी हैं।


निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन मंत्रालय को 2 जुलाई 2010 को जारी किया गया; अक्टूबर 2010 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

नई दिल्ली
दिनांक : 16, नवम्बर, 2010


(रॉय मथरानी)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
केन्द्रीय व्यय

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक : 16, नवम्बर, 2010


(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

अनुबन्ध-I

(पैराग्राफ 5.4 के संदर्भ में)

लेखापरीक्षा के लिए चयनित परियोजनाओं की सूची

क्र.स.	परियोजना का नाम	निष्पादन डिवीजन का नाम	अनुमानित लागत (₹करोड़ में)	मार्च 2009 तक वास्तविक व्यय (₹करोड़ में)	प्रगति की प्रतिशतता
जल निकासी विकास योजना					
1.	आमजुर डी.डी.एस.	बराक घाटी	14.15	4.50	10
2.	हरंग डी.डी.एस.	बराक घाटी	30.49	28.80	95
3.	जेंगसाई डी.डी.एस.	लखीम पुर	1.49	1.04	30
4.	ज्वाय सागर डी.डी.एस.	नगाँव	2.13	0.01	प्रारम्भ की जानी है
5.	कैलाशहर डी.डी.एस.	अगरतला	4.18	0.14	प्रारम्भ की जानी है
6.	सिंगला डी.डी.एस.	बराक घाटी	3.54	0.15	प्रारम्भ की जानी है
बचाव कार्य					
7.	खुशियाबिल फेज़-1	नगाँव	0.85	0.79	पूर्ण
8.	खुशियाबिल फेज़- II	नगाँव	1.80	1.60	पूर्ण
9.	माजुली द्वीप	लखिमपुर	6.22	5.92	पूर्ण
10.	माजुली फेज़-1	लखिमपुर	56.07	45.83	93
11.	माजुली फेज़- II व III	लखिमपुर	128.00	-	प्रारम्भ की जानी है
बहुउद्देशीय परियोजना					
12.	पगलाडिया बाँध परियोजना	नलबारी	542.90	25.77	प्रारम्भ की जानी है
कुल			791.82	114.55	

अनुबन्ध-II

(पैराग्राफ 5.11 के संदर्भ में)

प्रधान योजना का विवरण

क्र.सं.	नाम	समाप्ति की तिथि	भारत सरकार से अनुमोदन की तिथि
1.	बराक एवं इसकी सहायक नदियां	1988	08.08.1997
2.	बरगंग	प्रगति में	लंबित
3.	बरनादी	2009	23.02.2004
4.	बेलसिरि	2004	23.02.2004
5.	बेकि-मनास-आई	प्रगति में	लंबित
6.	बरालु	1998	23.02.2004
7.	भोगदोई	2004	23.02.2004
8.	ब्रह्मजन	प्रगति में	लंबित
9.	ब्रह्मपुत्र बेसिन स्टेम	1986	08.08.1997
10.	बुरिमा	1999	23.02.2004
11.	बुरी-दहिंग	1995	23.02.2004
12.	बुरोई	उ.न.	लंबित
13.	चम्पामति	1998	23.02.2004
14.	धलाई	2000	23.02.2004
15.	धलेश्वरी	2002	23.02.2004
16.	धनसिरि (एन)	2009	23.02.2004
17.	धनसिरी (एस)	1996	23.02.2004
18.	डिखो	1995	23.02.2004
19.	डिकराँग	1996	23.02.2004
20.	डिपोटा	2005	23.02.2004
21.	डिसंग	1998	23.02.2004
22.	दुधनोई-कुर्जाई	प्रगति में	लंबित
23.	गभारू	2003	23.02.2004
24.	गदाधर	2004	23.02.2004
25.	गौरंग	2002	23.02.2004
26.	धिलाधरी	2001	23.02.2004
27.	गुमति	1996	23.02.2004
28.	हाओरा	2003	23.02.2004
29.	जदुकाता	प्रगति में	लंबित
30.	जलधाका	प्रगति में	लंबित

क्र.सं.	नाम	समाप्ति की तिथि	भारत सरकार से अनुमोदन की तिथि
31.	जिया-भराली	1998	23.02.2004
32.	जियाधल	2000	23.02.2004
33.	जिनारी	1999	23.02.2004
34.	जिजिराम	2001	23.02.2004
35.	झांजी	2002	23.02.2004
36.	जुरी	1999	23.02.2004
37.	कपिलि-कोलांग	1995	23.02.2004
38.	खोवाई	2000	23.02.2004
39.	कुलशी-देओसिला	2005	23.02.2004
40.	लोहित	2000	23.02.2004
41.	माजुली द्वीप	2000	23.02.2004
42.	मनु	1997	23.02.2004
43.	मारिधल	2001	23.02.2004
44.	मुडुरी	1997	23.02.2004
45.	ननोई	1999	23.02.2004
46.	नोआ-नदी	1998	23.02.2004
47.	मगलाडिया	1996	23.02.2004
48.	पुथीमारी	1995	23.02.2004
49.	रंगनादिल	1995	23.02.2004
50.	सोमेश्वरी	प्रगति में	लंबित
51.	सोनकाश	प्रगति में	लंबित
52.	सुबांसिरि	2002	23.02.2004
53.	तंगनी	प्रगति में	लंबित
54.	तीरता	प्रगति में	लंबित
55.	तिपाकी	प्रगति में	लंबित
56.	तोरसा कलकजानी व रैडाक	प्रगति में	लंबित
57.	उम-एन-गोट	प्रगति में	लंबित

अनुबन्ध-III

(पैराग्राफ 5.12 के संदर्भ में)

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के तैयारी की स्थिति

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमनित लागत (₹लाख में)	प्रारम्भ की निर्धारित तिथि	समाप्ति की निर्धारित तिथि	मार्च 2009 तक व्यय (₹लाख रु. में)	समाप्ति की तिथि	सी.डब्ल्यू.सी. से अनुमोदन की तिथि
जल निकास विकास योजना							
1.	आमजूर	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	पूर्ण (2005)	2006
2.	बद्री	31.28	उ.न.	उ.न.	30.98	पूर्ण 2002	लम्बित
3.	बरभग	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	पूर्ण (2000)	2006
4.	बथा	11.00	2003	2008	7.18	छोड़ दिए गए	
5.	भेरिकिबिल	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	प्रगति में	
6.	डेमो	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	पूर्ण 2007	2008 (असम सरकार को सौंप दिया गया)
7.	डेओरी	उ.न.	उ.न. उ.न.	उ.न.	उ.न.	पूर्ण 1995	लम्बित
8.	डेपोटा	19.12	मई 06	मई 08	12.41	प्रगति में	
9.	धर्मनगरी	21.45	मार्च 01	मार्च 02	20.77	पूर्ण 2008	लम्बित
10.	बरपेटा पूर्वी	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	पूर्ण (1998)	2006
11.	जेलाविल	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	प्रगति में	
12.	घागरा	11.00	1987	1991	2.20	पूर्ण (1993)	लम्बित
13.	धिलाधरी	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	प्रगति में	
14.	हरंग	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	पूर्ण (1996)	1998
15.	हरिया ननोई	35.12	मई 08	मई 10	14.20	प्रगति में	
16.	जकैचक	उ.न.	उ.न.	उ.न.	NA	पूर्ण (1998)	2006
17.	जेंगराई	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	पूर्ण (1998)	2006
18.	ज्वायसागर	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	पूर्ण (1998)	2006
19.	कैलाशहर	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	पूर्ण (2001)	2006
20.	कलामोनिजन	17.90	मई 03	मई 07	17.53	प्रगति में	
21.	खत्रा	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	प्रगति में	
22.	कोनवरपुर	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	पूर्ण 1993	निरस्त
23.	लर्सिंग	31.28	उ.न.	उ.न.	0.08	प्रगति में	
24.	लरुआ जमीरासेता	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	प्रगति में	

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमति लागत (रु.लाख में)	प्रारम्भ की निर्धारित तिथि	समाप्ति की निर्धारित तिथि	मार्च 2009 तक व्यय (रु.लाख में)	समाप्ति की तिथि	सी.डब्ल्यू.सी. से अनुमोदन की तिथि
25.	मोरा डिकरंग	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	पूर्ण 2002	लम्बित
26.	मोरा पिचोलामुख	13.15	उ.न.	उ.न.	उ.न.	प्रगति में	
27.	मोरी कालेंग (पूआ कालेंग)	13.18	मई 03	मई 07	12.94	प्रगति में	
28.	नेली	12.54	मई 03	मई 07	12.87	प्रगति में	
29.	पकानिया	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	प्रगति में	
30.	पोला	7.00	1988	1991	0.17	पूर्ण 1992	लम्बित
31.	पुनीर	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	प्रगति में	
32.	रंगसाई	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	पूर्ण 1993	निरस्त
33.	रुद्रसागर	उ.न.	उ.न.	उ.न.	0.12	पूर्ण 2006	2006 (त्रिपुरा सरकार को सौंप दिया गया)
34.	सिंगला	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	पूर्ण (2001)	2006
35.	सो	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	पूर्ण 1993	लम्बित
36.	सेसापटार	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	प्रगति में	
37.	सुखसागर	23.79	अप्रैल 97	उ.न.	23.77	प्रगति में	
38.	सोनाई	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	पूर्ण 1991	लम्बित
39.	वेस्ट आफ बरपेटा	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	पूर्ण 2002	लम्बित
40.	नामदंग	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	प्रगति में	
41.	तिगराई	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	प्रगति में	
बाढ़ नियंत्रण/सुरक्षा योजना							
42.	भरालुमुख से निलाचल पहाड़ी (फेज-II)	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	पूर्ण (उ.न.)	लम्बित
43.	गनिग्राम और सांतिपुर	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	पूर्ण (उ.न.)	लम्बित
44.	मधुरमुख और बेतुकुडी	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	पूर्ण (उ.न.)	लम्बित
45.	राजतिला और सियालटेक	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	पूर्ण (उ.न.)	लम्बित
46.	सुकलेश्वर घाट से भरालुमुख (फेज- I)	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	पूर्ण (उ.न.)	लम्बित

2010-11 की प्रतिवेदन सं. 20

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमनित लागत (रु.लाख में)	प्रारम्भ की निर्धारित तिथि	समाप्ति की निर्धारित तिथि	मार्च 2009 तक व्यय (रु.लाख में)	समाप्ति की तिथि	सी.डब्ल्यू.सी. से अनुमोदन की तिथि
47.	तारापुर दसपारा क्षेत्र से सिलचर शहर	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	पूर्ण (उ.न.)	लम्बित
बहुउद्देशीय परियोजना							
48.	बैरबी बांध परियोजना	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	पूर्ण (2000)	मिजोरम सरकार का सौंप दिया गया
49.	डिंबग बांध परियोजना	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	पूर्ण (उ.न.)	एन.एच.पी.सी. को सौंप दिया गया
50.	जियाधल	382.00	2001	मार्च 04	321.51	प्रगति में	
51.	किलिंग	499.94	2003	मार्च 12	315.41	प्रगति में	
52.	कुलसी	490	1997	2000	484.29	प्रगति में	
53.	किन्सी-I (जादुकाटा)	632.50	1997	2000	622.42	प्रगति में	
54.	किन्सी-II	431.30	फरवरी 03	दिसम्बर 05	324.85	प्रगति में	
55.	लोहित	उ.न.	दिसम्बर 96	मार्च 2009	उ.न.	प्रगति में	
56.	नोवा देहिग	उ.न.	दिसम्बर 96	उ.न.	उ.न.	प्रगति में	
57.	पगलाडिया बांध परियोजना	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	पूर्ण (1992)	1995
58.	सियांग बांध परियोजना	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	पूर्ण	एन.एच.पी.सी. को सौंप दिया गया
59.	सिमसंग	499.00	1997	मार्च 2000	473.49	प्रगति में	
60.	सुबांसिरि बांध	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	पूर्ण	एन.एच.पी.सी. को सौंप दिया गया
61.	तपाईंमुख बांध परियोजना	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	पूर्ण (जनवरी 1995)	एन.ई.ई.पी.सी.ओ. को सौंप दिया गया
हाइडेल परियोजना							
62.	शेला	30.00	अक्टू. 04	सि. 2006	26.77	प्रगति में	
63.	मितंग	30.00	जून 04	मई 2006	27.41	प्रगति में	
64.	उमखेन	30.00	जून 04	मई 2006	28.79	प्रगति में	

अनुबन्ध-IV

(पैराग्राफ 5.4 तथा 5.13 के संदर्भ में)

परियोजना निष्पादन की स्थिति

(रैंकरोड़ रु. में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	सी.डब्ल्यू.सी द्वारा डी.पी.आर. के अनुमोदन की तिथि	आकलित लागत	प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की निर्धारित तिथि	मार्च 2009 तक यथार्थ व्यय	वर्तमान स्थिति (समाप्ति की प्रतिशतता)
जल निकास विकास योजना							
1.	आमजूर	2006	14.15	जून 06	मार्च 09	4.50	10
2.	बरभग	2006	7.23	उ.न.	उ.न.	3.00	40
3.	बरपेटा पूर्व	2006	1.34	उ.न.	उ.न.	0.30	20
4.	हरंग	1998	30.49	फरवरी 99	मार्च 04	28.80	95
5.	जकैचुक	2006	2.96	उ.न.	उ.न.	1.09	50
6.	जेंगराई	2006	1.49	उ.न.	अगस्त 02	1.04	30
7.	ज्वाय सागर	2006	2.13	उ.न.	अक्तूबर 04	0.01	कार्य प्रारम्भ नहीं
8.	कैलाशहर	2006	4.18	उ.न.	सितम्बर 05	0.14	कार्य प्रारम्भ नहीं
9.	सिंगला	2006	3.54	उ.न.	मार्च 08	0.15	कार्य प्रारम्भ नहीं
बाढ़ नियंत्रण/सुरक्षा योजना							
10.	धोला हटीघुली फेज-I में ब्रह्मपुत्र का विदीर्ण	उ.न.	10.47	उ.न.	2003-04	21.56	पूर्ण (2003-04)
11.	धोला हटीघुली फेज-II में ब्रह्मपुत्र का विदीर्ण	उ.न.	4.95	उ.न.	2004-05		पूर्ण (2004-05)
12.	धोला हटीघुली फेज-III में ब्रह्मपुत्र का विदीर्ण	उ.न.	8.47	उ.न.	2007-08		पूर्ण (2007-08)
13.	धोला हटीघुली फेज-IV में ब्रह्मपुत्र का विदीर्ण	उ.न.	23.19	उ.न.	उ.न.	...	कार्य प्रारम्भ नहीं
14.	खुशयाबिल और दुर्गजन (फेज-I)	उ.न.	0.85	उ.न.	2005-06	0.79	पूर्ण
15.	खुशयाबिल और दुर्गजन (फेज-II)	उ.न.	1.80	उ.न.	2007-08	1.60	पूर्ण

2010-11 की प्रतिवेदन सं. 20

क्र. सं.	परियोजना का नाम	सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा डी.पी.आर. के अनुमोदन की तिथि	आकलित लागत	प्रारम्भ की तिथि	समाप्ति की निर्धारित तिथि	मार्च 2009 तक यथार्थ व्यय	वर्तमान स्थिति (समाप्ति की प्रतिशतता)
16.	माजुली द्वीप त्वरित कदम	उ.न.	6.22	जनवरी 04	फरवरी 05	5.92	पूर्ण
17.	माजुली द्वीप फेज-I	उ.न.	56.07	फरवरी 05	फरवरी 08	45.83	93
18.	माजुली द्वीप फेज-II और III	उ.न.	128.00	उ.न.	उ.न.	...	कार्य प्रारम्भ नहीं
19.	मुकुअलमुआ/बरभग का नगरीजुली रंगीया शहर	उ.न.	4.89	उ.न.	2010-11	3.46	पूर्ण
बहुदेशी योजना							
20.	पगलाडिया बांध परियोजना	1995	542.90	उ.न.	दिसम्बर 07	25.77	कार्य प्रारम्भ नहीं
कुल			855.32			143.96	